



जनवरी 2025

वर्ष : 07 | अंक : 01

मूल्य : ₹ 140



भारत का रूस और पश्चिमी देशों के मध्य रणनीतिक संतुलन

»मुख्य विशेषताएं

ब्रेन बूस्टर

पावर पैकड न्यूज

वन लाइनर

यूपीएससी प्री बेस्ड एमसीक्यूस



ध्येय IAS®
most trusted since 2003

नया बैच प्रारंभ

27th JAN 2025

GENERAL STUDIES

UPSC(IAS)



9:00 AM 5:30 PM

OFFLINE / ONLINE BATCH

27th JAN 2025

GENERAL STUDIES

UPPCS



9:00 AM



Jeevan Plaza, Viram khand 5, Gomti Nagar, Lucknow



7570009003

पहला पन्ना



एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्वपूर्ण मुद्दे संभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध निदेशक	:	व्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	विवेक ओड़ा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
डिजाइनिंग	:	अरुण मिश्र
आवरण सञ्जा	:	सोनल तिवारी

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरुक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-

+91 9369227134

perfect7magazine@gmail.com



इस अंक में ...

1. राष्ट्रीय 06-21

- एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE): चुनाव सुधार और समन्वय की दिशा में एक कदम
- न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिक्रमण और उपासना स्थल अधिनियम: एक आलोचनात्मक विश्लेषण
- गृहगल की नीतियों का परीक्षण
- लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता
- पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का 59वां अखिल भारतीय सम्मेलन
- अकाल तख्त द्वारा धार्मिक दंड
- आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट
- उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
- भारत में धर्म और आरक्षण पर कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण
- POSH अधिनियम को राजनीतिक दलों पर लागू किए जाने की आवश्यकता?
- बंगालर बारी योजना
- पेपर लीक पर पैनल
- केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना
- डाकघर नियम, 2024 और डाकघर विनियम, 2024
- कोर्ट कॉलेजियम

2. अन्तर्राष्ट्रीय 22-35

- भारत का रूस और पश्चिम के बीच रणनीतिक संतुलन: एक व्यापक विश्लेषण
- ब्रिटेन का सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक
- दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ
- रियाद में संयुक्त राष्ट्र वार्ता

- भारत-ईरान-अर्मेनिया त्रिपक्षीय परामर्श
- भारत-थाईलैंड संबंध
- भारत और मनीला के बीच समुद्री सहयोग
- नया पूर्वी मार्ग
- फेवा संवाद
- भारत-कुवैत संबंध
- अमेरिका-चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता
- ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा बांध

3. पर्यावरण 36-48

- भारत का वन एवं वृक्ष आवरण विकास: पर्यावरण संरक्षण का एक मॉडल
- सिलिका खनन और स्वास्थ्य जोखिम: एनजीटी ने सीपीसीबी को राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया
- भूमि क्षरण पर यूएन की रिपोर्ट
- रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया
- आईसीजे ने ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन मामले की सुनवाई शुरू की
- स्थानिक मंडकों को खतरा: पश्चिमी घाट पर एक अध्ययन
- भारतीय सितारा कछुआ
- तूफान चिड़ो: एक विनाशकारी चक्रवात
- कोस्टल हार्डनिंग
- सांता आना हवा
- आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड
- ब्रॉन की फ्री-टेल बैट
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	49-59	6. विविध	74-85
<ul style="list-style-type: none"> ✓ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हीकल भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में कदम ✓ एक्स्ट्राक्रोमोसोमल डीएनए (ecDNA) ✓ एंटीमैटर का ब्रह्मांडीय रहस्य ✓ गंभीर हीमोफीलिया ए के लिए जीन थेरेपी ✓ गूगल की व्हांटम कंज्यूटिंग में सफलता: विलो चिप और इसके प्रभाव ✓ डार्क मैटर ✓ डायमंड क्लूड सर्वर्स ✓ डीएनए प्रोफाइलिंग ✓ नैनो बबल तकनीक ✓ लाइट इको तकनीक ✓ वजन घटाने वाली दवाओं को WHO की मंजूरी 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ भारत की 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' योजना: अवसर और चुनौतियाँ ✓ प्रगति प्लेटफार्म ✓ बॉयलर्स बिल, 2024 ✓ मौर्य साम्राज्य का 80-स्तंभों वाले सभा भवन का उत्खनन ✓ नागालैंड में शाराबबंदी पर पुनर्विचार: हॉर्नबिल महोत्सव ✓ निकोबारी आबादी पर अध्ययन ✓ भारत कौशल रिपोर्ट 2025 ✓ विश्व मलेरिया रिपोर्ट ✓ पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की पहल ✓ सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की छवि ✓ दूरसंचार नियम, 2024 ✓ भारत के स्टार्टअप्स में महिलाओं का बढ़ता प्रभाव 	
5. आर्थिकी	60-73	7. क्रिकेट लर्न	86-122
<ul style="list-style-type: none"> ✓ भारतीय रूपये का अवमूल्यन: विनिमय दर की समझ ✓ चूपीआई धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि ✓ पर्यटन अवसंरचना में सुधार के लिए निवेश ✓ वैरिवेक वेतन रिपोर्ट 2024-25 ✓ एसोचौम-ईग्रो अध्ययन: एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियाँ और समाधान ✓ भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बीच भारत का व्यापार परिवृत्त्य ✓ एफसीएनआर (बी) जमा पर ब्याज दर सीमा बढ़ी ✓ भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ✓ आईएलओ की सोशल डायलॉग रिपोर्ट ✓ सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (जीएनपीए) अनुपात ✓ घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2023-24 		<ul style="list-style-type: none"> ब्रेन बूस्टर 86-93 ✓ भारतमाला परियोजना ✓ जीएसटी परिषद ✓ इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस (आईपीएफ) ✓ भारत का पहला बायो-बिट्मेन राष्ट्रीय राजमार्ग ✓ जलवाहक योजना ✓ खुली जेल ✓ प्रोजेक्ट चीता ✓ भारत में सैटेलाइट इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविट प्रमुख चर्चित स्थल 94-95 पावर पैकड न्यूज 96-112 वन लाइनर्स 113-114 समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 115-122 	

राष्ट्रीय मुद्दे



एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE): चुनाव सुधार और समन्वय की दिशा में एक कदम

प्रसंगः

हाल ही में 13 दिसंबर, 2024 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) योजना को मंजूरी दी, जो भारत के चुनावी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है। इस योजना से चुनावों की आवृत्ति को कम करने, शासन को सुव्यवस्थित करने, चुनावी खर्च को कम करने और भारत में चरणबद्ध चुनावों के कारण होने वाले व्यवधानों को कम करने का लक्ष्य है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) का उद्देश्य:

एक राष्ट्र, एक चुनाव का अर्थ है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना। इन चुनावों को एक साथ करकर, ONOE का उद्देश्य है:

- **चुनाव की आवृत्ति को कम करना:** वर्तमान में चुनावों की आवृत्ति अधिक है, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए अलग-अलग चुनाव होते हैं, जिससे

चुनावी थकान और उच्च लागत होती है।


- **शासन को सुव्यवस्थित करना:** चुनावों को एक साथ कराना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण होने वाले शासन व्यवधानों से बचाएगा, जो चुनावी अवधि के दौरान प्रभावी होता है और सरकारी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है।
- **खर्च को कम करना:** बार-बार होने वाले चुनाव सार्वजनिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। समन्वित चुनाव कराना सरकार और राजनीतिक दलों पर वित्तीय बोझ को कम करेगा।
- **चुनावी व्यवधान को कम करना:** वर्तमान चरणबद्ध चुनाव दैनिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों को बाधित करते हैं। एकीकृत चुनाव चक्र देश के सुचारू संचालन की ओर ले जा सकता है।

प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनः

- ONOE योजना को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में कई प्रमुख संशोधन आवश्यक होंगे:
 - » **अनुच्छेद 82A:** चुनावों को समन्वित करने के लिए

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की सुविधा प्रदान करना।

- » **अनुच्छेद 83(2):** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को संरेखित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित करना।
- » **अनुच्छेद 327:** संसद को एक साथ चुनाव कराने के प्रावधान बनाने की शक्ति देना।
- » **अनुच्छेद 324A:** एक नया अनुच्छेद जो भारत के चुनाव आयोग (ECI) को समन्वित चुनाव कराने का अधिकार देगा।



राम नाथ कोविंद समिति की सिफारिशें:

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने ONOE को लागू करने के लिए कई प्रमुख सिफारिशें कीं। समिति के सुझावों में शामिल हैं:

- **समवर्ती चुनावों को पुनः स्थापित करना:** बार-बार होने वाले चुनाव अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में व्यवधान पैदा करते हैं। चुनावों को समन्वित करना इस बोझ को कम करेगा।
- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** समिति ने दो चरणों का प्रस्ताव रखा:
 - » **चरण 1:** लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को संरेखित करना।
 - » **चरण 2:** सामान्य चुनावों के 100 दिनों के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनावों को समन्वित करना।
- **राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल अवधि कम करना:** नई राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा चुनावों के साथ संरेखित करने के लिए समायोजित किया जाएगा।
- **एकीकृत मतदाता सूची और फोटो आईडी प्रणाली:** समिति ने सभी चुनावों के लिए एकल मतदाता सूची और फोटो आईडी प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की ताकि स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

शहरी स्थानीय सरकारें (ULGs) और एक राष्ट्र एक चुनाव:

- शहरी स्थानीय सरकारें (ULGs) शासन के विकेंद्रीकरण और आवश्यक नागरिक सेवाओं की डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ULGs के लिए हर पांच साल में चुनाव कराने

के संवैधानिक जनादेश के बावजूद, देरी आम है, जो अक्सर वर्षों तक चलती है। यह मुद्दा ONOE के आसपास की चर्चा में उठाया गया है और भारत सरकार ने सामान्य चुनावों के 100 दिनों के भीतर ULG चुनावों को समन्वित करने की सिफारिश की है।

- हालांकि, ULG चुनावों में देरी के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। राज्य चुनाव आयोगों (SECs) का निराधिकार एक और प्रमुख मुद्दा है जो ULG चुनावों के समय पर संचालन में बाधा डालता है। स्वतंत्र प्राधिकरणों, जैसे कि SECs, को वार्ड परिसीमन और आरक्षण प्रक्रियाओं जैसी जिम्मेदारियों के साथ सौंपा जाना चाहिए ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकें।
- एक राष्ट्र, एक चुनाव योजना भारत की चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और बार-बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाले व्यवधानों को कम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। जबकि इस प्रस्ताव में खर्च में कमी, बेहतर शासन और बढ़े हुए मतदाता टर्नआउट जैसे कई लाभों का वादा किया गया है, इसे संवैधानिक संशोधनों, राजनीतिक सहमति और लॉजिस्टिक समन्वय सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।
- देश भर के हितधारकों की भागीदारी, पायलट कार्यान्वयन और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ, ONOE की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त, ONOE के कार्यान्वयन को शहरी स्थानीय सरकारों के चुनावों के समन्वय पर भी विचार करना चाहिए ताकि सभी स्तरों पर समय पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

मुख्य चुनौतियाँ और चिंताएँ:

- **संविधान संशोधन:** ONOE को लागू करने के लिए भारत के संविधान में बदलाव की आवश्यकता है, जो राजनीतिक विरोध और चुनौतियों का सामना कर सकता है। इन संशोधनों को संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- **संघवाद के मुद्दे:** आलोचकों का तर्क है कि ONOE भारत की संघीय संरचना को कमज़ोर कर सकता है, जिससे चुनावी शक्ति का केंद्रीकरण हो सकता है और क्षेत्रीय और राज्य-स्तरीय मुद्दों का महत्व कम हो सकता है।
- **लॉजिस्टिक जटिलता:** भारत जैसे विशाल और विविध देश में समवर्ती चुनाव कराना एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक चुनौती प्रस्तुत करता है। ONOE के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समन्वय और योजना महत्वपूर्ण होगी।
- **क्षेत्रीय विविधता और प्रतिनिधित्व:** भारत के विविध राजनीतिक परिदृश्य को राष्ट्रीय मुद्दों द्वारा छाया में रखा जा सकता है। चुनावों को समन्वित करना क्षेत्रीय आकांक्षाओं के

प्रतिनिधित्व को सीमित कर सकता है।

आगे की राह:

- व्यापक परामर्श:** सरकार को योजना पर आम सहमति बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और जनता के साथ जुड़ना चाहिए। व्यापक परामर्श से चिंताओं को दूर करने और सभी हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखने में मदद मिलेगी।
- पायलट परीक्षण:** ONOE को छोटे पैमाने पर लागू करना संभावित चुनौतियों की पहचान करने और इसे राष्ट्रीय स्तर

पर लागू करने से पहले प्रणाली को परिष्कृत करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है।

- बुनियादी ढांचे का विकास:** भारत के चुनाव आयोग (ECI) को समवर्ती चुनावों के लॉजिस्टिक्स को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक संसाधनों, प्रौद्योगिकी और कर्मियों से लैस करने की आवश्यकता है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVMs) और बोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) सिस्टम उपलब्ध और सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिक्रमण और उपासना स्थल अधिनियम: एक आलोचनात्मक विश्लेषण



सन्दर्भ:

भारतीय न्यायपालिका संवैधानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायिक निष्क्रियता की अवधारणा, जैसा कि चाड एम. ओल्डफादर ने चर्चा की है, यह न्यायपालिका के सक्रिय या निष्क्रिय होने के प्रभाव और महत्व पर विचार करती है। न्यायिक निष्क्रियता कभी-कभी न्यायिक सक्रियता जितनी ही परिणामकारी हो सकती है, विशेषकर जब अदालतें महत्वपूर्ण मामलों को टाल देती हैं, जैसा कि संभल मस्जिद विवाद में देखा गया था। यह मामला भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून, पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 पर निर्णय लेने में न्यायिक अनिच्छा का उदाहरण है। इस

सन्दर्भ में, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण जैसे शब्दों को न्यायपालिका के कामकाज पर उनके प्रभाव को समझने के लिए बारीकी से जांचने की आवश्यकता है।

न्यायिक सक्रियता: सैद्धांतिक संदर्भ

- न्यायिक सक्रियता में न्यायाधीशों द्वारा गतिशील तरीके से कानूनों की व्याख्या करना, नीतिगत निर्णयों को आकार देना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि न्याय सामाजिक परिवर्तनों के साथ विकसित हो। हालांकि, न्यायिक सक्रियता अधिकारों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सहायक रही है, कभी-कभी इसका परिणाम न्यायिक अतिक्रमण के रूप में सामने आ सकता है, जब न्यायालय अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता

के कारण कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, जैसे व्यक्तिगत अधिकारों का विस्तार करना और नीतियों को प्रभावित करना। हालांकि, यह तब भी चुनौतियाँ उत्पन्न करता है जब इसके परिणामस्वरूप न्यायालय अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं और कार्यपालिका या विधायिका की शक्तियों का उल्लंघन करते हैं।

- इसके विपरीत, न्यायिक निष्क्रियता का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों का सामना करने पर निर्णयक कार्रवाई करने में विफलता। ओल्डफादर की न्यायिक निष्क्रियता की आलोचना इस बात पर प्रकाश डालती है कि ऐसी विफलताएँ समान रूप से गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं, विशेषकर तब जब अदालतें समाज और राष्ट्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मामलों को संबोधित करने से बचती हैं।

न्यायिक अतिक्रमण: एक चिंता

- न्यायिक अतिक्रमण तब होता है जब न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे निर्णय लेते हैं जोकि सरकार की अन्य शाखाओं, जैसे कि कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। भारत में, यह रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है, विशेषकर विवादास्पद सामाजिक मुद्दों से जुड़े मामलों में। न्यायिक अतिक्रमण शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है, मामलों के लंबित होने का कारण बन सकता है और कानून के आवेदन के बारे में भ्रम पैदा कर सकता है।
- संभल मस्जिद मामले में न्यायिक निष्क्रियता देखने को मिली, जब न्यायपालिका ने पूजा स्थल अधिनियम से संबोधित एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर कार्रवाई को टाल दिया। सिविल कोर्ट को कार्यवाही रोकने का निर्देश देकर और मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सौंपकर, न्यायपालिका एक निश्चित निर्णय देने में विफल रही। इस अनिच्छा को न्यायिक निष्क्रियता के रूप में देखा जा सकता है, जो संवैधानिक मुद्दों के समाधान में बाधा डालती है।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991:

- पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को उसी तरह बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया था जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को था। इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पूजा स्थल में इस तरह का बदलाव न किया जाए जिससे देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। इसके मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं:

- » धारा 3: किसी भी पूजा स्थल को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने पर प्रतिबंध लगाती है।
- » धारा 4(1): यह घोषणा करती है कि 15 अगस्त, 1947 के अनुसार पूजा स्थलों का धार्मिक चरित्र अपरिवर्तित

रहेगा।

- » धारा 4(2): इन स्थानों के धार्मिक चरित्र के संबंध में कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाती है।
- » धारा 6: उल्लंघन के लिए कारावास और जुर्माने सहित दंड निर्धारित करती है।
- यह अधिनियम भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा करने में मौलिक है, जो किसी भी धार्मिक समुदाय को राजनीतिक या सामाजिक एजेंडे के अनुरूप पूजा स्थलों की स्थिति में बदलाव करने से रोकता है। हालांकि, न्यायिक निष्क्रियता, जैसा कि संभल मस्जिद मामले में प्रदर्शित हुआ, इसके उद्देश्य को कमजोर करती है।

संभल मस्जिद मामले में न्यायिक स्थगन:

- संभल मस्जिद मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पूजा स्थल अधिनियम के आवेदन के बारे में विवाद पर निर्णय न लेने का विकल्प चुना। इसके बजाय, इसने मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भेज दिया और एक निश्चित निर्णय से बचा जा सका।
- इस न्यायिक स्थगन को न्यायिक निष्क्रियता माना जा सकता है, क्योंकि न्यायालय द्वारा मामले को टालने से अधिनियम के इर्द-गिर्द कानूनी अनिश्चितता बनी रही। समय पर लिए गए निर्णय से धार्मिक यथास्थिति को बनाए रखने के अधिनियम के इरादे की पुष्टि हो सकती थी और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बरकरार रखा जा सकता था।

ऐतिहासिक संदर्भ और न्यायिक मिसालें:

- शाहीन बाग हत्याकांड जैसे अन्य हालिया मामले भी इसी तरह के हैं। शाहीन बाग विरोध (2020) और कृषि कानून विरोध (2021), समान न्यायिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। दोनों मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयक कानूनी निर्णय देने के बजाय मध्यस्थता या स्थगन का विकल्प चुना। ये उदाहरण राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों से सीधे निपटने के लिए न्यायपालिका की अनिच्छा को उजागर करते हैं, जो कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में लंबे समय तक अनिश्चितता और भ्रम में योगदान देता है।
- अयोध्या निर्णय (2019) एक ऐतिहासिक मामला था, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने 1947 के अनुसार पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के महत्व पर बल देते हुए पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा। फिर भी, बाद के ज्ञानवापी मस्जिद मामले (2023) ने अधिनियम को लागू करने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता के बारे में चिंताएँ खड़ी कर दी हैं।

न्यायिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता:

- संभल मस्जिद मामले में न्यायालय ने पूजा स्थल अधिनियम की वैधता और मंशा की पुष्टि करने का अवसर खो दिया।

एक निर्णयिक निर्णय देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत कर सकता था और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में एक मजबूत संदेश भेज सकता था। ऐसे मामलों को संबोधित करने के लिए न्यायिक इच्छाशक्ति की कमी से जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और न्यायपालिका की निष्पक्ष रूप से कानूनों को लागू करने की क्षमता पर अविश्वास उत्पन्न होता है।

अयोध्या निर्णय और इसके निहितार्थः

- अयोध्या मामले में आए फैसले में पूजा स्थल अधिनियम के महत्व को स्वीकार किया गया था, लेकिन बाद के मामलों जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद में इसके क्रियान्वयन में असंगतता दिखाई देती है। यह अधिनियम भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन हाल की न्यायिक कार्रवाइयां इसके उद्देश्य को कमजोर करती दिख रही हैं। इन निर्णयों के बीच बदलाव दर्शाता है कि कैसे न्यायिक अतिक्रमण और न्यायिक निष्क्रियता अनिश्चितता और कानूनी असंगति पैदा कर सकती है, जिससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास समाप्त हो सकता है।

निष्कर्षः

- पूजा स्थल अधिनियम, 1991, भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को संरक्षित करने और धार्मिक विवादों के राजनीतिकरण

को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून बना हुआ है। इस कानून को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन न्यायिक निष्क्रियता के हालिया रुझान, जिसका उदाहरण संभल मस्जिद मामला है, महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को हल करने में विफल रहे हैं। न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता को न्यायिक संयम के साथ संतुलित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपनी संवैधानिक शक्तियों का अतिक्रमण न करे।

- संभल मस्जिद मामला न्यायपालिका के लिए संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और पूजा स्थल अधिनियम को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण प्रस्तुत करता है। अपने 'निर्णय लेने के कर्तव्य' का पालन करके और न्यायिक संयम का पालन करके, न्यायपालिका जनता के विश्वास को बढ़ा सकती है और भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को मजबूत कर सकती है। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक अतिक्रमण से बचने, कानूनी प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। सही संतुलन बनाकर, न्यायपालिका शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान करते हुए व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करती हुई एक स्वस्थ लोकतंत्र में योगदान दे सकती है।

साक्षिप्त मुद्दे

गूगल की नीतियों का परीक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल की नीतियों की जांच का आदेश दिया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विनजों की शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें गूगल की नीतियों को भेदभावपूर्ण करार दिया गया है। विनजों का आरोप है कि गूगल ने अपने प्ले स्टोर पर असली पैसे (Real Money) वाले खेलों के संबंध में नीतियों में बदलाव किया, जिससे विनजों का ऐप बाहर हो गया, जबकि अन्य प्रतिस्पर्धी ऐप्स को स्वीकार किया गया।

सीसीआई के प्रथम दृष्ट्या निष्कर्षः

- गूगल के प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के ठोस प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जोकि दर्शाते हैं कि उसके पायलट कार्यक्रम कुछ विशिष्ट ऐप्स को विशेष रूप से तरजीह देते हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा में विकृति हो रही है।
- गूगल की नीति प्रवर्तन में पारदर्शिता की कमी के बारे में चिंताएं

व्यक्त की गई हैं, जिससे छोटे प्रतिस्पर्धियों और उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है। इन मुद्दों की जांच के लिए महानिदेशक को दो महीने का समय सौंपा गया है।

गूगल के तर्कः

- गूगल का तर्क है कि भारत में खंडित (Fragmented) गेमिंग कानून, विशेष रूप से कौशल के खेल और भाग्य के खेल (Games of Chance) के बीच अंतर, गेमिंग ऐप्स के केस-दर-केस मूल्यांकन की आवश्यकता को दर्शाता है।
- कंपनी ने भारतीय राज्यों में विविध विनियामक परिदृश्य की ओर भी ध्यान दिलाया है, जिससे एकीकृत नीति को लागू करना कठिन हो रहा है।

भारत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा निरोधक जांचः

- प्रतिस्पर्धा-विरोधी जांच की एक बढ़ती प्रवृत्ति के रूप में, नियामक तेजी से तकनीकी दिग्गजों द्वारा की जाने वाली प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर ध्यान दे रहे हैं।
- 2023 में, CCI ने मेटा पर व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति से संबंधित एकाधिकार प्रथाओं के लिए 213.14 करोड़ रुपये का

- जुर्माना लगाया।
- यह भारत के उभरते डिजिटल परिवेश में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नियामक रुख को दर्शाता है।

भारत में एकाधिकार विरोधी कानून:

- भारत के एंटी-ट्रस्ट कानून, जोकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 द्वारा शासित होते हैं, का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बाजार प्रभुत्व को विनियमित करना है। इन कानूनों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लागू किया जाता है।

प्रमुख क्षेत्र:

- प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते:** मूल्य निर्धारण, बोली-धांधली और बाजार हिस्सेदारी जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं।
- प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग:** प्रभुत्वशाली कंपनियों को अनुचित तरीके से प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने से रोकता है, जैसे उच्च प्रारंभिक मूल्य निर्धारण या विशिष्ट समझौतों के माध्यम से।
- विलय और अधिग्रहण:** यह बाजार में प्रतिस्पर्धा को कम करने के उद्देश्य से किए गए विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के बारे में:

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), भारत में प्रतिस्पर्धा-विरोधी कानूनों को लागू करता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

महत्वपूर्ण कार्य:

- प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की जांच:** इसमें प्रभुत्व के दुरुपयोग और अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटना शामिल है।
- विलय और अधिग्रहण की समीक्षा:** यह सुनिश्चित करता है कि विलय से बाजार की प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
- सलाहकार भूमिका:** प्रतिस्पर्धा नीतियों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- दंड और उपचार:** उल्लंघन के लिए जुर्माना और सुधारात्मक कार्रवाई लागू करता है।

लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने चल रहे मुकदमों पर रोक लगाने की मांग

की। इस फैसले में, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों के संबंध में मुकदमा चलाने से पहले संबंधित सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।

- यह निर्णय एक ऐसे मामले से आया है, जिसमें लोक सेवकों पर धन शोधन का आरोप लगाया गया था और प्रवर्तन निदेशालय ने बिना सरकार से आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए ही उन पर मुकदमा चलाने का प्रयास किया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के अभियोजन दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197(1) के तहत आवश्यक पूर्व अनुमोदन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते।

पूर्व स्वीकृति प्रावधान क्या है?

- सीआरपीसी की धारा 197(1):** इस प्रावधान के तहत सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए अपराधों के लिए किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य कदाचार के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए लोक सेवकों को मनमानी कानूनी कार्रवाई से बचाना है।
- अपवाद:** यौन अपराध, मानव तस्करी और महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे गंभीर अपराधों के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: मुख्य बिंदु

- लोक सेवकों के लिए मंजूरी की आवश्यकता:** न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता न केवल सीआरपीसी के तहत आपराधिक अपराधों पर लागू होती है, बल्कि पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत मामलों पर भी लागू होती है। यह भविष्य में सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े मामलों के लिए एक कानूनी मिसाल कायम करता है।
- आधिकारिक कर्तव्य और कथित अपराध के बीच संबंध:** न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जब कथित अपराध सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़े हों, तो पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

फैसले के निहितार्थ:

- चल रहे मुकदमों पर प्रभाव:** इस फैसले का उल्लेख उन चल रहे कानूनी मामलों में किया गया है, जहाँ सरकारी कर्मचारी पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत आरोपित हैं। पूर्व मंजूरी न मिलने के कारण इन मुकदमों पर रोक लगाने या आरोपों को खारिज करने में कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
- व्यापक प्रभाव:** इस फैसले का सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) दोनों के तहत आने वाले मामलों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिसमें भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति लेना भी अनिवार्य है।

पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का 59वां अखिल भारतीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का 59वां अखिल भारतीय सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। यह वार्षिक आयोजन पुलिस के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक आवश्यक मंच के रूप में कार्य करता है।

चर्चा किए गए प्रमुख विषय

- **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे:** सम्मेलन के दौरान आतंकवाद-निरोध, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई), साइबर अपराध, आर्थिक सुरक्षा, आव्रजन नियंत्रण, तटीय सुरक्षा और नाकों - तस्करी जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
- **उभरती सुरक्षा चिंताएं:** बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमाओं पर सुरक्षा मुद्दों, शहरी पुलिस व्यवस्था के रुक्णों और दुर्भावनापूर्ण आत्मानों का मुकाबला करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया।
- **नये आपराधिक कानून और पुलिस प्रथाएं:** सम्मेलन में नए बनाए गए प्रमुख आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन, विभिन्न पहलों और पुलिस व्यवस्था में सर्वोत्तम तौर-तरीकों के साथ-साथ पड़ोसी देशों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई।
- **स्मार्ट पुलिसिंग विज्ञ:** स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा का विस्तार किया गया जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - » Strategic (सामरिक)
 - » Meticulous (सूक्ष्म)
 - » Adaptable (अनुकूलनीय)
 - » Reliable (भरोसेमंद)
 - » Transparent (पारदर्शी)
- इस सम्मेलन में पुलिस बलों के लिए न केवल परिचालन क्षमताओं में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, बल्कि उनके दृष्टिकोण में अधिक रणनीतिक, अनुकूलनीय और पारदर्शी बनने की भी आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- सम्मेलन में कानून प्रवर्तन को आधुनिक चुनौतियों, विशेष रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उदय के साथ अनुकूलन के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।


भारत में पुलिस सुधार की स्थिति:

- भारत में पुलिस सुधार की स्थिति दशकों के प्रयासों के बावजूद अभी तक पूरी तरह से साकार नहीं हो पाई है। जिससे पुलिस के कार्यों में पुरानी और अप्रचलित विधियों की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारत में पुलिस बलों से जनता की अपेक्षाएँ काफी बढ़ गई हैं। विशेषकर, अपराध के नए रूप जैसे साइबर अपराध, वित्तीय

- धोखाधड़ी और आतंकवाद ने पुलिस व्यवस्था को चुनौती दी है। समाज की तेजी से बदलती जरूरतों और अपराधों के प्रकारों के साथ पुलिस को अधिक तकनीकी, प्रभावी और जिम्मेदार बनाने की आवश्यकता है।

पुलिस सुधारों को लागू करने में चुनौतियाँ:

- **संवैधानिक सीमाएं:** पुलिस राज्य का विषय है, अर्थात् सुधारों को लागू करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।
- **जवाबदेही और परिचालन स्वतंत्रता:** राजनीतिक जवाबदेही और पुलिस की परिचालन स्वतंत्रता के बीच एक नाजुक संतुलन है।
- **कार्यबल की कमी:** पुलिस बल में बड़ी संख्या में रिक्तियां होने के कारण कार्यबल पर अत्यधिक बोझ बढ़ गया है।
- **प्रशिक्षण एवं अवसरंचना संबंधी मुद्दे:** पुलिस प्रशिक्षण, योग्यता, पदोन्नति और अपर्याप्त फोरेंसिक क्षमता से संबंधित समस्याएँ बनी हुई हैं।
- **पुलिस-जनता संबंध:** अपराध और अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस और जनता के बीच सकारात्मक संबंध महत्वपूर्ण है, जिसमें कमी देखी जाती है।



पुलिस सुधार पर समितियाँ और आयोग:

- **राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1978-82):** दंड प्रक्रिया सहित में संशोधन का सुझाव दिया।
- **पद्मनाभैया समिति (2000):** अपराध रोकथाम में भर्ती, प्रशिक्षण और सार्वजनिक भागीदारी में संरचनात्मक परिवर्तन की सिफारिश की।
- **मलिमथ समिति (2002-03):** प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, नया पुलिस अधिनियम बनाने और अपराध जांच में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **रिबरो समिति (1998):** पुलिस सुधार सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (2006): राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाध्यकारी सुधारों को लागू करने का निर्देश दिया गया, जैसे राज्य सुरक्षा आयोग का गठन और पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) और पूर्व

मंजूरी

- पीसीए की धारा 19:** सीआरपीसी की धारा 197 के समान, इस धारा के तहत रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग जैसे अपराधों के लिए सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
- पीसीए की धारा 17ए:** 2018 में संशोधनों के बाद, यह धारा सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान लिए गए निर्णयों की जांच करने से पहले पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को अधिक मजबूत करती है।

अकाल तख्त द्वारा धार्मिक दंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के नेता सुखबीर सिंह बादल पर अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर गार्ड ड्यूटी के दौरान हमला किया गया। यह घटना उस समय हुई जब अकाल तख्त ने कथित कुशासन के आरोप हेतु (अकाली दल के नेतृत्व वाली सरकार (2007-2017)) उन्हें धार्मिक सजा दी थी।

अकाल तख्त:

- अकाल तख्त सिख धर्म में एक प्रमुख संस्था है, जोकि आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के अधिकारों के सर्वोच्च संरक्षक के रूप में कार्य करती है। इसे गुरु हरगोਬिंद ने 1606 में स्थापित किया था और यह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित है। अकाल तख्त लौकिक शासन के साथ धार्मिक नेतृत्व के एकीकरण का प्रतीक है, जोकि सिख पहचान और बाहरी राजनीतिक दबावों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है।

अकाल तख्त के कार्य:

- धार्मिक और लौकिक प्राधिकरण:** यह सिख समुदाय के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है और धार्मिक निर्देश जारी करता है। इसके अतिरिक्त, यह सामुदायिक विवादों और नैतिक चिंताओं को भी संबोधित करता है।
- प्रतिरोध का प्रतीक:** ऐतिहासिक रूप से, अकाल तख्त ने उत्पीड़न के विरुद्ध सिखों के विद्रोह का प्रतिनिधित्व किया है, तथा आध्यात्मिक शक्ति और आत्मरक्षा दोनों के महत्व पर बल दिया है।

तनखाह:

- तनखाह, या धार्मिक प्रायश्चित, सिख धर्म में एक प्रथा है, जिसमें

उन व्यक्तियों को अकाल तख्त द्वारा एक निर्धारित दंड दिया जाता है, जिन्होंने सिख सिद्धांतों का उल्लंघन किया हो। इस प्रकार की सजा का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि उसे धर्मिक जीवन की ओर वापस लाना है।

तनखाह प्रक्रिया:

- स्वैच्छिक समर्पण:** अकाल तख्त के अधिकार को स्वीकार करने वाले सिखों को मुकदमे के लिए बुलाया जा सकता है। सजा में अक्सर विनम्रता या सार्वजनिक सेवा के कार्य शामिल होते हैं, जिनका उद्देश्य आत्म-चिंतन और विनम्रता को बढ़ावा देना होता है।
- प्रायश्चित के कार्य:** व्यक्ति को समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए सामुदायिक सेवा या अन्य प्रतीकात्मक कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है।
- सुखबीर सिंह बादल के मामले में तनखाह शिअद (शिरोमणि अकाली दल) के कार्यकाल के दौरान शासन से संबंधित आरोपों का परिणाम था जिसमें स्वर्ण मंदिर परिसर के सार्वजनिक स्थानों की सफाई जैसे मुद्दे शामिल थे।**

सिख शासन में अकाल तख्त की भूमिका:

- अकाल तख्त सिख शासन में केंद्रीय भूमिका निभाता है और यह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) से निकटता से जुड़ा हुआ है, जोकि सिख तीर्थस्थलों का प्रबंधन करती है। अकाल तख्त ने ऐतिहासिक रूप से सिख राजनीतिक नेतृत्व का मार्गदर्शन किया है और नैतिक शासन तथा आचरण को मजबूत किया है।



शासन के प्रमुख पहलू:

- नैतिक नेतृत्व पर मार्गदर्शन:** अकाल तख्त सिख राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करता है, व्यक्तियों को उनके आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराकर और यह सुनिश्चित करके कि वे सिख मूल्यों का पालन करें।
- एसजीपीसी के साथ सहयोग:** एसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल जैसी राजनीतिक संस्थाओं के साथ मिलकर अकाल तख्त के निर्णय अक्सर सिख समुदाय के भीतर राजनीतिक

गतिशीलता के साथ जुड़े होते हैं

निष्कर्ष:

अकाल तख्त सिख धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, जो आध्यात्मिक और नैतिक नेतृत्व को सामुदायिक शासन के साथ संतुलित करती है। तन्हाह प्रक्रिया विनम्रता और जवाबदेही की आवश्यकता को प्रमुख रूप से उजागर करती है। सुखबीर सिंह बादल का मामला अकाल तख्त की निरंतर प्रासांगिकता को प्रकट करता है, जो सिख नेतृत्व को मार्गदर्शन प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय के लोग न्याय और नैतिक अखंडता के सिख सिद्धांतों का पालन करें।

आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न पर विचार किया कि क्या आरक्षण का लाभ धर्म के आधार पर प्रदान किया जा सकता है? यह प्रश्न तब सामने आया जब न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्णय के खिलाफ अपील पर सुनवाई की, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 77 समुदायों (जिनमें अधिकांश मुस्लिम थे) को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।

पृष्ठभूमि:


- 2010 में, पश्चिम बंगाल सरकार ने 77 मुख्यतः मुस्लिम समुदायों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया ताकि उन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल सके। हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 22 मई, 2024 को इस वर्गीकरण को रद्द कर दिया।
- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह वर्गीकरण केवल धर्म आधारित प्रतीत होता है, न कि पिछड़ेपन पर। इसके साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि इन समुदायों के पिछड़ेपन को सही ठहराने के लिए आवश्यक सर्वेक्षण और डेटा की कमी थी, जिससे यह आरक्षण संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी:

- गवर्नर और केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने कहा कि 'आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता।' यह कथन इस बात पर चल रही बहस को रेखांकित करता है कि क्या धर्म को आरक्षण के लिए वैध मानदंड होना चाहिए।
- अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि आरक्षण के लिए धर्म का उपयोग करने के बारे में एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न संविधान पीठ के समक्ष लंबित है।

भारत में आरक्षण से संबंधित संवैधानिक ढांचा:

- भारत का संविधान सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से वर्चित समुदायों के लिए, सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 15:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।
- अनुच्छेद 16:** सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 46:** यह राज्य को अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 340:** यह अनुच्छेद कुछ वर्गों और समुदायों के पिछड़ेपन की जांच के लिए एक आयोग के गठन की अनुमति देता है।
- मंडल आयोग की रिपोर्ट (1980) ने पिछड़े वर्गों की पहचान सामाजिक- आर्थिक मानदंडों, खास तौर पर जाति के आधार पर करने की नींव रखी, न कि धर्म के आधार पर। इंदिरा साहनी केस (1992) ने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर।



पक्ष-विपक्ष के तर्क:

- पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले कपिल सिंघल ने इस वर्गीकरण का बचाव करते हुए कहा कि यह धर्म पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन पर आधारित है। उन्होंने इन समुदायों के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा का हवाला दिया।
- इसके विपरीत, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पीएस पटवालिया ने तर्क दिया कि राज्य ने उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है, पिछड़ा वर्ग आयोग को दरकिनार कर दिया है और पिछड़ेपन पर व्यापक सर्वेक्षण करने में विफल रहा है।

अगली सुनवाई:

- सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी, 2025 को तय की है। न्यायालय के इस फैसले का भारत में आरक्षण को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है, विशेषकर धर्म आधारित कोटा के सवाल के संबंध में।
- यह निर्णय पिछड़े वर्गों की श्रेणी के तहत वर्गीकरण के लिए धर्म को आधार के रूप में उपयोग करने की संवैधानिकता को और स्पष्ट कर सकता है।

उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने शीतकालीन सत्र में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।

प्रस्ताव का कारण:

- यह अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के बीच लंबे समय से जारी तनाव के परिणामस्वरूप प्रस्तुत किया गया। विपक्ष ने धनखड़ पर राज्यसभा में बहस और सत्र संचालन के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने में असफल रहने का आरोप लगाया था। प्रमुख विधायी और नीतिगत मुद्दों पर विपक्ष की आवाज को समुचित स्थान न देने के उनके रवैये को भी आलोचना का विषय बनाया गया था।

भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के तहत, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत (कुल सदस्यों के बहुमत) के साथ राज्यसभा में पारित किया जाना चाहिए और इसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
- प्रस्ताव को सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत करने से कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति के विपरीत, उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है।

भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य:

- राज्य सभा के सभापति के रूप में:** सत्रों की अध्यक्षता करता है, संसदीय प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है तथा बराबर मतों की स्थिति में मतदान करता है।
- कार्यवाहक राष्ट्रपति:** यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

- संसदीय प्रबंधन:** समितियों की नियुक्ति करना तथा न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित प्रस्तावों की देखरेख करना।

महत्व:

- उपराष्ट्रपति राज्यसभा की व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यसभा में विधायी निर्णयों पर बहस होती है और उन्हें आकार दिया जाता है। कार्यकारी शक्तियाँ न होने के बावजूद, उपराष्ट्रपति का पद संसदीय कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संवैधानिक संदर्भ और अनुच्छेद:

- अनुच्छेद 63-** भारत के उपराष्ट्रपति: यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जोकि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करेगा।
- अनुच्छेद 89-** राज्यसभा का सभापति: अनुच्छेद 89 के अनुसार, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति नामित किया गया है।
- सभापति सदन के समग्र आचरण और शिष्टाचार के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा कार्यवाही में निष्पक्षता और न्यायसंगतता सुनिश्चित करते हैं।
- अनुच्छेद 68-** उपराष्ट्रपति का निर्वाचन: यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष हो।
- अनुच्छेद 71-** राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद: यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

भारत व अमेरिका के उपराष्ट्रपति में तुलना:

- भारत:**
 - भूमिका:** उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी और राज्य सभा का अध्यक्ष होता है।
 - राष्ट्रपति का प्रतिस्थापन:** यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो अधिकतम छह महीने के लिए अस्थायी रूप से राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है।
 - चुनाव:** संसद सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित।
 - राज्य सभा के कार्य:** वाद-विवाद की अध्यक्षता करना तथा बराबरी की स्थिति में मतदान करना।
- यूएसए:**
 - भूमिका:** उपराष्ट्रपति कार्यपालिका में दूसरे स्थान पर होता है और सीनेट का अध्यक्ष होता है।
 - राष्ट्रपति का प्रतिस्थापन:** यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो वह राष्ट्रपति बन जाता है तथा शेष कार्यकाल पूरा करता है।
 - चुनाव:** राष्ट्रपति के साथ लोकप्रिय वोट द्वारा निर्वाचित।
 - सीनेट के कार्य:** निर्णायक मत दे सकते हैं, लेकिन दैनिक

सीनेट के कामकाज में भाग नहीं लेते हैं।

भारत में धर्म और आरक्षण पर कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, जिससे धर्म आधारित आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर बहस फिर से शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता।' यह टिप्पणी मई 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के संदर्भ में थी, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम समुदायों को ओबीसी कोटा के तहत दिए गए आरक्षण को खारिज कर दिया गया था।

आरक्षण के लिए संवैधानिक ढांचा

- ओबीसी आरक्षण अनुच्छेद 16(4):** यह को ऐसे 'पिछड़े वर्गों' को आरक्षण देने का अधिकार देता है, जिनका सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992):** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल धर्म को किसी समूह को पिछड़ा वर्ग घोषित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यह एक प्रासंगिक कारक हो सकता है।

राज्यों के उदाहरण:

- केरल (1956), कर्नाटक (1995) और तमिलनाडु (2007) ने मुस्लिम समुदायों को उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी कोटा में शामिल किया गया।
- जस्टिस सच्चर कमेटी (2006):** मुस्लिम ओबीसी की सरकारी सेवाओं में अत्यधिक कम उपस्थिति को उजागर किया और उन्हें समान अधिकार देने की सिफारिश की।

कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला (मई 2024):

- कोर्ट ने 77 वर्गों (ज्यादातर मुस्लिम समुदाय) को ओबीसी आरक्षण देने के फैसले को खारिज कर दिया।
- कोर्ट ने कहा कि इन आरक्षणों का आधार केवल 'धर्म' था और कोई 'वस्तुनिष्ठ मानदंड' (Objective Criteria) नहीं अपनाया गया, जो संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।

एससी आरक्षण:

- अनुच्छेद 341(1):** राष्ट्रपति को एससी समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
- अनुसूचित जाति आदेश, 1950:** शुरुआत में एससी का दर्जा केवल हिंदुओं को दिया गया था, जिसे बाद में सिखों (1956) और बौद्धों (1990) को दिया गया।
- धारा 3:** ईसाई और मुस्लिम धर्म में परिवर्तित व्यक्तियों को

एससी आरक्षण से बाहर रखता है, क्योंकि तर्क है कि इन धर्मों में जाति संबंधी असमानताएं जारी नहीं रहतीं।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय:

- सूसाई बनाम भारत संघ (1985):** जो लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित होते हैं, उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके साथ जाति आधारित भेदभाव अब भी होता है, तभी वे एससी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- गाजी सादुद्दीन बनाम महाराष्ट्र राज्य (लंबित):** ईसाई और मुस्लिम धर्मातिरित व्यक्तियों को एससी दर्जे से बाहर रखने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देता है।

मुख्य मुद्दे और चिंताएं:

- पिछड़ेपन के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड:** अदालतें बार-बार जोर देती हैं कि आरक्षण सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल धर्म पर।
- जाति भेदभाव और धर्मातिरण:** धर्म परिवर्तन के बाद भी जातिगत भेदभाव जारी रहता है या नहीं, यह नीति निर्माताओं और अदालतों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है।
- कानूनी विलंब:** रंगनाथ मिश्र आयोग (2007) जैसे रिपोर्टर्स ने ईसाई और मुस्लिम धर्मातिरितों को एससी दर्जे में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकारों ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया।

शासन के लिए प्रभाव:

- प्रमाण-आधारित नीतियां:** पिछड़ेपन की पहचान के लिए आय, शिक्षा और रोजगार जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंड जरूरी हैं।
- सामाजिक न्याय का संतुलन:** नीतियां हाशिए पर मौजूद धार्मिक समूहों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को संबोधित करें, लेकिन संवैधानिक प्रवधानों का उल्लंघन न करें।
- न्यायिक स्पष्टता:** गाजी सादुद्दीन जैसे लंबित मामलों और के.जी. बालकृष्णन आयोग की आगामी रिपोर्ट से एससी और ओबीसी आरक्षण का भविष्य तय हो सकता है।

तुलनात्मक विश्लेषण:

- भारत की जाति आधारित आरक्षण प्रणाली के विपरीत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश धर्म के बिना, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) लागू करते हैं।

आगे की राह:

- भारत में आरक्षण नीति को अधिक समावेशी बनाने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड अपनाना आवश्यक है। आय, शिक्षा और रोजगार जैसे सामाजिक-आर्थिक कारकों के आधार पर पिछड़ेपन की पहचान की जानी चाहिए। धर्मातिरण के बाद जातिगत भेदभाव जारी रहता है या नहीं, इस पर शोध के साथ गहन अध्ययन जरूरी है।
- रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू

कर मुस्लिम और ईसाई धर्मावलंबियों की समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसके अलावा, लंबित मामलों और आयोग की रिपोर्ट्स पर जल्द निर्णय लेना न्यायिक स्पष्टता लाएगा। आरक्षण के साथ शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार पर भी जोर देना होगा।

- आर्थिक आधार पर आरक्षण की संभावनाओं पर विचार करना, अन्य देशों की सकारात्मक कार्रवाई नीतियों से प्रेरणा लेने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। राजनीतिक और सामाजिक सहमति से एक ऐसी नीति बनाई जा सकती है, जो सभी वर्गों के साथ न्याय करे और सामाजिक संतुलन बनाए रखें।

- राजनीतिक पार्टियों में औपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता है। पार्टी कार्यकर्ताओं के पास तय कार्यस्थल या औपचारिक अनुबंध नहीं होते।
- पार्टियों के अभियान और जनसभाएं विकेंद्रीकृत होती हैं, जो 'कार्यस्थल' की स्पष्ट परिभाषा के तहत नहीं आतीं।
- 2022 में केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राजनीतिक पार्टियों को ICC बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी ढांचा नहीं है।
- इसके बावजूद, कुछ लोगों का मानना है कि राजनीतिक पार्टियां, जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान हैं, को अन्य कार्यस्थलों की तरह महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए इन्हीं मानकों का पालन करना चाहिए।

POSH अधिनियम को राजनीतिक दलों पर लागू किए जाने की आवश्यकता?

चर्चा में क्यों?


हाल ही में, राजनीतिक पार्टियों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संभालने के लिए किसी तंत्र की कमी का मुद्दा एक जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। इस याचिका में राजनीतिक संगठनों में महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल की अनुपस्थिति पर सवाल खड़े किए गए हैं।

- सवाल यह है कि क्या यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) अधिनियम को राजनीतिक दलों पर लागू किया जाना चाहिए?
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग (ECI) से संपर्क करने का निर्देश दिया है ताकि राजनीतिक दलों के भीतर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को निपटाने के लिए एक आंतरिक तंत्र (इन-हाउस मैकेनिज्म) विकसित किया जा सके।

POSH एक्ट का उद्देश्य और दायरा:

- 2013 में लागू किया गया POSH एक्ट कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया है। यह एक्ट संगठनों को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाने के लिए बाध्य करता है।
- यह कानून 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी कार्यस्थलों (सरकारी और निजी दोनों) पर लागू होता है। इसमें वे स्थान भी शामिल हैं जहाँ कर्मचारी काम करते हैं या नौकरी के दौरान यात्रा करते हैं।
- POSH एक्ट 'कार्यस्थल' को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जिसमें पारंपरिक कार्यालय, कारखाने, और सरकारी/निजी फंड से संचालित स्थान शामिल हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों पर इसका लागू होना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वे पारंपरिक कार्यस्थल के दायरे में नहीं आतीं।

राजनीतिक पार्टियां और POSH एक्ट:



चुनाव आयोग की भूमिका:

- चुनाव आयोग (ECI) राजनीतिक पार्टियों के पंजीकरण, संचालन, और चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करता है। हालांकि, राजनीतिक संगठनों में POSH एक्ट लागू करनाना पारंपरिक रूप से ECI की जिम्मेदारी नहीं रही है।
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ECI से संपर्क करने का निर्देश दिया है ताकि यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संभालने के लिए एक आंतरिक तंत्र बनाया जा सके।
- ECI ने पहले गैर-चुनावी मामलों, जैसे RTI और बाल श्रम अधिनियम के अनुपालन में सलाहकार भूमिका निभाई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों पर POSH एक्ट लागू करने की उसकी क्षमता पर सवाल है।

राजनीतिक पार्टियों की वर्तमान अनुशासन प्रणाली:

- राजनीतिक पार्टियां अपनी अनुशासन समितियों के माध्यम से आंतरिक मामलों को संभालती हैं, लेकिन ये समितियां POSH एक्ट के ICC मानकों पर खरी नहीं उतरतीं।
- POSH एक्ट के तहत ICC में कम से कम एक बाहरी सदस्य

और संतुलित लैंगिक संरचना होना अनिवार्य है।

- कई राजनीतिक पार्टियों के पास शिकायतों को संभालने के लिए औपचारिक ढांचा नहीं है, जिससे कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों या पदाधिकारियों के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराना मुश्किल हो जाता है।

आगे की राह:

राजनीतिक पार्टियों पर POSH एक्ट लागू करने के लिए कानूनी स्पष्टता आवश्यक है। संसद या सुप्रीम कोर्ट इसे 'कार्यस्थल' की परिभाषा में शामिल कर सकती है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता में महिला सुरक्षा और ICC अनिवार्यता को शामिल कर सकते हैं, जो POSH एक्ट के मानकों का पालन करे। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों और लैंगिक विविधता वाली समितियां बनाई जाएं। सामाजिक दबाव और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राजनीतिक दलों को महिला-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है।

बंगालर बारी योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगालर बारी आवास योजना शुरू की, जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 21 जिलों के 42 लाभार्थियों को 60,000 की पहली किस्त वितरित की गई।

- पश्चिम बंगाल सरकार ने 'बंगालर बारी' योजना के जरिए अपनी ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह महत्वाकांक्षी पहल 12 लाख परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो सुरक्षित और स्थायी आवास की आवश्यकता को पूरा करती है।

योजना और उद्देश्य

- 17 दिसंबर 2024 को शुरू की गई 'बंगालर बारी' योजना के तहत हर लाभार्थी को 1.2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो दो किश्तों में वितरित की जाएगी। पहली किश्त के रूप में 60,000 रुपये पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
- दूसरी किश्त तब दी जाएगी जब पहली किश्त के माध्यम से निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। यह पहल ग्रामीण परिवारों की कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करती है:
- » **बेहतर जीवन स्तर:** पक्का मकान पर्यावरणीय प्रभावों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- » **कम जोखिम:** मजबूत घर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान

अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे गंभीर मौसम स्थितियों के खतरे कम होते हैं।

- » **स्वाभिमान में बृद्धि:** घर का मालिक होना सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना देता है, जो व्यक्तियों और परिवारों के समग्र कल्याण में योगदान करता है।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:

- आवास की जरूरतों को पूरा करने के अलावा, 'बंगालर बारी' योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। मकानों के निर्माण से स्थानीय मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और निर्माण सामग्री की मांग बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
- इसके अलावा, यह पहल बुनियादी ढांचे तक पहुंच सुनिश्चित करके समुदायिक लचीलापन और सामाजिक समानता को मजबूत करती है। सरकार की ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता समतामूलक विकास की उसकी व्यापक दृष्टि को दर्शाती है। पहले चरण में 12 लाख लाभार्थियों को आवास सहायता प्रदान करके यह योजना पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की तैयारी कर रही है।
- 2026 तक 16 लाख अतिरिक्त परिवारों को इस सहायता का विस्तार करने की योजना इस योजना की व्यापकता और प्रभाव को और अधिक रेखांकित करती है।

आगे की राह:

'बंगालर बारी' योजना पश्चिम बंगाल सरकार की मूलभूत मानव आवश्यकताओं को पूरा करने और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और सम्मद्ध और समान भविष्य की नींव रखती है, यह सुनिश्चित करती है कि राज्य के विकास की यात्रा में कोई भी पीछे न छूटे।

पेपर लीक पर पैनल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, NEET-UG पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय पैनल का गठन किया। इस पैनल ने राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को 'पारदर्शी, सुगम और निष्पक्ष' बनाने के लिए 101 सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

पैनल की मुख्य सिफारिशें:

- NTA की भूमिका सीमित करना:**
 - » पैनल ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की भूमिका सीमित करने की सिफारिश की है।
 - » NTA फिलहाल प्रवेश परीक्षाओं के अलावा भर्ती परीक्षाओं

- का भी आयोजन कर रही है, लेकिन पैनल ने कहा कि NTA को पहले अपनी क्षमता बढ़ाने तक केवल प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए।
- » NTA की बाहरी सेवा प्रदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और इसके नेतृत्व व स्टाफ में क्षेत्र-विशेष के विशेषज्ञों को शामिल करने की भी सलाह दी गई।
- **परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करना:**
 - » राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को चुनाव प्रबंधन की तरह परीक्षा प्रक्रिया में शामिल करने का सुझाव दिया गया।
 - » इसमें NTA, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC), पुलिस और खुफिया एजेंसियों की समन्वय समितियां बनाने की बात कही गई।
 - » परीक्षा केंद्रों को अधिकारियों की मौजूदगी में सील करना और सीसीटीवी के जरिए निगरानी करना, जैसे मतदान केंद्रों में होता है, इसका हिस्सा होगा।
- **परीक्षा प्रक्रिया में सुधार:**
 - » **मल्टी-सेशन परीक्षा:** परीक्षाएं अलग-अलग सत्रों में आयोजित की जाएं।
 - » **NEET-UG के लिए मल्टी-स्टेज टेस्टिंग:** इसे चरणबद्ध परीक्षा में बदलने की सिफारिश की गई।
 - » **केंद्र आवंटन नीति में बदलाव:** संदिग्ध आवंटनों को रोकने के लिए एक नई नीति अपनाने का सुझाव दिया गया।
 - » **दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल टेस्टिंग सेंटर और पेन-पेपर परीक्षाओं के लिए कई प्रश्न पत्र तैयार करने का सुझाव।**
 - » **प्रश्न पत्रों को एन्क्रिप्टेड तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की सिफारिश की गई।**
 - » **‘डिजी-एग्जाम’ सिस्टम:** परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की पहचान बायोमेट्रिक्स से सुनिश्चित करने का सुझाव।
- **दीर्घकालिक सिफारिशें:**
 - » विभिन्न अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए परीक्षाओं को एकसमान और सामंजस्यपूर्ण बनाना।
 - » कंप्यूटर-डैम्प्टिव टेस्टिंग अपनाने का सुझाव।
 - » केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के साथ मिलकर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना।
 - » एक साल के भीतर 400-500 परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बनाना, जो प्रति सत्र लगभग 2.5 लाख छात्रों की परीक्षा आयोजित कर सके।
 - » इन उपायों से NTA की बाहरी सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता घटेगी और परीक्षा प्रक्रिया बेहतर होगी।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के बारे में:

- NTA की स्थापना 2018 में भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और फैलोशिप के लिए विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करना है, जैसे JEE (Main), CMAT, UGC-NET आदि।

- NTA का नेतृत्व एक प्रमुख शिक्षाविद् करते हैं, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय नियुक्त करता है।
- एजेंसी में 9 कार्यक्षेत्र हैं, जिनका नेतृत्व संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ करते हैं। इससे एजेंसी को विशेष नेतृत्व और निगरानी में मदद मिलती है।

केन-बेतवा नदी जोड़े परियोजना

चर्चा में क्यों?

25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन-बेतवा नदी जोड़े परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच 22 मार्च 2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे।

केन-बेतवा नदी जोड़े परियोजना के बारे में:

- केन-बेतवा नदी जोड़े परियोजना (KBLP) का उद्देश्य केन नदी से बेतवा नदी तक पानी स्थानांतरित करना है। ये दोनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। इस परियोजना के तहत 221 किमी लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 2 किमी लंबी सुरंग भी शामिल है।
- इसका उद्देश्य सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, और जलविद्युत व सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नदी जोड़ने के माध्यम से केंद्रीय जल संकट का समाधान करना है। इसे सूखा-प्रवण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने और राज्यों में जल का समान वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।

केन-बेतवा नदी जोड़े परियोजना के घटक:

- यह परियोजना दो चरणों में विभाजित है:
 - » **चरण-1:** इसमें दौधन बांध, लो और हाई-लेवल सुरंगें, केन-बेतवा लिंक नहर और संबंधित पावर हाउस का निर्माण शामिल है।
 - » **चरण-2:** इसमें लोअर और बांध, बिना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज का निर्माण शामिल है।

केन-बेतवा परियोजना के लाभ:

- यह परियोजना बुदेलखण्ड क्षेत्र में जल संकट से जूझ रहे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों को लाभ पहुंचाएगी।
- 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।
- लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा।
- 103 मेगावॉट जलविद्युत और 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा।

TWO STATES, TWO RIVERS AND A LINK



परियोजना से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताएं:

- बनों की कटाई: दौधन बांध के निर्माण के लिए पना टाइगर रिजर्व में बड़े पैमाने पर बनों की कटाई करनी पड़ेगी, जिससे वन्यजीवों के आवास प्रभावित होंगे।
- बाघों पर प्रभाव: परियोजना से पना टाइगर रिजर्व में बाघों की सफल पुनःस्थापना पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
- घड़ियाल और अन्य प्रजातियों पर प्रभाव: बांध का निर्माण केन घड़ियाल अभ्यारण्य में घड़ियालों की आबादी और गिरदों के घोंसले वाले क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है।
- भूमि का जलमग्न होना: बांध से पना नेशनल पार्क के लगभग 98 वर्ग किमी क्षेत्र के जलमग्न होने की संभावना है, जिससे स्थानीय समुदाय प्रभावित होंगे और 6,600 से अधिक परिवार विस्थापित होंगे।



केन-बेतवा परियोजना के सामाजिक प्रभाव:

- इस परियोजना से पना और छतरपुर जिलों के 6,600 से अधिक

परिवार विस्थापित होंगे, क्योंकि उनकी जमीन जलमग्न और अधिग्रहण के कारण प्रभावित होगी। इस वजह से स्थानीय समुदायों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा है और प्रभावित क्षेत्रों को परियोजना से कोई खास लाभ नहीं होगा।

डाकघर नियम, 2024 और डाकघर विनियम, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डाक विभाग (डीओपी) ने डाकघर अधिनियम, 2023 के तहत डाकघर नियम, 2024 और डाकघर विनियम, 2024 पेश किए हैं, जोकि 16 दिसंबर, 2024 से लागू होंगे। इन सुधारों का उद्देश्य पूरे देश में डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण और सुव्यवस्थित करना है।

डाकघर नियम, 2024 की मुख्य विशेषताएँ:

- डाकघर नियम, 2024 डाक सेवाओं के संचालन को सरल बनाते हैं, जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं के सहयोग से दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदान करना संभव हो जाता है। ये नियम डिजिटल पता पहचानकर्ता और डाक के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसी भविष्य की अवधारणाओं को पेश करते हैं, जिससे सेवा को और अधिक आसान बनाने में मदद मिलती है।

डाकघर विनियम 2024 के बारे में:

- डाकघर विनियम, 2024 डाक सेवाओं और उत्पादों के संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं। वे मेल और पार्सल को एक ही तरह के उत्पादों में रखते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के पुस्तक पैकेटों को एक ही श्रेणी 'बुक पोस्ट' में शामिल करना। इसके अतिरिक्त, सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत मनी ऑर्डर की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।

भारतीय डाकघर अधिनियम 2023 के बारे में:

- भारतीय डाकघर अधिनियम 2023 एक अद्यतन विधायी है, जिसने 1898 के भारतीय डाकघर अधिनियम का स्थान लिया है। इस नए कानून का उद्देश्य डाक सेवाओं, नागरिक सेवाओं, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुव्यवस्थित करना है, ताकि परिचालन में अधिक दक्षता और स्पष्टता सुनिश्चित हो सके।

डाकघर अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधान:

- डाक टिकट जारी करना:** भारतीय डाक को डाक टिकट जारी करने का विशेष अधिकार है।
- सेवाएँ:** भारतीय डाक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सेवाएँ प्रदान करेगा।

- अवरोधन (interception) का अधिकार:** प्राधिकृत अधिकारी राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों जैसे कारणों से डाक सामग्री को रोक सकते हैं।
- पार्सल परीक्षण:** यदि संदेह हो, तो डाक सामग्री की जांच की जा सकती है या उसे सीमा शुल्क या किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजा जा सकता है।
- निजी कूरियर सेवाओं का विनियमन:** पहली बार, अधिनियम अपने ढाँचे के भीतर निजी कूरियर सेवाओं को विनियमित करता है।
- दायित्व से छूट:** अधिनियम डाकघर को हानि, देरी या क्षति के लिए दायित्व से छूट देता है, जब तक कि सरकारी नियमों द्वारा निर्दिष्ट न किया जाए।
- अवैतनिक शुल्क की वसूली:** अवैतनिक डाक शुल्क को भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जा सकता है।
- महानिदेशक की नियुक्ति:** डाक सेवाओं की देखरेख और संबंधित नियम बनाने के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है।

कोर्ट कॉलेजियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान, उत्तराखण्ड और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों में चार न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और एक वकील को न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने की सिफारिश की।

नियुक्ति हेतु अनुशंसित व्यक्ति�:

कॉलेजियम ने निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों और एक वकील के नाम को पदोन्नति हेतु प्रस्तावित किया:

- आशीष नैथानी:** उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसित।
- प्रवीण कुमार गिरि:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसित (वकील से पदोन्नति)।
- चन्द्रशेखर शर्मा:** राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसित।
- प्रमिल कुमार माथर:** राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसित।
- चन्द्र प्रकाश श्रीमाली:** राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसित।

भारत में कॉलेजियम प्रणाली के बारे में:

- कॉलेजियम प्रणाली भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक विधि है। यह संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह न्यायिक

निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।


- इस प्रणाली में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं, जिसमें अंतिम निर्णय कार्यपालिका के परामर्श के बाद बाध्यकारी होता है।

कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है?

- सुप्रीम कोर्ट में, CJI, चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ मिलकर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करता है। इसी तरह, उच्च न्यायालयों में, मुख्य न्यायाधीश और दो दो वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम बनाते हैं। सरकार आपत्ति उठा सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम अपनी सिफारिशों को दोहराता है, तो सरकार को अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी।

न्यायिक नियुक्तियों के लिए संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 124:** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और अन्य आवश्यक न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाती है।
- अनुच्छेद 217:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है।



कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति :

कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों से उभरी है:

- एस.पी. गुप्ता केस (1981):** परामर्श को विचारों के आदान-प्रदान के रूप में व्याख्यायित किया गया, जिसमें सहमति की आवश्यकता नहीं थी।
- द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993):** न्यायालय ने अपने पहले के रुख को पलटते हुए फैसला सुनाया कि परामर्श का मतलब सहमति है और मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।
- तृतीय न्यायाधीश मामला (1998):** इसने न्यायिक नियुक्तियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए कॉलेजियम का विस्तार किया।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे



भारत का रूस और पश्चिम के बीच रणनीतिक संतुलन: एक व्यापक विश्लेषण

भारत की विदेश नीति रूस के साथ उसके लंबे समय से चले आ रहे संबंधों और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गहरी होती रणनीतिक साझेदारी के बीच एक जटिल संतुलन कार्य को दर्शाती है। यह सूक्ष्म दृष्टिकोण रणनीतिक स्वायत्तता के लिए भारत की आकांक्षा और वैश्विक भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में इसकी बढ़ती भूमिका को उजागर करता है। मॉस्को में सैन्य और सैन्य सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-एमएंडएमटीसी) के 21वें सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया टिप्पणियों ने बढ़ते पश्चिमी दबावों के बावजूद, रूस के साथ संबंधों को गहरा करने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

भारत-रूस संबंध का महत्व:

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

- रूस आज भी भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार है, जो उच्च तकनीकी आपूर्ति करता है, जिनमें ड्यूल-यूज तकनीक शामिल है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाती है।
- पश्चिमी देशों, जैसे फ्रांस और अमेरिका, की ओर से अधिक खुलापन होने के बावजूद, रूस अब भी भारत की लंबी दूरी और समुद्र के नीचे की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा

करने में एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है।

सह-विकास और रणनीतिक हित:

- ब्रह्मोस मिसाइल जैसे संयुक्त रक्षा परियोजनाएं, भारत और रूस के मजबूत रिश्तों का प्रतीक हैं।
- भारत, रूस की प्रौद्योगिकियों को फिलीपींस जैसे देशों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सके और दुनिया में 'नियम-आधारित व्यवस्था' बनी रह सके।

व्यापक निहितार्थ:

भारत और रूस का यह रिश्ता सिर्फ दो देशों के बीच सहयोग नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।


- वैश्विक बहुपक्षीयता के लिए सेतु:** भारत की बहुपक्षीयता के प्रति प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि रूस, पश्चिमी देशों के साथ अपनी तकरार के बावजूद, वैश्विक प्रणाली में बना रहे। भारत उन विभिन्न भू-राजनीतिक प्रणालियों के बीच पुल का काम करता है, जो अक्सर एक-दूसरे से अलग होती हैं।
- रूस-चीन संबंधों को संतुलित करना:** भारत और रूस की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि रूस, चीन के साथ पूरी

तरह से जुड़कर एक रूस-चीन गठजोड़ बनाने से बच सके, जो वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। भारत रूस को एक समान साझेदार के रूप में पेश करता है, जबकि चीन उसे एक अधीनस्थ साझेदार के रूप में देखता है। इससे यह रिश्ते भू-राजनीतिक संतुलन बनाए रखते हैं और वैश्विक व्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करते हैं।

भारत-रूस संबंध के परिणाम:

- रूस को वैश्विक बहुपक्षीयता से जोड़ना:** भारत का बहुपक्षीयता के प्रति मजबूत रुख यह सुनिश्चित करता है कि रूस वैश्विक प्रणाली से अलग न हो। इस प्रकार, भारत पृथक पड़े भू-राजनीतिक खिलाड़ियों को जोड़कर एक सहयोगी मंच प्रदान करता है, जिससे वैश्विक एकता बढ़ती है।
- रूस-चीन संबंधों का संतुलन बनाना:** भारत और रूस का रिश्ता रूस को समान साझेदार की स्थिति प्रदान करता है, जिससे चीन की प्रमुखता को चुनौती मिलती है। भारत का यह संतुलन रूस और चीन के बीच पूर्ण साझेदारी को रोकता है, जिससे वैश्विक व्यवस्था स्थिर रहती है और पश्चिमी देशों को चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। रूस की यह प्राथमिकता है कि वह चीन के अधीन न हो, और यह बात BRICS जैसे मंचों पर स्पष्ट रूप से देखी जाती है, जहां रूस भारत के संतुलित रुख को सराहता है।
- ऊर्जा व्यापार और वैश्विक मूल्य स्थिरता:** भारत द्वारा रूस से जीवाशम ईंधन की खरीद वैश्विक ऊर्जा कीमतों को स्थिर करने में मदद करती है और यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अनुरूप होती है। यह ऊर्जा व्यापार वैश्विक मूल्य स्थिरता में योगदान करता है, जिससे यूरोप और पश्चिमी देशों को राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से बचने में मदद मिलती है।
- आर्कटिक क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति:** भारत और रूस का आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग चीन द्वारा नियंत्रित शासन व्यवस्था के लिए एक वैकल्पिक रास्ता प्रदान करता है। चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और शासन को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाते हैं। भारत की बढ़ती उपस्थिति आर्कटिक क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए पारिस्थितिकीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- बहुपक्षीय समूहों का संतुलन बनाना:** भारत का BRICS और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय समूहों में नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि ये मंच पश्चिमी देशों के खिलाफ न बने। जैसा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, 'भारत गैर-पश्चिमी है, लेकिन पश्चिम के खिलाफ नहीं है,' यह नीति एक संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। BRICS में UAE, मिस्र और वियतनाम जैसे मध्यम देशों का

शामिल होना भारत की स्थिर करने वाली भूमिका को और मजबूत करता है।



रूस से रक्षा आयात में गिरावट:

- दशकों तक रूस भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है, क्योंकि यह लागत के मामले में फायदेमंद, विश्वसनीय और शीत युद्ध के दौरान भू-राजनीतिक रूप से उपयुक्त था।
- हाल के वर्षों में भारत ने रूस से रक्षा आयात पर अपनी निर्भरता को घटाया है:
 - 2009-2013:** रूस ने भारत के 76% हथियार आयात की आपूर्ति की।
 - 2014-2018:** यह घटकर 58% हो गया।
 - 2019-2023:** यह और घटकर 34% हो गया।

गिरावट के कारण:


- रूस की रक्षा उद्योग की चुनौतियाँ:** आर्थिक प्रतिबंधों और घरेलू समस्याओं ने रूस के वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार को काफी कमजोर किया है। 2014-2018 और 2019-2023 के बीच रूस के निर्यात में 53% की गिरावट आई है।
- भारत का आत्मनिर्भरता अभियान:** भारत ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अपनी रक्षा निर्माण क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत का उद्देश्य घरेलू रक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करना और अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है।

रूस के साथ ऊर्जा साझेदारी:

- युद्ध से पहले की स्थिति:** 2021 से पहले, रूस भारत के ऊर्जा आयातों में एक नगण्य साझेदार में था, क्योंकि रूस केवल भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 2% ही प्रदान करता था।
- युद्ध के बाद तेल आयात में वृद्धि:** इसके बाद 2023 तक रूस से भारत का कच्चे तेल आयात अचानक बढ़कर लगभग

40% तक पहुंच गया। इसके कारण थे:

- » **भारी छूट:** रूस ने अपने तेल की कीमतों में 9-14% तक की छूट दी, जो भारत की किफायती ऊर्जा रणनीति के लिए आकर्षक था।
- » **भू-राजनीतिक व्यावहारिकता:** पश्चिमी देशों की असहमति के बावजूद, भारत ने आर्थिक सुरक्षा को भू-राजनीतिक दबावों पर प्राथमिकता दी।



ऊर्जा रणनीति में हाल की बदलावः

- **पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर वापसी:** जैसे-जैसे रूस की छूट कम हुई और परिवहन लागत बढ़ी, भारत ने अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति को फिर से खाड़ी देशों से विविधित किया।
- **अमेरिकी तेल आयात में बृद्धि:** 2024 तक, अमेरिका ने भारत के कच्चे तेल बाजार में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी कर दी। अगस्त 2024 में भारत ने एक अरब डॉलर से अधिक का अमेरिकी तेल आयात किया।

पश्चिमी दबावों का सामना

अमेरिकी चिंताएँ और कार्रवाई: संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ भारत के निकट संबंधों को लेकर खासकर रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में चिंताएँ जताई हैं:

- **रक्षा और ऊर्जा प्रतिबंध**
 - » CAATSA के तहत भारत के रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर प्रतिबंध लगाए गए।
 - » 19 भारतीय कंपनियों पर रूस के सैन्य आपूर्ति शृंखला में कथित रूप से शामिल होने के कारण प्रतिबंध लगाए गए।
- **तेल व्यापार की आलोचना:**
 - » अमेरिकी अधिकारियों ने भारत द्वारा रूस से भारी मात्रा में छूट पर तेल खरीदने की आलोचना की और 'परिणामों' की धमकी दी, हालांकि उन्होंने तेल आयात पर कोई कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए।

भारत का संप्रभु रूखः

- भारत ने लगातार अपनी रणनीतिक स्वायत्ता और विदेश और ऊर्जा नीतियों को स्वतंत्र रूप से तय करने के अधिकार को कायम रखा है:
 - » **आर्थिक व्यावहारिकता:** भारत अपने बढ़ते घरेलू ऊर्जा मांगों और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सस्ते ऊर्जा आयात को प्राथमिकता देता है।
 - » **संप्रभु निर्णय:** भारत अपनी संप्रभुता पर जोर देता है और रूस से संबंध तोड़ने के दबाव का विरोध करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत संबंधों को मजबूत करना

भारत-रूस संबंधों की जटिलताओं को सही ढंग से संभालने के लिए, अमेरिका को एक संतुलित नीति अपनानी होगी:

- **संप्रभुता का सम्मान:** भारत पर रूस के साथ संबंध तोड़ने का दबाव डालने से अमेरिका-भारत संबंधों को नुकसान हो सकता है और दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग में कमी आ सकती है।
- **मध्यस्थता को बढ़ावा देना:** भारत का यूक्रेन संकट में मध्यस्थता करने का संभावित भूमिका अमेरिका और भारत के बीच सकारात्मक संवाद का अवसर प्रस्तुत करता है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
- **सामान्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना:** अमेरिका और भारत दोनों के पास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने, और आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने में साझा हित हैं। इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना उनकी साझेदारी को मजबूत कर सकता है।

निष्कर्षः

- भारत की विदेश नीति रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करने की एक सुनियोजित कोशिश को दर्शाती है। रूस से रक्षा आयात में गिरावट, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना यह दर्शाता है कि भारत एक आत्मनिर्भर और व्यावहारिक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में विकसित हो रहा है। दीर्घकालिक स्थिरता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका भारत की अद्वितीय भू-राजनीतिक स्थिति का सम्मान करें और एक ऐसा संबंध स्थापित करें जो साझा रणनीतिक लक्ष्यों को मजबूत करें। यह रणनीतिक संतुलन वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और 2025 और उसके बाद भारत-रूस संबंधों की भविष्यवाणी वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

संक्षिप्त मुद्दे

ब्रिटेन का सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मरणासन रूप से बीमार वयस्क (जीवन का अंत) विधेयक (टर्मिनल इल एडल्ट्स (एंड ऑफ लाइफ) बिल) के पारित होने के साथ, ब्रिटेन ने सहायता प्राप्त मृत्यु (Assisted Dying) को वैध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह विधेयक उन मरणासन वयस्कों को, जोकि असाध्य रोगों से ग्रस्त हैं और असहनीय पीड़ा का सामना कर रहे हैं, यह अधिकार प्रदान करता है कि वे चिकित्सकीय सहायता से अपने जीवन का समाप्त करने का अनुरोध कर सकें।

ब्रिटेन के सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक के मुख्य पहलू:

पात्रता मापदंड:

- » केवल वही मरणासन रोगी सहायता प्राप्त मृत्यु का अनुरोध कर सकते हैं जिनके जीवित रहने की संभावना छह महीने या उससे कम है।
- » रोगी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए, और कम से कम 12 महीने से इंग्लैंड या वेल्स का निवासी होना चाहिए।

प्रक्रिया:

- » रोगी को समन्वयकारी डॉक्टर और एक स्वतंत्र गवाह के समक्ष औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
- » समन्वयकारी डॉक्टर द्वारा अनुरोध का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद 7 दिनों की चिंतन अवधि समाप्त होने पर एक स्वतंत्र डॉक्टर द्वारा पुनः मूल्यांकन किया जाएगा।
- » यदि दोनों डॉक्टर सहमत होते हैं, तो मामला उच्च न्यायालय में समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। रोगी द्वारा अपने निर्णय की अंतिम पुष्टि से पहले 14 दिनों की एक अतिरिक्त चिंतन अवधि भी अनिवार्य है।

स्वीकृत पदार्थ का सेवन:

- » रोगी अपना जीवन समाप्त करने के लिए स्वयं ही एक 'स्वीकृत पदार्थ' का सेवन करता है, तथा इसमें कोई भी डॉक्टर सीधे तौर पर शामिल नहीं होता है।

विधेयक के पक्ष और विपक्ष में तर्क:

- पक्ष में तर्क: समर्थकों का मानना है कि सहायता प्राप्त मृत्यु, असाध्य रूप से बीमार रोगियों को एक सम्मानजनक और पीड़ामुक्त मृत्यु का विकल्प प्रदान करती है, खासकर तब जब उपशामक देखभाल (Palliative Care) असफल हो जाती है। यह विधेयक रोगियों को अपने जीवन के अंतिम चरण में आत्मनिर्णय का अधिकार देता है।

- विपक्ष में तर्क: विपक्षियों को चिंता है कि यह कानून बुजुर्गों, विकलांगों और अन्य कमज़ोर समूहों के लिए शोषण का कारण बन सकता है। वे यह तर्क देते हैं कि बजाय इच्छामृत्यु को वैध बनाने के, उपशामक देखभाल में सुधार किया जाना चाहिए ताकि रोगियों को बेहतर राहत मिल सके।

भारत में सहायता प्राप्त मृत्यु: निष्क्रिय इच्छामृत्यु

- भारत में सहायता प्राप्त मृत्यु की अवधारणा ब्रिटेन से भिन्न है, क्योंकि यहां केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता प्राप्त है। इसमें गंभीर रूप से बीमार रोगियों से जीवन रक्षक प्रणाली हटा दी जाती है, ताकि उन्हें स्वाभाविक रूप से मरने दिया जा सके।

कानूनी स्थिति:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में यह निर्णय दिया था कि सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इसके तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी गई।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए दिशानिर्देश:

- जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए रोगी को लिविंग विल (Living Will) बनानी होगी, जिस पर दो गवाहों और एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।
- जीवन रक्षक प्रणाली हटाए जाने से पहले, एक मेडिकल बोर्ड द्वारा मामले का मूल्यांकन किया जाएगा।

हालिया सुधार:

- 2023 में दिशानिर्देशों को सरल बनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका को कम किया गया और सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई, हालांकि इन संशोधनों का प्रभावी कार्यान्वयन अभी भी सीमित है।

यू.के. और भारत में इच्छामृत्यु कानूनों की तुलना

क्षेत्र और अनुप्रयोग

यू.के. सहायक मृत्यु की अनुमति देता है; भारत जीवन समर्थन को हटाने पर ध्यान केंद्रित करता है



कानून की प्रकृति

यू.के. संक्रिय सहायता की अनुमति देता है; भारत निष्क्रिय इच्छामृत्यु

प्रक्रिया और सुरक्षा

अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा और न्यायिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है

पात्रता और सहमति

दोनों मानसिक क्षमता और सहमति की आवश्यकता होती है

ब्रिटेन और भारत के कानूनों की तुलना

- कानून की प्रकृति: ब्रिटेन में स्व-प्रशासन के माध्यम से सक्रिय सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति है, जबकि भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता प्राप्त है, जिसमें जीवन रक्षक प्रणाली हटाने

का निर्णय लिया जाता है।

- पात्रता और सहमति:** दोनों देशों में मानसिक क्षमता और सहमति की आवश्यकता होती है। ब्रिटेन में कई चिकित्सा और न्यायिक समीक्षाओं की आवश्यकता होती है, जबकि भारत में लिविंग विल और न्यायिक जांच पर निर्भर करता है।
- प्रक्रिया और सुरक्षा:** स्वैच्छिक और सूचित निर्णय सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों में चिकित्सा और न्यायिक प्राधिकारियों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- दायरा और अनुप्रयोग:** ब्रिटेन में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए सहायक मृत्यु की अनुमति है, जबकि भारत में सक्रिय हस्तक्षेप के बिना केवल जीवन रक्षक प्रणाली हटाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सूक येओल ने 1980 के बाद पहली बार मार्शल लॉ की घोषणा की, जिससे देश में गंभीर राजनीतिक और संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। यह निर्णय नागरिक स्वतंत्रता और लोकतात्रिक मूल्यों के प्रति गहरी चिंता का विषय बन गया है।

मार्शल लॉ क्या है?

- मार्शल लॉ** एक अस्थायी आपातकालीन व्यवस्था है, जिसमें देश की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था को सैन्य नियंत्रण के अधीन कर दिया जाता है। यह युद्ध, बड़े पैमाने पर हिंसा, प्राकृतिक आपदाओं या आंतरिक विप्रोह जैसी असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जाता है।
- मार्शल लॉ के तहत:**
 - नागरिक प्रशासन का स्थान सैन्य नियंत्रण ले लेता है।
 - मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता निलंबित कर दी गयी हैं।
 - सैन्यकर्मी कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी लेते हैं।

दक्षिण कोरिया में वर्तमान प्रतिबंध

- दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा के तहत निम्नलिखित प्रतिबंध लागू किए गए हैं:
 - संसद में प्रवेश प्रतिबंधित:** सांसदों को नेशनल असेंबली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है।
 - राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध:** विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक समारोह और राजनीतिक समारोह निषिद्ध हैं।
 - मीडिया नियंत्रण:** सेना अब मीडिया आउटलेट और प्रकाशनों की दखरेख कर सकती है।
 - हड्डताल पर प्रतिबंध:** औद्योगिक हड्डताल और वाकआउट को अवैध घोषित कर दिया गया है।
 - यात्रा प्रतिबंध:** चेकप्वाइंट उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आवागमन को प्रतिबंधित करते हैं।

- इन उपायों का मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था बहाल करना है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप नागरिक स्वतंत्रताओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

- कोरिया के संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार, युद्ध, सशस्त्र संघर्ष या इसी तरह की राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। यह निम्नलिखित की अनुमति देता है:
 - भाषण, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता सहित नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन।
 - कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को दरकिनार करने के लिए सैन्य अधिकार।
- संवैधानिक समर्थन के बावजूद, इस घोषणा को लोकतात्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने के प्रयास के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ा है, यहां तक कि राष्ट्रपति की पार्टी से भी।

भारत में मार्शल लॉ: अनुच्छेद 34

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में सेना विधि का उल्खेख है जिसके तहत भारत में किसी भी क्षेत्र में सेना विधि घोषित की जा सकती है।
- प्रावधान:**
 - मौलिक अधिकारों का निलंबन:** नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
 - सरकारी और न्यायालय के कार्य स्थगित:** सामान्य प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को स्थगित कर दिया जाता है और सैन्य प्राधिकारियों को शासन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है।
 - अनुप्रयोग:** यह प्रावधान युद्ध, विप्रोह या बाहरी आक्रमण जैसे गंभीर संकट की स्थिति में लागू किया जा सकता है।
- भारत में मार्शल लॉ एक अंतिम उपाय है, जिसका उद्देश्य गंभीर संकट के दौरान व्यवस्था बहाल करना है।

भारत में मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल

	मार्शल लॉ	राष्ट्रीय आपातकाल
सीमा	केवल मौलिक अधिकारों पर प्रभाव	अधिकारों और संघीय संबंधों को प्रभावित करता है।
सरकारी कामकाज	सरकार और अदालतों को निलंबित कर दिया जाता है।	दोनों कार्यशील बने रहते हैं।
उद्देश्य	कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए	युद्ध, आक्रमण या विप्रोह को समाप्त करने
संवैधानिक आधार	कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं	अनुच्छेद 352-360

दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ के निहितार्थ

- राजनीतिक परिणाम:** आलोचकों का तर्क है कि यह लोकतंत्र को कमज़ोर करता है और असहमति को दबाता है।
- नागरिक स्वतंत्रताएँ:** मीडिया, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंधों ने स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है।
- आर्थिक प्रभाव:** हड्डतालों पर प्रतिबंध से औद्योगिक उत्पादन और निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।
- वैश्विक चिंताएँ:** दक्षिण कोरिया की लोकतांत्रिक छवि जांच के दायरे में है।

निष्कर्ष:

मार्शल लॉ की घोषणा दक्षिण कोरिया में राजनीतिक संकट की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हालांकि मार्शल लॉ का उद्देश्य असाधारण परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था को स्थापित करना है, इसके लागू होने से लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक स्वतंत्रताओं और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यह संकट स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि राजनीतिक और सामाजिक अशांति का सामना करने के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक समाधानों की आवश्यकता है, ताकि नागरिक अधिकारों का उल्लंघन न हो और शासन की वैधता बनी रहे।

रियाद में संयुक्त राष्ट्र वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन (UNCCD COP16) के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सूखे और मरुस्थलीकरण की पर्यावरणीय चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत एक प्रमुख रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन, जल की कमी और वनों की कटाई के गंभीर प्रभाव को रेखांकित किया गया।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- वैश्विक जल संकट:** रिपोर्ट में जल संकट की तीव्रता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें गर्मी से होने वाले वाष्णीकरण से जल संकट और भी बदतर हो रहा है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ता है और मनुष्यों और जानवरों के लिए पर्याप्त पानी तक पहुँच पाना मुश्किल हो जाता है।
- कृषि प्रभाव:** सूखे और भूमि क्षरण से फसल की पैदावार और चरागाह भूमि में कमी आने से खाद्य सुरक्षा को खतरा है। इससे भूख और कुपोषण बढ़ता है।
- प्रवासन और आर्थिक चुनौतियाँ:** रिपोर्ट में कहा गया है कि रेगिस्टानी क्षेत्र में वृद्धि और सूखा प्रवासन को बढ़ावा दे रहे हैं, विशेष तौर पर दक्षिणी यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और

एशिया के कुछ हिस्सों में। अनियमित वर्षा और भूमि क्षरण के कारण इन क्षेत्रों में आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है।

- भविष्य के अनुमान:** यदि वर्तमान जलवायु प्रवृत्ति जारी रही, तो सदी के अंत तक लगभग पांच अरब लोग सूखे से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे प्रभावित व्यक्तियों की वर्तमान संख्या में काफी वृद्धि हो सकती है।

यूएनसीसीडी की भूमिका:

- यूएनसीसीडी का उद्देश्य स्थायी भूमि प्रथाओं और भूमि बहाली प्रयासों के माध्यम से मरुस्थलीकरण को कम करना है। यह गंभीर सूखे से पीड़ित क्षेत्रों, विशेष रूप से अफ्रीका में, पर ध्यान केंद्रित करता है और सतत विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को बढ़ावा देता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

- रियाद शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब ने 2.15 बिलियन डॉलर देने का वादा किया, जबकि अरब समन्वय समूह ने 2030 तक मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए 10 बिलियन डॉलर देने का वादा किया।
- ये फंड कमज़ोर देशों को सूखे से निपटने की क्षमता बढ़ाने, जल प्रबंधन में सुधार करने और जलाशयों जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में मदद करेंगे।



भूमि क्षरण को कम करने की रणनीतियाँ:

- टिकाऊ भूमि उपयोग:** जल-कुशल सिंचाई और वनों की कटाई को कम करने जैसी प्रथाओं से भूमि क्षरण को कम किया जा सकता है।
- पुनर्वनीकरण:** बड़े पैमाने पर पुनर्वनीकरण के प्रयास मिट्टी की नमी को बहाल कर सकते हैं, मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ:** सूखे और भूमि क्षरण के लिए निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने से समुदायों को बेहतर तैयारी और प्रतिक्रिया करने में मदद मिल सकती है।

चुनौतियाँ:

- आलोचकों का तर्क है कि शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों को संबोधित करने में विफल रहा। मेजबान देश सऊदी अरब को जीवाशम ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने में विफल रहने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जोकि जलवायु संकटों को और बढ़ाता है।
- कार्बोवाई की तत्काल आवश्यकता स्पष्ट है और रिपोर्ट में पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और भूमि क्षरण से निपटने के लिए और व्यापक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

यूएनसीसीडी के बारे में:

- 1996 में लागू हुआ UNCCD, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है। यह 197 दलों के साथ सतत विकास पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय कार्बोवाई कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता है, जिससे यह लगभग सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है।

भारत-ईरान-अर्मेनिया त्रिपक्षीय परामर्श

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित दूसरे भारत-ईरान-अर्मेनिया त्रिपक्षीय परामर्श का फोकस कनेक्टिविटी, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग बढ़ाने पर था। भारत के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान विभाग के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में, इस परामर्श में ईरान और अर्मेनिया के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल थे।

चर्चा के प्रमुख क्षेत्र:

- कनेक्टिविटी पहल:** चर्चाओं में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियरे (INSTC) और ईरान में चाबहार बंदरगाह के महत्व पर जोर दिया गया। इन पहलों का उद्देश्य तीनों देशों के बीच और उससे आगे, विशेष रूप से मध्य एशिया और यूरोप तक व्यापार मार्गों को बढ़ाना है। अर्मेनिया ने अपनी 'क्रॉम्सोडस ऑफ पीस' कनेक्टिविटी पहल का परिचय दिया, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और सुधारना है।
- व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया। त्रिपक्षीय भागीदारों ने आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- भविष्य के परामर्श:** त्रिपक्षीय भागीदारों ने ईरान में एक सुविधाजनक तिथि पर अगले दौर के परामर्श आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंध:

- आर्थिक सहयोग:** भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2022-23 में \$2.33 बिलियन तक पहुंच गया। भारत का ईरान को निर्यात \$1.66 बिलियन था, जबकि आयात \$672. 12 मिलियन था।
- ऊर्जा सहयोग:** ऊर्जा भारत-ईरान संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है, विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह के साथ जो एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करता है। प्रतिबंधों के बावजूद, ईरान का कच्चा तेल उत्पादन मई 2024 में 3.4 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच गया।
- रणनीतिक कनेक्टिविटी परियोजनाएँ:** चाबहार बंदरगाह और चाबहार और जहेनदान के बीच 700 किमी रेलवे लिंक का विकास, जिसमें अफगानिस्तान से जुड़ाव शामिल है, जो प्रमुख परियोजनाओं में से है।



भारत-अर्मेनिया द्विपक्षीय संबंध:

- आर्थिक संबंध:** भारत और अर्मेनिया आईटी, फार्मास्युटिकल और कृषि जैसे क्षेत्रों में अप्रयुक्त व्यापार संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। 2020 में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य \$46.3 मिलियन था।
- सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग:** भारतीय संस्कृति, सिनेमा, योग और आयुर्वेद सहित, अर्मेनिया में लोकप्रिय हैं। इसके अलावा, कई भारतीय छात्र अर्मेनिया में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध मजबूत होते हैं।

भारत-ईरान रक्षा संबंध

- भारत और ईरान ने सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं को संबोधित करने के लिए कई परामर्शात्मक तंत्र स्थापित किए हैं। इनमें विदेश कार्यालय परामर्श, सुरक्षा परामर्श और संयुक्त वाणिज्यिक बैठकें शामिल हैं।

भारत-अर्मेनिया रक्षा संबंध

- हथियार समझौते:** अर्मेनिया ने 2020 में भारत के साथ \$40 मिलियन का हथियार समझौता किया, जिसमें हथियारों के स्थान

- का पता लगाने के लिए स्वाथी राडार की आपूर्ति शामिल थी।
- मिसाइल और आयुध निर्यात:** भारत ने अर्मेनिया को पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर और मैन पोर्टबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM) का भी निर्यात किया है, जिससे दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष:

भारत-ईरान-अर्मेनिया त्रिपक्षीय परामर्श कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर जोर देती है। यह त्रिपक्षीय चर्चाएं तीनों देशों के बीच गहरे राजनीय, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

भारत-थाईलैंड संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 12 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारत-थाईलैंड रक्षा संवाद ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों को रेखांकित किया। भारत और थाईलैंड का संबंध सदियों पुराना है जो व्यापार, संस्कृति और धर्म में निहित है। यह साझेदारी वर्षों में व्यापार, निवेश, रक्षा और पर्यटन सहित बहु-क्षेत्रीय सहयोग में विकसित हुई है।

हाल के विकास:

- भारत के संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) और थाईलैंड के उप स्थायी रक्षा सचिव द्वारा सह-अध्यक्षता की गई, इस संवाद में निम्नलिखित पहलुओं की खोज की गई:
 - रक्षा उद्योग सहयोग की निगरानी के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना।
 - सशस्त्र बलों के बीच विषय विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करना।
 - रक्षा उद्योगों में सह-डिजाइन, सह-उत्पादन और सह-विकास की संभावनाओं की खोज।
- यह संवाद थाईलैंड की भारत की एक ईस्ट नीति में रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है और थाईलैंड की लुक वेस्ट नीति को पूरा करता है, जिससे द्विपक्षीय संबंध बढ़ते हैं।

व्यापार और निवेश:

- भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है:
 - 2020: \$9.76 बिलियन
 - 2021: \$15 बिलियन
 - 2022-23: \$16.89 बिलियन
- थाईलैंड को भारत के प्रमुख निर्यात:**

- » मोती, बहुमूल्य पत्थर और आभूषण: \$1.02 बिलियन (2022-23)
- » मैकेनिकल मशीनरी और पार्ट: \$570 मिलियन (अप्रैल-नवंबर 2023-24)
- » समुद्री उत्पाद: \$219 मिलियन (अप्रैल-नवंबर 2023-24)
- भारत के थाईलैंड से प्रमुख आयात:**
 - » प्लास्टिक कच्चे माल: \$915 मिलियन
 - » इलेक्ट्रॉनिक घटक: \$895 मिलियन
 - » बनस्पति तेल: \$523 मिलियन
- थाईलैंड भारत का 27वां सबसे बड़ा निवेशक है, जिसमें कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) \$1.39 बिलियन (अप्रैल 2022-सितंबर 2023) है। भारतीय कंपनियाँ जैसे टाटा स्टील और टीसीएस ने थाईलैंड में मजबूत उपस्थिति स्थापित की है, जबकि थाई कंपनियाँ भारत के कृषि-प्रसंस्करण, निर्माण और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में निवेश करती हैं।

संयोजकता परियोजनाएँ:

- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग:** दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार और पर्यटन को बढ़ाता है।
- दावेर्ई परियोजना:** म्यांमार में दावेर्ई डीप-सी पोर्ट को चेनई से जोड़ता है, जिससे भीड़भाड़ वाले मलकका जलडमरुमध्य का विकल्प प्रदान करता है।



रक्षा सहयोग:

- संवाद में थाईलैंड की रक्षा अधिग्रहण योजनाओं का समर्थन करने में भारत के घरेलू रक्षा उद्योग की संभावनाओं पर जोर दिया। थाईलैंड के प्रतिनिधिमंडल ने डीआरडीओ मुख्यालय का भी दौरा

किया ताकि रक्षा अनुसंधान और संयुक्त उत्पादन में सहयोगी अवसरों की खोज की जा सके।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियाँ:

- व्यापार असंतुलन:** भारत के निर्यात (\$5.71 बिलियन) थाईलैंड से इसके आयात (\$11.19 बिलियन) से कम है (2022-23)।
- तकनीकी बाधाएँ:** कठोर मानक और प्रमाणन प्रक्रियाएँ विशेष रूप से समुद्री और पोल्ट्री उत्पादों के लिए व्यापार में बाधा डालती हैं।
- बुनियादी ढांचे की कमी:** अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स और वेरहाइसिंग बुनियादी ढांचा दक्षता में बाधा डालता है।

आसियान और क्षेत्रीय सहयोग:

- आसियान में थाईलैंड की रणनीतिक भूमिका इसे भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। आसियान, \$10.2 ट्रिलियन की संयुक्त जीडीपी के साथ, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) जैसी पहल के माध्यम से सहयोग भारत की एक ईस्ट नीति को आसियान के लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है।



भारत - फिलीपींस संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ:

- राजनयिक संबंध:** भारत और फिलीपींस ने साल 1949 से राजनयिक संबंध बनाए रखे हैं और हाल के वर्षों में यह संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
- द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि:** द्विपक्षीय व्यापार 2015-16 में 1.89 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 2.84 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत फिलीपींस को दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
- रक्षा सहयोग:** दोनों देश RIMPAC और ASEAN-India Maritime Exercise जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भाग लेते हैं। 2022 में, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें आपूर्ति कीं, जिससे रक्षा संबंध और मजबूत हुए।

सांस्कृतिक और तकनीकी संबंध:

- भारत और फिलीपींस के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान फल-फूल रहे हैं, जिसमें भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम का फिलीपींस को लाभ मिला है। दोनों देशों का अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) जैसे संस्थानों के माध्यम से निकट संबंध है।

हाल के विकास और चुनौतियाँ:

- नए उभरते क्षेत्रों में सहयोग:**
 - फिनटेक, अंतरिक्ष (फिलीपींस स्पेस एंजेंसी और इसरो के बीच सहयोग) और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है।
- साझा समुद्री सुरक्षा हित:**
 - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक राष्ट्रों के रूप में, भारत और फिलीपींस ने समुद्री सुरक्षा बनाए रखने में अपने हितों को संरेखित किया है।
 - भारत की एक ईस्ट नीति, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया में जुड़ाव बढ़ाना है, ने फिलीपींस के साथ संबंध मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत और मनीला के बीच समुद्री सहयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और फिलीपींस के मध्य 14 दिसंबर 2024 को मनीला में पहली समुद्री वार्ता आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों का समाधान करना था। इस वार्ता का केंद्रीय विषय नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना था, जिसमें समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) का पालन सुनिश्चित करना शामिल है। यह वार्ता भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुई, जो एक लंबे और मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों ने समुद्रों के शांतिपूर्ण, सतत और समान उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

सहयोग के क्षेत्र:

- वार्ता में समुद्री उद्योग विकास, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान, महासागर अर्थव्यवस्था और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई।
- भारत और फिलीपींस ने नौसेना और तटरक्षक बल के बीच सहयोग बढ़ाने, समुद्री कानून प्रवर्तन, और क्षमता निर्माण पहलों पर चर्चा की।
- दोनों देशों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों में साझा समुद्री उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग की इच्छा व्यक्त की, जिससे

- » भारत ने दक्षिण चीन सागर पर फिलीपींस की स्थिति का समर्थन किया है और क्षेत्रीय समुद्री व्यवस्था में किसी भी एकत्रफा बदलाव का विरोध किया है।

क्षेत्रीय चुनौतियां:

- बदलते शक्ति संतुलन के कारण हिंद-प्रशांत क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक भूमिका के कारण। इसी सन्दर्भ में भारत और फिलीपींस दोनों के लिए विवादित जल क्षेत्रों में संप्रभुता और नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।

नया पूर्वी मार्ग

चर्चा में क्यों?

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग, जिसे पूर्वी समुद्री गलियारा भी कहा जाता है, ने भारत-रूस व्यापार संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, विशेष रूप से कच्चे तेल के व्यापार में। इस समुद्री गलियारे ने दोनों देशों के बीच की दूरी को संक्षिप्त करते हुए शिपिंग समय और लागत को काफी कम कर दिया है, जिससे भारत जुलाई 2024 में रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है।

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा (VCMC) के बारे में:

- चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा (VCMC) एक समुद्री मार्ग है जो चेन्नई (भारत) को व्लादिवोस्तोक (रूस) से जोड़ता है और यह पूर्वी समुद्री गलियारे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।

मुख्य विवरण:

- पृष्ठभूमि:** यह मार्ग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2019 में रूस यात्रा के दौरान औपचारिक रूप से शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ाना है, खासकर ऊर्जा, खनिजों और रक्षा क्षेत्रों में।
- मार्ग:** यह मार्ग 5,600 समुद्री मील लंबा है और इसमें जापान सागर, दक्षिण चीन सागर, मलकका जलडमरुमध्य, बंगाल की खाड़ी और अंडमान द्वीप समूह जैसी जगहों से गुजरता है।
- बंदरगाह स्थान:** व्लादिवोस्तोक रूस का सबसे बड़ा प्रशांत बंदरगाह है, जो चीन-रूस सीमा के पास स्थित है। चेन्नई भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है।

लाभ:

- परिवहन समय में कमी:** शिपिंग का समय 40+ दिनों से घटकर सिर्फ 16 दिन हो गया है।
- लागत-कुशलता:** परिवहन लागत में कमी होने से यह व्यापारियों के लिए आकर्षक विकल्प बन गया है।

- रणनीतिक महत्व:** यह भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में।



भौगोलिक प्रभाव:

- यह मार्ग क्षेत्रीय गतिशीलता को बढ़ा सकता है, जिससे भारत को प्रशांत क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव मिलेगा, जबकि चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित किया जा सकता है। हालांकि, इसका मार्ग दक्षिण चीन सागर से होकर जाता है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं।

भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक लाभ:

- ऊर्जा सुरक्षा:** भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है, अपनी ऊर्जा जरूरतों का 85% से ज्यादा आयात करता है। रूस से सस्ता तेल प्राप्त करना भारत की ऊर्जा रणनीति को सुदृढ़ करता है, खासकर वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि के बीच।
- भौगोलिक लाभ:** भारत के बढ़ते संबंध रूस के साथ चीन के साथ रूस के बढ़ते संबंधों का संतुलन बनाने में मदद करते हैं। रूस भारत के रक्षा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, खासकर भारतीय सशस्त्र बलों और परमाणु क्षमताओं के लिए।
- रणनीतिक प्रभाव:** यह साझेदारी भारत के भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाती है, जिससे रक्षा प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग बढ़ सकता है।

तेल के अलावा अन्य व्यापार पर प्रभाव:

- व्यापार का विविधीकरण:** यह नया मार्ग सिर्फ कच्चे तेल के व्यापार को ही नहीं, बल्कि कोयला, उर्वरक, धातुएं और कंटेनरयुक्त माल के व्यापार को भी बढ़ावा देता है।
- रूस को निर्यात में वृद्धि:** भारत से निर्यात होने वाले प्रसंस्कृत खनिज, लोहा और स्टील, चाय और समुद्री उत्पाद रूस को तेजी से और सस्ती शिपिंग के कारण बढ़ रहे हैं।
- दीर्घकालिक व्यापार प्रतिबद्धताएँ:** नया समुद्री मार्ग भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक व्यापार समझौतों को बढ़ावा देता है, जो दोनों देशों के लिए लाभकारी हैं।

फेवा संवाद

चर्चा में क्यों?

नेपाल और चीन ने हाल ही में 'फेवा संवाद' नाम की एक नई कूटनीतिक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय समृद्धि, शांति और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। इस संवाद का नाम पोखरा घाटी की प्रसिद्ध फेवा झील के नाम पर रखा गया है, जो सहयोग और साझेदारी का प्रतीक है। यह झील अपने पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। इस पहल का लक्ष्य न केवल नेपाल और चीन के बीच सहयोग को मजबूत करना है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में साझेदारी को बढ़ावा देना है।

फेवा संवाद का महत्व

- क्षेत्रीय सहयोग:** फेवा संवाद का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। दक्षिण एशिया को गरीबी, पर्यावरणीय समस्याओं और सुरक्षा चिंताओं जैसी कई साझा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह संवाद इन समस्याओं का मिलकर समाधान खोजने और शांति व समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- आर्थिक एकीकरण:** यह संवाद आर्थिक एकीकरण पर भी जोर देता है। इसमें व्यापार बाधाओं, बुनियादी ढांचे की कमी और राजनीतिक तनाव जैसे मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आर्थिक सहयोग मजबूत हुआ, तो यह क्षेत्र में व्यापार, निवेश और विकास के नए अवसर पैदा कर सकता है, जिससे सभी भाग लेने वाले देशों को लाभ होगा।
- मुख्य मुद्दों पर चर्चा:** फेवा संवाद एक ऐसा मंच है जहाँ औद्योगिक बदलाव, नई तकनीकों और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ये चर्चाएं दक्षिण एशिया को वैश्विक परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बिठाने और दीर्घकालिक स्थिरता व आधुनिकीकरण के समाधान खोजने में मदद करती हैं।
- ट्रैक-II कूटनीति:** फेवा संवाद की एक खासियत यह है कि इसमें ट्रैक-II कूटनीति (गैर-सरकारी स्तर पर बातचीत) का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शैक्षणिक संस्थान जैसे चीन का सिचुआन विश्वविद्यालय और नेपाल का त्रिभुवन विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये संस्थान नीतियों के निर्माण और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

चीन और नेपाल के बीच हाल के कूटनीतिक विकास

- आर्थिक संबंध:** चीन 2014 से नेपाल का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) साझेदार बन गया है। ये निवेश जलविद्युत (जैसे बुढ़ी गंडकी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट) सहित कई क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा, चीन ने नेपाल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ी वित्तीय सहायता दी है।
- रणनीतिक साझेदारी:** 2019 में नेपाल और चीन ने अपने

संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नेपाल यात्रा के दौरान इस साझेदारी को औपचारिक रूप से मजबूत किया गया। इसके तहत रक्षा, सुरक्षा और व्यापार में सहयोग बढ़ा है, जिसमें चीन ने नेपाल को सैन्य सहायता भी प्रदान की है।



फेवा संवाद का भारत पर प्रभाव:

- क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव:** यह संवाद दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को मजबूत कर सकता है, जिससे नेपाल में भारत की पारंपरिक पकड़ कमज़ोर हो सकती है। नेपाल की चीन पर आर्थिक और रणनीतिक निर्भरता बढ़ने से भारत को चिंता हो सकती है।
- व्यापार और निवेश में प्रतिस्पर्धा:** चीन के नेपाल के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते निवेश से भारत को व्यापार और निवेश के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।
- सुरक्षा चिंताएं:** नेपाल और चीन के बीच मजबूत रक्षा और सुरक्षा संबंध भारत के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं, खासकर दोनों देशों की साझा सीमा को लेकर। इससे भारत को क्षेत्र में अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

भारत-कुवैत संबंध

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की कुवैत यात्रा भारत-कुवैत संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इस यात्रा में दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'रणनीतिक' स्तर तक बढ़ाया। 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी, जो खाड़ी क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव और बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाती है। यह यात्रा व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग को मजबूत


करने के साथ-साथ भविष्य में गहरे संबंधों की नींव रखती है।

भारत-कुवैत संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यः

- भारत और कुवैत के संबंध 1961 में कुवैत की स्वतंत्रता के बाद से ही गहरे और ऐतिहासिक रहे हैं। भारत कुवैत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।
- कुवैत के स्वतंत्रता से पहले, भारतीय रूपया कुवैत में कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। आज भी, कुवैत भारत का एक प्रमुख सहयोगी बना हुआ है।

मौजूदा संबंधों की स्थितिः

- ऊर्जा सहयोगः** कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता है और भारत की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 3% पूरा करता है।
- द्विपक्षीय व्यापारः** दोनों देशों के बीच व्यापार \$10 अरब से अधिक है। भारत का कुवैत को नियांत पहली बार \$2 अरब के पार पहुंचा।
- भारतीय समुदायः** कुवैत में भारतीय समुदाय 10 लाख से अधिक लोगों का है, जो कुवैत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- निवेशः** कुवैत इन्वेस्टमेंट अथोरिटी ने भारत में \$10 अरब से अधिक का निवेश किया है, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है।



प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का महत्वः

प्रधानमंत्री मोदी की 2024 की यह यात्रा कई मायरों में ऐतिहासिक थी।

- 43 साल बाद पहली प्रधानमंत्री यात्रा:** 1981 में इंदिरा गांधी की यात्रा के बाद यह पहली प्रधानमंत्री यात्रा थी।
- सम्मानः** कुवैत ने मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान

'मुबारक अल-कबीर ऑर्डर' से सम्मानित किया, जो भारत-कुवैत संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका को मान्यता देता है।

- प्रमुख नेताओं से मुलाकातः** मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा और क्राउन प्रिंस शेख सबा अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबा से मुलाकात की, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों का नया अध्याय शुरू हुआ।

रणनीतिक सहयोग को मजबूत बनाना:

मोदी की यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें शामिल हैं:

- रक्षा सहयोगः** एक व्यापक रक्षा समझौता हुआ, जिसमें सैन्य कर्मियों का आदान-प्रदान, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा तकनीक में सहयोग शामिल है।
- मुख्य क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन (MoU):** खेल, संस्कृति और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में समझौते।
- निवेश के अवसरः**: मोदी ने कुवैत इन्वेस्टमेंट अथोरिटी को भारत के ऊर्जा, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर और खाद्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावः

- मोदी की यात्रा ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के बीच संबंधों को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया। कुवैत इस परिषद का एक महत्वपूर्ण सदस्य है।
- क्षेत्रीय शांति और स्थिरता:** भारत और कुवैत ने पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए साझा लक्ष्यों पर चर्चा की।
- आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता:** दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा की और आतंकवादी नेटवर्क को समाप्त करने का संकल्प लिया, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हो सके।

अमेरिका-चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका और चीन ने अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (STA) को पांच साल के लिए नवीनीकृत किया है। यह समझौता 27 अगस्त 2024 से प्रभावी हुआ। नवीनीकरण से यह साफ होता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीकी जैसे क्षेत्रों में तनाव के बावजूद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग जारी रहेगा।

- इसमें बैद्धिक संपदा अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उभरते मुद्दों को भी शामिल किया गया है। 1979 में पहली बार हस्ताक्षरित यह समझौता अमेरिका और चीन के बीच विभिन्न

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।

- शुरुआत में कृषि अनुसंधान पर केंद्रित इस समझौते का दायरा अब बढ़कर कई अनुसंधान क्षेत्रों तक पहुंच गया है, जिससे दोनों देशों के शोधकर्ताओं, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन मिला है।

नए समझौते में किए गए मुख्य बदलाव:

• मूलभूत अनुसंधान तक सीमित:

- अब सहयोग केवल मूलभूत अनुसंधान तक सीमित रहेगा।
- संवेदनशील तकनीकों को सैन्य या रणनीतिक उद्देश्यों में उपयोग से बचाने के लिए उभरती और महत्वपूर्ण तकनीकों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

• शोधकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान:

- सहयोगी परियोजनाओं में जुड़े शोधकर्ताओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं।

• डेटा पारदर्शिता और आदान-प्रदान:

- दोनों देशों के बीच डेटा की निष्पक्ष और पारदर्शी आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं।


• विवाद समाधान तंत्र:

- समझौते में असहमति या उल्लंघन को हल करने के लिए एक तंत्र शामिल किया गया है।

• समाप्ति प्रावधान:

- यदि किसी पक्ष ने 'खराब नीयत' से कार्य किया, तो परियोजनाओं को रद्द करने का प्रावधान शामिल किया गया है।

समझौते में मुख्य परिवर्तन



यह समझौता अमेरिका और चीन दोनों के लिए कैसे लाभकारी रहा है?

• अमेरिका के लिए:

- चीन के तेजी से विकसित हो रहे अनुसंधान क्षेत्र तक पहुंच मिली।

- कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण विज्ञान जैसे क्षेत्रों में संयुक्त शोध को बढ़ावा मिला।

• चीन के लिए:

- अमेरिकी तकनीक तक पहुंच मिली, जिससे वह वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक अग्रणी शक्ति बना।
- शैक्षिक आदान-प्रदान और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं ने चीन की वैश्विक वैज्ञानिक पहुंच को विस्तारित किया।

भारत के लिए प्रभाव:

• अनुसंधान और विकास में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में चीन की बढ़ती ताकत भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।
- भारत को प्रतिस्पर्धी बने रहने और तकनीकी प्रगति बनाए रखने के लिए अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करना होगा।

• भू-राजनीतिक लाभ:

- अमेरिका और चीन के बीच संबंधों के चलते भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों में बदलाव आ सकता है।
- इसका असर भारत की वैश्विक राजनीति और साझेदारियों पर पड़ सकता है।

• रणनीतिक सहयोग का अवसर:

- भारत के मजबूत अनुसंधान और अन्य देशों के साथ समझौतों के चलते, वह अमेरिका और उन देशों के लिए एक अच्छा भागीदार बन सकता है, जो चीन के बजाय भारत के साथ काम करना चाहते हैं।
- इससे भारत की वैज्ञानिक साख में सुधार होगा और नई तकनीकों और अनुसंधान अवसरों तक पहुंच मिलेगी।

ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा बांध


चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसे यारलुंग त्सांगपो बांध (Yarlung Tsangpo Dam) के नाम से जाना जायेगा। तिब्बत में जांगबो नदी पर स्थित यह परियोजना चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) का हिस्सा है। यह परियोजना भारतीय सीमा के पास स्थित है और इसमें कुल 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है।

बांध की क्षमता और विशेषताएं:

- इस बांध से प्रतिवर्ष 300 बिलियन किलोवाट घंटे से अधिक बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है, जोकि 300 मिलियन से अधिक लोगों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

- यह जलविद्युत परियोजना चीन की कार्बन पीकिंग (carbon peaking) और कार्बन तटस्थता (carbon neutrality) रणनीति का हिस्सा है इसलिए इसे 'हरित परियोजना' (green project) माना जा रहा है, जोकि कार्बन उत्सर्जन में कमी करने में सहायक होगी।
- जलविद्युत के अतिरिक्त, यह परियोजना आसपास के क्षेत्रों में सौर (solar) और पवन ऊर्जा (wind energy) संसाधनों के विकास को प्रोत्साहित करेगी, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में योगदान मिलेगा।




भारत और बांग्लादेश के लिए मुख्य चिंता:

- बांध के निर्माण ने भारत और बांग्लादेश में चिंता पैदा कर दी है क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जोकि इन दोनों देशों से होकर बहती है। ऐसी आशंका है कि चीन पानी के प्रवाह में हेरकरे कर सकता है, जिससे बाढ़ या पानी की कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, विशेषकर संघर्ष के समय। इसके अतिरिक्त, बांध का आकार और पैमाना जल संसाधनों पर चीन के नियंत्रण को बढ़ा सकता है।
- यह बांध भूकंपीय (seismically) रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जिससे परियोजना की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएँ उठी हैं। हालांकि, चीन ने दावा किया है कि परियोजना पारिस्थितिकीय सुरक्षा (ecological safety) को प्राथमिकता देती है और इसके सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए हैं, जिनका उद्देश्य भूकंपीय और पर्यावरणीय क्षति के प्रभाव को कम करना है।

बांध का प्रभाव:

- इस परियोजना से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है, जिससे तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (Tibet Autonomous Region) के लिए सालाना 20 बिलियन युआन (3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की आय उत्पन्न होगी। यह परियोजना इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, व्यापार सेवाओं जैसे उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा देगी और क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
- बांध के निर्माण के बाद तिब्बत में बिजली, जल संरक्षण और परिवहन बुनियादी ढांचे (infrastructure) के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे तिब्बत और चीन के अन्य क्षेत्रों के बीच आर्थिक तालमेल भी मजबूत होगा और तिब्बत की अर्थव्यवस्था का विकास होगा।
- यह परियोजना चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें जल संसाधन प्रबंधन भी शामिल है। इसे दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के एक उपाय के रूप में देखा जा रहा है, विशेषकर ऊर्जा सहयोग (Energy Cooperation) के संदर्भ में। यह जलविद्युत स्टेशन तिब्बत में चीन के बुनियादी ढांचे के विकास में भी रणनीतिक भूमिका निभाएगा।



ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में:

- कैलाश पर्वतमाला (Kailash Range) से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी अपने मार्ग में आने वाले लाखों लोगों के परिवेश (landscape) और आजीविका को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र:

- बेसिन:** अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में फैला हुआ है।
- जलग्रहण क्षेत्र (Catchment Area):**
 - तिब्बत (2,93,000 वर्ग किमी)
 - भारत और भूटान (2,40,000 वर्ग किमी)
 - बांग्लादेश (47,000 वर्ग किमी)
 - कुल बेसिन क्षेत्र: 5,80,000 वर्ग किमी
- डेल्टा:** यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है।

पर्यावरणीय मुद्दे

भारत का वन एवं वृक्ष आवरण विकास: पर्यावरण संरक्षण का एक मॉडल

सन्दर्भ:

वन पृथक्की के सबसे महत्वपूर्ण परिस्थितिकी तंत्रों में से एक हैं, जोकि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और ऑक्सीजन को छोड़ कर ग्रह के फेफड़ों के रूप में कार्य करते हैं। वे जलवायु परिवर्तन से निपटने, जैव विविधता को बनाए रखने और प्राकृतिक चक्रों के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। वन स्वच्छ हवा और पानी प्रदान करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और अनगिनत प्रजातियों के लिए एक अभयारण्य प्रदान करते हैं।

- अपने महत्व के बावजूद, वन शहरीकरण, औद्योगीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण निरंतर दबाव का सामना करते हैं। इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर आशा की किरण बनकर उभरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जोकि वन और वृक्ष आवरण के विस्तार के साथ-साथ वनों की आग जैसे पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने में देश के सफल प्रयासों को प्रदर्शित करती है।

भारत में वन क्षेत्र: प्रगति का एक दशक

- भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा प्रकाशित द्विवार्षिक रिपोर्ट का 18वां संस्करण, भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023, वन और वृक्ष आवरण में महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। उन्नत उपग्रह इमेजरी और फील्ड डेटा का उपयोग करते हुए, यह रिपोर्ट भारत के वनों की स्थिति और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में उनके योगदान का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है।


आईएसएफआर 2023 की मुख्य विशेषताएं:

- **वन एवं वृक्ष आवरण विस्तार:** भारत का कुल हरित आवरण अब 827,357 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। इसमें वन क्षेत्र 715,343 वर्ग किलोमीटर (21.76%) और वृक्ष आवरण 112,014 वर्ग किलोमीटर (3.41%) शामिल है।
- **वन क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि:** पिछले दशक में, भारत का

वन क्षेत्र उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2013 के 698,712 वर्ग किलोमीटर से 2023 में 715,343 वर्ग किलोमीटर हो गया है। 16,631 वर्ग किलोमीटर की यह वृद्धि वनीकरण कार्यक्रमों, संरक्षण नीतियों और समुदाय-संचालित पहलों की सफलता को दर्शाती है।

- **वनाग्नि की घटनाओं में कमी:** सक्रिय वन अग्नि प्रबंधन उपायों के कारण अग्नि हॉटस्पॉट में कमी आई है, जो 2021-22 में 223,333 से घटकर 2023-24 में 203,544 हो गई है।
- **कार्बन पृथक्करण में उपलब्धि:** भारत ने 30.43 बिलियन टन CO₂ समतुल्य कार्बन सिंक हासिल किया है, जिसमें 2005 से 2.29 बिलियन टन की प्रभावशाली वृद्धि हुई है। यह 2030 तक 2.5-3.0 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

India's forest report 2023:



वन संरक्षण को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाएं और पहल:

भारत ने वन संरक्षण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जो सुव्यवस्थित नीतियों और अभिनव पहलों का परिणाम है। ये पहल पारिस्थितिकी बहाली, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु

लचीलापन पर कोंदित है।

- **राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम):** 2014 में शुरू किया गया यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) का हिस्सा है। यह बनरोपण और उन्वर्नरोपण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर जोर देता है, जिसमें संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMCs) के माध्यम से स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी शामिल है।
 - » **वित्तपोषण:** वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी बहाली प्रयासों को समर्थन देने के लिए 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को 944.48 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
- **नगर वन योजना (एनवीवाई):** 2020 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने और शहरी ताप द्वीप प्रभाव को कम करने के लिए शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शहरी वन और हरित स्थान बनाना है।
- **प्रगति:** 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 431.77 करोड़ के आवंटन के साथ 546 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- **स्कूल नरसी योजना (एसएनवाई):** छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया गया यह कार्यक्रम स्कूलों को नरसी बनाने और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 743 परियोजनाओं के लिए 4.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- **तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रोव पहल (मिष्ठी):** भारत के विशाल समुद्र तटों पर मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के उद्देश्य से, यह कार्यक्रम जैव विविधता को बढ़ाने और जलवायु लचीलापन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तपोषण: ओडिशा, गुजरात और केरल जैसे तटीय राज्यों को 17.96 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- **एक पेड़ एक माँ के नाम अभियान:** यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। यह पहल भावनाओं को पारिस्थितिकी क्रियाकलापों से जोड़ती है तथा नागरिकों से अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने का आग्रह करती है।
- **प्रतिपूरक बनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा):** यह कार्यक्रम विकासात्मक गतिविधियों के कारण होने वाले वन नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिपूरक बनरोपण सुनिश्चित करता है। यह वन संरक्षण अधिनियम और संवर्धन अधिनियम, 1980 का पालन करता है, जो पारिस्थितिक क्षतिपूर्ति को अनिवार्य बनाता है।
- **वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2018):** यह योजना सामुदायिक क्षमता को बढ़ाकर, उन्नत निगरानी प्रणालियों की तैयारी करके तथा पूर्व चेतावनी के लिए पूर्वानुमान उपकरणों का उपयोग करके वनों की आग के विरुद्ध

लचीलापन पैदा करती है।

- **संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (जेएफएमसी):** भारत की वन प्रबंधन रणनीति की आधारशिला के रूप में, संयुक्त वन प्रबंधन समितियां स्थानीय समुदायों को वन संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाती हैं।

वन संरक्षण में प्रौद्योगिकी की भूमिका:

प्रौद्योगिकी ने भारत में वन संरक्षण में क्रांति ला दी है, जिससे सटीक निगरानी, शीघ्र हस्तक्षेप और बेहतर संसाधन प्रबंधन संभव हो गया है। प्रमुख प्रगति में शामिल हैं:

- **उपग्रह निगरानी:** वन आवरण में परिवर्तन के वास्तविक समय के आंकड़े प्रदान करके, उपग्रह निगरानी वैज्ञानिक आधार पर निर्णय लेने में मदद करती है।
- **उन्नत वन अग्नि चेतावनी प्रणाली:** समय पर चेतावनी देकर, यह प्रणाली वन अग्नि से होने वाले नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **वन सीमाओं का डिजिटलीकरण:** वन क्षेत्रों का मानचित्रण और डिजिटलीकरण सीमा विवादों को सुलझाने और अतिक्रमण को रोकने में मदद करता है।
- **राष्ट्रीय वन सूची:** वन विकास, जैव विविधता और कार्बन स्टॉक पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने वाला एक वैज्ञानिक मूल्यांकन है।

संरक्षण का समर्थन करने वाला कानूनी ढांचा:

- **भारतीय वन अधिनियम, 1927:** वन विनियमन और संसाधन उपयोग पर कोंदित है।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करके वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा करता है।
- **वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980:** विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ पारिस्थितिक संरक्षण को संतुलित करता है।
- **राज्य-विशिष्ट वन एवं वृक्ष संरक्षण अधिनियम:** स्थानीय संरक्षण रणनीतियों को सुनिश्चित करना।

प्रेरणादायक सामुदायिक योगदान:

- **पद्म श्री तुलसी गौड़ा,** जिन्हें अक्सर 'पेड़ों की माँ' कहा जाता है, व्यक्तिगत प्रयासों से बड़े बदलाव लाने की एक प्रेरणादायी मिसाल हैं। उन्होंने कर्नाटक में लाखों पेड़ लगाकर बंजर भूमि को हरा-भरा बना दिया है। उनका समर्पण सरकार के प्रयासों को पूरक करते हुए दिखाता है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण में कितना योगदान दिया जा सकता है।
- **वन महोत्सव और वन्यजीव सप्ताह** जैसे जागरूकता अभियानों ने स्थानीय समुदायों को संगठित किया है तथा उन्हें वन

संरक्षण में सक्रिय हितधारक बनाया है।

चुनौतियाँ:

- उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, शहरीकरण के कारण बनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और वित्त पोषण संबंधी बाधाएं जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

भविष्य की प्राथमिकताएँ:

- नीतियों और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाना।
- सार्वजनिक जागरूकता और सहभागिता का विस्तार करना।
- तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना, जैसे कि पूर्वानुमानित बन प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना।
- पारिस्थितिक संरक्षण के साथ विकासात्मक गतिविधियों को संतुलित करना।

निष्कर्ष:

भारत बन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 दर्शाती है कि दूरदर्शी नीतियों, नवीन तकनीकों और जन सहयोग से बन संरक्षण में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की जा सकती है। भारत में बन क्षेत्र में बृद्धि, बन अग्नि में कमी और कार्बन पृथक्करण में बृद्धि ने देश को वैश्विक स्तर पर टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन का एक आदर्श बना दिया है। 2030 के कार्बन सिंक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी पक्षों, जैसे सरकार, समुदाय और व्यक्तिगत नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। बन संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देकर, भारत न केवल अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा कर रहा है, बल्कि दुनिया के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित कर रहा है।

सिलिका खनन और स्वास्थ्य

जोखिम: एनजीटी ने सीपीसीबी को राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया

चर्चा में क्यों?

सिलिका धूल के उत्पर्जन से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं की चिंताओं को दूर करने के लिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को सिलिका रेत खनन और वाशिंग प्लांट्स के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना है। सिलिका खनन, जोकि कांच निर्माण और निर्माण जैसे उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न कर रहा है। इस धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सिलिकोसिस नामक गंभीर फेफड़ों की बीमारी हो सकती है।

एनजीटी द्वारा सीपीसीबी को दिए गए प्रमुख निर्देश

- दिशा-निर्देशों का विकास:** सीपीसीबी को सिलिका खनन और धूलाई संयंत्रों के लिए परिचालन मानकों के विकास का कार्य सौंपा गया है ताकि स्वास्थ्य जोखिम और प्रदूषण को कम किया जा सके। दिशा-निर्देश तीन महीनों के भीतर जारी किए जाने की संभावना है।
- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय:** एनजीटी ने श्रमिकों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच पर जोर दिया है, जिसमें सिलिकोसिस

की निगरानी भी शामिल है, और सुरक्षात्मक गियर तथा बेहतर वेंटिलेशन के उपयोग की सिफारिश की है।

- निगरानी और प्रवर्तन:** एनजीटी ने नियमित नियंत्रण करने और नए दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
- उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना:** उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सिलिकोसिस का शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए सिलिका खनन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
- गैर-अनुपालन के लिए दंड:** एनजीटी ने अवैध खनन गतिविधियों में सलिल कंपनियों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है, जिससे जवाबदेही को सख्त किया जा सके।

सिलिका खनन:

- सिलिका खनन में मुख्य रूप से क्वार्ट्ज से बनी सिलिका रेत को खुले गड्ढों वाली खदानों से निकाला जाता है, जिसे फिर अशुद्धियों से मुक्त करने के लिए धोया जाता है। सिलिका रेत विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक है, लेकिन जब श्रमिक और आसपास के समुदाय महीन सिलिका धूल के संपर्क में आते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न होता है।

सिलिका धूल के स्वास्थ्य जोखिम:

- सिलिका धूल का श्वास में प्रवेश करने से सिलिकोसिस हो सकता है, जोकि फेफड़ों की बीमारी है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई और फेफड़ों में जख्म हो जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त, सीओपीडी (क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्ट्मोनरी डिजीज) और तपेदिक जैसी अन्य श्वसन संबंधी बीमारियाँ भी

लंबे समय तक संपर्क में रहने से उत्पन्न हो सकती हैं।

- हवा और पानी में धूल के प्रदूषण के कारण खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिक और खनन स्थलों के आस-पास रहने वाले लोग दोनों ही स्वास्थ्य जोखिमों से प्रभावित हो सकते हैं।

Silicosis Prevention for Miners

Miners face serious risks from silica dust during activities like drilling and blasting. Inhalation of this dust can cause silicosis, a deadly lung disease. Protecting miners with effective prevention measures is essential to ensure their safety and health.

1. Ventilation Systems

- Install and maintain effective ventilation systems to reduce dust levels in underground mines

Dust Suppression Techniques

- Use dust suppression techniques such as wet drilling, water sprays, and dust collectors on mining equipment

3. Personal Protective Equipment (PPE)

- Ensure miners wear appropriate PPE, including respirators, to protect against inhaling silica dust



4. Health Surveillance

- Implement regular health surveillance programs, including chest X-rays and lung function tests



सिलिका खनन के लिए कानूनी ढांचा:

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957:** सिलिका निष्कर्षण सहित खनन क्षेत्र को विनियमित करता है।
- कारखाना अधिनियम, 1948:** खनन कार्बों में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, वेंटिलेशन और सुरक्षात्मक गियर को अनिवार्य बनाता है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:** खनन गतिविधियों के लिए पर्यावरण मानक निर्धारित करता है।
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020:** खतरनाक व्यवसायों में श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981:** वायु गुणवत्ता और सिलिका धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करता है।

भूमि क्षरण पर यूएन की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी हुई संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की रिपोर्ट 'स्टेपिंग बैक फ्रॉम द प्रीसिपिस: ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टे विडिन प्लेनेटरी

'बाउंडीज' भूमि क्षरण की बढ़ती समस्या और इसके प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त करती है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- वार्षिक क्षरण:** प्रत्येक वर्ष लगभग दस लाख वर्ग किलोमीटर भूमि का क्षरण हो रहा है।
- कुल प्रभावित क्षेत्र:** लगभग 15 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पहले ही भूमि क्षरण से प्रभावित हो चुका है, जोकि अंटार्कटिका के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक है।

भूमि क्षरण क्या है?

- भूमि क्षरण का तात्पर्य भूमि की जैविक या आर्थिक उत्पादकता और जटिलता में गिरावट से है। यह विभिन्न प्रकार की भूमि को प्रभावित करता है, जिनमें शामिल हैं:
 - वर्षा आधारित और सिंचित फसल भूमि
 - चारागाह
 - वन एवं वुडलैंड्स

भूमि क्षरण के परिणाम:


- खाद्य सुरक्षा:** खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में कमी के कारण कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है।
- स्वास्थ्य जोखिम:** अपर्याप्त स्वच्छता और जल की कमी के कारण जल-जनित एवं खाद्य जनित बीमारियाँ फैलती हैं।
- श्वसन संबंधी समस्याएं:** धूल भरी आंधी और मिट्टी के कटाव से श्वसन संबंधी बीमारियाँ बढ़ती हैं।
- पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान:** मिट्टी अपरदन से निकलने वाली मिट्टी, उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे रसायनों के साथ मिलकर जल निकायों में पहुंच जाती है, जिससे जलीय जीवन और इन जल स्रोतों पर निर्भर समुदायों को नुकसान पहुंचता है।

जलवायु परिवर्तन में योगदान

- कार्बन उत्पर्जन:** क्षरित मिट्टी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ती है।
- कार्बन सिंक क्षमता में कमी:** भूमि पारिस्थितिकी तंत्रों, जैसे वृक्ष और मिट्टी, की मानव-जनित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता में पिछले दशक में 20% की कमी आई है।

भूमि क्षरण के कारण:

- असंबहनीय कृषि:** रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खराब सिंचाई प्रथाओं के अत्यधिक उपयोग से वनों की कटाई, मृदा क्षरण और प्रदूषण होता है।
- जलवायु परिवर्तन:** अत्यधिक वर्षा और तापमान तनाव जैसी चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति से भूमि क्षरण की स्थिति और खराब हो जाती है।
- शहरीकरण:** तेजी से हो रहा शहरी विस्तार आवास विनाश और प्रदूषण में योगदान देता है, जिससे भूमि क्षरण में तेजी आती है।



भौगोलिक हॉटस्पॉट

- शुष्क भूमि क्षेत्र: दक्षिण एशिया, उत्तरी चीन, अमेरिका के उच्च मैदान और भूमध्य सागर को हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है।
- निम्न आय वाले देश: ये क्षेत्र भूमि क्षरण के प्रभावों को झेलने की कम क्षमता के कारण असमान रूप से प्रभावित हैं।


निष्कर्ष

- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भूमि क्षरण को परिवर्तनकारी भूमि प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। प्रमुख रणनीतियाँ निम्नलिखित हैं:
 - टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ: रासायनिक इनपुट को कम करना, सिंचाई विधियों में सुधार करना और वनों की कटाई को रोकना।
 - जलवायु परिवर्तन शमन: चरम मौसम की घटनाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना।
 - संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण: निम्न आय वाले देशों के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना जो सबसे अधिक जोखिम में हैं।

मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश में रातापानी बन्यजीव अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है।

रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में :

- रायसेन जिले में विंध्य पहाड़ियों में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1,271.4 वर्ग किलोमीटर है। इसमें शामिल हैं:
 - मुख्य क्षेत्र: 763.8 वर्ग किलोमीटर
 - बफर क्षेत्र: 507.6 वर्ग किलोमीटर
- यह अभ्यारण्य विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का घर है, जिनमें सागौन के वन प्रमुख हैं।
- इसके अतिरिक्त, यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है क्योंकि इसमें कई अन्य ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के साथ-साथ भीमबेटा रॉक शॉल्टर्स, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, भी शामिल हैं।
- यह अभ्यारण्य भोपाल से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है, जिससे यह इकोटूरिज्म के लिए एक सुलभ और आकर्षक स्थान बन गया है।



विधायी ढांचा और स्थानीय समुदायों के अधिकार:

- रातापानी बन्यजीव अभ्यारण्य को बन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत आधिकारिक तौर पर बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह कानून महत्वपूर्ण बाघ आवासों की पहचान करता है और संरक्षण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें कोर और बफर जोन में अलग करता है।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमआईएफसीसी) की सैद्धांतिक

- इस निर्णय के तहत 26.947 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले नौ गांवों को बफर जोन में शामिल किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभयारण्य में रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, जिससे वन्यजीव संरक्षण और समुदाय की भलाई के बीच संतुलन बना रहेगा।

संरक्षण और विकास के लिए निहितार्थ:

- संवर्धित संरक्षण प्रयास:** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) से वित्तीय सहायता मिलने से वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण उपायों को मजबूत किया जा सकेगा।
- इको-टूरिज्म को बढ़ावा:** टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
- परिस्थितिक विकास कार्यक्रम:** क्षेत्र में आजीविका सुधार और सतत विकास के लिए नए कार्यक्रमों को समर्थन मिलेगा, जिससे सामाजिक और आर्थिक उन्नति संभव हो सकेगी।

मध्य प्रदेश: बाघ संरक्षण में अग्रणी

- रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने के साथ ही, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या आठ हो गई है। राज्य पहले से ही बाघ संरक्षण में अग्रणी है और यह कदम उसकी बाघों के आवास विस्तार और परिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही में NTCA ने शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भी टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति दे दी है।

निष्कर्ष:

रातापानी वन्यजीव अभयारण्य का टाइगर रिजर्व के रूप में उन्नयन, भारत में वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कदम न केवल जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय समुदायों के आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विरासत को भी सुरक्षित रखते हुए सतत संरक्षण का आदर्श स्थापित करेगा।

लिए सलाह मांगता है। इस मामले का वैशिक जलवायु कार्रवाई पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।

- वानुअतु का प्रस्ताव:** यह मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, जिसे 132 देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था। वानुअतु, अन्य छोटे द्वीप देशों के साथ, जलवायु परिवर्तन से सीधे तौर पर खतरे में है और जलवायु क्षति को कम करने के लिए देशों के दायित्वों के बारे में कानूनी स्पष्टता की कमी को दूर करना चाहता है।
- मुख्य प्रश्न:**
 - » जलवायु प्रणाली की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत देशों के क्या दायित्व हैं?
 - » जलवायु प्रणाली को नुकसान पहुंचाने वाले देशों के लिए कानूनी परिणाम क्या हैं?
- प्रासंगिक कानूनी ढाँचे:** यह मामला कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचों पर आधारित है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेशन (यूएनएफसीसीसी) और पेरिस समझौता, साथ ही अन्य कानून जैसे समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा शामिल हैं। यह रेखांकित करता है कि जलवायु परिवर्तन एक पर्यावरणीय और मानवाधिकार मुद्दा दोनों हैं।



मामले का महत्व:

- यद्यपि आईसीजे की राय बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इसका प्रभाव दूरगामी हो सकता है:
 - » जलवायु दायित्वों की पुनः पुष्टि: यह मामला जलवायु संरक्षण के लिए कानूनी दायित्वों को सशक्त कर सकता है, विशेषकर विकसित देशों को उनके ऐतिहासिक उत्सर्जन और जलवायु वित लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रहने पर अधिक जिम्मेदार ठहराकर, जिससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया जा सके।
 - » जलवायु क्षति के लिए कानूनी परिणाम स्थापित करना: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जलवायु क्षति का कारण बनने वाले देशों के लिए कानूनी परिणामों को परिभाषित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से छोटे द्वीप देशों जैसे कमज़ोर देशों के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

आईसीजे ने ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन मामले की सुनवाई शुरू की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन मामले पर सुनवाई शुरू की है, जिसे वानुअतु नामक एक छोटे द्वीप राष्ट्र ने प्रस्तुत किया है, जोकि बढ़ते समुद्र स्तरों के कारण अपने अस्तित्व के लिए गंभीर संकट का सामना कर रहा है। यह मामला देशों के जलवायु संरक्षण के कानूनी दायित्वों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए जिम्मेदार लोगों पर परिणाम तय करने के

- » **वैशिक जलवायु वार्ता को प्रभावित करना:** सलाहकारी राय सी.ओ.पी. वार्ता को प्रभावित कर सकती है, विकसित देशों से पेरेसि समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह कर सकती है और जलवायु वित्त के लिए आवान को सुदृढ़ कर सकती है।
- » **जलवायु मुकदमेबाजी के लिए मिसाल:** आईसीजे का निर्णय भविष्य में जलवायु संबंधित मुकदमों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जिससे कानूनी स्पष्टता आएगी और दुनिया भर में जलवायु से संबंधित मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा।

आईसीजे की परामर्श के बारे में:

- परामर्शात्मक राय जारी करने का आईसीजे का अधिकार उसके कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर से प्राप्त होता है।
- » **आईसीजे कानून का अनुच्छेद 65:** यह अनुच्छेद आईसीजे को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अधिकृत निकायों या एजेंसियों के अनुरोध पर परामर्शात्मक राय देने का अधिकार प्रदान करता है।
- » **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 96:** यह अनुच्छेद परामर्शात्मक राय प्राप्त करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, महासभा और सुरक्षा परिषद को राय प्राप्त करने का अधिकार देता है और अन्य संयुक्त राष्ट्र अंगों और विशेष एजेंसियों को महासभा की मंजूरी के साथ ऐसा करने के लिए अधिकृत करता है।

स्थानिक मेंढकों को खतरा: पश्चिमी घाट पर एक अध्ययन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन (NCF-इंडिया) और बॉम्बे एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप (BEAG) द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में यह पाया गया कि कृषि वानिकी प्रथाओं से पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थानिक मेंढकों की कुछ प्रजातियों को खतरा हो सकता है। हालांकि, कुछ मेंढक अपने आवास में इन परिवर्तनों से कम प्रभावित होते हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

- **संशोधित आवासों में उभयचर विविधता में कमी:** अध्ययन में यह पाया गया कि धान के खेतों में मेंढकों और अन्य उभयचरों की विविधता सबसे कम थी। बागों में भी मेंढकों की संख्या कम थी। कृषि क्षेत्रों जैसे बागों और धान के खेतों, जहां एक ही फसल उगाई जाती है, जल स्रोत बदल जाते हैं और वनस्पति कम हो जाती है और वह पठारों की तुलना में मेंढकों के लिए कम उपयुक्त होते हैं।
- **स्थानिक प्रजातियों पर प्रभाव:** स्थानिक प्रजातियां जैसे बिल

खोदने वाला मेंढक (मिनरवेरिया सेप्फी) और गोवा फेजेरवर्या की संख्या आवासों में बहुत कम पाई गई। कृषि वानिकी पद्धतियाँ, पठारों को बागों में बदलना, रॉक पूल जैसे महत्वपूर्ण आवासों को नष्ट कर देती हैं, जोकि मानसून के मौसम में सूखे के दौरान टैडपोल और अंडों की रक्षा करते हैं।

- **संशोधित आवासों के लिए प्रजातियों का अनुकूलन:** मिनरवेरिया जैसी सामान्य प्रजातियां, जोकि दक्षिण एशिया में सामान्य हैं, धान के खेतों में अधिक संख्या में पाई गई। यह उनके प्राकृतिक आवासों के नुकसान को दिखाता है, जिसके कारण उन्हें इन बदलते क्षेत्रों में रहना पड़ रहा है।
- **भूदृश्य परिवर्तन:** ज्वालामुखी गतिविधि से बने लैटेराइट पठार कृषि भूमि, विशेष रूप से आम और काजू के बागों में परिवर्तित हो रहे हैं। इससे उभयचरों के लिए महत्वपूर्ण जल निकायों की उपलब्धता कम हो रही है, जिससे जीवित रहने के लिए स्वच्छ जल स्रोतों पर निर्भर रहने वाली प्रजातियों को खतरा है।
- **जल संसाधनों का महत्व:** जल संसाधन उभयचरों के प्रजनन और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आवासों को परिवर्तित किया जाता है, तो यह जल प्रणालियों को बाधित करता है और आवास क्षरण का कारण बनता है। उभयचरों की उपस्थिति अक्सर जलीय परिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत होती है, जोकि बन्यजीवों और स्थानीय समुदायों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।



आवास क्षति को कम करने के लिए सिफारिशें:

- **मेंढक-अनुकूल कृषि वानिकी पद्धतियाँ:** कृषि वानिकी पद्धतियाँ, विशेषकर बागों में, मेंढकों के लिए अनुकूल बनाई जानी चाहिए। प्राकृतिक जल स्रोतों को बनाए रखना और कृषि क्षेत्रों में कृत्रिम जल स्रोत जोड़ना आवास की कमी को कम करने में मदद कर सकता है।
- **भूस्वामियों को संवेदनशील बनाना:** जागरूकता अभियान और प्रोत्साहनों के माध्यम से भूस्वामियों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जोकि उभयचर आबादी और जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं।
- **मीठे जल के आवासों का संरक्षण:** अध्ययन में उभयचरों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने और परिस्थितिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मीठे जल के आवासों के संरक्षण और पुनर्स्थापन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

संरक्षण प्रयासों का महत्व:

- अध्ययन में पश्चिमी घाट के लैटेराइट पठारों में हो रहे बदलावों के कारण संरक्षण कार्यों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। पश्चिमी घाट जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यह स्थानीय समुदायों के लिए जरूरी पारिस्थितिक सेवाएँ प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन भी इन पारिस्थितिक प्रणालियों पर दबाव डाल रहा है, जिससे इनकी सुरक्षा के लिए विशेष संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता और बढ़ गई है।

भारतीय सितारा कछुआ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय सितारा कछुआ दुनिया में सर्वाधिक तस्करी किए जाने वाले कछुओं में से एक बन चुका है और इसका संरक्षण एक अत्यंत गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि इन कछुओं के दो पृथक आनुवंशिक समूह हैं— एक उत्तर भारत से और दूसरा दक्षिण भारत से। इसका तात्पर्य यह है कि अवैध व्यापार से बचाए गए कछुओं को केवल निकटवर्ती जंगलों में छोड़ना एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इससे दोनों समूहों के मिलन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जो उनके अस्तित्व और भविष्य के प्रजनन को गंभीर खतरे में डाल सकती हैं।

संरक्षण रणनीतियाँ:

- आनुवंशिक संरक्षण और स्मार्ट रिलीज़:** विविधता को संरक्षित करने और स्वस्थ आबादी को बनाए रखने के लिए, जब्त किए गए कछुओं को केवल उनके आनुवंशिक मूल से मेल खाने वाले क्षेत्रों में ही छोड़ा जाना चाहिए।
- आवास संरक्षण: प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित और पुनर्स्थापित करना,** आवास गलियारों में सुधार करना तथा टिकाऊ भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- वन्यजीव तस्करी से निपटना:** पालतू जानवर के रूप में कछुओं की मांग को कम करने के लिए प्रवर्तन को मजबूत करना, सीमा नियंत्रण में सुधार करना, और जन जागरूकता बढ़ाना जरूरी है।
- बंदी प्रजनन और पुनर्वास:** विकृतियों से बचने के लिए प्रजनन का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रिहाई (त्मसमें) से पहले बंदी कछुओं का पुनर्वास हो जाए।
- अनुसंधान और निगरानी:** संरक्षण रणनीतियों को सूचित करने और जंगली आबादी की निगरानी करने के लिए कछुओं की आनुवंशिकी, व्यवहार और पारिस्थितिकी पर निरंतर अनुसंधान का संचालन किया जाना चाहिए।

भारतीय स्टार कछुए के बारे में:

- भारतीय सितारा कछुआ (Geochelone elegans) भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के शुष्क क्षेत्रों और झाड़ीदार जंगलों में पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रजाति है। अपने स्टार-पैटर्न वाले खोल से पहचानी जाने वाली यह प्रजाति मानसून के मौसम वाले आवासों में पनपती है और अर्ध-शुष्क परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है।

संरक्षण की स्थिति

- IUCN स्थिति: संवेदनशील
- CITES: परिशिष्ट।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: अनुसूची IV

प्राकृतिक वास:

- भारतीय सितारा कछुए विभिन्न प्रकार के वातावरणों में रहते हैं, जिनमें अर्ध-रेगिस्तानी घास के मैदान, नम पर्णपाती वन, रेत के टीले, झाड़ीदार जंगल, और यहां तक कि मानव द्वारा बदले गए आवास भी शामिल हैं। वे विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, लेकिन आवास के नुकसान और क्षरण के कारण वे कमज़ोर हो जाते हैं।



भौतिक विशेषताएँ:

- मध्यम आकार का सिर
- हुकदार चौंच
- छोटे, मोटे पैर, जिनमें अलग-अलग आकार और आकृति के ट्यूबरकल होते हैं।
- नर की पूँछ लंबी होती है, जबकि मादा की पूँछ छोटी और नुकीली होती है।

व्यवहार का पैटर्न:

- दैनिक:** मुख्यतः सुबह और दोपहर में सक्रिय
- संवेदनशील:** वे बार-बार संभाले जाने को पसंद नहीं करते हैं और यदि उन्हें बार-बार संभाला जाए तो वे तनावग्रस्त या बीमार हो सकते हैं।

आहार:

- शाकाहारी:** इनके आहार में मुख्य रूप से ताजी पत्तेदार सब्जियाँ और घास शामिल होती हैं, जो इनके स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण हैं।

तूफान चिडो: एक विनाशकारी चक्रवात

चर्चा में क्यों?

तूफान चिडो एक उष्णकटिबंधीय दबाव से विकसित होकर एक शक्तिशाली चक्रवात में बदल गया, जिसकी हवाओं की गति 220 किमी/घंटा (137 मील/घंटा) से अधिक थी। इस तूफान ने फ्रांस के गरीब क्षेत्र मयोट्ट में भारी तबाही मचाई और पड़ोसी क्षेत्रों जैसे मेडागास्कर, मोजाम्बिक और कोमोरोस में भी विनाशकारी प्रभाव डाला है।


- वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे चक्रवात और अधिक तीव्र होते जा रहे हैं। भविष्य में नुकसान को कम करने के लिए बेहतर निगरानी और मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।

कैसे जलवायु परिवर्तन चक्रवातों को और खतरनाक बना रहा है?

- समुद्र का तापमान बढ़ना:**
 - जलवायु परिवर्तन से समुद्र की सतह का तापमान बढ़ता है।
 - गर्म महासागर चक्रवातों को अधिक ऊर्जा देते हैं, जिससे वे और शक्तिशाली बन जाते हैं।
 - 26.5°C (79.7°F) से अधिक तापमान वाले पानी में चक्रवात बनते हैं और तापमान बढ़ने से वे अधिक विनाशकारी हो रहे हैं।
- वायुमंडल में नमी बढ़ना:**
 - गर्म हवा में ज्यादा नमी समा सकती है।
 - नमी के संघनित होने से अधिक गर्मी निकलती है, जिससे चक्रवात और तीव्र हो जाता है।
 - इससे भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है।
- लंबे तूफान का मौसम:**
 - गर्म महासागर चक्रवात के मौसम को बढ़ा देते हैं।
 - इससे तूफान ज्यादा समय तक और बार-बार आने लगते हैं।
- तेज हवाएं:**
 - गर्म महासागर तेज हवाओं को जन्म देते हैं।
 - ये तेज हवाएं इमारतों, पेड़ों और बिजली के तारों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में:

- समुद्र की सतह का तापमान 27°C से अधिक होना चाहिए।
- गर्म और नमी भरी हवा का सतत प्रवाह।
- कोरिओलिस बल का प्रभाव, ताकि केंद्र में कम दबाव न भर सके।
- ट्रॉपोसिफर में अस्थिर परिस्थितियां।



क्षेत्रीय नाम:

- भारतीय महासागर: चक्रवात
- अटलांटिक महासागर: हरिकेन
- पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर: टाइफून
- पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया: विली-विलीज

चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया और दिशानिर्देश:

- 2000 में WMO/ESCAP ने भारतीय महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नाम रखने का फैसला किया। शुरुआत में इसमें 8 देश शामिल थे, और 2018 में 5 और देशों को जोड़ा गया। हर देश ने 13 नाम सुझाए, और 2020 में IMD ने 169 नामों की सूची जारी की।

दिशानिर्देश:

- नाम राजनीति, धर्म, संस्कृति, और लैंगिक आधार से तटस्थ होना चाहिए।
- किसी भी समूह को अपमानित करने या कठोर नहीं होना चाहिए।
- नाम छोटा, सरल और आठ अक्षरों से कम का होना चाहिए।
- एक बार इस्तेमाल किया गया नाम फिर से नहीं इस्तेमाल किया जा सकता।

कोस्टल हार्डनिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में यह चिंता जताई है कि दुनिया के लगभग 33% समुद्र के बालू वाले तटों पर कोस्टल हार्डनिंग की घटना देखी जा रही है।

क्या है कोस्टल हार्डनिंग?

- कोस्टल हार्डनिंग का मतलब है मानव द्वारा बनाई गई कठोर और अर्ध-रचनात्मक संरचनाएं जो प्राकृतिक परिदृश्य को बदल देती हैं और समुद्र तटों की प्राकृतिक गति को रोक सकती हैं।
- कोस्टल हार्डनिंग में समुद्र तटों को बचाने के लिए विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कि समुद्री दीवारें, बंदरगाह, सड़कें, हाईवे, इमारतें, रेलवे बैंकमेंट और अन्य शहरी विकास।
- हालांकि ये संरचनाएं ताकालिक सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं, लेकिन इसके दीर्घकालिक पर्यावरणीय परिणाम होते हैं। यह समस्या अब दुनिया भर के समुद्र तटों को प्रभावित कर रही है, जिसका समुद्री परिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है।

प्रमुख प्रभावित क्षेत्र:

- अध्ययन के अनुसार, बंगल की खाड़ी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, जहां 84% समुद्र तटों को हार्डन किया गया है। इसके बाद पश्चिमी और मध्य यूरोप का स्थान है, जहां 68% समुद्र तटों पर कोस्टल हार्डनिंग हुई है और भूमध्य सागर में यह आंकड़ा 65% है।
- पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया में भी 61% और 50% समुद्र तटों में यह समस्या देखी गई है।
- ये आंकड़े दर्शाते हैं कि समुद्र तटों के नुकसान का स्तर स्थानिक रूप से भिन्न है और यह विशेष रूप से निम्न और मध्य आय वाले देशों में अधिक गंभीर हो सकता है।

कोस्टल हार्डनिंग के प्रभाव:

- प्राकृतिक प्रक्रियाओं में विघटन:** कोस्टल हार्डनिंग का मुख्य प्रभाव यह है कि यह बालू के प्राकृतिक गति को बाधित करती है। समुद्र के किनारे की बालू गतिशील होती है, जो हवाओं, लहरों और ज्वार-भाटे के प्रभाव से लगातार बदलती रहती है। जब कठोर संरचनाएं बनाई जाती हैं, तो ये बालू के प्राकृतिक स्थानांतरण को रोक देती हैं, जिससे अनपेक्षित स्थानों पर कटाव बढ़ सकता है।
- आवासों की हानि:** समुद्र तट, ड्यून और आर्द्धभूमि जैसी तटीय पारिस्थितिकी तंत्र अनेक वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं। कोस्टल हार्डनिंग इन पारिस्थितिकी तंत्रों को नष्ट या क्षतिग्रस्त कर सकती है, जिससे जैव विविधता में कमी आती है और उन जीवों और पौधों को नुकसान पहुंचता है जो इन क्षेत्रों पर निर्भर होते हैं।

- दीर्घकालिक स्थिरता समस्याएं:** जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर बढ़ रहे हैं, कोस्टल हार्डनिंग समुद्र तटों की स्थिति को 'लॉक' कर देती है, जिससे भविष्य में बदलाव को अपनाना और भी कठिन हो सकता है। इन संरचनाओं के कारण समुद्र तटों के पीछे जाने का स्थान कम हो जाता है, और समुद्र स्तर बढ़ने पर समुद्र के किनारे के क्षेत्रों को बाढ़ और कटाव से बचाना कठिन हो सकता है।

निष्कर्ष:

कोस्टल हार्डनिंग समुद्र के किनारे के पारिस्थितिकी तंत्रों पर गंभीर प्रभाव डाल रही है और इसके दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए तटीय क्षेत्रों में सतर्कता और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है।

सांता आना हवा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 9 दिसंबर को कैलिफोर्निया के मालिबू जंगल में 'फ्रैंकलिन फायर' लगी, जो 4,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र को जलाकर लगभग 22,000 लोगों को प्रभावित कर चुकी है। इस आग की कुछ दिनों में बुझने की संभावना है। विशेषज्ञ इस आग की तीव्रता को 'सांता आना' हवाओं और जलवायु परिवर्तन से जोड़ रहे हैं।



'सांता आना' हवाएं क्या हैं?

- सांता आना हवाएं तेज, सूखी, ढलान से नीचे आने वाली हवाएं होती हैं, जो ग्रेट बेसिन में ठंडी, उच्च-दबाव वाली वायुद्रव्यमानों से उत्पन्न होती हैं और यह दक्षिणी कैलिफोर्निया और उत्तरी बाजा कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों को प्रभावित करती हैं।
- जब ग्रेट बेसिन में उच्च दबाव बनता है, तो कैलिफोर्निया के तट से एक दबाव अंतर बनता है। इसके कारण रेगिस्तानी इलाकों से पेसिफिक महासागर की ओर मजबूत हवाएं बहने लगती हैं। जैसे ही हवाएं नीचे की ओर गिरती हैं, वे संकुचित होती हैं, गर्म

आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड

होती हैं और आर्द्रता घट जाती है, जिससे वनस्पतियां अत्यधिक ज्वलनशील हो जाती हैं।

- ये हवाएं सामान्यतः अक्टूबर से जनवरी के बीच चलती हैं। यह उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में एक स्थानीय हवा है।

सांता आना हवाओं का जलवायु परिवर्तन में भूमिका:

- हालांकि सांता आना हवाओं से उत्पन्न जंगलों की आग स्वाभाविक होती है, विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के वर्षों में कैलिफोर्निया का जंगलों की आग का मौसम लंबा हो गया है। एक अध्ययन में 2021 में यह पाया गया कि राज्य का जलाने का मौसम अगस्त से बढ़कर जुलाई में शिफ्ट हो गया है। इसके अलावा, आग की तीव्रता भी बढ़ी है।
- 2023 के एक अध्ययन के अनुसार, कैलिफोर्निया के इतिहास की 10 सबसे बड़ी आग में से 5 आग केवल 2020 में ही लगीं। जलवायु परिवर्तन के कारण वसंत और गर्मी का मौसम अधिक गर्म हो गया है, बर्फ जलदी पिघलने लगी है, और सूखा मौसम लंबा हो गया है, जिससे वनस्पतियां आग के लिए और अधिक संवेदनशील हो गई हैं।
- अगर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रहता है, तो स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे जलवायु पर और अधिक गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

दुनिया भर की प्रमुख स्थानीय हवाएं:


- मिस्ट्रल:** मिस्ट्रल एक ठंडी, सूखी हवा होती है जो उत्तर या उत्तर-पश्चिम से भूमध्य सागर की ओर बहती है, खासकर सर्दियों में, जिससे तापमान में काफी गिरावट आती है। यह दक्षिणी फ्रांस की रोन घाटी में सामान्य रूप से पाई जाती है।
- फोएन (Fohn):** फोएन एक गर्म, सूखी हवा होती है जो आल्प्स पर्वत से नीचे की ओर बहती है, खासकर स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और उत्तरी इटली में। यह अचानक तापमान में वृद्धि और सूखापन लाती है, अक्सर बर्फ को पिघलाती है।
- सिरोक्को:** सिरोक्को एक गर्म, सूखी हवा होती है जो सहारा रेगिस्तान से उत्पन्न होती है और भूमध्य सागर के पार बहती है। यह रेत और धूल लेकर आती है, जिससे दूश्यता में कमी आती है और तापमान बढ़ जाता है।
- बोरा:** बोरा एक ठंडी, सूखी हवा होती है जो उत्तर-पूर्व से बहती है, खासकर एडियाटिक सागर क्षेत्र में, जिसमें क्रोएशिया और इटली शामिल हैं। यह मजबूत और झँझावाती होती है, जो विशेष रूप से सर्दियों में तापमान में अचानक गिरावट का कारण बनती है।
- हरमटन:** हरमटन एक सूखी, धूल से भरी व्यापारिक हवा होती है जो सहारा से पश्चिमी अफ्रीका में प्रभावित होती है, खासकर सहेल क्षेत्र और घाना, नाइजीरिया और सेनेगल के कुछ हिस्सों में। यह मुख्य रूप से सर्दियों में होती है और बारीक धूल कणों के कारण दृश्यता कम कर देती है।

चर्चा में क्यों?

नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) की ताजा 'आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड' ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। इसमें बताया गया है कि आर्कटिक टुंड्रा, जो पहले कार्बन को संग्रहित करके जलवायु परिवर्तन को कम करता था, अब ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रहा है। जैसे-जैसे इस क्षेत्र का तापमान बढ़ रहा है, परमाफॉस्ट पिघल रहा है और बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) और मीथेन, दोनों शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें खायुमंडल में उत्सर्जित हो रही हैं। इससे जलवायु परिवर्तन तेज हो रहा है। यह बदलाव न केवल आर्कटिक को गर्म कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल रहा है, जिससे अधिक गर्मी फंस रही है और तापमान में वृद्धि हो रही है।

बदलाव के मुख्य कारण:

- बढ़ता तापमान:** आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है। इस तेजी से बढ़ते तापमान के कारण परमाफॉस्ट पिघल रहा है। पिघलने पर सूक्ष्मजीव (माइक्रोऑर्गेनिज्म) हजारों सालों से फंसे हुए कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन छोड़ते हैं।
- वनाग्नि का बढ़ना:** आर्कटिक में जंगल की आग अधिक बार और तीव्र हो रही है। ये आग वनस्पतियों को जलाकर वातावरण में और अधिक कार्बन छोड़ती हैं और परमाफॉस्ट के पिघलने की प्रक्रिया को तेज कर देती हैं। जलने के बाद बची हुई मिट्टी ग्रीनहाउस गैसों को और तेजी से छोड़ती है।



आर्कटिक टुंड्रा कार्बन कैसे स्टोर करता है?

- आर्कटिक टुंड्रा ने ऐतिहासिक रूप से कार्बन को ठंडे तापमान में धीमी प्रक्रिया के माध्यम से संग्रहित किया है। इस प्रक्रिया में, कार्बनिक पदार्थ परमाफॉस्ट में जमा होते हैं और वायुमंडल में कार्बन को उत्सर्जित होने से रोकते हैं। परमाफॉस्ट वह मिट्टी है

जो कम से कम दो साल तक जमी रहती है।

- इसने प्राकृतिक कार्बन भंडारण प्रणाली के रूप में काम किया है।
- हजारों वर्षों में, इस प्रक्रिया के कारण आर्कटिक की मिट्टी में 1.6 ट्रिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्बन जमा हो गया है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कार्बन की मात्रा से दोगुना है। इसने दुंड्रा को पृथ्वी के सबसे बड़े कार्बन भंडारों में से एक बना दिया है।

आर्कटिक दुंड्रा के बारे में:

- दुंड्रा एक ठंडी, बिना पेड़ों वाली जैविक प्रणाली (बायोम) है, जिसकी बढ़ने की अवधि बहुत छोटी होती है। यह दो क्षेत्रों में पाई जाती है:
 - » **आर्कटिक दुंड्रा:** आर्कटिक सर्कल के ऊपर।
 - » **एल्पाइन दुंड्रा:** ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में।
- दोनों क्षेत्रों में सालाना 25 सेमी से कम वर्षा होती है और लंबे, ठंडे सर्दी के मौसम होते हैं।
- मिट्टी ज्यादातर परमाफ्रॉस्ट से बनी होती है।
- यहां केवल काई, लाइकेन जैसी छोटी वनस्पतियां पाई जाती हैं।
- जानवर जैसे कारिबू, आर्कटिक लोमड़ी और ध्रुवीय भालू, सख्त ठंड और सीमित संसाधनों के अनुकूल होते हैं। इनमें से कुछ प्रवास करते हैं या सर्दियों में निष्क्रिय रहते हैं।

आगे की राह:

- आर्कटिक दुंड्रा जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों से बढ़ते खतरों का सामना कर रहा है। अगर वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जाए, तो परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की गति धीमी हो सकती है और संग्रहित कार्बन के उत्सर्जन को रोका जा सकता है। हालांकि, वर्तमान उत्सर्जन स्तर अधिक बने हुए हैं, जिससे नुकसान को उलटना मुश्किल हो रहा है।
- जीवाशम ईंधन और बनों की कटाई से होने वाले उत्सर्जन के 2024 में और बढ़ने की संभावना है। इससे परमाफ्रॉस्ट तेजी से पिघलेगा और ग्लोबल वार्मिंग और तेज होगी। आर्कटिक दुंड्रा का भविष्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए वैश्विक स्तर पर आक्रामक प्रयासों पर निर्भर करता है।

ब्रॉटन की फ्री-टेल्ड बैट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली के यमुना जैव विविधता पार्क में ब्रॉटन की फ्री-टेल्ड बैट देखी गई है। यह दुर्लभ प्रजाति आमतौर पर पश्चिमी घाटों में पाई जाती है और इसकी एकमात्र ज्ञात प्रजनन कॉलोनी यहां है। इसके अलावा, इसे मेघालय और कंबोडिया में भी रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली के लिए यह खोज महत्वपूर्ण है, जहां 14 प्रकार की चमगादड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से चार को कभी स्थानीय रूप से विलुप्त माना गया था।

ब्रॉटन की फ्री-टेल्ड बैट के बारे में:

- यह दुर्लभ चमगादड़ प्रजाति पहले केवल पश्चिमी घाट तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन हाल ही में इसे उत्तर-पूर्व भारत और दिल्ली में भी देखा गया है। इस चमगादड़ के अग्रभाग की लंबाई 63–67 मिमी होती है और इसका वजन 27–36 ग्राम होता है। इसके कान बड़े और आगे की ओर झुके होते हैं और इसका कोट मध्यमली गहरे भूरे रंग का होता है, जिसमें हल्के भूरे-सफेद कंधे होते हैं। इसकी पूँछ दिल्ली से बाहर निकलती है, जिससे इसे 'फ्री-टेल्ड' नाम मिला है।
- यह प्रजाति कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने और पर्याण में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना गया था, लेकिन अब इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में 'डेटा डिफिशिएंट' श्रेणी में रखा गया है। यह खोज दिल्ली में पर्यावरण पुनर्स्थापन के सफल प्रयासों को उत्तराधिकारी है।



आवास:

- यह प्रजाति बड़े प्राकृतिक गुफाओं में जंगलों के पास रहती है। यह रात में सक्रिय रहती है और अन्य मोलोसिड्स की तरह कीड़ों पर निर्भर रहती है।

यमुना जैव विविधता पार्क के बारे में:

- यमुना जैव विविधता पार्क दिल्ली, भारत में यमुना नदी के किनारे स्थित 9,770 हेक्टेयर का क्षेत्र है। इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स (CEMDE), दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित किया है। इसका उद्देश्य प्रवासी और स्थायी पक्षियों के लिए निवास स्थान प्रदान करना, कृषि फसलों के जीन संसाधनों का संरक्षण करना और भूजल पुनर्भरण में सुधार करना है।

इतिहास और पुनर्स्थापन:

- 2005 में शुरू हुए पुनर्स्थापन प्रयासों ने बंजर बाढ़ क्षेत्रों को हरित क्षेत्रों में बदल दिया। पहले चरण में 157 एकड़ क्षेत्र में आर्द्धभूमि, घास के मैदान और जंगल बनाए गए। 2015 में शुरू हुए दूसरे चरण में सक्रिय बाढ़ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

वनस्पति और जीव:

- पार्क में 1,500 प्रकार की वनस्पतियां और जीव-जंतु पाए जाते हैं, जिनमें 200 प्रकार के पक्षी शामिल हैं। यह साइबेरिया, मध्य एशिया और यूरोप से प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित करता है। इसके अलावा, यहां 75 प्रकार की तितलियां, 10 प्रकार के सांप और साही, सिवेट और जंगली सूअर जैसे स्तनधारी भी देखे जा सकते हैं।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 (आईएसएफआर 2023) को आधिकारिक तौर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। यह रिपोर्ट देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में प्रस्तुत की गई। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में उपग्रह डेटा और क्षेत्रीय आकलन के आधार पर भारत के वन और वृक्ष संसाधनों का व्यापक विश्लेषण किया गया है।

भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण:

- आईएसएफआर 2023 के अनुसार, भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जोकि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है।
- इसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण (21.76%) और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर संतुलन बनाए रखने और कार्बन पृथक्करण प्रयासों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

India State of Forest Report 2023



The total area covered is **8,27,357 sq km**, which constitutes **25.17% of India's geographical area**



This includes **7,15,343 sq km** of forest cover (21.76%) and **112,014 sq km** of tree cover (3.41%)



Increase of **1,445 sq km** in total forest and tree cover since last assessment in 2021



वन एवं वृक्ष आवरण में परिवर्तन (2021–2023)

- रिपोर्ट में सकारात्मक रुझानों को उजागर किया गया है, जिसमें 2021 के मुकाबले वन और वृक्ष आवरण में कुल 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। इसमें से वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतारी हुई है, जबकि वृक्ष आवरण में

1,289 वर्ग किलोमीटर का विस्तार हुआ है। यह दर्शाता है कि वनीकरण और पुनर्वनीकरण के प्रयासों में तेजी आई है, जोकि वन स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक साबित हो रहे हैं।


वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि:

- वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष चार राज्य हैं:
 - छत्तीसगढ़ (684 वर्ग किमी)
 - उत्तर प्रदेश (559 वर्ग किमी)
 - ओडिशा (559 वर्ग किमी)
 - राजस्थान (394 वर्ग किमी)
- विशेष रूप से वन क्षेत्र की वृद्धि से अग्रणी राज्य हैं:
 - मिजोरम (242 वर्ग किमी)
 - गुजरात (180 वर्ग किमी)
 - ओडिशा (152 वर्ग किमी)
- क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन एवं वृक्ष आवरण:
 - सबसे बड़े वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य हैं:
 - मध्य प्रदेश: 85,724 वर्ग किमी
 - अरुणाचल प्रदेश: 67,083 वर्ग किमी
 - महाराष्ट्र: 65,383 वर्ग किमी
- वन क्षेत्र के लिए शीर्ष तीन राज्य हैं:
 - मध्य प्रदेश: 77,073 वर्ग किमी
 - अरुणाचल प्रदेश: 65,882 वर्ग किमी
 - छत्तीसगढ़: 55,812 वर्ग किमी

अन्य प्रमुख निष्कर्ष:

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक (91.33%) है, इसके बाद मिजोरम (85.34%) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (81.62%) का स्थान है।
- भारत का कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है तथा बांस वाला अनुमानित क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल वन कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन है, जिसमें 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
- कार्बन पृथक्करण से संबंधित एनडीसी लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में, वर्तमान मूल्यांकन से पता चलता है कि भारत का कार्बन स्टॉक अब 30.43 बिलियन टन CO₂ समतुल्य तक पहुँच गया है। इसका अर्थ है कि 2005 के आधार वर्ष से तुलना करने पर, भारत ने पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक हासिल कर लिया है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल मारत के अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में कदम



भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण की यात्रा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने नेतृत्व प्रदान किया है, नवाचार और महत्वाकांक्षा की एक अद्वितीय कहानी है। उपग्रहों को लॉन्च करने से लेकर ग्रहों की सीमाओं को जानने तक, इसरो ने लगातार चुनौतियों को पार कर है, भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। आगामी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो अंतरिक्ष अभियानों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित करेगा।

इसरो की अंतरिक्ष अन्वेषण दृष्टिकोण:

- भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार उपग्रहों पर प्रारंभिक ध्यान केंद्रित करने से लेकर गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण तक का विस्तार किया है। इसरो के दृष्टिकोण में शामिल हैं:
- » **मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन:** गगनयान मिशन का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाना है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।

- » **चंद्रमा और मंगल अन्वेषण:** चंद्रयान-1 और मंगलयान जैसे सफल मिशनों ने जटिल चंद्र और अंतरग्रहीय परियोजनाओं के लिए आधार तैयार किया है।
- » **अंतरग्रहीय मिशन:** शुक्र, मंगल और उससे आगे के लिए भविष्य के मिशन इसरो की अंतरग्रहीय अन्वेषण में बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाते हैं।
- » **अंतरिक्ष स्टेशन का विकास:** एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की योजना भारत की अंतरिक्ष-आधारित अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आकांक्षा को दर्शाती है।
- इन पहलों के लिए भारी पेलोड और लागत-कुशल संचालन का समर्थन करने के लिए उन्नत लॉन्च सिस्टम, जैसे NGLV, की आवश्यकता है।

नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV):

- नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) इसरो की अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रक्षेपण की बदलती आवश्यकताओं के

प्रति प्रतिक्रिया है। यह एक पुनः प्रयोज्य, भारी-भरकम रॉकेट है जो भविष्य के मिशनों की आधारशिला बनेगा।

NGLV की मुख्य विशेषताएँ:

- **पुनः प्रयोज्य डिजाइन:** NGLV का पुनः प्रयोज्य डिजाइन प्रति मिशन लागत को काफी कम करेगा।
- **सेमी-क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली:** परिष्कृत करेसिन को इंधन और तरल ऑक्सीजन (LOX) को ऑक्सीडाइजर के रूप में उपयोग करते हुए, यह प्रणोदन प्रणाली दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाती है।
- **भारी पेलोड क्षमता:** यह रॉकेट 10 टन तक का पेलोड जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में ले जाने में सक्षम है, जो इसे विविध मिशनों के लिए उपयुक्त बनाता है।
- **मॉड्यूलर संरचना:** इसकी मॉड्यूलर संरचना बड़े पैमाने पर निर्माण और प्रक्षेपण के बीच तेजी से बदलाव को सक्षम बनाती है।

NGLV के उपयोग:

- **उपग्रह प्रक्षेपण:** संचार, नेविगेशन और पृथ्वी-अवलोकन के लिए वैश्विक उपग्रह लॉन्च का समर्थन।
- **गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण:** चंद्रमा, मंगल और उससे आगे के मिशनों के लिए आवश्यक।
- **मानव अंतरिक्ष उड़ान:** गगनयान जैसे भारत के मानवयुक्त मिशनों के लिए एक प्रमुख समर्थक।
- **अंतरिक्ष कार्गो परिवहन:** अंतरिक्ष स्टेशनों और अन्य कक्षीय प्लेटफॉर्मों तक कार्गो आपूर्ति को सुविधाजनक बनाना।

इसरो की लॉन्च व्हीकल तकनीक में विकास

- **सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SLV):** इसरो का पहला लॉन्च व्हीकल, SLV, छोटे पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में ले जाने में सक्षम था। इसकी सीमित क्षमताओं के बावजूद, यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
- **आंगमेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (ASLV):** ASLV ने SLV पर सुधार करके 150 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम बनाया। इसका डिजाइन भविष्य की लॉन्च व्हीकल तकनीक के लिए आधार बना।
- **पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV):** 1994 में पहली बार लॉन्च किया गया PSLV, इसरो का मुख्य व्हीकल बना।
- **PSLV की प्रमुख उपलब्धियाँ:**
 - » 2008 में चंद्रयान-1 (भारत का पहला चंद्र मिशन) लॉन्च।
 - » 2013 में मंगलयान लॉन्च, जिससे भारत पहली कोशिश में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश बना।
 - » 104 उपग्रहों को एक ही मिशन में लॉन्च करके वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित किया।

जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV):

- GSLV एक अधिक शक्तिशाली रॉकेट है, जो जियोसिंक्रोनस उपग्रहों के लिए डिजाइन किया गया है। Mk III संस्करण, स्वरेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज (CUS) से सुसज्जित, भारी पेलोड को ले जाने में सक्षम है, जिससे भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्वालंबी बना।

ISRO's Next Generation Launch Vehicle (NGLV)

Creating cost effective & reusable solutions

Total budget **₹8,200 crore+**

- ▶ To support Government's vision of establishing **Bharatiya Antariksh Station** and **Indian Crewed Landing on Moon by 2040**
- ▶ 3 times the **current payload capacity** of LVM3
- ▶ **Low-cost access to space & modular green propulsion** systems
- ▶ **3 development flights** planned with a completion target of **8 years**



भारत को NGLV की आवश्यकता क्यों?

- बढ़ती उपग्रह लॉन्च मांग, अंतरग्रहीय अन्वेषण और व्यावसायिक अंतरिक्ष अवसरों ने एक बहुमुखी, भारी-भरकम लॉन्च व्हीकल की आवश्यकता को रेखांकित किया है। PSLV और GSLV Mk III ने अभी तक अच्छा काम किया है, लेकिन उनकी पेलोड क्षमताएँ आधुनिक अंतरिक्ष मिशनों की बढ़ती आवश्यकताओं के लिए सीमित हैं।
- NGLV न केवल भारत की भारी उपग्रह लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि इसके पुनः प्रयोज्य डिजाइन के कारण संचालन लागत को भी कम करेगा। इसके अतिरिक्त, मानव और कार्गो मिशनों का समर्थन करने की इसकी क्षमता गगनयान मिशन और प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी:

- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि देखी जा रही है। स्काईरूट एयरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस जैसे स्टार्टअप लॉन्च व्हीकल और अंतरिक्ष तकनीक के लिए अभिनव समाधान प्रदान कर रहे हैं।
- IN-SPACe जैसे सरकारी उपक्रम सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर एक मजबूत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के निर्माण में मद्द कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बाजार संभावनाएँ:

- NGLV की प्रतिस्पर्धी कीमत और पुनः प्रयोज्य डिजाइन भारत को वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में एक अग्रणी स्थान पर रखेगा। व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण की बढ़ती मांग के साथ, इसरो की लागत-कुशल समाधान की विशेषज्ञता अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है, जिससे भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

NGLV द्वारा समर्थित भविष्य के मिशन:

- NGLV की क्षमताएँ भारत के दीर्घकालिक अंतरिक्ष लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जैसे:
 - चंद्रमा पर आधार निर्माण।
 - मंगल, शुक्र और उससे आगे के लिए अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण मिशन।
 - अंतरिक्ष स्टेशन संचालन:** भारत के भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो का परिवहन।

चुनौतियाँ:

- तकनीकी चुनौतियाँ:**
 - कुशल पुनः प्रयोज्य प्रणोदन प्रणाली विकसित करना।
 - मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- वित्तीय निवेश:** अंतरिक्ष अन्वेषण में पूँजी का निवेश ज्यादा है। दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों से अधिक निवेश आवश्यक होगा।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** संयुक्त राज्य अमेरिका (SpaceX) और चीन जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए भारत को तेजी से नवाचार करना होगा।

निष्कर्ष:

नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इसके पुनः प्रयोज्य डिजाइन, भारी-भरकम क्षमता और लागत दक्षता के साथ, NGLV वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भूमिका को बदलने के लिए तैयार है। इसरो की महत्वाकांक्षाओं, निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ, भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के अगले युग में एक प्रमुख राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तकनीकी नवाचार, रणनीतिक साझेदारी और कुशल निष्पादन को मिलाकर, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) न केवल भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और उत्साही व्यक्तियों को भी प्रेरित करेगा।

सक्षिप्त मुद्दे

एकस्ट्राक्रोमोसोमल डीएनए (ecDNA)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में eDyNAmiC टीम द्वारा किया गया शोध एकस्ट्राक्रोमोसोमल डीएनए (ecDNA) की कैंसर की प्रगति तथा दवा प्रतिरोध में इसकी भूमिका पर नया प्रकाश डालता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल मिशेल के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने कैंसर में ecDNA के गठन और इसके योगदान की गहराई से जांच की है।

ईसीडीएनए क्या है?

- सामान्य मानव कोशिकाओं में, डीएनए नाभिक में गुणसूत्रों के 23 जोड़ों के भीतर स्थित होता है। क्रोमोशिप्सिस या डीएनए प्रतिकृति ट्रिटियों जैसी प्रक्रियाओं के दौरान, डीएनए के टुकड़े टूट कर गोलाकार एकस्ट्राक्रोमोसोमल संरचनाएँ बना सकते हैं, जिन्हें ईसीडीएनए (ecDNA) के रूप में जाना जाता है।
- पहले इसे महत्वहीन माना जाता था (केवल 1.4% ट्यूमर में दिखाई देता था), लेकिन आधुनिक जीनोमिक उपकरणों से पता

चला है कि ecDNA 40% कैंसर कोशिका रेखाओं और 90% मस्तिष्क ट्यूमर नमूनों में मौजूद है।

ईसीडीएनए और कैंसर की प्रगति:

- ईसीडीएनए में अक्सर ऑन्कोजीन (कैंसर के विकास के लिए जिम्मेदार जीन) की कई प्रतियां होती हैं। गुणसूत्रीय डीएनए के विपरीत, जो स्थिर होता है, ईसीडीएनए गतिशील होता है और अन्य ईसीडीएनए के साथ अंतःक्रिया करके ऑन्कोजीन हब बना सकता है।
- ये हब ऑन्कोजीन गतिविधि को बढ़ाते हैं और कुछ तो गुणसूत्रीय डीएनए की तुलना में चार गुना अधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह अति ट्यूमर के विकास को तेज करती है और दवा प्रतिरोध में योगदान देती है।

ईसीडीएनए और मेंडल के नियम:

- ईसीडीएनए मेंडल के तीसरे नियम को चुनौती देता है, जो कहता है कि अलग-अलग गुणसूत्रों पर स्थित जीन स्वतंत्र रूप से विवासत में मिलते हैं।
- कोशिका विभाजन के दौरान, ईसीडीएनए समूह बना सकता है,

जिससे कैंसर कोशिकाएं आनुवंशिक संयोजन को कई पीढ़ियों तक बनाए रख सकती हैं। इसे 'जैकपॉट प्रभाव' कहा जाता है, जो ट्यूमर के विकास और अस्तित्व को बढ़ाता है।

- यह खोज आनुवंशिक विरासत को नए तरीके से समझाती है और दिखाती है कि सभी जीन यादृच्छिक रूप से विरासत में नहीं मिलते।

कैंसर उपचार हेतु ecDNA:

- ईसीडीएनए और सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के बीच इंटरएक्शन से डीएनए में नुकसान होता है, जिससे मरम्मत के लिए CHK1 प्रोटीन की जरूरत होती है।
- BBI-2779 नामक दवा, जो CHK1 को रोकती है, का परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि यह केवल कैंसर कोशिकाओं को मराती है और पेट के कैंसर वाले चूहों में ट्यूमर के आकार को घटाती है।
- इससे यह संभावना है कि ईसीडीएनए से संबंधित कैंसरों जैसे गिलथोब्लास्टोमा, डिम्बग्रंथि के कैंसर और फेफड़ों के कैंसर के लिए नए उपचार विकसित हो सकते हैं, जहां पारंपरिक इलाज अक्सर विफल हो जाते हैं।

ईसीडीएनए के निहितार्थ:

- 17% ट्यूमर नमूनों में ईसीडीएनए पाया जाता है और इसकी उच्च सांद्रता लिपोसारकोमा, मस्तिष्क ट्यूमर और स्तन कैंसर में देखी जाती है। कीमोथेरेपी के बाद इसकी प्रसार दर में वृद्धि होती है और ईसीडीएनए मेटास्टेसिस (कैंसर के फैलने) के साथ संबंधित पाया जाता है।
- ये निष्कर्ष वर्तमान कैंसर जीवविज्ञान और आनुवंशिक सिद्धांतों को चुनौती देते हैं, जिससे ईसीडीएनए कैंसर अनुसंधान और उपचार विकास का केंद्रीय केंद्र बन जाता है।

एंटीमैटर का ब्रह्मांडीय रहस्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी एक शोधपत्र में ब्रह्मांड में पदार्थ और एंटीमैटर के असंतुलन को समझने के लिए कण भौतिकी के मानक मॉडल में एक नई व्याख्या प्रस्तुत की गई है। शोधपत्र में यह बताया गया है कि मेसोन क्षय, जोकि सीपी समरूपता का उल्लंघन करता है, इस असंतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मेसान के बारे में:

- क्वार्क-एंटीक्वार्क जोड़ों से बने मेसोन, जब क्षय होते हैं, तो एक नये कण बना सकते हैं, जिसने प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ के निर्माण को प्रभावित किया। समय के साथ, इन कणों का प्रभाव कम हो गया।
- यदि इस सिद्धांत की पुष्टि होती है, तो यह एंटीमैटर के असंतुलन

के लिए एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान करेगा और मानक मॉडल की व्यापक क्षमता को प्रदर्शित करेगा।

एंटीमैटर के बारे में:


- एंटीमैटर की अवधारणा को पॉल डिग्राक ने 1928 में प्रस्तावित किया था और कार्ल एंडरसन ने 1932 में इसे प्रयोगात्मक रूप से खोजा था। एंटीमैटर में ऐसे एंटीपार्टिकल्स होते हैं जिनका द्रव्यमान पदार्थ कणों के समान होता है, लेकिन उनका चार्ज विपरीत होता है।

» उदाहरण के लिए, एंटीइलेक्ट्रॉन (पॉजिट्रॉन) इलेक्ट्रॉन का एंटीपार्टिकल है, जिसका द्रव्यमान समान होता है, लेकिन चार्ज सकारात्मक होता है।

एंटीमैटर का अभाव:

- कॉस्मिक किरणों में और हमारे शरीर में भी एंटीमैटर पाया जाता है (हर 20 सेकंड में एक एंटीइलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है), फिर भी ब्रह्मांड में एंटीमैटर अत्यधिक दुर्लभ है।
- यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि एंटीमैटर की तुलना में इतना अधिक पदार्थ क्यों है?
- यदि ब्रह्मांड पदार्थ और एंटीमैटर की समान मात्रा से शुरू हुआ था, तो उन्हें एक-दूसरे को नष्ट कर देना चाहिए था, जिससे केवल ऊर्जा ही बची रहती। फिर भी, पदार्थ ब्रह्मांड पर हावी है।

Matter vs Antimatter



Atoms of matter and antimatter have the same mass, but opposite electrical charge and different quantum numbers.

sciencenotes.org

सीपी उल्लंघन के बारे में:

- इसका उत्तर संभवतः सीपी उल्लंघन के रूप में जानी जाने वाली घटना में निहित है – आवेश संयुक्त (सी) और समता परिवर्तन (पी) की संयुक्त समरूपता का उल्लंघन।
- सीपी उल्लंघन पदार्थ और प्रतिपदार्थ के बीच असंतुलन पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सखारोव शर्तें:

- आंद्रेई सखारोव ने तीन आवश्यक शर्तें तैयार कीं, जिन्हें पदार्थ-प्रतिपदार्थ विषमता की व्याख्या करने वाले किसी भी सिद्धांत को पूरा करना चाहिए:

- » **सीपी समूह पता का उल्लंघन:** कण और प्रतिकण अलग-अलग व्यवहार करते हैं या किसी प्रणाली के दर्पण प्रतिबिंब के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है।
- » **बैरियन संख्या का उल्लंघन:** प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों की बैरियन संख्या +1 होती है, जबकि प्रतिकणों की -1 होती है।
- » **संतुलन से बाहर की स्थितियाँ:** कण प्रक्रियाएँ आगे और पीछे की दिशाओं में अलग-अलग दरों पर होनी चाहिए, जिससे संतुलन को रोका जा सके।
- कण भौतिकी का मानक मॉडल इन शर्तों को पूरी तरह से पूरा नहीं करता है।

गंभीर हीमोफीलिया ए के लिए जीन थेरेपी

चर्चा में क्यों?

भारत में हाल ही में एक जीन थेरेपी का परीक्षण किया गया है जिसने गंभीर हीमोफीलिया ए के उपचार में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, जो पारंपरिक रूप से बार-बार क्लॉटिंग फैक्टर इन्फ्यूजन के साथ जीवन भर के उपचार की मांग करता है। हीमोफीलिया ए एक दुर्लभ अनुवार्तीक विकार है जो रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे गंभीर और स्वतः रक्तस्राव होता है। यदि समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये घातक हो सकते हैं।

हीमोफीलिया ए क्या है?

- **हीमोफीलिया ए की वजह फैक्टर VIII नामक प्रोटीन की अनुपस्थिति होती है,** जो रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक है। इस थक्के जमने वाले फैक्टर के बिना, हीमोफीलिया वाले व्यक्तियों को मामूली चोटों से भी लंबे समय तक रक्तस्राव का जोखिम होता है और स्वतःस्फूर्त आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है।
- **गंभीर हीमोफीलिया ए:** जब किसी व्यक्ति में सामान्य थक्के जमने वाले फैक्टर का 1% से कम होता है, जिससे बार-बार और खतरनाक रक्तस्राव होते हैं।
- **प्रसार:** हीमोफीलिया ए भारत में अपेक्षाकृत दुर्लभ है लेकिन प्रचलित है, जहाँ दुनिया में हीमोफीलिया मरीजों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, अनुमानित 40,000 से 1,00,000 लोग प्रभावित हैं।


हीमोफीलिया ए के लिए पारंपरिक उपचार:

- हीमोफीलिया ए का मानक उपचार नियमित फैक्टर VIII के इन्फ्यूजन के माध्यम से होता है, जो रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। हालांकि, ये इन्फ्यूजन आमतौर पर साप्ताहिक आधार पर आवश्यक होते हैं, जिससे उपचार बोझिल और महंगा हो जाता है।

- **लागत:** 2024 में हेलियॉन (Heliyon) में एक अध्ययन के अनुसार, भारत में एक हीमोफीलिया रोगी का इलाज करने की लागत 10 साल की अवधि में 2.54 करोड़ (\$300,000) तक हो सकती है।
- **जीवन भर उपचार:** फैक्टर VIII के रिप्लेसमेंट के साथ उपचार जीवन भर चलता है और इसे प्रबंधित करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मरीजों को बार-बार रक्तस्राव का खतरा रहता है।

जीन थेरेपी के रूप में एक नई उपलब्धि:

- इन चुनौतियों के जवाब में, हाल ही में एक अध्ययन ने गंभीर हीमोफीलिया ए के लिए एक नई जीन थेरेपी उपचार का परीक्षण किया। इस थेरेपी का तमिलनाडु में पांच मरीजों पर परीक्षण किया गया।
- **उद्देश्य:** जीन थेरेपी का उद्देश्य एक बार का समाधान प्रदान करना है, जिसमें शरीर में एक जीन को प्रविष्ट किया जाता है जो पर्याप्त थक्के जमाने वाले फैक्टर का उत्पादन करने में सक्षम होता है जिससे रक्तस्राव की घटनाओं को रोका जा सके।
- **परिणाम:** 14 महीने की औसत अनुवर्ती अवधि में, पांच मरीजों में से किसी को भी रक्तस्राव नहीं हुआ, जो उनके सामान्य बार-बार होने वाले रक्तस्राव की घटनाओं की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है।



जीन थेरेपी कैसे काम करती है?

- हीमोफीलिया ए के लिए जीन थेरेपी में एक उपचारात्मक जीन को रोगी के शरीर में प्रविष्ट किया जाता है जिससे फैक्टर VIII का उत्पादन बहाल हो सके, जो हीमोफीलिया ए मरीजों में कमी होती है।
- **लेटिवायरस वेक्टर्स:** जीन देने के लिए लेटिवायरस वेक्टर्स का उपयोग किया जाता है, जिसे एडेनोवायरस के उपयोग से अधिक सुरक्षित माना जाता है।
- **प्रक्रिया:** जीन को मरीजों से लिए गए स्ट्रेम सेल के साथ मिलाया जाता है, जिससे प्रक्रिया सुरक्षित और बच्चों के लिए भी उपयुक्त हो सकती है। इस नवीन दृष्टिकोण से अन्य उपचारों की आवश्यकता वाले इम्यूनोस्प्रेसिव दवाओं की आवश्यकता समाप्त होती है।

हो जाती है और जिगर के स्वास्थ्य के जोखिम को कम करता है।

वैशिक संदर्भ और रोकटेवियन से तुलना:

- वर्तमान में, हीमोफीलिया ए के लिए केवल एफडीए-स्वीकृत जीन थेरेपी रोकटेवियन है, जिसने 112 मरीजों के साथ परीक्षणों में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। रोकटेवियन उपचार के बाद, वार्षिक रक्तस्राव एपिसोड की औसत संख्या 5.4 से घटकर 2.6 हो गई।
- भारतीय अध्ययन से अंतर:** भारत द्वारा शोध में लेटिवायरस-आधारित जीन डिलीवरी का उपचार किया गया है, जो अधिक सुरक्षित और किफायती हो सकता है।
- लागत:** रोकटेवियन उच्च लागत से जुड़ा है, जिससे मरीजों के लिए पहुंच सीमित हो जाती है, जबकि भारतीय जीन थेरेपी परीक्षण स्थानीय उत्पादन की संभावना प्रदान करता है, जिससे यह अधिक सुलभ और किफायती हो जाता है।
- अध्ययन पर विशेषज्ञ की राय:** विशेषज्ञों ने इस परीक्षण को छातिकारी उपलब्धि के रूप में सराहा है, यह संसाधन-सीमित सेटिंग्स जैसे भारत में जीन थेरेपी परीक्षण करने की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करता है।
- स्थानिक उत्पादन:** यह स्थानीयकृत जीन थेरेपी निर्माण की क्षमता को भी उजागर करता है, जिससे लागत कम हो सकती है और भारत के अलावा अन्य क्षेत्रों में उपचार की पहुंच बढ़ सकती है।

निष्कर्ष:

गंभीर हीमोफीलिया ए के उपचार के लिए जीन थेरेपी का विकास विकार के उपचार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह दृष्टिकोण संभावित रूप से एक स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है, जिससे बार-बार और महंगे उपचार की आवश्यकता कम हो सकती है। निरंतर अनुसंधान और प्रगति के साथ, जीन थेरेपी अधिक किफायती और सुलभ उपचार बन सकता है, विशेष रूप से ऐसे देशों में जहां हीमोफीलिया का बोझ अधिक है। इस अध्ययन की सफलता जीवन-परिवर्तनकारी थेरेपी की वैशिक पहुंच को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, विशेष रूप से संसाधन-सीमित क्षेत्रों में।

गूगल की क्वांटम कंप्यूटिंग में सफलता: विलो चिप और इसके प्रभाव

चर्चा में क्यों?

क्वांटम कंप्यूटिंग में एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में, गूगल ने अपनी विलो चिप का अनावरण किया है, जो क्वांटम तकनीक को अधिक व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस चिप ने एक जटिल गणना को पांच मिनट से भी कम समय में हल

कर दिया, जिसे पारंपरिक सुपरकंप्यूटरों को पूरा करने में लगभग 10 सेप्टिलियन वर्ष लगते। यह उपलब्धि क्वांटम तकनीक में तेजी से हो रही प्रगति और इसकी कंप्यूटिंग क्षमताओं को बदलने की क्षमता को प्रदर्शित करती है।

क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है?


- क्वांटम कंप्यूटिंग अत्यधिक कंप्यूटर विज्ञान का एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो क्वांटम यांत्रिकी के अद्वितीय गुणों का उपयोग करके सबसे शक्तिशाली परंपरागत कंप्यूटरों की क्षमता से परे समस्याओं को हल करने में सक्षम है।
- क्वांटम यांत्रिकी का लाभ उठाकर, पूरी तरह से विकसित क्वांटम कंप्यूटर आधुनिक मशीनों की तुलना में कई गुना तेजी से जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर के लिए, ऐसी चुनौतियाँ जिन्हें पूरा करने में परंपरागत कंप्यूटर को हजारों साल लग सकते हैं, उन्हें मिनटों में हल किया जा सकता है।

गूगल की विलो चिप:

- उन्नत डिजाइन:** विलो चिप एक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है जो प्रदर्शन में सुधार और त्रुटियों को कम करने के लिए उन्नत क्वांटम त्रुटि सुधार तकनीकों को एकीकृत करता है। पिछले सिस्टमों के विपरीत, विलो अधिक क्यूबिट्स जोड़ने पर त्रुटि दर को कम करता है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। गूगल की टीम ने वास्तविक समय में त्रुटि सुधार प्राप्त किया, जो जटिलता बढ़ने पर भी गणनाओं की सटीकता सुनिश्चित करता है।
- प्रदर्शन बेंचमार्किंग:** परीक्षण में, विलो चिप ने दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली क्लासिकल सुपरकंप्यूटरों, जिसमें फ्रॉटियर भी शामिल है, को पार कर लिया, जो रैम्डम सर्किट सैंपलिंग (RCS) बेंचमार्क का उपयोग करता है। यह बेंचमार्क क्वांटम कंप्यूटर की उन कार्यों को करने की क्षमता का आकलन करता है जो क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकते, जो क्वांटम कंप्यूटिंग प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

Our quantum computing roadmap

We are here



AI, डेटा सुरक्षा और राष्ट्रीय नीतियों पर प्रभाव:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर प्रभाव:** क्वांटम कंप्यूटिंग AI विकास को नाटकीय रूप से तेज कर सकती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों

में जहाँ विशाल डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। क्वांटम कंप्यूटर AI मॉडल को अधिक कुशलता से प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा, वित्त, और साइबर सुरक्षा जैसे उद्योगों में क्रांति आ सकती है।

- एन्क्रिप्शन और डेटा सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ: क्वांटम कंप्यूटिंग के सन्दर्भ में एक प्रमुख चिंता इसका RSA एन्क्रिप्शन को भेदने की क्षमता है, जो ऑनलाइन डेटा को सुरक्षित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है। हालांकि विलो अभी तक RSA एन्क्रिप्शन को तोड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे क्वांटम तकनीक आगे बढ़ेगी, यह वर्तमान सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए एक खतरा बन सकता है। नीति-निर्माताओं को भविष्य की चुनौतियों से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा नीतियों को अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है।

निष्कर्ष:

गूगल की विलो चिप क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो सैद्धांतिक से व्यावहारिक अनुप्रयोगों की ओर संक्रमण का संकेत देती है। जैसे-जैसे क्वांटम तकनीक विकसित होती रहेगी, इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और तकनीकी नीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। दुनिया भर की सरकारों को उद्योगों और वैश्विक सुरक्षा पर क्वांटम कंप्यूटिंग के परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए तैयार रहना होगा।

डार्क मैटर

चर्चा में क्यों?

एक हालिया अध्ययन में पता चला है कि डार्क मैटर के कण पहले से सोचे गए अनुमान से अधिक भारी हो सकते हैं, खासकर बौनी आकाशगंगाओं (जैसे लियो II) के घने अंदरूनी क्षेत्रों में। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि डार्क मैटर कण का न्यूनतम द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 10^{-31} गुना है। लेकिन मई 2024 में भौतिकविदों ने इस अनुमान को संशोधित कर 2.3×10^{-30} प्रोटॉन द्रव्यमान तक बढ़ा दिया, जो डार्क मैटर की समझ में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

डार्क मैटर क्या है?

- डार्क मैटर एक अदृश्य और रहस्यमयी पदार्थ है, जो ब्रह्मांड में मौजूद कुल पदार्थ का लगभग 85% हिस्सा बनाता है। यह न तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, न ही अवशोषित करता है और न ही परावर्तित करता है, जिससे इसे पारंपरिक दूरबीनों के माध्यम से देख पाना असंभव है।

डार्क मैटर का रहस्य:


- डार्क मैटर प्रकाश का न तो उत्सर्जन करता है और न ही परावर्तन, जिसके कारण यह अदृश्य है। इसकी उपस्थिति का पहला संकेत वर्ष 1970 के दशक में मिला, जब खगोलविदों ने

- बाहरी किनारों पर तारों की गति के असामान्य पैटर्न देखे।
- यह पता चला कि वहाँ कोई अदृश्य द्रव्य (डार्क मैटर) है जो उनके आंदोलन को प्रभावित कर रहा है।
- बौनी आकाशगंगाओं में डार्क मैटर मुख्य पदार्थ होता है, जो उनकी कुल द्रव्यमान का लगभग 99% होता है। अगर डार्क मैटर कण बहुत हल्के होते, तो उनका आकार बौनी आकाशगंगा से बड़ा हो जाता, जिससे छोटे खगोलीय पिंडों का निर्माण असंभव हो जाता।

DARK MATTER PRESENT



NO DARK MATTER



डार्क मैटर का वितरण:

- डार्क मैटर ब्रह्मांड में समान रूप से फैला हुआ नहीं है। यह आमतौर पर आकाशगंगाओं और उनके समूहों के चारों ओर झुंड बनाता है। ये झुंड ब्रह्मांड की संरचना और आकाशगंगाओं के निर्माण को समझाने में मदद करते हैं।
- डार्क मैटर कणों का द्रव्यमान सीधे इस बात को प्रभावित करता है कि यह कैसे फैला हुआ है- हल्के कण 'द्रव' जैसा व्यवहार करेंगे, जबकि भारी कण घने झुंड बनाएंगे, जिन्हें डार्क मैटर हेलो कहा जाता है।

डार्क मैटर कणों के द्रव्यमान की भूमिका:

- डार्क मैटर कणों का द्रव्यमान उनके वितरण और व्यवहार को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर डार्क मैटर कण प्रोटॉन के द्रव्यमान का 10^{-31} गुना हल्का होते, तो वे व्यापक रूप से फैले होते और ब्रह्मांड में एक 'द्रव' बनाते।
- वहीं, भारी कण आकाशगंगाओं के चारों ओर घने संरचनाएं बना सकते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि डार्क मैटर कण संभवतः भारी होते हैं, जिनका द्रव्यमान 10^{-30} से 10^{-19} प्रोटॉन द्रव्यमान के बीच हो सकता है।

यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है?

- डार्क मैटर के कणों के द्रव्यमान की न्यूनतम आवश्यकता में एक गुणात्मक बदलाव, भौतिकी में एक बड़ी प्रगति है। यह हमारी समझ के विकास को दर्शाता है, जिसे पारंपरिक तरीकों की बजाय उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से संभव बनाया गया है।

डायमंड कूल्ड सर्वर्स

चर्चा में क्यों?

आकाश सिस्टम्स ने भारत की सबसे बड़ी सॉवरेन क्लाउड प्रदाता कंपनी NxtGen डाटासेंटर और क्लाउड टेक्नोलॉजीज के साथ \$27 मिलियन की साझेदारी की है। यह समझौता भारत भर में NxtGen के डेटा सेंटर्स के लिए डायमंड कूल्ड सर्वर्स की आपूर्ति करेगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और एआई कार्यभार के लिए कंप्यूटेशनल प्रदर्शन को बढ़ाकर टिकाऊ एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया मानक स्थापित करना है।

डायमंड कूलिंग तकनीक:

- आकाश की डायमंड कूलिंग तकनीक में कृत्रिम डायमंड का उपयोग किया जाता है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी (2200 W/mK) अद्वितीय है। यह तकनीक सेमीकंडक्टर चिप्स से गर्मी को जल्दी निकालती है, जिससे थर्मल थ्रॉटलिंग कम होती है और प्रदर्शन बेहतर होता है।
- इसमें वॉर्टरलेस लिविंग कूलिंग शामिल है, जो GPU की गर्मी को $10\text{--}20^\circ\text{C}$ तक कम करती है और GPU के पंखे की ऊर्जा खपत को 90% तक घटाती है।
- यह तकनीक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे भारी कार्यभार के लिए सर्वरों का प्रदर्शन और lifespan बढ़ाती है।

लाभ:

- ऊर्जा की खपत कम करके पर्यावरण के अनुकूल एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देती है।
- सर्वर की प्रदर्शन क्षमता बढ़ाकर उनके लंबे समय तक चलने की क्षमता में सुधार करती है।
- पहले अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित की गई यह तकनीक अब एआई सर्वर प्रदर्शन में छान्ति ला रही है।
- यह उद्यमों के लिए कुशल और विश्वसनीय कंप्यूटिंग समाधान प्रदान करती है।

एआई कंप्यूट सेक्टर पर प्रभाव:

- आकाश और NxtGen की साझेदारी से NxtGen अपने प्रदर्शन को प्रति वाट दोगुना कर सकेगा, जिससे एआई कंप्यूट सेवाओं की लागत में 50% से अधिक की कमी आएगी।
- यह साझेदारी ऊर्जा खपत की समस्या का समाधान करते हुए

उच्च प्रदर्शन वाले एआई प्रोसेसिंग को पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव के साथ सुनिश्चित करेगी।

- यह बढ़ती ऊर्जा-कुशल एआई समाधानों की मांग को पूरा करेगी और डेटा विश्लेषण, भविष्यवाणी मॉडलिंग और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में प्रगति को बढ़ावा देगी।

भारत के क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में NxtGen की भूमिका:

- NxtGen भारत में सबसे बड़ी सॉवरेन क्लाउड प्रदाता है और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कई डेटा सेंटर्स का संचालन करती है और 900 से अधिक ग्राहकों को एआई कंप्यूट, डिजास्टर रिकवरी, और मैनेज्ड सिक्योरिटी सेवाएं प्रदान करती है।
- आकाश की डायमंड कूलिंग तकनीक को अपनाकर NxtGen अब अधिक टिकाऊ एआई समाधान प्रदान कर सकती और सरकार, स्वास्थ्य सेवा और वित्त जैसे क्षेत्रों में परिचालन लागत कम करेगी।

वैश्विक प्रभाव और भविष्य:

- यह साझेदारी NxtGen को वैश्विक एआई कंप्यूट समाधान में अग्रणी बनाएगी और स्टेनेबिलिटी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी।
- आकाश सिस्टम्स को अमेरिकी CHIPS एंड साइंस एक्ट के तहत \$68 मिलियन का वित्तीय समर्थन भी मिला है, जो टिकाऊ एआई तकनीकों को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका को और मजबूत करता है।
- यह सहयोग कम लागत, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता का नया युग शुरू करता है, जो एआई प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष:

आकाश और NxtGen की साझेदारी ने टिकाऊ एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर का एक नया मानक स्थापित किया है। यह सहयोग ऊर्जा दक्षता और उच्च प्रदर्शन के साथ एआई कंप्यूटिंग का भविष्य तय करता है। यह न केवल भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को फायदा पहुंचाएगा, बल्कि इन दोनों कंपनियों को स्टेनेबल टेक्नोलॉजी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगा।

डीएनए प्रोफाइलिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र (CDFD) ने डीएनए विश्लेषण के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा उजागर किया। इसमें एक परिवार में लेविरेट प्रथा (भाई की मृत्यु के बाद उसकी विधवा से शादी) का पता चला। इस घटना ने डीएनए प्रोफाइलिंग से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि

डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।


डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है?

- डीएनए प्रोफाइलिंग में डीएनए के खास हिस्सों (जिन्हें मार्कर कहते हैं) का विश्लेषण कर व्यक्ति की एक विशिष्ट अनुवांशिक पहचान बनाई जाती है।
- इस प्रक्रिया में डीएनए को अलग करना, एंजाइम की मदद से उसके टुकड़े करना, टुकड़ों को आकार के आधार पर अलग करना (कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग) और विभिन्न नमूनों के पैटर्न की तुलना करना शामिल है।
- इसमें शॉर्ट टैंडम रिपीट (STR) विश्लेषण, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (PCR) और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म (SNP) विश्लेषण जैसी तकनीकें महत्वपूर्ण होती हैं।

डीएनए प्रोफाइलिंग के उपयोग:

डीएनए प्रोफाइलिंग कई क्षेत्रों में उपयोगी है:

- फॉरेंसिक साइंस:** 1986 में पहली बार इस्तेमाल के बाद से यह अपराध जांच में संदिग्धों को घटनास्थल से जोड़ने में क्रांतिकारी साबित हुई है।
- वंशावली और पारिवारिक संबंध:** यह जैविक रिश्तों की पुष्टि और पूर्वजों का पता लगाने में मदद करती है।
- स्वास्थ्य सेवा:** डीएनए से व्यक्ति की बीमारियों की संभावना जानकर अधिक प्रभावी उपचार योजना बनाई जा सकती है।
- वन्यजीव संरक्षण:** जानवरों की प्रवासन प्रक्रिया को ट्रैक करने और लुप्तप्राय प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता बनाए रखने में सहायक है।



डीएनए प्रोफाइलिंग से जुड़ी गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:

डीएनए प्रोफाइलिंग के कई फायदे हैं, लेकिन इसके साथ गंभीर गोपनीयता चिंताएँ भी जुड़ी हैं:

- संवेदनशील जानकारी का खुलासा:** डीएनए से व्यक्ति की जातीय पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य स्थितियाँ और बीमारियों की संभावनाएं जानी जा सकती हैं, जिससे भेदभाव या अनचाही जांच-पड़ताल का खतरा बढ़ जाता है।
- डाटा के दुरुपयोग का खतरा:** कड़े नियम न होने पर सरकारी एजेंसियाँ और निजी कंपनियाँ डीएनए प्रोफाइल का दुरुपयोग कर सकती हैं, जिससे गोपनीयता हनन और निगरानी बढ़ सकती है।
- कंपनियों द्वारा डाटा संग्रह:** कई डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर डीएनए

टेस्टिंग कंपनियां जनितीय डाटा को डेटा ब्रोकर्स को बेचती हैं, जिससे बीमा प्रीमियम और जीवन के अन्य पहलुओं पर असर पड़ सकता है।

- कानूनी मुद्दे:** अपराधों की जांच में इस्तेमाल किए गए डीएनए प्रोफाइल का नून प्रवर्तन एजेंसियों के पास लंबे समय तक रखे जा सकते हैं, जिससे दुरुपयोग की संभावना रहती है।

भारत में कानूनी प्रावधान:

भारत में डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए कुछ कानूनी प्रावधान हैं:

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC):** धारा 53A के तहत बलात्कार के मामलों में डीएनए प्रोफाइलिंग की अनुमति है।
- डीएनए टेक्नोलॉजी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 डीएनए प्रोफाइलिंग को नियंत्रित करने और आपराधिक जांच के लिए डीएनए डाटा बैंक बनाने का प्रस्ताव करता था, लेकिन इसे वापस ले लिया गया।
- गोपनीयता और दुरुपयोग की चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं।

निष्कर्ष

डीएनए प्रोफाइलिंग स्वास्थ्य सेवाओं और अपराध जांच में महत्वपूर्ण योगदान देती है, लेकिन यह व्यक्तिगत गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े करती है। तकनीक के विकास के साथ-साथ इसके उपयोग और दुरुपयोग के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। इसके लिए मजबूत कानूनी ढांचा और सख्त नियम बनाना जरूरी है, ताकि व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

नैनो बबल तकनीक

चर्चा में क्यों?

दिल्ली चिड़ियाघर में पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए नैनो बबल तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है। यह नई और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक जल प्रदूषण, शैवाल (Algae) की अधिकता और गंदे पानी की समस्या को हल करने में मदद करती है। इससे जलीय जीवों को फायदा होगा और पर्यटक पानी के नीचे जानवरों को आसानी से देख पाएंगे।

नैनो बबल तकनीक क्या है?

- नैनो बबल तकनीक में बेहद छोटे बुलबुले (nanobubbles) बनाए जाते हैं, जिनका आकार 200 नैनोमीटर से भी कम होता है और ये सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते। सामान्य बुलबुले जल्दी ढूट जाते हैं लेकिन नैनो बबल्स पानी में लंबे समय तक रहते हैं और प्रदूषकों से प्रतिक्रिया कर उन्हें नष्ट कर देते हैं।

यह कैसे काम करती है?


- प्रदूषकों को तोड़ना:** नैनो बबल्स का नकारात्मक चार्ज शैवाल, जैविक कचरा और तेल जैसे प्रदूषकों को अपनी ओर खींचता है

और उन्हें तोड़ता है।

- **ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना:** यह पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर जल जीवन को बेहतर बनाते हैं।
- **लंबे समय तक सक्रिय:** नैनो बबल्स लंबे समय तक पानी में सक्रिय रहते हैं, जिससे उनकी शुद्धिकरण क्षमता बढ़ जाती है।

नैनो बबल तकनीक के फायदे:

- **जलीय जीवों की सेहत में सुधार:** यह बिना किसी रसायन के पानी को साफ करती है, जिससे जलीय प्राणी जैसे मछली, मगरमच्छ और कछुआ के लिए सुरक्षित वातावरण बनता है।
- **पर्यटकों के अनुभव में सुधार:** साफ पानी में जानवरों को पानी के नीचे भी देखा जा सकता है।
- **पारिस्थितिक संतुलन:** शैवाल को रोककर और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर यह तकनीक तालाबों की पारिस्थितिकी को संतुलित बनाए रखती है।



पारंपरिक तरीकों से बेहतर कैसे?

- **रसायन-मुक्त:** यह रासायनिक शुद्धिकरण का पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है।
- **ऊर्जा की बचत:** यह कम लागत में अधिक प्रभावी परिणाम देती है।
- **विविध उपयोग:** इसे झीलों, तालाबों, एक्वेरियम और जल-मल शोधन संयंत्रों में उपयोग किया जा सकता है।

अन्य क्षेत्रों में उपयोग:

- **कृषि:** पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाकर उनकी वृद्धि में सुधार करती है।
- **स्वास्थ्य:** दवाओं के वितरण, मेडिकल इमेजिंग और कैंसर के इलाज में संभावनाएं।
- **उद्योग:** उपकरण साफ करने, किण्वन (Fermentation) सुधारने और तेल निकालने में उपयोग।

निष्कर्ष:

दिल्ली चिड़ियाघर का नैनो बबल तकनीक का प्रयोग जल प्रबंधन में स्थायित्व की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह पर्यावरण के अनुकूल तकनीक न केवल तालाबों की समस्याओं को हल करती है, बल्कि जलीय जीवों की भलाई में सुधार और पर्यटकों के अनुभव को भी

बेहतर बनाती है। इसकी व्यापक उपयोगिता इसे जल शुद्धिकरण के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है।

लाइट इको तकनीक

चर्चा में क्यों?

प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के खगोल भौतिकविदों ने ब्लैक होल्स के द्रव्यमान (मास) और धूर्ण (स्पिन) को मापने के लिए लाइट इको तकनीक का एक नया तरीका प्रस्तावित किया है। यह तकनीक इन रहस्यमय खगोलीय पिंडों का अधिक सटीक अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है।

ब्लैक होल क्या हैं?

- ब्लैक होल एक ऐसा पिंड है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तीव्र होती है कि प्रकाश तक इससे बाहर नहीं निकल सकता। ये तब बनते हैं जब कोई विशाल तारा अपने ऊर्जा को खत्म करके ढह जाता है। ब्लैक होल्स को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
 - » **स्टेलर-मास ब्लैक होल:** सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 20 गुना भारी।
 - » **सुपरमैसिव ब्लैक होल:** ये लाखों से अरबों गुना भारी होते हैं।
 - » **मिडलवेट ब्लैक होल:** ये केवल एक अवधारणा हैं, जो स्टेलर और सुपरमैसिव के बीच के होते हैं।

लाइट इको का सिद्धांत:

- जब किसी ब्लैक होल के पास से किसी तारे या सुपरनोवा जैसी खगोलीय वस्तु से निकलने वाली रोशनी गुजरती है, तो ब्लैक होल के प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण रोशनी की किरणें मुड़ जाती हैं। कुछ किरणें लंबा रास्ता तय करती हैं और पृथ्वी पर अलग-अलग समय पर पहुंचती हैं, जिससे इको (गूंज) जैसा प्रभाव बनता है।
- यह घटना ब्लैक होल्स के द्रव्यमान, त्रिज्या, और स्पिन जैसी जानकारियां प्रदान करती है।
- धूर्णशील ब्लैक होल्स (जिन्हें Kerr ब्लैक होल्स कहा जाता है) में इको उनके कोणीय बेग से भी प्रभावित होता है।
- लाइट इको का उपयोग पारंपरिक तरीकों से बेहतर होता है क्योंकि इसमें सिग्नल-टू-नॉइज अनुपात अधिक होता है और गैस व विकिरण का कम हस्तक्षेप होता है।

लाइट इको का मापन कैसे किया जाता है?

- प्रिंसटन की टीम ने लॉन्ग-बेसलाइन इंटरफ़ेरोमेट्री का सुझाव दिया है। इसमें पृथ्वी और अंतरिक्ष में दूर-दूर स्थित टेलीस्कोपों का उपयोग किया जाता है, ताकि अलग-अलग समय पर पहुंचने वाले प्रकाश संकेतों को पकड़ा जा सके।
- ये डिले किए गए संकेत आपस में हस्तक्षेप करके एक अनोखा पैटर्न बनाते हैं, जिसे विश्लेषित करके ब्लैक होल की विशेषताएं

जानी जा सकती हैं।

- इस अध्ययन में M87 गैलेक्सी के सुपरमैसिव ब्लैक होल पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इसके चारों ओर उज्ज्वल प्रकाश के छल्ले लाइट इको का अध्ययन करने के लिए आदर्श हैं।

अध्ययन का महत्व:

- सटीक मापन:** लाइट इको के उपयोग से ब्लैक होल की विशेषताओं का अधिक सटीक मापन संभव होता है।
- सापेक्षता के सिद्धांत की जांच:** यह अध्ययन आइस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का भी परीक्षण करता है, जो यह बताता है कि लाइट इको अक्रोमेटिक होते हैं (सभी आवृत्तियों पर समान) कई आवृत्तियों पर लाइट इको का पता लगाना इस सिद्धांत की पुष्टि कर सकता है।
- ब्लैक होल्स की भूमिका को समझना:** लाइट इको का विश्लेषण करके यह जाना जा सकता है कि ब्लैक होल्स अपनी आकाशगंगा को कैसे प्रभावित करते हैं और नए तारों के निर्माण में क्या भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष:

लाइट इको का उपयोग ब्लैक होल्स का अध्ययन करने का एक नया तरीका है, जो उनकी विशेषताओं को मापने और सापेक्षता के सिद्धांत की जांच करने के लिए अधिक सटीक विधि प्रदान करता है। जैसे-जैसे यह तकनीक विकसित होगी, यह ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

वजन घटाने वाली दवाओं को WHO की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मोटापे के इलाज के लिए GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स (GLP-1 RAs) नामक नई दवाओं को मंजूरी दी है। यह मंजूरी इस बात को स्वीकार करती है कि केवल डाइट और व्यायाम जैसे पारंपरिक तरीकों से मोटापे की समस्या को हल करना पर्याप्त नहीं है। सेमालूटाइड और टिर्जेपाटाइड जैसी दवाएं वजन घटाने के लिए एक प्रभावी और नई उम्मीद पेश करती हैं।

WHO ने इन दवाओं को क्यों मान्यता दी?


- स्वस्थ खान-पान और व्यायाम को बढ़ावा देना प्रभावी होते हुए भी मोटापे की महामारी को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहा है।
- WHO की रिपोर्ट के अनुसार, 1990 से अब तक वयस्कों में मोटापे की दर दोगुनी और किशोरों में चार गुना बढ़ गई है।
- भारत में भी मोटापे के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं।

- GLP-1 RAs शरीर में भूख और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन की नकल करते हैं। यह दवाएं मोटापे के प्रबंधन में एक क्रांतिकारी कदम हैं और इससे संबंधित बीमारियों और समय से पहले मौत के जोखिम को कम करती हैं।

GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स के बारे में:

- GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स (GLP-1 RAs) दवाओं की एक श्रेणी है, जो प्राकृतिक हार्मोन ग्लुकाग्न-लाइक पेप्टाइड-1 (GLP-1) की तरह काम करती हैं। यह हार्मोन भूख, भोजन की खपत और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

The Benefits of GLP-1 Drugs for Obesity



उपयोग:

- ये दवाएं मुख्य रूप से मोटापे के इलाज में भूख कम करके और वजन घटाने में मदद करती हैं।
- इन्हें शुरुआत में टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए विकसित किया गया था, ताकि ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जा सके।
- सेमालूटाइड (Ozempic और Wegovy के नाम से बाजार में उपलब्ध) और टिर्जेपाटाइड जैसी दवाओं ने क्लीनिकल ट्रायल में शरीर के वजन में 25% तक कमी दिखायी है।

महत्व:

- GLP-1 RAs को वैश्विक मोटापा महामारी का समाधान माना जा रहा है, जिससे दुनिया में हर आठ में से एक व्यक्ति प्रभावित है।
- ये दवाएं मोटापे से जुड़ी बीमारियों, जैसे हृदय रोग और डायबिटीज, के जोखिम को कम करती हैं।
- इन दवाओं का व्यापक उपयोग न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सुधार करेगा, बल्कि मोटापे से जुड़े वैश्विक स्वास्थ्य खर्चों में भी कमी लाएगा, जो 2030 तक \$3 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

आर्थिक मुद्दे



भारतीय रुपये का अवमूल्यन: विनिमय दर की समझ

भारतीय रुपया हाल ही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85 के स्तर को पार कर गया है, यानी 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 85 रुपये हो गई है। यह भारतीय रुपये के कमज़ोर होने को दर्शाता है, जो एक दशक पहले डॉलर के मुकाबले करीब 61 रुपये पर था। डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में लंबे समय से गिरावट का रुझान है, जो विभिन्न आर्थिक कारकों और बाजार की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।

विनिमय दर की समझ:

- विनिमय दर का मतलब है एक मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा की तुलना में। यह निर्धारित करता है कि एक मुद्रा को खरीदने के लिए दूसरी मुद्रा की कितनी आवश्यकता होगी, जैसे कि रुपये का अमेरिकी डॉलर या यूरो के संदर्भ में मूल्य। उदाहरण के लिए, यदि भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर 85 है, तो एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 85 रुपये की आवश्यकता होगी।
- विनिमय दर समय-समय पर कई कारकों के आधार पर बदलती रहती है, जिनमें व्यापार संतुलन, निवेश प्रवाह, मुद्रास्फीति दर, और सरकारी नीतियाँ शामिल हैं। भारत और अमेरिका के मामले में, विदेशी मुद्रा बाजार में एक-दूसरे की

मुद्राओं की मांग में बदलाव रुपये की डॉलर के मुकाबले विनिमय दर को सीधे प्रभावित करता है।

विनिमय दर को निर्धारित करने वाले कारक:

- वस्तुओं का व्यापार:** एक मुख्य कारण जो विनिमय दर को प्रभावित करता है, वह देशों के बीच का व्यापार है। जब कोई देश, जैसे भारत, दूसरे देश, जैसे अमेरिका, से अधिक माल आयात करता है, तो उसे उन आयातों के लिए विदेशी मुद्रा (इस मामले में अमेरिकी डॉलर) प्राप्त करनी पड़ती है। अगर भारत अमेरिका से आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम करता है, तो अमेरिकी डॉलर की मांग भारतीय रुपये की मांग से अधिक हो जाएगी, जिससे रुपये का अवमूल्यन होगा। दूसरे शब्दों में, एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए अधिक रुपये की आवश्यकता होगी।
- सेवाओं का व्यापार:** माल की तरह, पर्यटन, शिक्षा, और सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग जैसी सेवाएं भी मुद्राओं की मांग में भूमिका निभाती हैं। यदि भारतीय अमेरिका से अधिक सेवाएं खरीदते हैं, जबकि अमेरिकी भारत से कम सेवाएं खरीदते हैं, तो अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ेगी, जिससे रुपये की कीमत पर दबाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर अधिक भारतीय

घूमने या पढ़ाई के लिए अमेरिका जाते हैं, तो अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ जाएगी, जिससे रुपया कमज़ोर होगा।

- **विदेशी निवेश:** विदेशी निवेश भी विनिमय दर को प्रभावित करता है। अगर विदेशी निवेशक, खासकर अमेरिकी, भारत में अधिक निवेश करते हैं, जबकि भारतीय अमेरिका में कम निवेश करते हैं, तो भारतीय रुपये की मांग बढ़ेगी, जिससे रुपया मजबूत होगा। दूसरी ओर, अगर अमेरिकी निवेश भारत में घटता है या भारतीय निवेश अमेरिका में बढ़ता है, तो रुपये की मांग कम होगी, जिससे रुपये का अवमूल्यन होगा।

रुपये की मांग को प्रभावित करने वाले कारक:

- **शुल्क और व्यापार बाधाएं:** सरकार द्वारा लगाए गए शुल्क और व्यापार बाधाएं मुद्रा की मांग को काफी प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका भारतीय उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाता है, तो यह भारतीय उत्पादों को महंगा और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कम आकर्षक बना देगा। इससे भारतीय वस्तुओं की मांग घट जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप रुपये की मांग कम होगी। कम मांग से रुपया कमज़ोर होगा, और डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर घट जाएगी।
- **मुद्रास्फीति दर और आर्थिक परिस्थितियां:** मुद्रास्फीति एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो विनिमय दर को प्रभावित करता है। जब कोई देश अपने व्यापारिक भागीदारों की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति का अनुभव करता है, तो उसकी मुद्रा का मूल्य तेजी से घटता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत में मुद्रास्फीति दर 6% है, जबकि अमेरिका में मुद्रास्फीति शून्य है, तो भारतीय रुपये का वास्तविक मूल्य अमेरिकी डॉलर की तुलना में घट जाएगा। यह निवेश निर्णयों को प्रभावित करता है। विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करना कम आकर्षक लग सकता है, क्योंकि उनकी आय मुद्रास्फीति से कम हो जाएगी। परिणामस्वरूप, रुपये की मांग कम हो जाएगी, जिससे यह डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो जाएगा।
- **पूंजी प्रवाह और निवेशक विश्वास:** मुद्रास्फीति के अलावा, निवेशक विश्वास मुद्रा की मांग को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर निवेशकों को लगता है कि भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है या देश में निवेश करना जोखिमपूर्ण है, तो वे अपना निवेश भारत से निकाल सकते हैं। यह रुपये की मांग में कमी ला सकता है, जिससे यह डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो सकता है। इसके विपरीत, अगर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ती और निवेश-अनुकूल समझा जाता है, तो रुपये की मांग बढ़ेगी, जिससे मुद्रा मजबूत होगी।

रुपये के कमज़ोर होने का वर्तमान परिदृश्य:

- **अमेरिकी डॉलर का वैश्विक मजबूत होना:** अमेरिकी

फेडरल रिजर्व ने हाल के वर्षों में ब्याज दरें बढ़ाई है, जिससे डॉलर निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो गया है। उच्च ब्याज दरें अमेरिकी मुद्रास्फीति वाली संपत्तियों पर बेहतर रिटर्न देती हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है।

- » अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने मजबूत विकास दिखाया है, जो डॉलर की मांग को और बढ़ाता है। जैसे-जैसे डॉलर मजबूत होता है, एक डॉलर खरीदने के लिए अधिक रुपये की आवश्यकता होती है, जिससे रुपये का अवमूल्यन होता है।

- **भारत का व्यापार असंतुलन:** भारत आयात अधिक और निर्यात कम करता है, जिससे विदेशी मुद्राओं, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर, की अधिक मांग होती है। इन आयातों के भुगतान के लिए भारत को डॉलर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है।

- » भारत तेल का एक बड़ा आयातक है, जिसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। जैसे-जैसे कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, भारत की इन आयातों के लिए डॉलर की मांग बढ़ती है, जिससे रुपये का अवमूल्यन और अधिक होता है।

- **भारत में मुद्रास्फीति का दबाव:** भारत की मुद्रास्फीति दर कई विकसित देशों की तुलना में अधिक रही है। जब भारत में मुद्रास्फीति अधिक होती है, तो रुपये का वास्तविक मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में तेजी से घटता है, जिससे यह विदेशी निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाता है।

- » उच्च मुद्रास्फीति का मतलब है भारत में उपभोक्ताओं और व्यवसायों की क्रय शक्ति में कमी। विदेशी निवेशकों के लिए यह संभावित रिटर्न को कम कर देता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश कम होता है। परिणामस्वरूप, रुपये की मांग कम हो जाती है, जिससे इसके मूल्य पर और अधिक दबाव पड़ता है।

- **पूंजी का बहिर्वाह:** जैसे-जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है और निवेश का माहौल कम आकर्षक हो जाता है, विदेशी निवेशक बेहतर रिटर्न के लिए अन्य जगहों की तलाश कर सकते हैं। जब विदेशी निवेशक भारत से अपना निवेश निकालते हैं और अन्य बाजारों में स्थानांतरित करते हैं, तो रुपये की मांग घटती है और अन्य मुद्राओं (जैसे अमेरिकी डॉलर) की मांग बढ़ती है। यह पूंजी प्रवाह का बदलाव रुपये को और कमज़ोर करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा आरक्षित प्रबंधन:

- **विदेशी मुद्रा भंडार:** आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग बाजार में हस्तक्षेप करने और रुपये के अत्यधिक अवमूल्यन को रोकने के लिए करता है। हालांकि, अगर हस्तक्षेप के बावजूद रुपया कमज़ोर होता रहता है, तो केंद्रीय बैंक अपने भंडार को समाप्त कर सकता है, जो भारत की

समग्र आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

- **ब्याज दर का अंतर:** RBI की मौद्रिक नीति, जिसमें ब्याज दर में बदलाव शामिल है, रुपये की मांग को प्रभावित कर सकती है। अगर भारत की ब्याज दरें वैश्विक दरों की तुलना में कम

हैं, तो यह पूँजी के बहिर्वाह का कारण बन सकती है, जिससे रुपये पर और अधिक दबाव पड़ता है।

खाद्य मुद्रास्फीति: कृषि और जलवायु नीति में सुधार की आवश्यकता



खाद्य मुद्रास्फीति, यानी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि, भारत के लिए सबसे गंभीर आर्थिक चुनौतियों में से एक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में भोजन और पेय पदार्थों का हिस्सा लगभग 45.86% है, जिससे खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि सीधे हेडलाइन मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है। यह न केवल परिवारों और व्यवसायों पर प्रभाव डालती है बल्कि सरकारी नीतियों को भी चुनौती देती है। भारत में, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन पर खर्च करता है, मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को कम करती है, असमानता को बढ़ाती है और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालती है। हाल के दिनों में भारत में खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति कुछ हद तक घटकर नवंबर में 9.04% हो गई, जो अक्टूबर में 10.87% थी। हालांकि, गेहूं और खाद्य तेल जैसी वस्तुओं पर अभी भी चिंता बनी हुई है, जो खाद्य लागत में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के कारण:

- भारत में खाद्य मुद्रास्फीति संरचनात्मक, चक्रीय और बाहरी कारकों के मिश्रण से प्रेरित होती है। आपूर्ति की बाधाएं मुख्य चालक हैं, लेकिन मांग कारक भी मुद्रास्फीति को आकार देने
- में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितता: भारत की कृषि काफी हद तक मानसून पर निर्भर है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण अस्थिर हो गया है। हीटवेव, बाढ़, सूखा और असमय बारिश जैसी घटनाएं फसल चक्र को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं, उत्पादन घटाती हैं, और आपूर्ति शृंखला में रुकावट पैदा करती हैं।

- » **हीटवेव:** 2022-23 में उत्तरी भारत में हीटवेव के कारण गेहूं सिकुड़ गया और उत्पादन घट गया। इसी प्रकार, उच्च तापमान से दूध और पोलटी उत्पादन भी प्रभावित हुआ।
- » **असमय बारिश:** 2023 में प्याज, टमाटर और गेहूं जैसी फसलें कटाई के दौरान भारी बारिश से खराब हो गईं।
- » **एल नीनो प्रभाव:** 2023 में एल नीनो प्रभाव से अगस्त में रिकॉर्ड सूखा पड़ा, जिससे चावल, दाल और सब्जियों की पैदावार प्रभावित हुई।

कमज़ोर कृषि बुनियादी ढांचा: भारत की कृषि आपूर्ति शृंखला में काफी खामियां हैं, विशेष रूप से फलों, सब्जियों

- और डेयरी जैसे जल्दी ही खराब हो जाने वाले उत्पादों के प्रबंधन में।
- » **खराब कोल्ड स्टोरेज:** भारत में लगभग 16-18% फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं, जिससे हर साल 44,000 करोड़ का नुकसान होता है।
 - » **TOP की समस्या:** टमाटर, प्याज और आलू (TOP) जैसी वस्तुओं के मामले में आपूर्ति शृंखला की बाधाओं के कारण कीमतें तेजी से बढ़ती हैं।
 - **वैश्विक आपूर्ति शृंखला में बाधाएँ:** भारत कुछ प्रमुख वस्तुओं, जैसे खाद्य तेल और दालों के लिए आयात पर निर्भर है, जो वैश्विक मूल्य अस्थिरता के प्रति इसे संवेदनशील बनाती हैं।
 - » **रस-यूक्रेन संघर्ष:** इस संघर्ष ने गेहूं और खाद्य तेल की आपूर्ति को बाधित किया और उनकी कीमतों को बढ़ा दिया।
 - » **खाद्य तेल संकट:** भारत अपनी खाद्य तेल की आवश्यकता का 60% से अधिक आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय झटकों के कारण घरेलू कमी बढ़ जाती है।
 - **नीतिगत कारक:** सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), बफर स्टॉक प्रबंधन और आयात-निर्यात प्रतिबंध जैसी नीतियां भी खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करती हैं।
 - » **MSP:** यह किसानों को बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करता है, लेकिन इससे उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ जाती है।
 - » **निर्यात प्रतिबंध:** उच्च वैश्विक कीमतों के दौरान, चावल और गेहूं जैसे वस्तुओं का निर्यात अधिक लाभदायक हो जाता है, जिससे घरेलू आपूर्ति घटती है।
 - » **बफर स्टॉक प्रबंधन:** भारतीय खाद्य निगम (FCI) से खाद्य भंडारों की देरी से या अपर्याप्त रिलीज के कारण कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं।
 - **इनपुट लागत में वृद्धि:** खाद, कीटनाशकों और डीजल जैसे इनपुट की बढ़ती लागत उपभोक्ताओं पर बोझ डालती है।
 - » **उर्वरक संकट:** रस-यूक्रेन युद्ध ने उर्वरक की आपूर्ति को बाधित किया।
 - » **ईंधन की कीमतें:** परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ता है।
 - **उपभोग पैटर्न में बदलाव:** मध्यम वर्ग के बढ़ने के साथ, भारत में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों (जैसे अंडा, दूध, मांस) की मांग बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि स्थिर है।
- खाद्य मुद्रास्फीति के प्रभाव:**
- **क्रय शक्ति का ह्रास:** खाद्य मुद्रास्फीति कम आय वाले परिवारों को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है।
 - » इससे परिवार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आवश्यक खर्चों में कटौती करने को मजबूर होते हैं।
 - » लगातार मुद्रास्फीति वास्तविक मजदूरी को कम कर देती है, जिससे जीवन स्तर में गिरावट आती है।
 - **समग्र मुद्रास्फीति पर प्रभाव:** खाद्य मुद्रास्फीति के कारण समग्र मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
 - » इससे भविष्य में मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, जिससे मजदूरी की मांग और गैर-खाद्य कीमतें प्रभावित होती हैं।
 - » इसके कारण आरबीआई को मौद्रिक नीति को सख्त करना पड़ता है, जिससे अर्थिक विकास धीमा हो सकता है।
 - **खाद्य सुरक्षा पर खतरा:** खाद्य मुद्रास्फीति पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक पहुंच को बाधित करती है, जिससे कुपोषण और स्टर्टिंग बढ़ती है।
 - **राजनीतिक और सामाजिक अशांति:** खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि अक्सर जनता में असंतोष और विरोध प्रदर्शनों का कारण बनती है।
- सरकार द्वारा खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के प्रयास:**
- सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई हैं, जो तत्काल हस्तक्षेप और दीर्घकालिक सुधारों दोनों पर कोंद्रित हैं।
 - **तत्काल उपाय:**
 - » **मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF):** प्याज, टमाटर और दालों की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए।
 - » **भंडारण सीमा:** आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण।
 - » **निर्यात प्रतिबंध:** चावल और चीनी जैसे वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना।
 - **दीर्घकालिक सुधार:**
 - » **कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश:** सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन नेटवर्क में सुधार।
 - » **घरेलू उत्पादन में बढ़ावा:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) जैसे कार्यक्रमों के तहत आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन।
 - » **फसल विविधता को बढ़ावा देना:** किसानों को उच्च-मूल्य वाली फसलें उगाने और स्थायी प्रथाएँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि मानसून पर निर्भर प्रमुख फसलों पर निर्भरता कम की जा सके।
- खाद्य मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ:**
- भारत, खाद्य मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए वैश्विक अनुभवों

से कुछ महत्वपूर्ण सीख ले सकता है:

- **सटीक कृषि (इजराइल):** जल और उर्वरक के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, जो उत्पादकता को बढ़ा सकता है और अपव्यय को कम कर सकता है।
- **बफर स्टॉक तंत्र (चीन):** आपूर्ति संकट के दौरान कीमतों को स्थिर करने के लिए बड़े रणनीतिक भंडार बनाए रखना।
- **फसल बीमा (अमेरिका):** किसानों को जलवायु जोखिमों से बचाने और स्थिर उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक बीमा योजनाएँ।

आगे की राह:

समग्र रणनीति के तहत मुद्रास्फीति को संबोधित करना।

- **जलवायु सहनशीलता बढ़ाना:**
 - » सूखा-प्रतिरोधी और गर्म सहने वाले फसलों का विकास।

- » ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना।
- **आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना:**
 - » कोल्ड स्टोरेज और गोदामों का विस्तार।
 - » ग्रामीण सड़कों और परिवहन नेटवर्क में सुधार।
- **घरेलू उत्पादन बढ़ाना:**
 - » दालों और तिलहनों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना।
 - » टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन।
- **नीतिगत सुधार:**
 - » MSP नीतियों को तर्कसंगत बनाना।
 - » सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को सुव्यवस्थित करना।
- **आहार विविधता को बढ़ावा देना:**
 - » स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ते और पौष्टिक खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

संक्षिप्त मुद्दे

यूपीआई धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) धोखाधड़ी के मामलों में 85% की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में धोखाधड़ी की घटनाओं की संख्या 7.25 लाख (2023) से बढ़कर 13.42 (2024) लाख हो गई। इन धोखाधड़ी वाले लेन-देन का कुल मूल्य भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा, जो पिछले वर्ष के 573 करोड़ से बढ़कर 1,087 करोड़ तक पहुँच गया।

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा बैंकों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। यह मोबाइल उपकरणों के माध्यम से निर्बाध, सुरक्षित और त्वरित डिजिटल लेनदेन को सक्षम बनाता है।

यूपीआई धोखाधड़ी के प्रकार

- **फिशिंग हमले:** यह धोखाधड़ी का सबसे सामान्य रूप है, जिसमें हमलावर भ्रामक ईमेल या संदेशों का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं से यूपीआई पिन या बैंक खाता विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
- **मैलवेयर हमले:** यह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन को निशाना बनाकर यूपीआई ऐप्स से समझौता कर सकते हैं और

संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं। इस प्रकार के हमलावरों को उपयोगकर्ता के डिवाइस तक दूर से पहुँच प्राप्त करने और धोखाधड़ी वाले लेनदेन करने की अनुमति मिलती है।

- **सोशल इंजीनियरिंग धोखाधड़ी:** इस प्रकार में धोखेबाज पीड़ितों में तात्कालिकता या भय की भावना पैदा करके (जैसे कि बैंक अधिकारी या पुलिस अधिकारी होने का दिखावा कर) संवेदनशील जानकारी निकालने या दबाव में लेनदेन करने के लिए उन्हें अपने जाल में फँसा लेते हैं।

मुख्य बिंदु:

- **धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि:** यूपीआई धोखाधड़ी की घटनाएं वित्त वर्ष 2023 में 7.25 लाख से बढ़कर 2024 में 13.42 लाख हो गई, जिसमें कुल वित्तीय मूल्य लगभग दोगुना हो गया, जो साइबर अपराध से संबंधित वित्तीय नुकसान में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
- **यूपीआई का बढ़ता प्रचलन:** यूपीआई लेन-देन में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, हालांकि यह वृद्धि सकारात्मक है। लेकिन इससे धोखेबाजों के लिए और भी अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।
- **वित्त वर्ष 2024-25 में धोखाधड़ी की घटनाएं:** वित्त वर्ष 2024-25 के पहले महीनों में 6.32 लाख धोखाधड़ी की घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 485 करोड़ की राशि शामिल थी। यह पिछले वर्ष की कुल राशि का लगभग आधा है, जोकि एक खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है।
- **विकास के साथ बढ़ी भेदता:** जैसे-जैसे यूपीआई का प्रचलन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है, डिजिटल साक्षरता

की कमी के कारण उपयोगकर्ता धोखाधड़ी के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। धोखेबाज अब फर्जी कॉल और संदेश जैसे भ्रामक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं।

Types of UPI Scams?



भारत में साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए पहल:

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी):** राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
- सर्ट-इन:** साइबर सुरक्षा मार्गदर्शन प्रदान करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी।
- पीएमजी दिशा:** एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना है।
- साइबर स्वच्छता केंद्र:** बॉटनेट संक्रमण का पता लगाता है और साइबर खतरों से उपकरणों और नेटवर्क को सुरक्षित रखने में मदद करता है।
- सुरक्षा उपाय:** सरकार और आरबीआई ने सीपीएफआईआर, डिवाइस बाइंडिंग, पिन-आधारित प्रमाणीकरण और लेनदेन सीमा जैसे उपाय पेश किए हैं।
- जन जागरूकता और रिपोर्टिंग:** राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और जागरूकता अभियान जैसी पहलों का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और धोखाधड़ी को कम करना है, हालांकि धोखेबाजों की बदलती रणनीति के लिए अधिक उन्नत समाधानों की आवश्यकता हो सकती है।

का उद्देश्य भारत के पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, प्रमुख स्थलों को वैश्विक आकर्षण में बदलना, टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

निवेश की मुख्य विशेषताएं:

- शामिल क्षेत्र:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष सहायता (SASCI) योजना के तहत पूँजी निवेश से 23 राज्यों में पर्यटन स्थलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन किया जाएगा।
- परियोजनाएं:** प्रमुख परियोजनाओं में गंडिकोटा किला, पुष्करम घाट (आंध्र प्रदेश), सियांग एडवेंचर और इको-टूरिज्म (अरुणाचल प्रदेश), असम चिड़ियाघर और बॉटनिकल गार्डन, रोरिक एस्टेट (बेंगलुरु), उमियम झील (शिलांग), नाथुला दर्दा (सिक्किम), ऋषिकेश राफिंग स्टेशन और सिंधुदुर्ग अंडरवाटर टूरिज्म (महाराष्ट्र) शामिल हैं।



निवेश के लाभ:

- आर्थिक विकास:** ये परियोजनाएं पर्यटन को आकर्षित करके, आतिथ्य, परिवहन और खुदरा व्यापार को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी।
- रोजगार सृजन:** निर्माण, पर्यटन सेवाओं और बुनियादी ढांचा प्रबंधन में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
- स्थिरता:** कई परियोजनाएं परिस्थितिकी पर्यटन और हरित पहल पर केंद्रित हैं, जो जिम्मेदार यात्रा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती हैं।
- तकनीकी एकीकरण:** सरकार डिजिटल टिकटिंग और आगांतुक ट्रैकिंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को शामिल करने की योजना बना रही है, जिससे प्रबंधन में सुधार और पर्यटक अनुभव को बढ़ावा मिलेगा।
- भीड़भाड़ कम करना:** सरकार का उद्देश्य नए पर्यटन स्थलों का विकास करके लोकप्रिय स्थलों पर भीड़भाड़ को कम करना है, जिससे पर्यटन का संतुलित वितरण संभव हो सके।

भारत में पर्यटन क्षेत्र के बारे में:

- भारत, अपनी विविध भौगोलिक विशेषताओं और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के साथ, पर्यटन के लिए अनंत संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इस दिशा में सरकार ने आध्यात्मिक पर्यटन को विशेष रूप

पर्यटन अवसंरचना में सुधार के लिए निवेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने 23 राज्यों में 40 प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं के लिए 3,295.76 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। इस पहल

से प्रोत्साहित किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहे हैं।

- पर्यटन और आतिथ्य उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग हैं, जोकि न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने में योगदान करते हैं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास को भी प्रेरित करते हैं। पर्यटन न केवल भारत के गौरवपूर्ण इतिहास और विविध संस्कृति का प्रदर्शन करता है, बल्कि यह स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और समृद्धि के नए अवसर भी उत्पन्न करता है।

पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रमुख पहल:

- 2024 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन क्षेत्र के लिए 2,449.62 करोड़ (294.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किए हैं, जोकि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 44.7% की वृद्धि है।

महत्वपूर्ण पहल:

- स्वदेश दर्शन योजना (SD 2.0):** थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसका उन्नत संस्करण SD 2.0, व्यापक विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्रित है।
- गंतव्य-आधारित कौशल विकास:** स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने पर्यटन सेवाओं में सुधार और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए 145 गंतव्यों पर 12,187 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।

वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की है, जिसमें विश्व स्तर पर वेतन प्रवृत्तियों, वेतन असमानता तथा वास्तविक वेतन वृद्धि से संबंधित प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। यह रिपोर्ट वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है और विभिन्न देशों में वेतन वितरण और उसमें होने वाले परिवर्तनों पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- वेतन असमानता में कमी:**
 - वर्ष 2000 के बाद से वैश्विक स्तर पर लगभग दो-तिहाई देशों में मजदूरी असमानता औसतन 11.1% प्रति वर्ष की दर से कम हुई है।
 - यह प्रवृत्ति विभिन्न देशों में वेतन असमानताओं को कम करने की दिशा में सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है।
- वैश्विक वेतन वृद्धि:**

» हाल के वर्षों में वैश्विक मजदूरी मुद्रास्फीति की तुलना में तेजी से बढ़ रही है।

» 2024 में वास्तविक वैश्विक मजदूरी में 2.7% की वृद्धि का अनुमान है, जोकि पिछले 15 वर्षों में सर्वाधिक है।

» वैश्विक वास्तविक मजदूरी में पिछले वर्ष 1.8% की वृद्धि हुई।

क्षेत्रीय असमानताएँ:

» अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में वास्तविक मजदूरी वृद्धि स्थिर या नकारात्मक रही है।

» इसके विपरीत, एशिया और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वेतन वृद्धि अधिक रही है, जोकि इन क्षेत्रों में आर्थिक सुधार को दर्शाती है।

निरन्तर वेतन असमानता:


» वेतन असमानता में वैश्विक कमी के बावजूद, महत्वपूर्ण असमानताएँ बनी हुई हैं। कम आय वाले देश उच्च आय वाले देशों की तुलना में काफी अधिक वेतन असमानता से पीड़ित हैं, लगभग 22% श्रमिक औसत प्रति घंटा वेतन के आधे से भी कम करते हैं।

उत्पादकता और मजदूरी का पृथक्करण:

» उच्च आय वाले देशों में, 1999 से 2024 तक उत्पादकता में 29% की वृद्धि हुई, फिर भी वास्तविक मजदूरी में केवल 15% की वृद्धि हुई, जोकि उत्पादकता लाभ के असमान वितरण को उजागर करता है।

लैंगिक वेतन अंतर:

» महिलाओं को, विशेष रूप से निम्न-मध्यम आय वाले देशों में, अनौपचारिक, अनिश्चित और कम वेतन वाले कार्यों में उनकी अधिक उपस्थिति के कारण, असमान वेतन असमानता का सामना करना पड़ रहा है।



भारतीय परिदृश्य:

- 2008 और 2018 के बीच, भारत में कम वेतन वाले श्रमिकों (औसत प्रति घंटा वेतन का 50% से कम कमाने वाले) की हिस्सेदारी में सालाना 6.3% की कमी आई।
- इसी अवधि में कम वेतन वाले गैर-मजदूरी श्रमिकों की संख्या में वार्षिक 12.7% की गिरावट देखी गई। भारत में दोनों श्रेणियों

- के श्रमिकों की गिरावट की संयुक्त दर प्रति वर्ष 11.1% थी।
- नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में 9.5% वेतनभोगी कर्मचारी औसत वेतन के 50% से भी कम कमाते हैं, जोकि इसके पड़ोसी देशों- पाकिस्तान (9.4%), नेपाल (10.5%), बांगलादेश (11.2%), भूटान (13.7%) और श्रीलंका (25.9%) की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।

अनुशंसाएँ:

- न्यूनतम वेतन समायोजन:** न्यूनतम वेतन को मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, ताकि विशेष रूप से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों की क्रय शक्ति बनी रहे और वे आर्थिक असमानता से सुरक्षित रहें।
- श्रमिक सुरक्षा:** अनिश्चित और असुरक्षित कार्य से निपटने के लिए नियमों और नीतियों को मजबूत करना आवश्यक है।
- लैंगिक वेतन अंतर:** समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करके लिंग वेतन अंतर को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

आईएलओ के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के तहत हुई थी और 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गयी।
- वर्तमान में इसके 187 सदस्य देश हैं और यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियां विकसित करने तथा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
- आईएलओ एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जोकि सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है।
- मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

आईएलओ की प्रमुख रिपोर्टें:

- विश्व रोजगार और सामाजिक परिवृश्य (WESO)
- वैश्विक वेतन रिपोर्ट
- विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट
- युवाओं के लिए विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण
- कार्य की विश्व रिपोर्ट (World of Work Report)

एसोचौम-ईग्रो अध्ययन: एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियाँ और समाधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एसोचौम-ईग्रो द्वारा भारतीय एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) पर एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में एमएसएमई क्षेत्र की मुख्य चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत, इस क्षेत्र के विकास को समर्थन देने और उसकी भूमिका को सशक्त

बनाने के लिए समाधान सुझाए गए हैं।

एमएसएमई के समक्ष चुनौतियाँ:

- वित्तीय चुनौतियाँ:** एमएसएमई को पारदर्शी ऋण स्वीकृति प्रक्रियाओं तक पहुंच बनाने में कठिनाई होती है तथा उच्च ब्याज दरों और अप्रयुक्त ऋण शुल्कों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- अनुपालन चुनौतियाँ:** जीएसटी की जटिलता और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का बोझ एमएसएमई के लिए अनुपालन को कठिन बना देता है।

प्रस्तावित समाधान:

- सरलीकृत जीएसटी:** एमएसएमई के लिए विनियामक बाध्यता को कम करने के लिए अधिक सुव्यवस्थित जीएसटी प्रणाली की सिफारिश की गई है।
- कम टीडीएस:** अध्ययन में टीडीएस का बोझ कम करने के लिए केवल जरूरी भुगतानों पर कटौती और कुछ एमएसएमई के लिए टर्नओवर के आधार पर सरल कर प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया गया है।
- कॉर्पोरेट कर में कमी:** व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई के लिए कॉर्पोरेट आयकर की दर 25% से घटाकर 15% की जानी चाहिए।
- वित्तीय समाधान:** एमएसएमई-विशिष्ट बांड और म्यूचुअल फंड की शुरूआत की सिफारिश की गई है और लघु वित्त बैंकों का विस्तार, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, ताकि वित्तीय तरलता में सुधार हो और अधिक से अधिक एमएसएमई को वित्तीय सहायता मिल सके।

एमएसएमई के बहुआयामी विकास हेतु सुझाव:

- एमएसएमई-विशिष्ट संस्थान:** अध्ययन में प्रत्येक राज्य में एमएसएमई विश्वविद्यालयों के निर्माण की सिफारिश की गई है, ताकि अनुसंधान एवं विकास, वित्त, विपणन, और प्रशिक्षण जैसी व्यापक सहायता प्रदान की जा सके। इससे एमएसएमई की जरूरतों को पूरा करने और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- कौशल विकास:** कौशल भारत मिशन को राज्य-विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ उन्नत किया जाना चाहिए। एमएसएमई और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय की सिफारिश की गई है, ताकि एक कुशल कार्यबल का निर्माण हो सके, जो एमएसएमई विकास का समर्थन कर सके।
- बुनियादी ढांचा:** परीक्षण केंद्रों, वित्तीय संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों के साथ एकीकृत बुनियादी ढांचा टाउनशिप का विकास पूरे भारत में एमएसएमई समूहों को समर्थन प्रदान कर सकता है।

एमएसएमई को परिभाषित करना:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये रोजगार, सकल

घरेलू उत्पाद (GDP) और निर्यात में प्रमुख योगदान देते हैं।

- एमएसएमई का वर्गीकरण उनके संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश के आधार पर किया जाता है:
 - सूक्ष्म उद्यम:** 1 करोड़ तक का निवेश और 5 करोड़ तक का कारोबार।
 - लघु उद्यम:** 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार।
 - मध्यम उद्यम:** 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच निवेश और 250 करोड़ तक का कारोबार।

भारत की आर्थिक वृद्धि में एमएसएमई का महत्व:

- एमएसएमई भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30%, विनिर्माण उत्पादन में 45% और निर्यात में 46% का योगदान करते हैं (वित्त वर्ष 2024 तक)।
- भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि 2047 तक 3.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 22.8 ट्रिलियन डॉलर हो जाने की संभावना है। इस आर्थिक परिवर्तन में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बीच भारत का व्यापार परिदृश्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के चलते वैश्विक स्तर पर विनिर्माण विविधीकरण की प्रवृत्ति तेज हुई है, जिससे 'चीन प्लस बन' रणनीति को बढ़ावा मिला है। हालांकि, इस रणनीति का पूरा लाभ उठाने में भारत को अब तक सीमित सफलता मिली है। रिपोर्ट में विशेष रूप से अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनावों के महेनजर भारत के लिए उभरते अवसरों पर प्रकाश डाला गया है, जोकि भारत के व्यापारिक विस्तार और आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भू-राजनीतिक संदर्भ:

- अमेरिका-चीन व्यापार तनाव**
 - अमेरिकी प्रतिबंध:** अमेरिका ने चीन की तकनीकी वृद्धि को कम करने के लिए चिप बनाने वाले उपकरणों और उच्च बैंडविडथ मेमोरी चिप्स जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है।
 - चीन की प्रतिक्रिया:** चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उच्च तकनीक विनिर्माण के लिए आवश्यक गैलियम और जर्मेनियम जैसी प्रमुख सामग्रियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- भारत का आर्थिक अवसर:** भारत वैश्विक व्यापार में आए इन विचलनों से लाभ उठाने की बेहतर स्थिति में है। हालांकि, इन अवसरों

का पूर्ण लाभ उठाने के लिए उसे अपने आंतरिक चुनौतियों का समाधान करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान में, कई वैश्विक बाजारों में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है, जोकि विकास के लिए पर्याप्त संभावनाओं को दर्शाता है।

"चीन प्लस बन" रणनीति में चुनौतियाँ:

- अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा:** वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया निम्नलिखित कारणों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक आकर्षित कर रहे हैं:
 - कम लागत:** सस्ता श्रम और सरल विनियामक प्रक्रियाएँ।
 - सक्रिय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए):** अधिक एफटीए पर हस्ताक्षर करने से इन देशों ने अपनी व्यापारिक पहुंच का विस्तार किया है।
- भारत के घरेलू मुद्दे:**
 - भारत की श्रम और उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक है।
 - जटिल नियमों के कारण व्यवसायों के लिए परिचालन करना तथा निवेश आकर्षित करना कठिन हो जाता है।
- क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियाँ (लौह एवं इस्पात उद्योग):** भारत का लोहा और इस्पात क्षेत्र, जोकि यूरोपीय संघ को उसके निर्यात का 23.5% हिस्सा है, नई यूरोपीय संघ नीतियों के कारण दबाव में है:
 - कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM):** यूरोपीय संघ ने उच्च कार्बन उत्पादन वाले लोहा, इस्पात और एल्युमीनियम आयातों पर 20-35% टैरिफ लगाने की योजना बनाई है, जिससे लागत बढ़ेगी और भारतीय निर्यात की मांग घटेगी।
 - अनुपालन लागत:** भारतीय कंपनियों को कार्बन उत्पादन की विस्तृत रिपोर्टिंग के लिए अधिक निवेश करना होगा, जिससे उनकी लागत बढ़ जाएगी।
 - निर्यात में गिरावट:** वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कमज़ोर घरेलू मांग और चीन की अधिक आपूर्ति के कारण भारतीय लोहा और इस्पात निर्यात में 33% की गिरावट दर्ज की गई।

रणनीतिक सिफारिशें:

- निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार:**
 - उत्पादों में विविधता लाएं और नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तलाशें।
 - निर्यातकों की लागत कम करने के लिए विनियमों को सरल बनाएं।
- टैरिफ नीतियों पर पुनर्विचार:**
 - अत्यधिक उच्च टैरिफ से बचें जोकि डाउनस्ट्रीम उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकते हैं।
- वैश्विक तनाव का उपयोग:**
 - वर्तमान में चल रहे अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष का उपयोग भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए,

विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगाए हैं।

• मुक्त व्यापार समझौतों पर फोकस:

- » बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए प्रमुख व्यापार साझेदारों के साथ एफटीए को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना।

निष्कर्ष:

भारत अपनी व्यापार यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। जबकि भू-राजनीतिक परिवर्तन विकास के अवसर प्रदान करते हैं, भारत को उनका पूरा लाभ उठाने के लिए अपनी घरेलू चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके, नीतियों को सरल बनाकर और वैश्विक व्यापार में अधिक सक्रिय रूप से शामिल होकर, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत देश के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है।

एफसीएनआर (बी) जमा पर ब्याज दर सीमा बढ़ी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत की वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और विदेशी पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [एफसीएनआर (बी)] जमा पर ब्याज दर की सीमा बढ़ा दी है।

एफसीएनआर (बी) जमा के बारे में:

- एफसीएनआर (बी) जमा एक विदेशी मुद्रा सावधि जमा है, जिसे अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए भारतीय बैंकों में खोला जा सकता है।

विशेषताएँ:

- अनिवासी भारतीयों को विदेशी मुद्राओं में बचत जमा करने की सुविधा मिलती है, जिससे वे विनिमय दर जोखिम से बच सकते हैं।
- इन जमा का कार्यकाल 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होता है।
- भारत को निवेश स्थल के रूप में और अधिक आकर्षक बनाने के लिए एफसीएनआर (बी) जमाओं के लिए ब्याज दर की अधिकतम सीमा में संशोधन किया गया है।

संशोधित ब्याज दर सीमा:

जमा अवधि	पिछली सीमा	नई सीमा
1 वर्ष से 3 वर्ष से कम	ओवरनाइट एआरआर + 250 आधार अंक (बीपीएस)	ओवरनाइट ARR + 400 बीपीएस

3 वर्ष से 5 वर्ष	ओवरनाइट ARR + 350 बीपीएस	ओवरनाइट ARR + 500 बीपीएस
------------------	--------------------------	--------------------------

ये परिवर्तन 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

महत्व:

- ब्याज दरों में वृद्धि का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों के माध्यम से भारत में एनआरआई निवेश को बढ़ाना है:
 - » **विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा:** उच्च ब्याज दरें एनआरआई के लिए एफसीएनआर (बी) जमा को अधिक आकर्षक बनाती हैं, जिससे विदेशी निवेश में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है।
 - » **भारतीय रूपया को मजबूत बनाना:** पूंजी प्रवाह से रूपये को स्थिर करने और भारत के भुगतान संतुलन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) पर प्रभाव:

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) का प्रवाह मजबूत बना हुआ है:

- **2024-25 (अप्रैल-दिसंबर):**
 - » शुद्ध एफपीआई प्रवाह 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जोकि मुख्य रूप से ऋण भाग में था।
 - » बाह्य वाणिज्यिक उधारी और अनिवासी जमा से बढ़ता प्रवाह भारत में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

वैकल्पिक संदर्भ दर (ARR) के बारे में:

- **ARR** एक बेंचमार्क ब्याज दर है, जिसका उपयोग LIBOR (लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट) जैसी पारंपरिक दरों के विकल्प के रूप में किया जाता है।
- **भारत में:**
 - » यह ओवरनाइट मार्केट रेपो दरों पर आधारित है, जोकि अल्पकालिक उधारी की लागत को दर्शाती है।
 - » एफसीएनआर (बी) के लिए जमा दरें प्रचलित बाजार स्थितियों के अनुरूप होती हैं।

निष्कर्ष:

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा बढ़ाने का आरबीआई का निर्णय विदेशी पूंजी को आकर्षित करने, रूपये को स्थिर करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है। एनआरआई भागीदारी को प्रोत्साहित करके, यह कदम भारत की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करता है और दीर्घकालिक आर्थिक उद्देश्यों का समर्थन करता है।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह में 1 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में भारत के बढ़ते आकर्षण को उजागर करती है और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विदेशी निवेशकों के लिए इसके आकर्षण को दर्शाती है।

एफडीआई प्रवाह में प्रमुख रुझान

- **प्रमुख मार्गों से एफडीआई:**
 - » मॉरीशस और सिंगापुर सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं, जिनकी कुल एफडीआई में 49% हिस्सेदारी है। अमेरिका 10% के साथ दूसरे स्थान पर है। नीदरलैंड, जापान, यूके और यूरूप जैसे अन्य देश भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- **एफडीआई का क्षेत्रीय फोकस:**
 - » सेवाएं एफडीआई के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र बनी हुई है, जोकि दूरसंचार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और व्यापार जैसे उद्योगों द्वारा संचालित है।
 - » पिछले दशक में विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई में 69% की वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स में।
 - » उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी सरकारी पहलों ने विनिर्माण को बढ़ावा दिया है और अधिक एफडीआई आकर्षित किया है।

पिछले दशक में वृद्धि:

- भारत में 2014 और 2024 के बीच एफडीआई प्रवाह में 119% की वृद्धि हुई, जोकि 667.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है।

एफडीआई नीति में सरकार की भूमिका:

- भारत सरकार नियमित रूप से एफडीआई नीतियों की समीक्षा करती है और उन्हें समायोजित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश निवेशक-अनुकूल बना रहे। इसी के अंतर्गत वित्तीय और अधिग्रहण (एम एंड ए) जैसे क्षेत्रों में सुधार का उद्देश्य निवेश के माहौल को बेहतर बनाना है।

चुनौतियाँ और संभावित जोखिम:

- **भू-राजनीतिक जोखिम:** भू-राजनीतिक तनाव और बदलती वैश्विक व्यापार नीतियाँ एफडीआई प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका और चीन की आर्थिक नीतियों में बदलाव से निवेशकों के विश्वास में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
- **प्रमुख बाजारों में नीतिगत बदलाव:** प्रमुख एफडीआई स्रोत देशों में नीतिगत बदलाव से प्रवाह धीमा हो सकता है। हालांकि, भारत के निरंतर संरचनात्मक सुधारों से ऐसे जोखिमों को कम करने की उमीद है।
- **विनियामक वातावरण:** हालांकि भारत ने एफडीआई नीतियों

को उदार बनाया है, लेकिन नौकरशाही की देरी और जटिल विनियमन जैसी चुनौतियाँ अभी भी व्यापार करने में आसानी में बाधा डालती हैं। भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए और सुधारों की आवश्यकता है।

निरंतर विकास के लिए रणनीतिक उपाय:

- **संरचनात्मक सुधारों को मजबूत करना:** निवेश वातावरण को सरल बनाने और अधिक एफडीआई आकर्षित करने के लिए कराधान, श्रम कानून और वित्तीय एवं अधिग्रहण प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्रों में सुधारों को लागू करना जारी रखना चाहिए।
- **बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाना:** बुनियादी ढांचे में केंद्रित निवेश, विशेष रूप से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से, विदेशी निवेशकों को और अधिक प्रोत्साहित करेगा तथा व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा।
- **कार्यबल को कुशल बनाना:** कुशल कार्यबल का निर्माण भारत को वैश्विक बाजारों में, विशेष रूप से उच्च तकनीकी और विनिर्माण क्षेत्रों में, प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में सहायक होगा।
- **डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देना:** प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में निवेश के जरिए डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने से दीर्घकालिक मूल्य सृजन में मदद मिलेगी और भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सहारा मिलेगा।

महत्वपूर्ण शब्दावली

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई):** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एक प्रकार का निवेश है, जिसमें एक देश की कंपनी या व्यक्ति दूसरे देश में व्यवसाय संचालन स्थापित करता है या अधिग्रहण करता है। एफडीआई रोजगार सुजन, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देता है।
- **स्वचालित और सरकारी स्वीकृति मार्ग:** भारत में, अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई की अनुपत्ति देते हैं, जहाँ विदेशी निवेशकों को निवेश करने के बाद केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचित करने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, दूरसंचार और मीडिया जैसे क्षेत्रों में निवेश से पहले सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

आईएलओ की सोशल डायलॉग रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 11 दिसंबर, 2024 को अपनी सोशल डायलॉग रिपोर्ट जारी की, जिसमें सरकारों से बुनियादी श्रमिक अधिकारों, विशेष रूप से संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी

के अधिकार का पालन करने का आग्रह किया गया। रिपोर्ट में पीक-लेवल सोशल डायलॉग (PLSD) को न्यायपूर्ण और समावेशी आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में रेखांकित किया गया है।

श्रम अधिकार और सोशल डायलॉग पर मुख्य निष्कर्ष:

- रिपोर्ट में पाया गया कि 2015 से 2022 के बीच संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अनुपालन में 7% की गिरावट आई है। यह गिरावट नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण हुई है।
- रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि सोशल डायलॉग आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करने और निम्न-कार्बन और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में समावेशी परिवर्तन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- सोशल डायलॉग को मजबूत करके, देश आर्थिक चुनौतियों से निपट सकते हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकते हैं।

शिखर-स्तरीय सामाजिक संवाद (पीएलएसडी) का महत्व:

- PLSD सरकार के प्रतिनिधियों, नियोक्ता संगठनों और श्रमिक संगठनों को एक साथ लाकर श्रम, आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर बातचीत, परामर्श और जानकारी के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। इसमें शामिल हैं:
 - द्विपक्षीय प्रक्रियाएँ:** केवल नियोक्ता और श्रमिक संगठनों के बीच बातचीत।
 - त्रिपक्षीय प्रक्रियाएँ:** सरकार, नियोक्ता और श्रमिकों को नीति निर्माण में शामिल करना।
- रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि PLSD, विशेष रूप से अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए नीति निर्माण में प्रभावी भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे श्रम नीतियाँ समावेशी और न्यायपूर्ण हो सकें।

सोशल डायलॉग को मजबूत करने के लिए सिफारिशें:

- मौलिक अधिकारों का पालन करें: सरकारों को संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए।
- श्रम प्रशासन को सुसज्जित करें: सरकारों को श्रम प्रशासन और सामाजिक भागीदारों को प्रभावी PLSD भागीदारी के लिए संसाधन और तकनीकी क्षमताएं प्रदान करनी चाहिए।
- आउटरीच का विस्तार करें: राष्ट्रीय सामाजिक संवाद संस्थानों (NSDIS) को अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों, जैसे गिग वर्कर्स तक अपनी पहुंच बढ़ानी चाहिए।
- सोशल डायलॉग प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करें: नियमित, साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन से PLSD की सामाजिक-आर्थिक निर्णय-निर्माण में प्रभावशीलता का आकलन किया जाना चाहिए।

केस स्टडी: राजस्थान का प्लेटफॉर्म-आधारित गिग

वर्कर्स वेलफेर बोर्ड:

- रिपोर्ट में राजस्थान द्वारा प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक की शुरुआत को उजागर किया गया है, जिससे राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स वेलफेर बोर्ड की स्थापना हुई है।
- इस बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधि, गिग वर्कर्स, एग्रीगेटर्स और सिविल सोसाइटी के 12 सदस्य शामिल हैं, जिसका उद्देश्य गिग वर्कर्स के कल्याण और अधिकारों में सुधार करना है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), 1919 में स्थापित, एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो सामाजिक न्याय और न्यायपूर्ण श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देती है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करता है और श्रमिक अधिकारों की बकालत करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को साथ लाकर गरिमापूर्ण काम और आर्थिक प्रगति के लिए नीतियाँ विकसित करता है।
- इसके प्रयास श्रम अधिकार, सामाजिक संरक्षण और स्थायी रोजगार पर केंद्रित होते हैं ताकि एक न्यायपूर्ण और अधिक समावेशी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।

निष्कर्ष:

ILO सोशल डायलॉग रिपोर्ट, सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों से वैश्विक श्रम चुनौतियों से निपटने के लिए सोशल डायलॉग के माध्यम से सहयोग करने का आग्रह करती है। श्रम अधिकारों का सम्मान करके और समावेशी, सहभागिता वाले निर्णय-निर्माण को सुनिश्चित करके, देश न्यायपूर्ण आर्थिक और सामाजिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सामाजिक न्याय और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सोशल डायलॉग एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है।

सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (जीएनपीए) अनुपात

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का सकल गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPA) अनुपात सितंबर 2024 के अंत तक घटकर 2.5% रह गया, जोकि पिछले 13 वर्षों में सबसे कम स्तर है। यह मार्च 2024 के अंत में दर्ज 2.7% के सकल

NPA अनुपात की तुलना में और अधिक सुधार को दर्शाता है।

सकल एनपीए अनुपात और शुद्ध एनपीए क्या हैं?

- सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ (GNPA) अनुपात बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों के उस प्रतिशत को संदर्भित करता है, जोकि सहमत शर्तों के अनुसार चुकाए नहीं जा रहे हैं। इन ऋणों को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि उधारकर्ता एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 90 दिन या उससे अधिक समय तक मूलधन या ब्याज चुकाने में असमर्थ रहते हैं।
- शुद्ध गैर-निष्पादित आस्तियाँ (NNPA) उन गैर-निष्पादित आस्तियों का हिस्सा होती हैं, जोकि खराब ऋणों के लिए बैंकों द्वारा बनाए गए प्रावधानों (आरक्षित राशि) को घटाने के बाद शेष रहती हैं। मार्च 2024 के अंत में, NNPA अनुपात घटकर 0.62% हो गया था और सितंबर 2024 तक इसमें और सुधार होकर यह 0.57% हो गया।



सकल एनपीए अनुपात में सुधार का कारण:

- सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (GNPA) अनुपात में गिरावट का कारण बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality), मजबूत वसूली और पहले गैर-निष्पादित (Non-Performing) माने गए ऋणों का उन्नयन (upgradation) है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बैंकों की समग्र बैलेंस शीट (Balance Sheet) निरंतर ऋण और जमा (Deposits) के विस्तार के साथ मजबूत बनी हुई है।

किस सेक्टर में सबसे ज्यादा और सबसे कम सकल NPA अनुपात हैं?

- सितंबर 2024 के अंत में, कृषि क्षेत्र का सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ (GNPA) अनुपात सबसे अधिक 6.2% था, जबकि खुदरा ऋण क्षेत्र में यह सबसे कम 1.2% दर्ज किया गया। शिक्षा ऋणों के GNPA अनुपात में मार्च 2023 में 5.8% से घटकर सितंबर 2024 तक 2.7% तक की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई।

स्लिपेज अनुपात क्या है?

- स्लिपेज अनुपात (Slippage Ratio) उस दर को मापता है, जिस पर वर्ष की शुरुआत में मानक अग्रिम (standard advances)

एनपीए (NPA) में बदल जाते हैं। यह दिखाता है कि एक निश्चित अवधि में कितने ऋण खराब हो रहे हैं। RBI की रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 के दौरान स्लिपेज अनुपात में सुधार हुआ है।



Example



बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में किस तरह सुधार हुआ है?

- बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जोकि सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (GNPA) और शुद्ध गैर-निष्पादित आस्तियों (NNPA) अनुपात में कमी से स्पष्ट है। कुल अग्रिमों में मानक परिसंपत्तियों (standard assets) का हिस्सा बढ़ा है, जबकि गैर-मानक अग्रिमों में गिरावट बेहतर परिसंपत्ति प्रबंधन का संकेत देती है।
- विभिन्न ऋण श्रेणियों में GNPA अनुपात में सुधार दर्ज किया गया है, विशेष रूप से शिक्षा ऋणों में, जहां यह अनुपात मार्च 2023 में 5.8% से घटकर सितंबर 2024 तक 2.7% हो गया। इसी तरह, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (consumer durables) जैसे खुदरा ऋणों में भी एनपीए (NPA) में कमी दर्ज की गई।

एनपीए में गिरावट का महत्व:

- एनपीए में गिरावट यह दर्शाती है कि बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है, जिससे लाभप्रदता (profitability) और स्थिरता (stability) बढ़ रही है। इससे बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं (depositors) और निवेशकों (investors) का विश्वास भी मजबूत होता है।
- कम GNPA अनुपात सामान्यतौर पर बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता (asset quality) और अधिक कुशल बैंकिंग संचालन (efficient banking operations) का संकेत देता है।
- यह दिखाता है कि बैंक अपने क्रेडिट जोखिम (credit risk) को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर रहे हैं, जिससे चूक (defaults) कम हो रही है और प्रावधान (provisions) की आवश्यकता घट रही है। इससे बैंकों की वित्तीय ताकत में सुधार हो रहा है।

सकल एनपीए अनुपात की तुलना:

कुछ वर्षों के सकल एनपीए (Gross NPA) अनुपात की तुलना:

- 2010-11: 2.35%
- 2015-16: 7.48%

- 2020-21: 7.33%
- 2023-24: 2.7%
- 2024-25 (सितंबर 2024): 2.5%

देती है कि ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच आर्थिक अंतर कम हो रहा है, और ग्रामीण उपभोग शहरी उपभोग की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2023-24

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023-24 में पूरे भारत के खाद्य व्यय और उपभोग पैटर्न में महत्वपूर्ण रुझान सामने आए हैं। एक दशक से अधिक की गिरावट के बाद, भारतीय परिवारों में खाद्य व्यय में वृद्धि हुई है। 2023-24 में, ग्रामीण परिवारों ने अपने व्यय का 47.04% भोजन पर खर्च किया, जोकि पिछले वर्ष के 46.38% से अधिक है, जबकि शहरी परिवारों में भी इसी तरह की वृद्धि देखी गई और यह 39.17% से बढ़कर 39.68% हो गया। खाद्य व्यय में यह वृद्धि खाद्य कीमतों में उछाल के कारण हुई है, जिसने पूरे देश में खपत को प्रभावित किया है।

बढ़ती खाद्य कीमतों का उपभोग पर प्रभाव:

- खाद्य व्यय में वृद्धि से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट पर काफी दबाव डाला है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उपभोग व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसने शहरी और ग्रामीण उपभोग पैटर्न के बीच की खाई को कम किया है।
- यह बदलाव उपभोग व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों के लिए यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि बढ़ती कीमतें भारत भर में विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों को कैसे प्रभावित करती हैं।

ग्रामीण और शहरी उपभोग व्यय में हालिया रुझान :


- 2023-24 में, ग्रामीण परिवारों का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) 4,122 रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.3% की वृद्धि दर्शाता है। इसके विपरीत, शहरी परिवारों का औसत एमपीसीई 6,996 रुपये रहा, जो 8.3% की मामूली वृद्धि को दर्शाता है। ग्रामीण उपभोग व्यय में वृद्धि दर शहरी क्षेत्रों से अधिक रही, जिससे ग्रामीण और शहरी उपभोग स्तरों के बीच का अंतर और कम हो गया।

घटती उपभोग असमानता:

- ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच उपभोग असमानता में कमी आई है, जैसा कि दोनों क्षेत्रों के गिनी गुणांक में देखा जा सकता है। 2023-24 में, ग्रामीण गिनी गुणांक 0.266 से घटकर 0.237 हो गया, जबकि शहरी गिनी गुणांक 0.314 से घटकर 0.284 हो गया।
- यह गिरावट असमानता में कमी का संकेत देती है, जो यह सुझाव

CONSUMPTION PATTERN

Monthly per capita expenditure without imputation (in ₹)



Y-o-Y growth (%) 9.25 8.31

Expenditure share (in %)

■ Food items ■ Non-food items

RURAL AREAS



URBAN AREAS



खाद्यान्वय पैटर्न में परिवर्तन:

- 2023-24 में विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर व्यय के हिस्से में भी बदलाव आया है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही परिवारों ने अनाज, अडे, मछली और मांस पर अधिक खर्च किया।
- उल्लेखनीय यह है कि पेय पदार्थ, स्नैक्स और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ सबसे अधिक व्यय वाली श्रेणियां बनी रहीं, जिसमें ग्रामीण परिवारों ने इन वस्तुओं पर अपने कुल उपभोग का 9.84% और शहरी परिवारों ने 11.09% खर्च किया। यह ग्रामीण और शहरी दोनों ही आबादी में बदलते खान-पान के रुझान और प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

क्षेत्रीय और आय समूह भिन्नताएं:

- आय समूहों और क्षेत्रों के अनुसार उपभोग व्यय में काफी भिन्नता देखी गई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निम्न आय वाले 5% लोगों ने व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि (ग्रामीण क्षेत्रों में 19.2%, शहरी क्षेत्रों में 18%) दर्ज की, जबकि उच्च आय वाले 5% लोगों ने कमी दर्ज की।
- क्षेत्रीय स्तर पर, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल जैसे राज्यों ने औसत से अधिक व्यय प्रदर्शित किया, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में औसत से कम उपभोग व्यय रहा। ये क्षेत्रीय असमानताएं देश के भीतर आर्थिक असमानता को उजागर करती हैं।

विविध मुद्दे

भारत की 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' योजना: अवसर और चुनौतियां

हाल ही में, भारत सरकार ने 25 नवंबर, 2024 को वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) योजना लॉन्च की। यह एक अहम पहल है जिसका उद्देश्य देश के सार्वजनिक संस्थानों में विद्वतापूर्ण जर्नल्स (शोध पत्रिकाओं) तक समान पहुंच प्रदान करना है। इस योजना के लिए 2025-2027 के दौरान तीन वर्षों में 6,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसका लक्ष्य है कि शैक्षणिक और शोध संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स तक पहुंचने में होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को दूर किया जाए। हालांकि, यह योजना ज्ञान तक पहुंच बढ़ाने की क्षमता रखती है, लेकिन साथ ही यह सवाल उठाती है कि क्या सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल टिकाऊ है और क्या इसे अधिक खुली प्रकाशन प्रणालियों (Open Systems) की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) का परिचय:

ONOS योजना की शुरुआत 2018-2019 के आसपास प्रस्तावित की गई थी और यह विचार तेजी से इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि विद्वतापूर्ण जर्नल्स के सब्सक्रिप्शन की लागत अत्यधिक थी। इस योजना के तहत, सरकार सामूहिक रूप से इन संसाधनों तक पहुंच के लिए बातचीत करेगी ताकि शोध और शिक्षा के लिए वित्तीय बाधाएं समाप्त की जा सकें।

- उद्देश्य:** ONOS का उद्देश्य सभी सार्वजनिक संस्थानों, जैसे विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों, को वित्तीय स्थिति से परे जर्नल्स तक पहुंच प्रदान करना है। यह छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाने में मदद करेगा।
- बजट:** तीन वर्षों (2025-2027) के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों के 30 बड़े अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों के लिए सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- लक्षित संस्थान:** योजना का लक्ष्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और सरकारी वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान हैं,

जो अक्सर जर्नल्स की सदस्यता लेने में असमर्थ रहते हैं। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शोध को सभी संस्थानों के लिए सुलभ बनाना है।



शिक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF EDUCATION

ONE NATION ONE SUBSCRIPTION

- Cabinet Approval:** Central Sector Scheme to provide nationwide access to scholarly research and journals
- Budget:** ₹6,000 crore allocated for 2025, 2026, and 2027
- Digital Access:** Fully digital process managed via a unified "One Nation One Subscription" portal
- Target Beneficiaries:** Nearly 1.8 crore students, faculty, and researchers in 6,300 institutions, including HEIs and central R&D institutions
- Coordination:** Managed by INFLIBNET, an autonomous UGC centre




वैश्विक स्तर पर ओपन एक्सेस की ओर बढ़ता रुझान:

शोध प्रकाशन का पारंपरिक सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल तेजी से ओपन एक्सेस (OA) प्रकाशन से चुनौती का सामना कर रहा है, जो शोध लेखों को मुफ्त में उपलब्ध कराता है। इस वैश्विक बदलाव को ध्यान में रखते हुए ONOS को भी परखा जाना चाहिए।

- ओपन एक्सेस का बढ़ता प्रभाव:** Web of Science के अनुसार, वर्तमान में 53% वैज्ञानिक शोध पत्र OA के तहत प्रकाशित हो रहे हैं। यह आंकड़ा 2018-2019 के मुकाबले काफी बढ़ा है, जब ONOS को पहली बार प्रस्तावित किया गया था। OA मॉडल्स, जो शोध को मुफ्त में उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देते हैं, ने काफी समर्थन प्राप्त किया है। यह प्रवृत्ति सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल्स की वित्तीय स्थिरता पर

सवाल उठाती है।

- **वैश्विक अनिवार्यता:** शोध फंडिंग एजेंसियां, जैसे अमेरिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय और यूरोपीय संघ की Horizon Europe पहल, अब सार्वजनिक धन से किए गए शोध को मुफ्त में उपलब्ध कराने की मांग कर रही हैं। यह दिखाता है कि आने वाले समय में अधिक शोध मुफ्त में उपलब्ध होगा, जिससे ONOS जैसी सब्सक्रिप्शन योजनाओं की प्रासारणिकता पर सवाल उठता है।

सब्सक्रिप्शन मॉडल की चुनौतियां:

ONOS के जरिए शैक्षणिक संसाधनों तक सस्ती पहुंच की गारंटी दी जा सकती है, लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल के कई बुनियादी मुद्दे हैं जो इसकी दीर्घकालिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।

- **उच्च लागत:** वर्तमान में भारतीय सार्वजनिक संस्थान हर साल लगभग 1,500 करोड़ रुपये जर्नल्स की सदस्यता पर खर्च करते हैं। ONOS के तहत यह राशि और बढ़ सकती है, जिससे करदाताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
- **शोधकर्ताओं का शोषण:** शोधकर्ता मुफ्त में अपने लेख लिखते हैं, समीक्षाएं करते हैं और संपादकीय कार्यों में भाग लेते हैं, लेकिन प्रकाशक इन पर भारी शुल्क लगाकर मुनाफा कमाते हैं।
- **कॉपीराइट संबंधी समस्याएं:** मौजूदा मॉडल में लेखक अपने शोध का कॉपीराइट प्रकाशकों को सौंप देते हैं। इससे लेखक अपने कार्य पर नियंत्रण खो देते हैं। हाल ही में Taylor & Francis और Microsoft के बीच हुए विवाद ने यह बात सामने आई कि प्रकाशकों ने शोध सामग्री का उपयोग AI मॉडल को प्रशिक्षित करने में किया, लेकिन लेखकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

आत्मनिर्भर प्रकाशन की ओर कदम:

ONOS भारत को एक आत्मनिर्भर प्रकाशन प्रणाली विकसित करने का अवसर देता है। यह योजना अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स तक पहुंच में सुधार कर सकती है, लेकिन साथ ही यह भारत को अपनी खुद की प्रकाशन प्रणाली बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

- **देशी प्लेटफॉर्म का विकास:** भारत का बड़ा शोध समुदाय अपने प्लेटफॉर्म विकसित कर सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों पर निर्भरता को कम करेगा।
- **खुले और सस्ते मॉडल:** भारतीय सरकार भारतीय शोध को संग्रहित करने के लिए ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म में निवेश कर सकती है। इससे शोध को अधिक सस्ता और सुलभ बनाया जा सकता है।
- **भारतीय जर्नल्स को बढ़ावा देना:** शोध पत्रिकाओं की गुणवत्ता और वैश्विक पहुंच को सुधारने के लिए भारत को

संपादकीय प्रक्रियाओं और अनुसंधान अधोसंचाना में निवेश करना चाहिए। इससे भारत का शैक्षणिक और प्रकाशन क्षेत्र मजबूत होगा।

कॉपीराइट और ओपन एक्सेस पर ध्यान:

ONOS योजना का प्रभाव और अधिक हो सकता है यदि यह कॉपीराइट समस्याओं का समाधान करे और ओपन एक्सेस को बढ़ावा दे।

- **कॉपीराइट की सुरक्षा:** शोधकर्ताओं को अपने काम पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कॉपीराइट अधिकार दिए जाने चाहिए।
- **ग्रीन ओपन एक्सेस:** ग्रीन ओपन एक्सेस मॉडल, जिसमें लेखक अपने काम को संस्थागत संग्रहण में संग्रहीत करते हैं, को ONOS के तहत प्रोत्साहित किया जा सकता है।

डिजिटल संरक्षण और दीर्घकालिक पहुंच

जैसे-जैसे जर्नल्स डिजिटल होते जा रहे हैं, शोध के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

- **संरक्षण की चुनौती:** अध्ययनों से पता चला है कि 28% शोध लेख, जो डिजिटल ऑफेक्ट आइडेंटिफायर्स (DOIs) से जुड़े हैं, संरक्षित नहीं हैं।
- **स्व-संग्रहण:** शोधकर्ताओं को अपने कार्य को संस्थागत संग्रहण में संग्रहीत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

आगे की राह:

- **ओपन एक्सेस को प्राथमिकता:** भारत को ग्रीन ओपन एक्सेस मॉडल को अपनाना चाहिए, जिसमें शोध प्रकाशन के साथ ही मुफ्त उपलब्ध हो।
- **स्वदेशी प्रकाशन को समर्थन:** भारत को आत्मनिर्भर प्रकाशन तंत्र विकसित करना चाहिए।
- **बौद्धिक संपदा की रक्षा:** नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि शोधकर्ताओं को उनके काम का नियंत्रण मिले।

निष्कर्ष:

ONOS योजना भारत में शैक्षणिक प्रकाशन के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश है। लेकिन दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए, भारत को खुले प्रकाशन मॉडल और स्वदेशी प्रकाशन तंत्र विकसित करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। कॉपीराइट, डिजिटल संरक्षण और दीर्घकालिक स्थिरता जैसे मुद्दों का समाधान करके, भारत एक अधिक न्यायसंगत और प्रभावी शैक्षणिक शोध प्रणाली बना सकता है।

साधित मुद्दे

प्रगति प्लेटफार्म

चर्चा में क्यों?

भारत के 'प्रगति' (प्रो-एक्स्ट्रिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) प्लेटफॉर्म को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डिजिटल गवर्नेंस के एक परिवर्तनकारी उदाहरण के रूप में सराहा गया है। रिपोर्ट 'अवरोध से विकास तक: नेतृत्व किस प्रकार भारत के प्रगति पारिस्थितिकी तंत्र को प्रगति की शक्ति प्रदान करता है', शासन में जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाते हुए बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने में प्रगति प्लेटफार्म की सफलता को प्रमुख रूप से रेखांकित करती है।

प्रगति के बारे में:

- प्रगति योजना, जोकि 2015 में शुरू की गई, परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यों में आने वाली रुकावटों को शीघ्र दूर करना और निगरानी को प्रभावी बनाना है।
- यह योजना समयबद्ध निर्णय लेने और प्रभावी निगरानी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वास्तविक समय डेटा और ड्रोन फीड जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग करती है।

उद्देश्य:

- परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाना।
- अंतर-एजेंसी सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- जवाबदेही और शासन को मजबूत बनाना।

PM launched PRAGATI platform
Pro-Active Governance & Timely Implementation

- PM Modi reviews & monitors various schemes, grievances, state & central projects
- Directly interacts with Secretaries of Centre & States through Video conferencing
- Resolves issues to fast-track implementation and completion

प्रमुख विशेषताएँ:

- प्रौद्योगिकी-चालित:** वास्तविक समय डेटा और निगरानी का

उपयोग करता है।

- प्रत्यक्ष निरीक्षण:** यह प्रधानमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सीधे संपर्क को सक्षम बनाता है।
- सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ:** बेहतर समन्वय के लिए प्रशासनिक बाधाओं को दूर किया जाता है।

आर्थिक प्रभाव:

- प्रगति योजना ने भारत की आर्थिक वृद्धि और लचीलापन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है:
 - गुणक प्रभाव:** प्रगति के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2.5 से 3.5 रुपये का लाभ हुआ है। यह आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने में प्रगति की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
 - आर्थिक लचीलापन:** परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन ने भारत को वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया और देश की आर्थिक स्थिरता को मजबूत किया।
 - बुनियादी ढांचे का विकास:** भूमि अधिग्रहण और अंतर-मंत्रालयी समन्वय जैसे जटिल मुद्दों का समाधान किया गया।
- परिवहन, ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी से प्रगति को सुनिश्चित किया गया।

सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव:

- आर्थिक लाभ के अलावा, प्रगति ने सामाजिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है:
 - सामाजिक विकास:** सड़क, बिजली, पानी और रेलवे जैसी आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच। अविकसित क्षेत्रों में परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
 - पर्यावरणीय स्थिरता:** हरित प्रौद्योगिकीयों और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने में प्रगति हुई। परियोजना नियोजन में पर्यावरण मंजूरी को सुव्यवस्थित किया गया और पर्यावरण अनुकूल उपायों को शामिल किया गया।

वैश्विक स्तर पर अनुकरणीय मॉडल:

- प्रगति उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मापनीय और अनुकरणीय ढांचे के रूप में कार्य करती है, जोकि शासन नवाचार में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है:
 - शासन नवाचार:** दक्षता, सहयोग और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और नेतृत्व का संयोजन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश कैसे सतत विकास को बढ़ावा दे सकता है।
 - विकासात्मक चुनौतियों का समाधान:** यह देशों को

नौकरशाही की अकुशलताओं पर काबू पाने और सतत विकास प्राप्त करने में मदद करता है। यह मध्यम आय से उच्च आय की स्थिति में संक्रमण के लिए व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष:

प्रगति प्लेटफार्म शासन और प्रौद्योगिकी के सही संयोजन के माध्यम से विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। परियोजनाओं को तेजी से लागू करने, सहयोग को बढ़ावा देने और परिणाम देने में इसकी सफलता ने इसे प्रभावी शासन का एक वैश्विक मॉडल बना दिया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इसकी मान्यता प्राप्त होने के बाद, प्रगति सतत और समावेशी विकास के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाने वाले देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।

बॉयलर बिल, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बॉयलर विधेयक, 2024 को राज्यसभा पारित किया गया। अब यह विधेयक लोकसभा में विचारार्थ है। विधेयक का उद्देश्य बॉयलर अधिनियम, 1923 को संशोधित और अद्यतन करना, बेहतर बॉयलर सुरक्षा सुनिश्चित करना, नियामक ढाँचे का आधुनिकीकरण करना और कुछ अपराधों को अपराधमुक्त करना है।

विधेयक की पृष्ठभूमि:


- बॉयलर अधिनियम, 1923 बॉयलरों की सुरक्षा और उनके संचालन को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम में 2007 में संशोधन किया गया था।
- बॉयलर विधेयक, 2024 का उद्देश्य कानून को आधुनिक सुरक्षा प्रथाओं के साथ संरेखित करना है और इसमें जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को शामिल करना है।

बॉयलर विधेयक, 2024 की मुख्य विशेषताएँ:

- स्पष्ट प्रावधान:** विधेयक को आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करके तैयार किया गया है, जिससे इसके प्रावधान स्पष्ट हो गए हैं। पुराने अधिनियम के प्रावधानों को आसानी से समझने के लिए छह अध्यायों में समूहीकृत किया गया है।
- गैर-अपराधीकरण:** सात में से तीन अपराधों को गैर-अपराधीकरण कर दिया गया है, गैर-आपराधिक अपराधों के लिए जुर्माने को दंड में बदल दिया गया है। इससे कानूनी बोझ कम हो गया है, जिससे उद्योगों, विशेषकर एमएसएमई को लाभ हो रहा है।
- सुरक्षा उपायों में वृद्धि:** विधेयक यह सुनिश्चित करके सुरक्षा पर जोर देता है कि केवल योग्य और सक्षम व्यक्ति ही मरम्मत

- का कार्य करें, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम कम हो।
- सुव्यवस्थित प्रवर्तन:** दंड को अदालती कार्यवाही के बजाय कार्यकारी तंत्र के माध्यम से लगाने की अनुमति देकर प्रवर्तन को सरल बनाया गया है, जिससे अनुपालन में तेजी आयेगी।
- अप्रचलित प्रावधानों को हटाना:** पुराने अधिनियम से अप्रचलित प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिससे विधेयक आधुनिक आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक और प्रभावी हो गया है।
- नई परिभाषाएँ और प्रावधान:** विधेयक में कानून को स्पष्ट करते हुए नई परिभाषाएँ और प्रावधान पेश किए गए हैं। इसमें पुराने नियमों को निरस्त करने और नए नियामक ढाँचे को एकीकृत करने के प्रावधान भी शामिल हैं।

बॉयलर बिल, 2024 की मुख्य विशेषताएँ



लाभ एवं निहितार्थ:

- व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी):** यह विधेयक नौकरशाही संबंधी देरी को कम करके और बॉयलर सुरक्षा अनुपालन को सरल बनाकर विनियमों को सुव्यवस्थित करता है, विशेष रूप से एमएसएमई को लाभान्वित करता है।
- सुरक्षा को प्राथमिकता:** यह सुनिश्चित करके कि केवल योग्य कार्मिक ही मरम्मत का कार्य संभालेंगे, विधेयक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है तथा जोखिम को न्यूनतम करता है।
- उद्योग पर प्रभाव:** यह विधेयक व्यवसाय के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देता है, विशेषकर बॉयलर का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए। अदालती कार्यवाही से कार्यकारी दंड की ओर जाने से अनुपालन सरल हो जाता है और देरी कम हो जाती है।
- आधुनिकीकरण और स्पष्टता:** विधेयक प्रावधानों को पुनर्गठित करता है और स्पष्ट परिभाषाएँ प्रस्तुत करता है, जिससे सभी हितधारकों को कानून को अधिक प्रभावी ढंग से समझने और कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्षः

बॉयलर विधेयक, 2024 बॉयलर सुरक्षा विनियमों को अद्यतन करता है, नौकरशाही बाधाओं को कम करता है तथा उन्नत सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हुए अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाता है।

मौर्य साम्राज्य का 80-स्तंभों वाले सभा भवन का उत्खनन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने पटना के कुम्हरार में स्थित '80-स्तंभों वाले सभा भवन' के हिस्से को पुनः खोजने और संरक्षित करने के लिए उत्खनन कार्य शुरू किया है। यह मौर्य साम्राज्य की स्थापत्यकला और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल प्रतीक है। सभा भवन, प्राचीन पाटलिपुत्र की भव्यता और राजनीतिक महत्व का द्योतक है।

कुम्हरार का ऐतिहासिक महत्व :

- कुम्हरार, सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का हिस्सा था।
- ऐसा माना जाता है कि 80-स्तंभों वाला सभा भवन वह स्थल था, जहां सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की, जिसने बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार में अहम भूमिका निभाई।
- यह स्थल मौर्यकालीन स्थापत्यकला और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, जोकि 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक फली-फूली।


उत्खनन का इतिहास:

- खुदाई का कार्य 20वीं सदी के प्रारम्भ में शुरू हुआ।
- प्रथम उत्खनन (1912-1915):** अमेरिकी पुरातत्ववेत्ता डेविड ब्रेनार्ड स्पूनर ने एक पूर्ण स्तंभ और 80 गड्ढों को खोजा, जिनसे पता चला कि अन्य स्तंभ कहां खड़े थे।
- दूसरा उत्खनन (1961-1965):** के.पी. जायसवाल शोध संस्थान को चार और स्तंभ मिले।
- अब तक का सबसे बड़ा स्तंभ 4.6 मीटर लंबा पाया गया है, जोकि सभा भवन की भव्यता और मौर्यकालीन इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है।

उत्खनन प्रणाली:


- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), पटना सर्कल के अधीक्षण पुरातत्वविद् सुजीत के नेतृत्व में खुदाई कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की मदद से खुदाई के दौरान नमी और जल स्तर की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाएगी।
- यह प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से की जाएगी, और सभी 80 स्तंभों का उत्खनन करना स्थल के संरक्षण की स्थितियों पर निर्भर करेगा।

मौर्य साम्राज्य का अवलोकन



मौर्य साम्राज्य के बारे में:

- स्थापना:** मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य (कौटिल्य) की सहायता से की।
- विस्तार:** यह प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। चंद्रगुप्त ने इसे उत्तरी और मध्य भारत तक विस्तारित किया, जबकि अशोक ने इसे दक्षिण भारत और उससे आगे तक फैला दिया।
- अशोक का शासनकाल:** अशोक (268-232 ईसा पूर्व) के शासनकाल में साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति, अहिंसा, और नैतिक शासन के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया।
- प्रशासन:** मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकृत प्रशासन था। प्रांतों का शासन वायसरायों द्वारा किया जाता था, जबकि जासूसों का एक प्रभावी नेटवर्क सम्राट को सूचनाएँ प्रदान करता था।



- सांस्कृतिक और आर्थिक उपलब्धियाँ:** सम्राज्य ने व्यापार और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। सड़कों और जल प्रबंधन जैसे बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। अशोक के शिलालेखों में नैतिक शिक्षाओं और धार्मिक सहिष्णुता पर विशेष जोर दिया गया।
- पतन:** अशोक की मृत्यु (232 ईसा पूर्व) के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों, आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों के कारण साम्राज्य का पतन हुआ और 185 ईसा पूर्व तक यह समाप्त हो गया।

गया।

तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में

- ऐतिहासिक संदर्भ:** बौद्ध संघ के भीतर मतभेदों को सुलझाने के लिए तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में समाप्त अशोक के संरक्षण में किया गया।
- उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध संघ में मौजूद मतभेदों को सुलझाना और बौद्ध धर्मग्रंथों (त्रिपिटक) को मानकीकृत करना था।
- शिक्षाओं का संरक्षण:** इस परिषद ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संरक्षित और मानकीकृत किया, जिससे थेरवाद और महायान जैसे संप्रदायों का आधार तैयार हुआ।
- अशोक की भूमिका:** अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भिक्षुओं को भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य एशिया में मिशनरी यात्राओं पर भेजा।
- परिणाम:** तृतीय बौद्ध संगीति ने बौद्ध शिक्षाओं को औपचारिक रूप दिया, जिससे बौद्ध धर्म का वैशिक स्तर पर प्रसार हुआ।

हॉर्नबिल की नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा विविधता है।



ग्रेट हॉर्नबिल की मुख्य विशेषताएँ:

- भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया का मूल पक्षी।
- यह अपने जीवन्त पंखों और लंबी, घुमावदार चोंच के लिए जाना जाता है, जिसे अक्सर एक कैस्क के साथ सजाया जाता है।
- अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी।

संरक्षण संबंधी चिंताएँ:

- खतरे:** बनों की कटाई के कारण आवास का नुकसान तथा मांस, वसा और सजावटी शरीर के अंगों के लिए शिकार।
- स्थिति:** आईयूसीएन रेड लिस्ट में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध।

शराब और हॉर्नबिल महोत्सव:

- हॉर्नबिल महोत्सव में स्थानीय चावल से बनी बीयर (थुत्से) और हाल ही में भारत में निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की बिक्री भी शामिल है।**
- सरकार का निर्णय:** पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इस वर्ष त्यौहार स्थलों पर प्लॉट की अनुमति दी गई।
- विरोध:** नागालैंड बैपटिस्ट चर्च काउंसिल (NBCC) ने इस कदम का विरोध किया और जोर दिया कि पर्यटक नागा संस्कृति की ओर आकर्षित होते हैं, न कि शराब की ओर।

नागालैंड शराब पूर्ण निषेध (एनएलटीपी)

अधिनियम, 1989:

- चर्च के समर्थन से प्रस्तुत एनएलटीपी अधिनियम शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है:
 - तस्करी में वृद्धि:** असम से बड़े पैमाने पर तस्करी और व्यापक स्तर पर अवैध शराब का कारोबार।
 - स्वास्थ्य जोखिम:** नकली शराब गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा करती है।
 - राजस्व हानि:** प्रतिबंध के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क राजस्व में भारी हानि हुई है।

» **मादक पदार्थों का प्रयोग:** प्रतिबंध अक्सर लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग की ओर धकेलते हैं।

निष्कर्षः

हॉर्नबिल महोत्सव न केवल नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, बल्कि यह क्षेत्र की पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर भी प्रदान करता है। शराबबंदी जैसे जटिल मुद्दों को हल करने के लिए एनएलटीपी अधिनियम की चुनौतियों का समाधान और सरकार व सभी संबंधित पक्षों के बीच संवाद को बढ़ावा देना आवश्यक है। आधुनिक नीतिगत सुधारों के साथ पारंपरिक धरोहरों के संरक्षण का संतुलन ही नागालैंड को उसकी विशिष्ट पहचान और सामूहिक लचीलेपन का प्रतीक बनाए रखेगा।

निकोबारी आबादी पर अध्ययन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सीएसआईआर-कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र (सीसीएमबी) और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा निकोबार द्वीपसमूह की निकोबारी आबादी पर एक नया आनुवंशिक अध्ययन किया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि निकोबार द्वीपसमूह की निकोबारी आबादी का दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की ऑस्ट्रोएशियाटिक आबादी के साथ महत्वपूर्ण पैतृक संबंध है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षः

- आनुवंशिक संबंधः** अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि निकोबारी समुदाय अन्य ऑस्ट्रोएशियाटिक-भाषी आबादी, विशेष रूप से मुख्य भूमि दक्षिण-पूर्व एशिया के 'हृतिन माल' समुदाय के साथ महत्वपूर्ण आनुवंशिक समानताएँ साझा करता है।
- बसावट का समयः** इस अध्ययन ने निकोबार द्वीपसमूह में निकोबारी लोगों के बसने की समयरेखा को पुनः परिभाषित किया है। शोध से यह स्पष्ट होता है कि उनके पूर्वज लगभग 5,000 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में बसे थे, जोकि पहले मानी गई अवधि (लगभग 11,700 वर्ष पहले, होलोसीन काल के दौरान) की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक समकालीन है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि निकोबारी लोग द्वीपसमूह में बाद में बसे, किंतु उनके पूर्वजों का दक्षिण-पूर्व एशियाई आबादी से गहरा आनुवंशिक संबंध बना हुआ था।

अध्ययन के निहितार्थः

- प्रवासन पैटर्नः** यह अध्ययन दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में प्राचीन आबादी के प्रवासन और वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह क्षेत्र में निकोबारी और अन्य ऑस्ट्रोएशियाटिक-भाषी आबादी के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को दर्शाता है।
- साझे आनुवंशिक क्षेत्रः** निकोबारी और अन्य दक्षिण-पूर्व

एशियाई भाषाई समूहों के बीच सामान्य आनुवंशिक समानताएँ इस क्षेत्र में मानव प्रवास और बसावट के जटिल इतिहास को उजागर करती हैं।

साझा विरासतः अध्ययन इस मान्यता को चुनौती देता है कि निकोबारी एक अलग-थलग और स्वदेशी समूह हैं। इसके बजाय, अध्ययन यह दर्शाता है कि वे दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ साझा किए गए बड़े आनुवंशिक और भाषाई समूह का हिस्सा हैं।

WHAT CCMB-BHU STUDY UNVEILS

- Researchers made genetic analysis using DNA markers from mothers & fathers



- Study indicates Nicobarese share significant ancestral link with Austroasiatic people

- Findings suggest Nicobar islanders settled about 5k years ago, not 11,700 years ago

- Study highlights genetic affinity between Htin Mal community in Southeast Asia & Nicobarese people

अंडमान और निकोबार जनजातियाँ:

• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह छह स्वदेशी जनजातियों का निवास है: अंडमानी, ओंगेस, जरावा, सेंटिनली, निकोबारी और शोम्पेन। इनमें से, अंडमानी, जरावा, ओंगेस और सेंटिनली को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि निकोबारी को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है। ये जनजातियाँ दो अलग-अलग नस्लीय समूहों से संबंधित हैं:

- » **नेगिटो समूहः** अंडमानी, जरावा, ओंगेस और सेंटिनली, जोकि अंडमान द्वीप समूह में रहते हैं।
- » **मंगोलायड समूहः** निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले निकोबारी और शोम्पेन।

निकोबारी जनसंरक्षण और स्थान

- जनसंख्याः** निकोबारी समुदाय की जनसंख्या लगभग 25,000 है।
- स्थानः** वे निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, जोकि पूर्वी हिंद महासागर में अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। निकोबार द्वीपसमूह में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार सहित सात बड़े द्वीप शामिल हैं, साथ ही कई छोटे द्वीप भी हैं।

निष्कर्षः

यह अध्ययन निकोबारी लोगों के प्रवास, इतिहास और उनके व्यापक दक्षिण-पूर्व एशिया से संबंधित संबंधों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है। इन आनुवंशिक संबंधों का पता लगाने से, इस क्षेत्र में मानव बसितयों के जटिल इतिहास में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और निकोबारी लोगों को इस व्यापक आनुवंशिक और भाषाई निरंतरता के हिस्से के रूप में पहचाना जाता है।

भारत कौशल रिपोर्ट 2025

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारतीय स्नातकों की रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जोकि पिछले वर्ष के 51.25% से बढ़कर 54.81% हो गई है। यह वृद्धि भारत की कौशल विकास रणनीतियों और उच्च शिक्षा तंत्र की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है, जो वैश्विक कार्यबल की मांगों के अनुरूप युवाओं को सशक्त बना रही है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- बेहतर रोजगार क्षमता:** भारतीय स्नातकों की रोजगार क्षमता में पिछले दशक के दौरान 17% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 2014 में यह दर 33% थी, जोकि 2025 में 50% से अधिक हो गई है। यह आंकड़ा भारत की उस प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जोकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी और सक्षम कार्यबल के निर्माण की दिशा में केंद्रित है।
- वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता:** व्हीबॉक्स के सीईओ निर्मल सिंह ने भारत की कौशल प्रतिभा आपूर्ति क्षमता के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह क्षमता भारत को वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। उन्होंने कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय नौकरी बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और मजबूत हो सके।
- प्रमाणित कौशल कार्यक्रम:** दीर्घकालिक, प्रमाणित कौशल कार्यक्रम, विशेष रूप से जो भाषा प्रशिक्षण को एकीकृत करते हैं, रोजगार क्षमता को सुधारने और युवाओं के लिए शीघ्र रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
- डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि:** यह रिपोर्ट 2024 ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट के 6.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों और 15 उद्योग क्षेत्रों के 1,000 से अधिक कॉर्पोरेट्स से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है।

रोजगार क्षमता वृद्धि को प्रेरित करने वाले कारक:

- उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन का उदय नौकरी की भूमिकाओं को नया रूप दे रहा है और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। जैसे-जैसे व्यवसाय इन तकनीकों को एकीकृत कर रहे हैं, कृशक पेशेवरों की मांग बढ़ रही है।
- डिजिटल गतिशीलता (Digital Mobility) और हाइब्रिड कार्य:** रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे डिजिटल गतिशीलता और हाइब्रिड कार्य मॉडल ने भारतीय प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर काम करने में सक्षम बनाया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कृशक पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ है।

आर्थिक क्षमता:

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान:** डिजिटल गतिशीलता में वृद्धि और भारत की बढ़ती वैश्विक भागीदारी, 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में 500 बिलियन डॉलर का योगदान कर सकती है, जिसमें भारत इस विकास के केंद्र में रहेगा।
- क्षेत्र-विशिष्ट मांग:** रिपोर्ट विभिन्न उद्योगों में बढ़ती मांग पर भी प्रकाश डालती है:
 - निर्माण क्षेत्र:** \$2.5 ट्रिलियन के निर्माण उद्योग को इंजीनियरों और योजनाकारों की आवश्यकता है।
 - वित्तीय क्षेत्र:** 2030 तक फिनेक्ट और ग्रीन फाइनेंस के लिए 4 लाख पेशेवरों की मांग होगी।

रिपोर्ट के बारे में:

- भारत कौशल रिपोर्ट 2025, प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी व्हीबॉक्स द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) के सहयोग से प्रकाशित की गई है।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की नवीनतम विश्व मलेरिया रिपोर्ट (2024) के अनुसार विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, विशेष रूप से WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में, यह बीमारी अभी भी लाखों लोगों को प्रभावित करती है, जिसमें अधिकांश मामले और मौतें अफ्रीकी क्षेत्र में होती हैं।

मलेरिया:

- मलेरिया प्लास्मोडियम परजीवियों के कारण होता है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलते हैं।
- यह संक्रामक नहीं है और व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैल सकता। सबसे खतरनाक प्रजातियाँ प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लास्मोडियम विवैक्स हैं।
- यह बीमारी बुखार, ठंड, थकान और गंभीर मामलों में मौत जैसी लक्षणों का कारण बनती है।

दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रगति:

- दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र वैश्विक मलेरिया बोझ का 1.5% हिस्सा है। 2023 में, भारत ने सभी मलेरिया मामलों का लगभग आधा और इंडोनेशिया ने लगभग एक तिहाई मामलों की रिपोर्ट की। इसके बावजूद, इस क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है:
 - क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली मौतें 82.9% घटकर 2000 में 35,000 से 2023 में 6,000 हो गईं।

पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की पहल

- » क्षेत्र ने मलेरिया मामलों में 82.4% की कमी की, जो 2000 में 22.8 मिलियन से 2023 में 4 मिलियन हो गई।
- » भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है, 2023 में 2000 की तुलना में 93% कम मलेरिया मामले और 17.7 मिलियन कम मामले दर्ज किए गए।
- 2022-2023 की अवधि में, कई देशों ने मलेरिया मामलों में कमी हासिल की:
 - » बांगलादेश (-9.2%), भारत (-9.6%), इंडोनेशिया (-5.7%), और नेपाल (-58.3%) ने कमी दर्ज की, जबकि म्यांमार (+45.1%) और थाईलैंड (+46.4%) में वृद्धि देखी गई।
 - » तिमोर-लेस्टे और भूटान ने 2023 में शून्य स्वदेशी मलेरिया मामले दर्ज किए।

वैश्विक मलेरिया स्थिति:

- वैश्विक स्तर पर, 2023 में अनुमानित 263 मिलियन मलेरिया मामले और 597,000 मौतें हुईं। यह 2022 की तुलना में 11 मिलियन मामलों की वृद्धि है, लेकिन मौतों की संख्या स्थिर रही। लगभग 95% मौतें WHO अफ्रीकी क्षेत्र में हुईं, जो मलेरिया को रोकने, पहचानने और इलाज करने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- 2000 से, 2.2 बिलियन मामले और 12.7 मिलियन मौतें रोकी गई हैं। इस प्रगति के बावजूद, मलेरिया विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं जैसी कमज़ोर आबादी के लिए एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है।

मलेरिया-मुक्त प्रमाणन और चुनौतियाँ:

- नवंबर 2024 तक, 44 देश और एक क्षेत्र को WHO द्वारा मलेरिया-मुक्त प्रमाणित किया गया है, जिनमें से 25 मलेरिया-स्थानिक देश अब वार्षिक रूप से 10 से कम मामले दर्ज कर रहे हैं—2000 में केवल 4 देशों की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार। हालांकि, वित्तपोषण एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
- 2023 में, मलेरिया नियंत्रण के लिए कुल वित्तपोषण 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य से कम था। इस कमी ने जीवन-रक्षक उपकरणों जैसे कीटनाशक-उपचारित मच्छरदानी और दवाओं की उपलब्धता में अंतराल पैदा किया है। कमज़ोर स्वास्थ्य प्रणालियाँ, दवा प्रतिरोध, और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ भी मलेरिया नियंत्रण के प्रयासों को खतरा पहुंचाती हैं।

निष्कर्ष:


मलेरिया उन्मूलन में प्रगति के बावजूद वित्तीय कमी और स्वास्थ्य प्रणाली की कमज़ोरियाँ आगे की प्रगति में बाधा डालती हैं। वैश्विक निवेश नवोन्मेषी रणनीतियाँ और समानता और मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना मलेरिया मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। निरंतर प्रयासों के साथ मलेरिया को पूरी दुनिया से समाप्त किया जा सकता है।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पवित्र उपवनों (Sacred Groves) के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार को एक व्यापक नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। इस फैसले ने पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व को रेखांकित किया है और समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

पवित्र उपवनों का महत्व:

- पवित्र उपवन ऐसे वन क्षेत्र हैं जिन्हें धार्मिक, सांस्कृतिक या पारंपरिक रूप से विशेष महत्व दिया जाता है। इनका पर्यावरणीय महत्व अत्यधिक है, क्योंकि ये:
 - » जैव विविधता को संरक्षित रखते हैं।
 - » भू-क्षरण और मरुस्थलीकरण को रोकते हैं।
 - » स्थानीय जलवायु को संतुलित करते हैं।



सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- जस्टिस बी. आर. गवई, एस. वी. भट्टी और संदीप मेहता की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार:
 - » **राष्ट्रीय सर्वेक्षण करें:** पवित्र उपवनों की पहचान, उनका स्थान, क्षेत्रफल, और सीमाओं का निर्धारण करें।
 - » **लचीली सीमाएं सुनिश्चित करें:** ताकि इन वनों का

- प्राकृतिक विकास और विस्तार हो सके।
- » **कठोर सुरक्षा प्रदान करें:** कृषि, मानव बस्तियों, और बनों की कटाई जैसी गतिविधियों के कारण इनका आकार न घटे।

भगवत् गीता का संदर्भः

- इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भगवद् गीता के 13वें अध्याय के 20वें श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रकृति और चेतना के महत्व को रेखांकित किया। श्लोक में बताया गया है कि प्रकृति ही सभी भौतिक चीजों का स्रोत है और चेतना सभी सुख-दुख का अनुभव करती है।

पिपलांत्री मॉडल: एक प्रेरणादायक उदाहरण

- सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव की सराहना की, जहाँ हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की परंपरा शुरू हुई। इस मॉडल के मुख्य लाभ हैं:
 - » **पर्यावरणीय प्रभाव:** 40 लाख से अधिक पेड़ों के रोपण से जल स्तर 800-900 फीट तक बढ़ा और तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई।
 - » **आर्थिक सुधारः:** आंवला, एलोवेरा और बांस जैसे पेड़ों से रोजगार सृजन हुआ। एलोवेरा प्रसंस्करण और फर्नीचर निर्माण से महिलाओं को स्वावलंबन मिला।
 - » **सामाजिक बदलावः:** महिला भूमि हत्या समाप्त हुई और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित हुई।

आगे की राहः

- नीतिगत समर्थनः:** केंद्र और राज्य सरकारों को पिपलांत्री जैसे मॉडल के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और नीतिगत समर्थन प्रदान करना चाहिए।
- सार्वजनिक भागीदारीः:** स्थानीय समुदायों को पवित्र उपवनों के संरक्षण में शामिल किया जाए।
- शिक्षा और जागरूकता:** पर्यावरण संरक्षण और लैंगिक समानता पर जोर देने के लिए अभियान चलाए जाएं।
- सतत विकासः:** ऐसे मॉडलों को देशभर में लागू करके समाज और पर्यावरण के समग्र विकास को प्रोत्साहित किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक भील का पथर है, बल्कि यह समाज को प्रकृति और लैंगिक समानता की दिशा में संवेदनशील बनाने का भी प्रयास है। पिपलांत्री मॉडल जैसे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना समाज और पर्यावरण के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की छवि

चर्चा में क्यों?

भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में समुद्र तल से 4,500


मीटर नीचे स्थित एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की पहली तस्वीर खींची है। यह खोज न केवल एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है, बल्कि भविष्य में खनिज खोज के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह भारत के 4,000 करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन (गहन समुद्री मिशन) के लिए एक प्रमुख कदम है, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है।

हाइड्रोथर्मल वेंट क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- हाइड्रोथर्मल वेंट समुद्र के नीचे एक गर्म पानी का झरना होता है, जहां ठंडा समुद्री पानी समुद्र तल के नीचे गर्म मैग्मा से मिलता है। इस प्रक्रिया से सुपरहीटेड (अत्यधिक गर्म) पानी निकलता है, जो खनिजों और गैसों से भरपूर होता है और प्लूम (धुएं जैसे स्तंभ) बनाता है।
- महत्वः**
 - » यह अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों का घर है।
 - » इसमें आर्थिक रूप से मूल्यवान खनिज मिलने की संभावना है।
 - » इनका अध्ययन स्थायी खनन तकनीकों और विशेष माइक्रोबियल जीवन के बारे में जानकारी दे सकता है।

इस खोज का महत्वः

- हाइड्रोथर्मल वेंट्स (पानी के गर्म झरने) की छवियों को कैप्चर करना भारत के डीप ओशन मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह खनिज संपन्न जमा क्षेत्रों की समझ को बढ़ाता है, जो आर्थिक विकास में सहायक हो सकते हैं।
- ये वेंट्स तांबा, जिंक और सोने जैसे मूल्यवान खनिजों से भरपूर होते हैं, जो भविष्य में खनन के स्रोत बन सकते हैं।
- इनकी खोज वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देती है और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है।



भारत के खनिज अन्वेषण में हाइड्रोथर्मल वेंट्स की भूमिका:

- हाइड्रोथर्मल वेंट्स में सोना, चांदी, लोहा, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिज और धातु के समृद्ध भंडार हो सकते हैं। ये सामग्री

- औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं।
- सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट्स की खोज और छवि भारत की खनिज खोज क्षमताओं को बढ़ाती है। यह डीप ओशन मिशन की सफलता में योगदान देता है, जो महासागर में खनिज खोज पर केंद्रित है।

नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (NCPOR) की भूमिका:

- NCPOR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT) के साथ मिलकर सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट्स की पहचान और अध्ययन के लिए उच्च-रिजल्यूशन इमेजिंग अभियान का नेतृत्व किया।
- **तकनीक:**
 - » स्वचालित पानी के नीचे वाहन (AUV) का उपयोग करके यह शोध किया गया।
 - » इस अभियान ने सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की पहली छवि कैचर की, जो भारत के महासागर अन्वेषण प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि है।

जीवविज्ञान में संभावित प्रभाव:

- हाइड्रोथर्मल वेंट्स ऐसे अनोखे सूक्ष्मजीवों का घर होते हैं, जो जीवित रहने के लिए सूर्य की बजाय रासायनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर होते हैं।
- ये जीव चरम वातावरण में जीवन को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- इनका अध्ययन जीवन रसायन (बायोकैमिस्ट्री) और अन्य ग्रहों पर संभावित जीवन रूपों के शोध के लिए उपयोगी हो सकता है।
- इन पारिस्थितिक तंत्रों की खोज गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों की जीवविज्ञान को समझने में भारत की अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाती है।

दूरसंचार नियम, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय सरकार ने दूरसंचार (संदेशों के वैध अवरोधन (Interception) के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। यह नियम भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419ए का स्थान ले रहे हैं। नये नियम विशेष प्रवर्तन तथा सुरक्षा एजेंसियों को निर्धारित परिस्थितियों में फौन संदेशों को अवरुद्ध करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

नये नियमों के मुख्य प्रावधान:

- नए नियम केंद्रीय गृह सचिव और राज्य सरकार (गृह विभाग) के सचिव को विशेष परिस्थितियों में संदेशों को रोकने के आदेश जारी करने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा, संयुक्त सचिव

के पद से नीचे के अधिकारी 'अपरिहार्य परिस्थितियों' में संदेशों को रोक सकते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

- दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20(2) के तहत, अगर जरूरी समझा जाए, तो संदेशों को रोकने का आदेश दिया जा सकता है। इसमें ऐसी स्थितियाँ भी शामिल हैं, जब सक्षम अधिकारी के लिए आदेश जारी करना मुश्किल हो, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में या कामकाजी समस्याओं के कारण।

पूर्व विनियमों से मुख्य अंतर:

- नए नियमों में पूर्ववर्ती प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। एक प्रमुख परिवर्तन यह है कि अब संदेशों के अवरोधन के लिए केवल 'आपातकालीन परिस्थितियों' की आवश्यकता नहीं रह गई है, जैसा कि पहले था।
- संशोधित नियम अवरोधन आदेश जारी करने में अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां सक्षम प्राधिकारी सीधे आदेश जारी करने में असमर्थ होते हैं।
- अब केवल एजेंसी के प्रमुख और राज्य स्तर पर दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी को ही ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार है, जिससे आदेश जारी करने वाले अधिकारियों की संख्या सीमित हो जाती है।
- इसके अतिरिक्त, नए नियमों में यह प्रावधान भी सम्मिलित किया गया है कि इंटरसेप्ट किए गए संदेशों को अदालत में साक्ष्य के रूप में तभी प्रस्तुत किया जा सकता है, जब आदेश की पुष्टि सात दिनों के भीतर की जाए। यदि सक्षम प्राधिकारी उस अवधि के भीतर आदेश की पुष्टि नहीं करता है, तो अवरोधन स्वतः समाप्त हो जाएगा और संबंधित डेटा अनुपयोगी हो जाएगा।

अवधारण अवधि (Retention Period) और जवाबदेही संबंधी चिंताएं:

- नए नियमों के तहत, इंटरसेप्ट किए गए संदेशों के रिकॉर्ड को हर छह महीने में नष्ट किया जाना चाहिए, जब तक कि परिचालन कारणों या अदालती आदेशों के तहत ऐसा करना आवश्यक न हो।
- हालांकि, नियमों ने जवाबदेही को लेकर चिंताएं पैदा की हैं। इंटरसेप्ट शक्तियों का दुरुपयोग करने वाली एजेंसियों को दर्ढित करने का कोई प्रावधान नहीं है, विशेषकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि से पहले सात दिनों की अवधि के दौरान।

नियमों का ऐतिहासिक संदर्भ और आलोचना:

- नए नियमों के लागू होने से पूर्व, इंटरसेप्टन को नियंत्रित करने वाला प्रावधान भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 का नियम 419A था। 1996 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने गोपनीयता के अधिकार की रक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए संदेशों के इंटरसेप्टन के लिए कठोर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता व्यक्त की थी।

- नए नियमों की आलोचना करने वाले कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये नियम इंटरसेप्शन के लिए अत्यधिक व्यापक अधिकार प्रदान करते हैं, विशेषकर 'आपातकालीन मामलों' की शर्त को कमज़ोर करने के कारण। उनका कहना है कि इससे अधिकृत एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग की संभावना बढ़ सकती है और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त निगरानी और जांच की व्यवस्था नहीं की गई है।

भारत के स्टार्टअप्स में महिलाओं का बढ़ता प्रभाव

चर्चा में क्यों?

भारत ने स्टार्टअप क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में बड़ी प्रगति की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत में 73,000 से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक हैं। यह आंकड़ा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मान्यता प्राप्त 1,57,000 स्टार्टअप्स का लगभग आधा है। यह उपलब्धि महिलाओं के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है, जो नवाचार को बढ़ावा देकर देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रही है।

महिला उद्यमियों के लिए सरकारी योजनाएं:

भारत सरकार ने महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। इनमें कुछ प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं:

- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SIFS):**
 - अप्रैल 2021 में शुरू हुई इस योजना के तहत 1,278 महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को 227.12 करोड़ की फंडिंग स्वीकृत की गई है।
 - यह योजना शुरुआती चरण के पूँजी प्रदान करके महिला उद्यमियों को उनके व्यवसायों को बढ़ाने और नवीन समाधान विकसित करने में मदद करती है।
- क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (CGSS):**
 - अप्रैल 2023 में शुरू हुई इस योजना के तहत महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स के लिए 24.6 करोड़ के ऋण की गारंटी दी गई है।
 - यह कार्यक्रम महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता तक पहुंच आसान बनाता है और उन्हें व्यवसाय विस्तार के लिए आवश्यक पूँजी प्राप्त करने में मदद करता है।
- स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS):**
 - इस फंड का 10% हिस्सा महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित है।
 - इसका उद्देश्य महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और उनके विकास और नवाचार में मदद करना है।
 - इसके अतिरिक्त, 2016 में शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया

कार्यक्रम के तहत महिला उद्यमियों को टैक्स में छूट, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और फंडिंग सहायता जैसी कई सुविधाएं दी जाती हैं। 2021 में शुरू की गई समृद्ध योजना के तहत 300 सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप्स के लिए चार वर्षों में 99 करोड़ आवंटित किए गए हैं।



भारत में स्टार्टअप्स के विकास के कारक:

- तकनीकी प्रगति:** एआई, ब्लॉकचेन और IoT जैसी तकनीकों का उपयोग स्थानीय और वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए किया जा रहा है।
- सरकारी समर्थन:** स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत टैक्स लाभ, क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां, और सरल प्रक्रियाएं स्टार्टअप्स को सफल होने में मदद कर रही हैं।
- जनसांख्यिकीय लाभ:** युवा कार्यबल और किफायती इंटरनेट की व्यापक पहुंच के चलते बैंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली-एनसीआर जैसे शहर नवाचार केंद्र बन गए हैं।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स सहित भारतीय स्टार्टअप्स ने अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है:

- रोजगार सृजन:** स्टार्टअप्स ने देशभर में 16 लाख नौकरियां पैदा की हैं।
- जीडीपी वृद्धि:** नवाचार और व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक वृद्धि में योगदान दिया है।
- निवेश आकर्षित करना:** भारतीय स्टार्टअप्स लगातार अंतर्राष्ट्रीय बीसी और पीई निवेश आकर्षित कर रहे हैं।
- ग्रामीण विकास:** कई स्टार्टअप्स, विशेष रूप से सामाजिक उद्यम, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान कर रहे हैं और सकारात्मक सामाजिक बदलाव ला रहे हैं।

ब्रेन बूट्टर

मन्त्रभंग

हाल ही में, वित गञ्ज यंत्री पंकज चौधरी ने भारतमाला परियोजना की

प्रगति पर प्रकाश डाला:

- पहले चरण में 18,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया।
- भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 से 1.6 गुना विस्तारित हुआ है, जो नवंबर 2024 तक 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,195 किलोमीटर हो जाएगा।


अवलोकन

- प्रारंभ:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।
- चरण 1 की घोषणा:** 2017 में की गई, प्रारंभिक रूप से 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य था (धीमी गति से कार्यान्वयन और वित्तीय बाधाओं के कारण विलंब हुआ)।
- पीएम गति-शक्ति योजना के साथ एकीकरण:** कर्ननेविटियी और लॉजिस्टिक्स दस्ता बढ़ाने के लिए, भारतमाला, सागरमाला, द्वाइलैंड पैर जैसी परियोजनाओं को शामिल करता है।
- उद्देश्य:** सड़क कर्ननेविटियी में सुधार, माल और यात्री आवागमन को सुगम बनाना, बदराहों का अधिनिकरण और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना।

फोकस क्षेत्र

- आर्थिक और राष्ट्रीय गतियारों:** 26,000 किमी आर्थिक गतियारों (गोल्डन ब्रॉन डिलेटल, उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम गतियारों सहित) का निर्माण। सड़कों पर माल यातायात में सुधार।
- राज्य-अंतरराज्यीय और कोडरा मार्ग:** 8,000 किमी अंतरराज्यीय गतियारों और 7,500 किमी फॉर्डर मार्ग, पहले और अंतिम माल को कर्ननेविटियी सुनिश्चित करने के लिए।
- सीमा और अंतराष्ट्रीय कर्ननेविटियी:** सीमा सड़कों पर बुनियादी ढाँचे में सुधार, पैडेसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना।
- तटीय और बंदरगाह कर्ननेविटियी मॉड्यूल:** तटीय क्षेत्रों के साथ सड़क लिंक में सुधार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना।

- गीनफील्ड एक्सप्रेसवे:** उच्च यातायात क्षमता वाले एक्सप्रेसवे विकसित करना, बाधाओं को दूर करना।
- उद्देश्य:** परिवहन बुनियादी ढाँचे में सुधार करना।
 - पूरे भारत में कर्ननेविटियी बढ़ाता है।
 - आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
 - बंदरगाहों का अधिनिकरण और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना।



भारतमाला परियोजना

चरण 1 की उपलब्धियाँ

- पूर्ण:** 18,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा हुआ।
- लक्ष्य:** चरण 1 में 34,800 किमी का निर्माण लक्ष्य था।
- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में बृद्धि:** 2014 से 1.6 गुना बढ़कर नवंबर 2024 तक 91,287 किमी से बढ़कर 1,46,195 किमी हो गया।

मुख्य विशेषताएं और लाभ

- रोजगार सूजन और आर्थिक विकास:** रोजगार सूजन को जोड़ता है, दूरस्थ क्षेत्रों तक कर्ननेविटियी बढ़ाता है।
- चरण 1 में रोजगार:** 10 करोड़ तक स्थायी रोजगार सूजन: लोधाभा 22 मिलियन आर्थिक विकास: व्यापार, वाणिज्य, आजीविका को बढ़ावा देता है।
- यात्री सुविधा:** यात्रियों के लिए तेज और अधिक आरामदायक यात्रा।

ब्रेन बूट्टर

मन्द भंग

- हाल ही में जीएसटी परिषद की आयोजित बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में विशेष रूप से स्वास्थ्य और जीवन बीमा करणाथन पर चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय बित मंत्री निमला सीतारमण ने की।

बीमा करणाथन पर प्रमुख निर्णय

- स्थगित:** खास्थ्य और जीवन बीमा पर करों में कटौती के निर्णय को स्थगित कर दिया गया। इस विषय पर गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता जताई गई।
- अगली बैठक:** जनवरी 2025 में अगली बैठक निर्धारित की गई।

जीओएम सिफारिशें:

- प्रस्तावित छूट:**
 - » टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम।
 - » वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थानांश्य बीमा प्रीमियम।
 - » 5 लाख रुपये तक की ब्यक्तिगत स्थान्य बीमा पॉलिसियां।

पूर्ववर्ती कराधान नीति जारी:

- » 5 लाख रुपये से अधिक करवेरेज वाली पॉलिसियां पर 18% जीएसटी।

अन्य प्रमुख प्रस्ताव

- ‘सिन गुड्स’ पर कर बृद्धि: प्रस्तावित बृद्धि 28% से बढ़ाकर 35% तक:
 - » शोतल फ्य।
 - » तंबाकू और सिगरेट।
- लकड़नी सामान:** परिधान, फुटवियर और कलाई घाड़ियों पर उच्च जीएसटी दरें।
- जीएसटी में कटौती:** कुछ शर्तों के तहत पैकेज डिक्रिंग बाटर और माइक्रोल पर।

जीएसटी क्या है?

- परिभाषा:**
 - घरेलू स्तर पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर।
 - मूल्य वर्धित कर (VAT) सिद्धांत पर आधारित।
 - यह व्यवसायों द्वारा एकत्र किया जाता है और सरकार को दिया जाता है।
- उद्देश्य:**
 - केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करना।
 - केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करना।

भारत में जीएसटी का इतिहास और विकास

प्रारंभिक प्रस्ताव:

- 2003: केंद्रकर यास्क फोर्स की सिफारिश।
- 2006-07: राष्ट्रीय बजट में प्रस्तावित।

विद्यमान यात्रा:

- 2014: संचिवधान (122वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया।
- 2016: संचिवधान (101वां संशोधन) अधिनियम के रूप में पारित हुआ।
- 2017: 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया गया।

जीएसटी परिषद

जीएसटी के लिए संवेधानिक ढांचा

- 101वें संशोधन द्वारा पेश किए गए प्रमुख अनुच्छेद:
 - अनुच्छेद 246ए: जीएसटी पर दोहरी विधायी शक्तियां (संसद और राज्य)।
 - अनुच्छेद 269ए: अंतरराज्यीय ब्यापार के लिए राजस्व वितरण।
 - अनुच्छेद 279ए: गद्दपति के आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन।

जीएसटी के घटक

- प्रकार:**
 - सीजीएसटी: केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर।
 - एसजीएसटी: राज्य वस्तु एवं सेवा कर।
 - यूटीजीएसटी: केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर।
 - आईजीएसटी: एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर।
- दरों का निर्णय:**
 - केंद्र और राज्यों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्णय लिया जाता है।

ब्रेन बूस्टर

सन्दर्भ

हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन इडियोपेथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस (IPF) के कारण हुआ, जिससे इस गंभीर बीमारी के प्रति जारूरकता बढ़ी है।

इडियोपेथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस (IPF) क्या है?

- फेफड़ों का फाइब्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों के ऊतक मोटे और सख्त हो जाते हैं। इसमें फेफड़ों में निशान बन जाते हैं, जिससे वे अपनी सामान्य कार्यप्रणाली में समस्या आने लगती है। वायुकोणों के चारों ओर के ऊतक (इंटरस्टिशियम) को प्रभावित करती है।
- सांस लेने में तकलीफ (डिस्पनिया) और थकान जैसे लक्षणों के साथ फेफड़ों के कार्य में हानि होती है।

कारण

इडियोपेथिक:

- जब डॉक्टर किसी बीमारी का निदान करते हैं और सभी जांचों के बाद भी ऊसके कारण का पता नहीं लगा पाते हैं, तो वे उस बीमारी को इडियोपेथिक कहते हैं।

संभावित कारक:

- पर्यावरणीय कारक: धूल, धूआ, स्क्रमण।
- ऑटोइम्यून प्रतिक्रियाएं: असामान्य ऊतक मरम्मत तंत्र (Abnormal Tissue Repair Mechanism)।
- असामान्य उपचार: कोलेजन का आधिक उत्तापन जिससे ऊतक पुनर्जनन (Tissue Regeneration) के बाय निशान पड़ जाते हैं।

अन्य कारक:

- आनुवंशिक प्रवृत्ति।
- लंबे समय तक जलन के संपर्क में रहना (जैसे, लाकड़ी या धातु के कण)।

लक्षण

प्राथमिक लक्षण:


- लगातार सांस लेने में तकलीफ (डिस्पनिया)।
- सूखी खांसी।
- थकान और वजन कम होना।

जटिलताएं:

- फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप।
- हृदय की कमजोरी।
- श्वासावरोध।

उपचार और प्रबंधन

- दबाइयां:
- एंटिफाइब्रोटिक दवाएँ: फिफेनिडोन और निंटेडिनिब निशान पड़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं।
- ऑक्सीजन थ्रेरी: ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखता है।
- पल्मोनरी पुनर्वास (Pulmonary Rehabilitation):
इसमें फेफड़ों के व्यायाम शामिल हैं।
- फेफड़ा प्रस्तारोपण: विशेष मामलों के लिए।
- प्रारंभिक निदान: बेहतर परिणामों के लिए एक बहु-विषयक ट्रीटमेंट महत्वपूर्ण है।



इडियोपेथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस (IPF)

महत्व

इडियोपेथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस (IPF) एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है। इस रोग के लक्षणों, कारणों और ऊपलब्ध उपचारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ना न केवल गोणियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बल्कि देश के स्वास्थ्य सुरक्षाकांक को बेहतर बनाने के लिए भी आवश्यक है।

ब्रेन बूट्टर

सन्दर्भ

हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के मानसर में एनएच-44 पर भारत के पहले जैव-बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया। यह परियोजना सतत आधारभूत संरचना में एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसमें प्राज इंडस्ट्रीज द्वारा सीएसआईआर-सीआरआरआई, एनएचएआई और ऑरेंटल के सहयोग से विकसित लिंगन-आधारित जैव-बिटुमेन तकनीक का उपयोग किया गया है।

राजमार्ग के लाभ:

- जीवाश्म ईंधन आधारित बिटुमेन की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्पादन में 70% की कमी।
- आयात निर्भरता को कम करता है।
- कृषि अपशिष्ट (जैसे, धान का पुआल) का उपयोग करता है।
- जैव-रिफाइनरियों और किसानों के लिए राजस्व सृजन करता है।
- विदेशी मुद्रा में 4,000-4,500 करोड़ रुपये की बचत करता है।

बुनियादी ढांचा लाभ:

- सड़कों में बेहतर स्थायित्व, कम रखरखाव।
- पराली जलसे के प्रदूषण को कम करता है।
- सततता और आत्मनिर्भरता:
- आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है।
- सतत विकास को बढ़ावा देता है।

लिंगन-आधारित जैव-बिटुमेन तकनीक के बारे में

- मुख्य सम्पर्की: लिंगन (पैधे के बायोमास से उप-उत्पाद)
- पर्यावरणीय प्रभाव:
 - » ग्रीनहाउस गैस उत्पादन में 70% की कटौती।
 - » कृषि अपशिष्ट प्रबंधन (जैसे, पराली जलन) को संबोधित करता है।
- आर्थिक प्रभाव: बिटुमेन आयात पर निर्भरता कम करता है।

सड़क निर्माण में अन्य प्रमुख प्रौद्योगिकीय:

- रिजावे तकनीक
 - सीएसआईआर-सीआरआरआई द्वारा विकसित, जैव-आधारित डामर का उपयोग करता है।
 - ठंडे और उच्च ऊर्जा वाले क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया।
 - उत्पादन तपामान को 30°C से 40°C तक कम करता है।
 - सड़क की स्थायित्व में सुधार करता है और उत्सर्जन को कम करता है।
- स्टील स्लैग रोड तकनीक
 - सामग्री प्रयुक्ति: स्टील स्लैग (स्टील उत्पादन का उप-उत्पाद)।
 - सड़क की मजबूती और जल निकासी में सुधार करता है।
 - औद्योगिक अपशिष्ट का सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित पुनर्विकास करता है।



भारत का पहला जैव-बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग

गाष्ट्रीय राजमार्ग 44 (एनएच 44) के बारे में

- लंबाई: 4,112 किमी (भारत का सबसे लंबा उत्तर-दक्षिण राजमार्ग)।
- मार्ग: श्रीगंगर (जम्मू और कश्मीर) से कन्याकुमारी (तमिलनाडु)।
- राज्य शासित: जम्मू और कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु।
- महत्व: अंतरराज्यीय और राष्ट्रीय परिवहन के लिए महत्वपूर्ण।

ब्रेन बूस्टर

मन्त्रभर्ता

- प्रारंभ: केंद्र सरकार ने जलवाहक योजना की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए की।
- उद्देश्य: लौगिकिस्टिक्स लागत को कम करना, सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव कम करना और भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की व्यापारिक क्षमता को अनलॉक करना।

जलवाहक योजना के बारे में

- शुरुआत: ग्राहीय जलमार्ग 1 (गंगा), 2 (ब्रह्मपुत्र) और 16 (बराक नदी) पर माल डुलाई के लिए योजना का शुभारंभ किया गया।
- प्रोत्साहन: 300 किमी से अधिक दूरी तक माल परिवहन करने वाले माल मालिकों के लिए परिचालन लागत का 35% तक प्रतिपूर्ति।
- वेश्वता: 3 वर्ष।
- प्रायत्न कार्याचयन: सीमेंट, जिप्सम और कोयला ले जा रहे तीन कार्गों जहाजों को रखना किया गया।
- निर्धारित मार्ग: कोलकाता-पटना-वाराणसी और कोलकाता-पांडु (गुवाहाटी)।
- प्रभाव का अनुमान: 2027 तक 800 मिलियन टन-किलोमीटर का मोडल शिफ्ट।
- अनुमानित निवेश: 95.4 करोड़ रुपये।

महत्व

जलवाहक योजना भारत के लौजिस्टिक्स में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को एक विश्वसनीय, पर्यावरण-अनुकूल और लागत-प्रभावी परिवहन माध्यम के रूप में विकसित करने की क्षमता को बढ़ाती है।

लाभ

- व्यापार दक्षता: सड़क और रेल परिवहन के लिए एक लागत-प्रभावी विकल्प प्रदान करता है, विशेषकर लंबी दूरी के लिए।
- कार्गो वॉल्यूम वृद्धि: 2013-14 में 18.07 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 132.89 मिलियन टन हो गया।
- लक्ष्य:
 - » 2030 तक 200 मिलियन टन।
 - » 2047 तक 500 मिलियन टन।

- पर्यावरणीय स्थिरता: जलमार्ग कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं।
- चुनौतियाँ
 - अत्यउपयोग: 20,236 किमी के नेटवर्क के बाबजूद, अमेरिका और चीन की तुलना में माल डुलाई की क्षमता का अल्प उपयोग किया जा रहा है।
 - बुनियादी ढांचा कर्मी: बड़े पैमाने पर संचालन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव।
 - विश्वसनीयता मुद्दे: लगातार माल डुलाई के लिए विश्वसनीय शेड्यूल सुनिश्चित करना।

जलवाहक योजना

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWA)

- इसे वर्ष 1986 में पोत परिवहन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन (IWT) को बढ़ावा देना: सतत और लागत-प्रभावी परिवहन समाधानों को प्रोत्साहित करता है।
- विनियमन और सुरक्षा: परिचालन मानकों को निर्धारित करता है और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- सहयोग: यह भारतीय शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसे हितधारकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन विकसित करने के लिए साझेदारी करता है।

ब्रेन बूस्टर

मन्त्र

हाल ही में आजीवन कारबास की सजा प्राप्त एक हत्या पुणे की यशवरा खुली जेल से फरार हो गया है। इससे खुली जेलों में प्रभावशीलता, कैदियों के चयन की प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं।

खुली जेल के विषय में

- परिभाषा:** न्यूनतम सुरक्षा सुविधाएँ जो अत्म-अनुशासन, विश्वास और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से सुधार पर कोंडित हैं।
- इतिहास:** 1950 के दशक में यह अवधारणा आई। महराष्ट्र की पहली खुली जेल यशवदा (1956); पैठन (1968) में खोली गई थी।
- वर्तमान स्थिति:** महाराष्ट्र में 19 खुली जेलें हैं। राजस्थान में सबसे अधिक, 31 खुली जेलें हैं।
- प्रकार (मॉडल जेल मैनगेजमेंट):** अर्ध-खुली प्रशिक्षण संस्थान/कार्य शिविर, खुली संस्थान, खुली प्रशिक्षण संस्थान/कार्य शिविर, खुली कॉलोनियां।

उद्देश्य और भूमिका

- सुधार लक्ष्य:** कैदी कृषि या व्यावसायिक सेटिंग्स में काम करते हैं।
 - » जिम्मेदारी को बढ़ावा देना, कार्य कौशल और सामाजिक एकीकरण।
- विश्वास और सुधार:** विश्वास को बढ़ावा देकर अपराध पुनरावृत्ति को कम करना।
- पुनर्वास और सुधार:** कैदियों को समाज में फिर से शामिल होने में मदद करना।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

- सुरक्षा जोखिम:** भागने से पर्यवेक्षण में कमजोरियों का पता चलता है।
- आत्म-अनुशासन पर निर्भरता:** अलोचकों का तर्क है कि पर्याप्त निगरानी के बिना यह विफल हो सकता है।
- प्रवर्तन में अंतराल:** नियमों के प्रवर्तन की कमी जोखिम पैदा करती है।


महत्व

- बंदी चयन प्रक्रिया**
- पात्रता मानदंड:** कैंदीय जेल में कम से कम 5 वर्षों के दौरान अच्छा आचरण किया हो।
- समिति समीक्षा:** कैदी के इतिहास की समीक्षा की जाती है और पात्र उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाती है।
- चयन प्राधिकरण:** महानियोक्षक (जेल) और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक समिति द्वारा अनिम रूप दिया जाता है।

कानूनी ढांचा

- शासन:** 1894 का कारगार अधिनियम और 1900 का कैदी अधिनियम के तहत।
- राज्य-विशिष्ट नियम:** प्रत्येक राज्य की खुली जेलों के प्रबंधन के लिए अपने विशिष्टनेश हैं।

खुली जेल



बेन बूट्टर

सन्दर्भ

- हाल ही में मध्य प्रदेश के 2,500 वर्ग किलोमीटर के गांधी सागर बन्धजीव अभयारण्य में चीतों को बुन्हँ स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत, 6 से 8 चीतों को 64 वर्ग किलोमीटर के शिकारी-रोधी बाड़े में सुकर किया जाएगा। इस प्रक्रिया में अभ्यारण्य से 70 तेंदुओं को स्थानान्तरित किया गया है।
- यह परियोजना भारत में चीतों के विलुप्त होने (1952) के बाद उनकी आबादी को पुनर्स्थापित करने के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है।

- स्थानान्तरित किया गया है।

- यह परियोजना भारत में चीतों के विलुप्त होने (1952) के बाद उनकी आबादी को पुनर्स्थापित करने के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है।

- चीतों को पुनर्स्थापित करने के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है।

प्रोजेक्ट चीता

चरण 1 (2022)

- लक्ष्य: भारत में चीता की आबादी को बहाल करना।
- स्थान: कुनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश।
- प्रबंधन: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), मध्य प्रदेश वन विभाग, बन्धजीव संस्थान, भारत (WII)।
- कार्य: दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से भारत में चीतों का स्थानान्तरण।

चरण 2

- स्थान: गांधी सागर बन्धजीव अभ्यारण्य (मध्य प्रदेश)।
- विस्तार: भारत में चीता संरक्षण प्रयासों का विस्तार करना।


गांधी सागर बन्धजीव अभ्यारण्य

- स्थापना: 1974
- स्थान: मंत्रपौर और नीमच जिलों में फैला हुआ है, जोकि राजस्थान की सीमा से लगता है।

- विभाजन: गांधी सागर बांध के साथ चंबल नदी द्वारा विभाजित।

चीतों के लिए आदर्श आवास:

- समाजना: केन्या के मासाई मार के साथ समानता, जहां बड़ी चीता आबादी रहती है।
- पूर्णता: अनुकूल: यह स्थान चीतों के लिए एक सुरक्षित आश्रम प्रदान करता है।



अफ्रीकी चीता (Acinonyx jubatus)

- स्थान: केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका सहित उप-सहरा अफ्रीका में पाया जाता है।
- जनसंख्या: लगभग 10,000 व्यक्ति, IUCN द्वारा संकटप्रस्त के रूप में वर्गीकृत।
- खतरे: आवास का नुकसान, शिकार, मानव-कन्ध जीवन संघर्ष।

शारीरिक विशेषताएँ:

- आकार: 84 इंच तक लंबा, वजन 120-159 पाउंड।
- रूप: सुनहरी चमकदार फर पर काले धब्बों का अद्भुत मिश्रण।

भोजन और गति:

- गति के लिए प्रसिद्ध: चीता 60-70 मील प्रति घंटे की रफ्तार।
- शिकार: गैंडल और एटीलोप जैसे शाकाहारी जानवरों का शिकार करता है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- वैधानिक निकाय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत वैधानिक निकाय।
- स्थापना: 2005 में याइर टारक फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया।
- वैधानिक प्राधिकरण स्थिति: बन्ध जीवन (संरक्षण अधिनियम, 2006 की धरा 38L के तहत दी गई।
- तंरचना:
- अध्यक्ष: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री।
- उपाय्यक्ष: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री।

चीतों के लिए आदर्श आवास:

- स्थान: मंत्रपौर और नीमच जिलों में फैला हुआ है, जोकि राजस्थान की सीमा से लगता है।
- विभाजन: गांधी सागर बांध के साथ चंबल नदी द्वारा विभाजित।
- समाजना: केन्या के मासाई मार के साथ समानता, जहां बड़ी चीता आबादी रहती है।
- पूर्णता: अनुकूल: यह स्थान चीतों के लिए एक सुरक्षित आश्रम प्रदान करता है।

ब्रेन बूट्टर


सन्दर्भ

भारत में मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के 25 वर्षों के बाद भी, देश के 48% भाग में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का अभाव है। उपग्रह इंटरनेट प्रौद्योगिकी, दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साधित हो सकती है।

उपग्रह इंटरनेट: एक अवलोकन

परिभाषा:

- उपग्रह इंटरनेट पृथकी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों से वायरलेस तरीके से इंटरनेट सेवा प्रदान करने का एक माध्यम है। ऑर्टिकल फाइबर या मोबाइल नेटवर्क का विकल्प।
- मुख्य विशेषताएँ:**
 - विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किए गए डेटा को अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों के माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है और संसाधित किया जाता है।
 - एटीएन के माध्यम से उपग्रहों के साथ सीधी रेखा को आवश्यकता होती है।
 - पृथकी और अंतरिक्ष के बीच सिन्यल यात्रा समय के कारण संचार में विलंब।
 - स्थापित बुनियादी ढांचे वाले शहरी क्षेत्रों की तुलना में दूरस्थ क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त।



भारत में उपग्रह इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

उपग्रह इंटरनेट के लाभ

- दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच: उगम इलाकों में इन्टरनेट उपलब्ध कराता है।
- उच्च स्केलेबिलिटी: ऑर्टिकल फाइबर बुनियादी ढांचे की तुलना में तेजी से विस्तार।
- आपदा प्रतिरोधी: स्थलीय नेटवर्क को बाहित करने वाली आपदाओं के दौरान कनेक्टिविटी।

उपग्रह इंटरनेट की चुनौतियाँ

- सीमित कवरेज:** उपग्रहों के साथ सीधी दूरी रेखा की आवश्यकता होती है, शहरी या बास्तव इलाकों में मुश्किल होता है।
- विलंबता मुझे:** जियो उपग्रहों में उच्च विलंब होता है, जोकि बास्तविक समय के अनुप्रयोगों को प्रभावित करती है।
- लागत बढ़ाएँ:** उच्च परिचालन लागतें उपग्रह इंटरनेट तकनीक के अपनाने को सीमित करती हैं।
- अंतरिक्ष मलबा:** हजारों उपग्रह मलबे की जिंदगी बढ़ाते हैं।
- साइबर सुरक्षा जोखिम:** जैमिया, हैकिंग और साइबर हमलों की भेद्यता।

भारत में इंटरनेट के लिए कानूनी ढांचा

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 19(2): राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए इंटरनेट की स्वतंत्रता पर उचित रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

वैधानिक प्रावधान:

- टेलीग्राफ अधिनियम, 1885: दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी नियंत्रण (सार्वजनिक आपालकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017।
- सीआरपीसी व्यापार 144: सार्वजनिक सुरक्षा के लिए नियांत्रक आदेश।
- अनुराधा भास्कर मामला (2020): इंटरनेट प्रतिबंध अस्थायी, वेध, आवश्यक और समानुपातिक होना चाहिए।

भारत में उपग्रह इंटरनेट की उपलब्धता

- सीमित उपयोग:** आपदा प्रबंधन, रक्षा, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए सीमित उपयोग।
- सुधार हेतु उपाय:**
 - इसरो ने 14 गोगाबिट प्रति सेकंड (Gbps) की उच्च गति वाले भू-प्रिंथर (GEO) उपग्रह विकसित किए हैं।
 - कम विलंबता सुनिश्चित करने के लिए निम्न पृथकी कक्षा (LEO) उपग्रहों के समूहों को तैयार किया जा रहा है।
- वैश्विक लीडर:**
 - स्टारलिंक (एलोन मस्क)
 - प्रोजेक्ट क्यूपर (अमेज़न)
 - टलासेट

चर्चा में रहे प्रमुख स्थल

लेसोथो

- लेसोथो एक छोटा, भू-आबद्ध देश है जोकि पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। यह दक्षिणी और पूर्वी दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। इसे 'पर्वतीय साम्राज्य' के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी अधिकांश भूमि पहाड़ी है। ऐतिहासिक रूप से, यह क्षेत्र खोइसान भाषी शिकारी-संग्रहकर्ताओं का निवास था।
- लेसोथो 4 अक्टूबर, 1966 को पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ, जिसमें राजा मोशोएशोए द्वितीय शासक थे।
- लेसोथो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जोकि पूरी तरह से 1,400 मीटर से अधिक की ऊँचाई पर स्थित है, जिसका उच्चतम बिंदु थाबाना न्टलेन्याना है।
- ओंज नदी, जोकि अफ्रीका की सबसे लंबी नदियों में से एक है, लेसोथो से होकर बहती है। इसकी शुरुआत लेसोथो हाइलैंड्स में सिंकु नदी के रूप में होती है।
- लेसोथो की राजधानी मासेरु है और यह देश दक्षिणी अफ्रीका के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



मोल्डोवा

- मोल्डोवा, जिसे पहले बेसराबिया के नाम से जाना जाता था, बाल्कन प्रायद्वीप के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक भू-आबद्ध देश है, जोकि पूर्व में यूक्रेन और पश्चिम में रोमानिया से घिरा हुआ है।
- बाल्कन प्रायद्वीप, दक्षिणपूर्वी यूरोप में स्थित है, इसका नाम बाल्कन पर्वत शृंखला से लिया गया है। मोल्डोवा मुख्य रूप से प्रुत और नीस्टर नदियों के बीच स्थित है, जिसमें नीस्टर नदी इसकी पूर्वी सीमा को चिह्नित करती है।
- भौगोलिक रूप से, मोल्डोवा कार्पेथियन पर्वत शृंखला के पूर्व में स्थित है, जोकि दक्षिणपूर्वी यूरोप में एक महत्वपूर्ण शृंखला है।
- मोल्डोवा के भीतर एक उल्लेखनीय क्षेत्र ट्रांसनिस्ट्रिया है, जोकि नीस्टर नदी के पूर्व में स्थित एक अलग क्षेत्र है।
- इस क्षेत्र को रूस समर्थक अलागवादियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसमें रूसी सैनिक और एक बड़ा हथियार डिपो है।



वानुअतु


- वानुअतु, दक्षिण प्रशांत में एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है, जोकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व, फिजी के पश्चिम और सोलोमन द्वीप समूह के दक्षिण-पूर्व में स्थित है।
- इस राष्ट्र की राजधानी पोर्ट विला, एफेट द्वीप पर स्थित है। वानुअतु अपने भूगोल के लिए जाना जाता है, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी जैसे यासुर, मनारो और गैरेट शामिल हैं।
- ऐतिहासिक रूप से, वानुअतु में मेलानेशियन लोग रहते थे और बाद में यह एक संयुक्त एंग्लो-फ्रेंच उपनिवेश बन गया जिसे न्यू हैब्रिड्स कहा जाता था। देश ने 1980 में स्वतंत्रता प्राप्त की, जोकि इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था।
- वानुअतु जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, विशेष रूप से बढ़ते समुद्र स्तर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जोकि वैश्विक औसत दर से दोगुनी हो रही है।



- यह संयुक्त राष्ट्र के विश्व जोखिम सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक जोखिम वाला देश है, जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

करच जलडमरुमध्य

- करच जलडमरुमध्य, पूर्वी यूरोप में एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जोकि काला सागर को अजोव सागर से जोड़ता है। यह लगभग 3 किमी लंबा, 15 किमी चौड़ा और 18 मीटर गहरा है। इसे ऐतिहासिक रूप से रोमनों द्वारा सीमिरियन बोस्फोरस और यूनानियों द्वारा सीमिरियन जलडमरुमध्य के रूप में जाना जाता था।
- भौगोलिक रूप से, करच जलडमरुमध्य पश्चिम में रूसी-अधीनस्थ क्रीमिया प्रायद्वीप और पूर्व में रूस के तमन प्रायद्वीप को अलग करता है।
- करच जलडमरुमध्य एक महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग मार्ग के रूप में कार्य करता है। अजोव सागर के बंदरगाहों से आने वाले जहाज इस जलडमरुमध्य के माध्यम से काला सागर में प्रवेश करते हैं और विश्व के अन्य हिस्सों में जाते हैं।
- करच पुल, जिसे क्रीमिया पुल के नाम से भी जाना जाता है, रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। 2018 में पूरा हुआ, यह 19 किमी लंबा यूरोप का सबसे लंबा पुल है और यह 2014 में क्रीमिया के रूस द्वारा विलय के प्रतीक के रूप में बन गया है।



स्लोवेनिया

- हाल ही में भारत और स्लोवेनिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। इस साझेदारी का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है और यह वैश्विक नवाचार और विकास में स्लोवेनिया की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
- स्लोवेनिया, जिसकी राजधानी लजुब्लजाना है, मध्य यूरोप में एक छोटा सा देश है। इसकी सीमा उत्तर में ऑस्ट्रिया, उत्तर-पूर्व में हंगरी, पूर्व, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण में क्रोएशिया और पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में इटली से लगती है।
- स्लोवेनिया की वेनिस की खाड़ी के साथ एक तटरेखा भी है, जोकि इसे एड्रियाटिक सागर से जोड़ती है।
- स्लोवेनिया अपने खूबसूरत परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें कास्टिक पठार, चोटियाँ और अल्पाइन चोटियाँ शामिल हैं।
- स्लोवेनिया का सबसे ऊँचा स्थान माउंट ट्रिग्लव है। सावा, द्रवा और मुरा जैसी प्रमुख नदियाँ स्लोवेनिया से होकर बहती हैं, जोकि इसकी प्राकृतिक सुंदरता और अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं।



पावर पैकड न्यूज

अग्नि योद्धा (XAW-2024)

- हाल ही में भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों (एसएफ) के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, अग्नि योद्धा (एक्सएडब्ल्यू-2024) का 13वां संस्करण देवलाली, महाराष्ट्र स्थित फौल्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। यह तीन दिवसीय अभ्यास 28 से 30 नवंबर तक आयोजित हुआ, जिसमें सिंगापुर आर्टिलरी के 182 कर्मियों और भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के 114 कर्मियों ने सक्रिय भागीदारी की।
- एक्सएडब्ल्यू-2024 का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ को बढ़ावा देना था, साथ ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक बहुराष्ट्रीय बल के रूप में एकजुटता को बढ़ावा देना था। इस अभ्यास में संयुक्त अग्निशक्ति नियोजन, क्रियान्वयन और उन्नत पीढ़ी के तोपखाने उपकरणों के अनुप्रयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इस अभ्यास में संयुक्त तैयारी, समन्वय और दोनों देशों की तोपखाने प्रक्रियाओं के बीच साझा इंटरफेस के विकास पर जोर दिया गया।
- दोनों पक्षों ने विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान किया और अग्निशक्ति नियोजन पर व्यापक प्रशिक्षण आयोजित किया, जिससे अंतर-संचालनीयता प्रदर्शित हुई और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को गहन किया गया।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ भारत

- भारत को 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग (PBC) में फिर से चुना गया है। दिसंबर 2005 में PBC की स्थापना के बाद से, भारत वैश्विक शांति प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हुआ है और इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा है।
- PBC एक अंतर-सरकारी सलाहकार निकाय है, जोकि संघर्षों से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करता है और शांति निर्माण और शांति बनाए रखने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद को सलाह देता है।
- यह आयोग शांति स्थापना के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य संघर्षों के मूल कारणों को संबोधित करना और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।
- भारत का पुनः निर्वाचन अंतराष्ट्रीय शांति स्थापना और बहुपक्षीय सहयोग के प्रति उसकी मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। एक सदस्य के रूप में, भारत संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में अपनी भूमिका निभाना जारी रखेगा।

सिनबैक्स

- हाल ही में भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास, सिनबैक्स का पहला संस्करण पुणे में शुरू हुआ।
- सिनबैक्स का मुख्य उद्देश्य खुफिया, निगरानी और टोही के लिए एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यबल की स्थापना करना और आतंकवाद विरोधी (सीटी) ऑपरेशन की योजना बनाना है।
- 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में प्रत्येक पक्ष के 20 कर्मी शामिल होंगे और इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त आतंकवाद विरोधी (सीटी) ऑपरेशन की योजना बनाना है।
- प्रमुख पहलुओं में हाइब्रिड युद्ध, साइबर युद्ध, रसद, हताहत प्रबंधन और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) पर चर्चा शामिल है।
- इस अभ्यास के तीन चरण होते हैं: पहले चरण में प्रतिभागियों का उन्मुखीकरण (Orientation) किया जाता है, फिर चर्चा होती है और अंत में योजनाओं को अंतिम रूप देकर परिणामों का सारांश प्रस्तुत किया जाता है।
- 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के साथ सरेखित करते हुए भारतीय मूल के हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन करके स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सिनबैक्स का उद्देश्य भारतीय और कंबोडियाई सेनाओं के बीच विश्वास, सौहार्द और परिचालन अंतर-संचालन को बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए उनकी संयुक्त क्षमताओं को मजबूत करना है।

गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ

- हाल ही में पारंपरिक शादी की साड़ी, घरचोला, को केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है। 'जीआई और उससे आगे- विरासत से विकास' कार्यक्रम के दौरान घरचोला को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग दिया गया।
- घरचोला एक हाथ से बुनी हुई साड़ी है, जोकि आमतौर पर शादियों के दौरान पहनी जाती है और यह अपनी जटिल डिजाइन और जीवंत रंगों के लिए जानी जाती है।
- गुजरात में पारंपरिक उत्पादों की मान्यता में डल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, हाल के वर्षों में 27 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है,

जिनमें से 23 हस्तशिल्प क्षेत्र के हैं।

- जीआई मान्यता न केवल घरचोला की प्रामाणिकता और विशिष्टता की पुष्टि करती है, बल्कि गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में भी मदद करती है।
- इससे पारंपरिक शिल्प की वैश्विक पहचान को बढ़ावा मिलेगा, इसके प्रचार-प्रसार के लिए एक मंच उपलब्ध होगा और इसके निरंतर संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह जीआई टैग गुजरात की कलात्मक विरासत की शिल्पकला और पहचान को बनाए रखने में एक मूल्यवान उपकरण के रूप में कार्य करेगा।

हरिमऊ शक्ति अभ्यास

- ‘हरिमऊ शक्ति’ अभ्यास का चौथा संस्करण मलेशिया के पहांग स्थित बेंटोंग शिविर में शुरू हुआ, जो भारत-मलेशिया सैन्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच प्रतिवर्ष चक्रीय आधार पर आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अध्याय VII के अनुसार, जंगल क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों में दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है।
- इस वर्ष, भारतीय दल, जिसका प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट की एक बटालियन करेगी, प्रशिक्षण के दो चरणों में भाग लेगा। पहले चरण में व्याख्यान, प्रदर्शन और जंगल क्षेत्र में अभ्यास के साथ क्रॉस-ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- दूसरे चरण में कृत्रिम अभ्यास शामिल होगा, जिसमें दोनों सेनाएं एंटी-एमटी एंबुश (Anti-Mine Trap Ambush), रेकी गश्त और आतंकवाद विरोधी हमलों जैसे ऑपरेशनों का अभ्यास करेंगी।
- यह अभ्यास, जोकि भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होता है, दोनों पक्षों को सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने, अंतर-संचालन में सुधार लाने तथा सौहार्द को बढ़ावा देने का एक मंच प्रदान करता है। उमरोई छावनी में आयोजित पिछले संस्करण ने सैन्य सहयोग को गहरा करने, आपसी विश्वास का निर्माण करने और आतंकवाद विरोधी परिदृश्यों में परिचालन तत्परता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

नेटुम्बो नंडी- नदैतवाह: नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति

- हाल ही में नेटुम्बो नंडी-नदैतवाह ने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 8वें राष्ट्रपति चुनाव में 57% से अधिक वोट हासिल करके अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी पंडुलेनी को हराया। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (SWAPO) के सदस्य नंडी-नदैतवाह 1990 में देश की आजादी के बाद से नामीबिया की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति रही हैं।
- SWAPO ने नेशनल असेंबली में भी 96 में से 51 सीटें हासिल करके बहुमत प्राप्त किया। नंडी-नदैतवाह का चुनाव अफ्रीका में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है।
- राष्ट्रपति के रूप में, वह नामीबिया के विकास को जारी रखने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक मुद्दों जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने पर काम करेंगी।

उबर शिकारा: डल झील पर एशिया की पहली जल परिवहन सेवा

- हाल ही में, उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा ‘शिकारा’ जम्मू और कश्मीर के डल झील में शुरू की है। यह नई सेवा पर्यटकों को उबर एप के माध्यम से पहले से तय शिकारा सवारी बुक करने की सुविधा प्रदान करती है।
- यह परिवहन सेवा आगंतुकों को झील का पता लगाने का एक सुविधाजनक और आकर्षक तरीका प्रदान करती है। शिकारा डल झील के बीच में एक लोकप्रिय द्वीप नेहरू पार्क में स्थित है और इसमें चार यात्री तक सवार हो सकते हैं।
- उबर शिकारा उन सेवाओं के समान है जोकि कंपनी ने इटली के वेनिस जैसे अन्य यूरोपीय शहरों में शुरू की है। इस सेवा से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने और पारंपरिक परिवहन के लिए डिजिटल समाधान उपलब्ध होने की उम्मीद है।

पश्चिम बंगाल को यूनेस्को द्वारा शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया गया

- यूनेस्को ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में मान्यता दी है। यह सम्मान राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को उजागर करता है। यह मान्यता राज्य में हेरिटेज पर्यटन के विकास को भी मान्यता देती है, जिसने हजारों युवाओं के लिए रोजगार पैदा किए हैं।

- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि राज्य में 2,489 होमस्टे स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 65% उत्तर बंगाल में स्थित हैं।
- सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें दीधा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण और गंगा सागर द्वीप पर मुरीगंगा नदी पर पुल का निर्माण शामिल है।
- यूनेस्को द्वारा पश्चिम बंगाल को विरासत पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दिए जाने से अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने तथा स्थानीय समुदायों को सहयोग देने वाले स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

भारतीय मूल की कलाकार जसलीन कौर ने जीता टर्नर पुरस्कार 2024

- भारतीय मूल की स्कॉटिश कलाकार जसलीन कौर को उनकी प्रदर्शनी “ऑल्टर अल्टर” के लिए प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह प्रदर्शनी बहुलता, पहचान, और व्यक्तिगत-राजनीतिक संबंधों जैसे विषयों की गहन प्रस्तुति करती है।
- निर्णायक मंडल ने कौर के कार्य की सराहना करते हुए इसे एक ऐसा दृश्य और श्रव्य अनुभव बताया, जोकि एकता और आनंद का प्रतीक है। उनकी कला में व्यक्तिगत और आध्यात्मिक तत्वों के गहरे एकीकरण और सामग्रियों के अभिनव उपयोग की भी प्रशंसा की गई।
- जसलीन कौर, 38 वर्ष की आयु में, इस वर्ष की पुरस्कार सूची में सबसे कम उम्र की नामांकित महिला थीं। टर्नर पुरस्कार के तहत उन्हें £25,000 का नकद पुरस्कार भी मिला है। ग्लासगो में जन्मी कौर की कला पर उनके परिवार के पंजाब से प्रवास का गहरा प्रभाव पड़ा है।
- “ऑल्टर अल्टर” प्रदर्शनी में कौर ने सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग किया है। इसमें एक पुरानी लाल फोर्ड एस्कॉर्ट, क्रोकेटेड डोली, पारिवारिक तस्वीरें, पूजा की घाँटियाँ और उनके बचपन के साउंडट्रैक शामिल हैं, जोकि सांस्कृतिक विरासत और समकालीन कला का संगम प्रस्तुत करते हैं।
- 1984 में स्थापित टर्नर पुरस्कार ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित कला पुरस्कारों में से एक है, जोकि समकालीन कला में अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। जसलीन कौर अब भारतीय मूल के प्रतिष्ठित कलाकार अनीश कपूर के साथ इस सम्मान की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्हें 1991 में यह पुरस्कार मिला था।

राज मनचंदा: भारतीय स्कॉर्च में एक विरासत

- हाल ही में राज मनचंदा का 79 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। वह राष्ट्रीय स्कॉर्च चैम्पियन थे, उन्होंने 33 वर्ष की आयु में अपना पहला खिताब हासिल किया था। 1977 से 1982 तक राष्ट्रीय स्कॉर्च परिदृश्य पर छाए रहने वाले मनचंदा ने सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए 11 खिताब भी जीते। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 6 पुरस्कार जीते।
- भारतीय स्कॉर्च के प्रमुख खिलाड़ी मनचंदा ने भारतीय टीम को कराची में 1981 एशियाई टीम चैम्पियनशिप में रजत पदक और जॉर्डन में 1984 एशियाई चैम्पियनशिप में कांस्य पदक दिलाया।
- खेल में उनके योगदान को अत्यधिक सराहा गया और उनकी उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें 1983 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- उनका करियर स्कॉर्च खिलाड़ियों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा तथा भारतीय स्कॉर्च इतिहास में सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक के रूप में उन्हें याद करेगा।

सेंटिनल-1सी उपग्रह प्रक्षेपण

- हाल ही में तीसरे कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह, सेंटिनल-1सी को फ्रेंच गुयाना में यूरोप के स्पेसपोर्ट से वेगा-सी रॉकेट पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह प्रक्षेपण इतालवी निर्मित वेगा-सी लॉन्चर की पुनः वापसी का प्रतीक है, जोकि अपने पहले वाणिज्यिक मिशन में विफलता के कारण दो वर्षों तक निर्लिपित रहा था।
- सेंटिनल-1सी को पृथ्वी के पर्यावरण में होने वाले बदलावों की निगरानी के लिए उच्च-रिजॉल्यूशन रडार इमेज प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। यह समुद्री यातायात की निगरानी, जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन करने और आपदाओं के प्रबंधन सहित कई अनुप्रयोगों का समर्थन करता है।
- यह उपग्रह वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में योगदान देगा और कोपरनिकस कार्यक्रम में नई क्षमताएँ जोड़ने में सहायक होगा।
- कोपरनिकस दुनिया की सबसे बड़ी पृथ्वी अवलोकन प्रणाली है, जिसमें 12 सेंटिनल उपग्रह शामिल हैं। इसमें रडार डेटा का सबसे बड़ा संग्रह है, जो इसे हमारे ग्रह को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 'अन्न चक्र' का शुभारंभ

- हाल ही में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक कुशल बनाने के लिए नई दिल्ली में 'अन्न चक्र' लॉन्च किया है। इस उपकरण को विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और आईआईटी-दिल्ली में फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (एफआईटीटी) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- अन्न चक्र का उद्देश्य पीडीएस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है, जिससे देश भर में खाद्यान्तों की सुचारू और समय पर आवाजाही सुनिश्चित हो सके।
- इससे परिवहन-संबंधी उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। अन्न चक्र के साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए सब्सिडी दावा आवेदन (सब्सिडी क्लोम एप्लीकेशन) नामक एक पोर्टल भी शुरू किया गया है।
- यह पोर्टल खाद्य सब्सिडी जारी करने और निपटाने की प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाएगा, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही में सुधार होगा।

पीएम ई-विद्या चैनल 31 का शुभारंभ

- हाल ही में सरकार ने पीएम ई-विद्या चैनल 31 लॉन्च किया है, जोकि सांकेतिक भाषा के लिए एक समर्पित डीटीएच चैनल है। यह पहल दिव्यांग व्यक्तियों, विशेष रूप से श्रवण विक्षिप्त व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ाने के लिए भारत के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
- भारत में सांकेतिक भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह नृत्य, नाटक और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों जैसी लोकप्रिय संस्कृतियों में मौजूद है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जोकि अधिक समावेशी शिक्षा प्रणाली का समर्थन करती है। यह पहल दिव्यांगजनों की अपार संभावनाओं को सामने लाएगा।
- इस पहल का उद्देश्य अधिक समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण में योगदान देना है।

विश्व मुक्केबाजी ने नई एशियाई संस्था बनाई

- विश्व मुक्केबाजी ने नई एशियाई संस्था का गठन किया, जिसमें एशियाई मुक्केबाजी के विकास और विस्तार के लिए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के सात प्रमुख पद होंगे। अजय सिंह को बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बीएफआई के महासचिव सहित प्रमुख आयोगों में भारतीय अधिकारियों का प्रतिनिधित्व होगा।
- लवलीना बोरगोहेन एथलीट आयोग का हिस्सा होंगी और नेंद्र कुमार नियवान संविधान आयोग में कार्य करेंगे। डी पी भट्ट नवगठित खेल और प्रतिस्पर्धा आयोग का हिस्सा होंगे। यह नई संस्था एशियाई मुक्केबाजी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बोस्निया के 'बाल्कन ब्लूज' को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई

- बोस्निया और हर्जेंगोविना के पारंपरिक प्रेम गीत सेवडालिंका को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है।
- इसे अक्सर 'बाल्कन ब्लूज' कहा जाता है। यह 16वीं शताब्दी का एक उदास शहरी प्रेम गीत है जिसमें दक्षिण स्लाव लोगों की मौखिक कविता और ओटोमन संगीत का संयोजन होता है।
- सेवडालिंका प्रदर्शनों में पारंपरिक वाद्ययंत्रों का उपयोग किया जाता है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदर्शनों के माध्यम से साझा किया गया है।
- इमारांविच की सेवडालिंका पहल ने इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए समर्थन जुटाया है।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 का गुड प्रैक्टिस अवार्ड

- हाल ही में भारत को सऊदी अरब के रियाद में एशिया-प्रशांत फोरम में 'एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 का गुड प्रैक्टिस अवार्ड' मिला। यह पुरस्कार भारत द्वारा अपने कार्यबल के लिए प्रभावी सामाजिक सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने के प्रयासों को मान्यता देता है।
- कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का प्रबंधन करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को इसके प्रभावी संचार चैनलों के लिए पांच योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

- यह पुरस्कार ईपीएफओ द्वारा अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने, उन्हें अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किए गए सुधारों पर प्रकाश डालता है। ये परिवर्तन भारत के कर्मचारियों को अधिक समावेशी और उत्तरदायी बनाकर उनके लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने के प्रयासों का हिस्सा हैं।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह ने ईपीएफओ की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया।
- यह मान्यता एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को दर्शाती है।

आईएनएस तुशील

- हाल ही में भारतीय नौसेना ने रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में मल्टी-रोल स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील को शामिल किया।
- इस समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जो भारत-रूस सहयोग में एक महत्वपूर्ण विकास है।
- आईएनएस तुशील तलवार श्रेणी के फ्रिगेट का सातवां जहाज है और भारतीय नौसेना द्वारा ऑर्डर किए गए तीसरे बैच का पहला जहाज है। यंतर शिपयार्ड द्वारा निर्मित यह जहाज व्यापक समुद्री परीक्षणों से गुजरा है, जिसमें हथियार फायरिंग और 30 नॉट से ज्यादा की गति हासिल करना शामिल है।
- उल्लेखनीय रूप से, इसमें 26% की उन्नत स्वदेशी सामग्री शामिल है तथा इसमें प्रमुख भारतीय मूल उपकरण निर्माताओं की 33 प्रणालियाँ शामिल हैं।
- यह कमीशनिंग भारत और रूस के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को रेखांकित करता है, जोकि क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह आयोजन नौसेना क्षमताओं को आगे बढ़ाने में दोनों देशों के बीच सफल सहयोग को भी उजागर करता है।
- तुशील का जलावतरण भारत और रूस के बीच स्थायी रणनीतिक साझेदारी का प्रमाण है, जोकि रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने में उनके पारस्परिक हितों को मजबूत करता है।



चिली की पूर्व राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

- हाल ही में घोषित 2024 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से वर्जीनिया मिशेल बाचेलेट जेरिया को सम्मानित किया जाएगा। बाचेलेट, जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं, को यह सम्मान उनके मानवाधिकारों के लिए किए गए वैश्विक प्रयासों के लिए दिया गया है।
- यह घोषणा एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता शिवशंकर मेनन (पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री) ने की।
- बाचेलेट ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं जिसमें यूएन वुमेन की संस्थापक प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, चिली की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दो बार सेवा (2006-2010 और 2014-2018) और अपने देश और दुनिया भर में सबसे कमज़ोर वर्गों के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए जोरदार आवाज उठाई है।
- बाचेलेट का जन्म 29 सितंबर, 1951 को चिली के सैटियागो प्रांत के ला सिस्तेमा में हुआ था।
- यह पुरस्कार उनके शांति, मानवाधिकार, और विकास के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है।
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष व्यक्तियों और संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए मान्यता देने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में 25 लाख रुपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। यह पुरस्कार 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था।

बांग्लादेश ने जीता अंडर-19 एशिया कप

- बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया। दुबई में हुए फाइनल मैच में बांग्लादेश ने भारत को 36 ओवर में 139 रन पर आउट कर दिया। भारतीय टीम की तरफ से कप्तान मोहम्मद अमन ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए, जबकि हार्दिक राज ने 24 रन जोड़े।
- अंडर-19 एशिया कप, एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) द्वारा आयोजित टूर्नामेंट है, जिसमें एशिया की युवा क्रिकेट टीमें खेलती हैं।
- यह टूर्नामेंट पहली बार 1989 में बांग्लादेश में हुआ था। 2007 में इसका नाम बदलकर एसीसी अंडर-19 एलीट कप कर दिया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर

- राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 26वें गवर्नर के रूप में पद भार ग्रहण किया है। उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। वह शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे, जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में छह साल का कार्यकाल पूरा कर लिया।
- संजय मल्होत्रा ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारों सहित कर नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वित्त, कराधान, बिजली, सूचना प्रौद्योगिकी और खान जैसे क्षेत्रों में विभिन्न प्रमुख पदों पर काम किया है।
- शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया। उन्होंने 12 दिसंबर, 2018 को आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया और उनका कार्यकाल 2021 में बढ़ा दिया गया था।

कलैगनार हस्तशिल्प योजना

- तमिलनाडु सरकार ने कारीगरों और शिल्पकारों को सहयोग देने के लिए कलैगनार हस्तशिल्प योजना शुरू की।
- इस योजना के तहत कारीगरों को 3 लाख रुपये तक का क्रेडिट समर्थन मिलेगा। कर्ज पर 25% सब्सिडी (अधिकतम 50,000 रुपये) प्रदान की जाएगी। लाभार्थीयों को 5% ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। आवेदन करने के लिए लाभार्थी की वयस्तम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
- यह योजना 25 प्रकार के व्यवसायों/शिल्पों में लगे सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है।
- योजना का उद्देश्य मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करना और कौशल एवं उद्यम विकास को बढ़ावा देना है।
- 2023 में केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की थी, जो 18 व्यवसायों के कारीगरों को व्यापक समर्थन प्रदान करती है।

MuleHunter.AI

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल म्यूल बैंक खातों का पता लगाने और उन्हें चिन्हित करने के लिए MuleHunter.AI लॉन्च किया है, जो एक उन्नत एआई टूल है।
- भारत में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों (67.8%) के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह पहल शुरू की गई है। MuleHunter.AI, उन्नत मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके म्यूल खातों की पहचान प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाता है, पारंपरिक नियम-आधारित सिस्टम की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है।
- म्यूल खाते ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिन्हें अपराधी अवैध धन के लेन-देन के लिए उपयोग करते हैं। ये खाते अक्सर कम आय वर्ग के लोगों या सीमित तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्तियों के नाम पर होते हैं।
- इन्हें धोखे या दबाव में अवैध धन शोधन की गतिविधि में शामिल किया जाता है। आपस में जुड़े होने से इन खातों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध का खतरा बढ़ता है।
- इस टूल को वित्तीय संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है। पारंपरिक प्रणाली में फाल्स पॉजिटिव की अधिक दर और धीमी प्रक्रिया के कारण कई म्यूल खाते छूट जाते थे। RBIH ने म्यूल खातों से जुड़े 19 विशिष्ट व्यवहारों का विश्लेषण करके यह एआई समाधान तैयार किया है।

वरिष्ठ पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल 2024 यूएनईपी 'चैंपियन ऑफ द अर्थ' पुरस्कार से सम्मानित

- हाल ही में प्रतिष्ठित पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के 2024 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' पुरस्कार के छह प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। 'लाइफटाइम अचीवमेंट' श्रेणी में सम्मानित गाडगिल के अभूतपूर्व कार्य ने भारत और उसके बाहर पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
- छह दशकों के वैज्ञानिक करियर के साथ, गाडगिल को जमीनी स्तर पर पर्यावरण और अनुसंधान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है।
- उन्होंने 2011 में पश्चिमी घाट परिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील पश्चिमी घाट के 75% हिस्से के संरक्षण की वकालत की, जोकि जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। विवादों और कार्यान्वयन में देरी के बावजूद, उनकी सिफारिशें पर्यावरण नीति निर्माण में एक बेंचमार्क बनी हुई हैं।
- गाडगिल की प्रभावशाली 'गाडगिल रिपोर्ट' ने औद्योगिक और जलवायु खतरों के बीच नाजुक पश्चिमी घाटों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उनके प्रयासों ने समुदाय-संचालित संरक्षण को प्रेरित किया है और सतत विकास पर जनता की राय को आकार दिया है।
- गाडगिल ने आशा व्यक्त करते हुए पर्यावरण संबंधी मुद्दों को आगे बढ़ाने में सामूहिक कार्रवाई और संचार की शक्ति पर जोर दिया।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके सतत समर्पण और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए उनकी वकालत के लिए यूएनईपी ने उन्हें 'लोगों का वैज्ञानिक' कहा।

भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में ऐतिहासिक सम्मान मिला

- हाल ही में भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया ने अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक-मोशन पिक्चर के लिए नामांकन प्राप्त करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
- यह 26 वर्षों में पहली बार है जब शेखर सुमन के बाद किसी भारतीय फिल्म निर्माता को इस प्रतिष्ठित श्रेणी में मान्यता मिली है।
- ऑल वी इमेजिन एज लाइट एक अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्माण फिल्म है, जिसमें फ्रांस, भारत, नीदरलैंड, लक्जमर्बर्ग और इटली ने भागीदारी की है। इस फिल्म को इस साल की शुरुआत में 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने के बाद वैश्विक पहचान मिली।
- एमिलिया पेरेज (फ्रांस) और द गर्ल विद द नीडल (पोलैंड) जैसी प्रमुख वैश्विक प्रविष्टियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए, इस मान्यता ने भारतीय सिनेमा के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को और मजबूत किया है।

गोल्डन ग्लोब के बारे में:

- हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन (HFPA) द्वारा प्रस्तुत गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मनोरंजन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है, जोकि फिल्म और टेलीविजन की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। 1944 में स्थापित, इन पुरस्कारों को ऑस्कर का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि ये सिनेमा में महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं और पुरस्कार सत्र के रुझान को आकार देते हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प 2024 के लिए TIME पर्सन ऑफ द ईयर नामित

- डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका के राष्ट्रपति को 2024 के लिए TIME मैगजीन का 'पर्सन ऑफ द ईयर' नामित किया गया है।
- यह उनका दूसरा सम्मान है; उन्हें 2016 में भी चुना गया था जब वे पहली बार राष्ट्रपति बने थे।
- अन्य नामांकितों में कमला हैरिस, एलोन मस्क, बेंजामिन नेतन्याहू और केट, प्रिसेस ऑफ वेल्स शामिल थे।
- 2023 में, टेलर स्विफ्ट को इस खिताब से सम्मानित किया गया था, जो TIME की समाज में योगदान देने वालों की व्यापक मान्यता को दर्शाता है।

भारतीय ग्रैंडमास्टर डोम्माराजू गुकेश बने विश्व शतरंज चैंपियन

- 18 वर्षीय भारतीय शतरंज प्रतिभा डोम्माराजू गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब जीता है। उन्होंने सिंगापुर में आयोजित 18वें FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में चीन के डिंग लिरेन को हराया।
- गुकेश ने 14 मैचों में 7.5 अंक हासिल किए, जिससे वे 22 साल की उम्र में चैंपियन बनने वाले गैरी कास्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
- यह उपलब्धि हासिल करने वाले गुकेश दूसरे भारतीय बने, पहले विश्वनाथन आनंद थे। उनकी जीत भारतीय शतरंज के लिए वैश्विक मंच पर गर्व का क्षण है।

2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा सऊदी अरब

- सऊदी अरब 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा।
- सऊदी अरब में ये मैच रियाद, जेहा, अल खोबर, अबा और नियोम के 15 स्टेडियमों में होंगे।
- यह निर्णय स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को द्वारा 2030 संस्करण की सह-मेजबानी की घोषणा के बाद आया है।
- सऊदी अरब की मेजबानी वैश्विक खेल आयोजनों पर उसके बढ़ते ध्यान को उजागर करती है।

विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो

- विश्व आयुर्वेद कांग्रेस डिजिटल एकीकरण पर केंद्रित विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो 12 दिसंबर को देहरादून में शुरू हुआ।
- इसकी थीम 'डिजिटल हेल्थ, आयुर्वेदिक अप्रोच' पर केंद्रित है, जो पारंपरिक आयुर्वेद को एआई, ऑप्टोमेटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ता है। 5,500 से अधिक भारतीय और 350 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आयुर्वेद में प्रगति पर चर्चा करने

के लिए शामिल हुए हैं।

- इस आयोजन में प्रमुख आयुर्वेदिक संस्थानों के उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी शामिल है, जो आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल में आयुर्वेद की भूमिका को उजागर करती है।

एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत छठे स्थान पर

- भारत ने एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में छठा स्थान हासिल किया, जो 10 दिसंबर को चीन से 30-41 की हार के बाद उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। यह पहली बार था जब भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की, जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
- फाइनल में जापान ने गत चैंपियन दक्षिण कोरिया को 25-24 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता।
- कजाकिस्तान ने ईरान को 28-22 से हराकर कास्य पदक जीता। टूर्नामेंट की सफलता एशिया में महिला हैंडबॉल की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना

- दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है, जो पात्र महिलाओं को 1,000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- दिल्ली चुनावों के बाद यह राशि बढ़कर 2,100 हो जाएगी। इस योजना की घोषणा 2024-25 के बजट में 2,000 करोड़ के आवंटन के साथ की गई थी, जिसका उद्देश्य 38 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाना है।
- पात्रता के लिए, आवेदकों को स्थायी दिल्ली निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए और वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। वे करदाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए।
- इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय और सामाजिक भलाई में सुधार करना है।

लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन

- लद्दाख 23 से 27 जनवरी 2025 तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा। जम्मू और कश्मीर 22 से 25 फरवरी 2025 तक बर्फ के खेलों की मेजबानी करेगा। ये खेल खेलो इंडिया सीजन की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद अप्रैल 2025 में बिहार में युवा और पैरा गेम्स आयोजित किए जाएंगे।
- खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत 2020 में हुई थी, जिसमें लगभग 1,000 एथलीट्स शामिल थे, जिनमें से 306 महिलाएं थीं।
- वर्षों के साथ, इस विंटर गेम के आयोजन में काफी वृद्धि हुई है, जो जम्मू और कश्मीर में इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।
- लद्दाख लगातार दूसरे वर्ष इस आयोजन का हिस्सा होस्ट कर रहा है, जो शीतकालीन खेलों में इसकी बढ़ती महत्वता को दर्शाता है।
- ये खेल शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देते हैं और क्षेत्र में पर्यटन और खेल संरचना को मजबूत करते हैं।

भारत ने कुल प्रजनन दर 2.0 का लक्ष्य किया हासिल

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार भारत ने कुल प्रजनन दर (TFR) 2.0 हासिल कर ली है।
- यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों को पूरा करता है। सरकारी परिवार नियोजन कार्यक्रम इस उपलब्धि के केंद्र बिंदु रहे हैं।
- निरोधक विकल्पों में कंडोम, मौखिक गोलियाँ, आपातकालीन गर्भनिरोधक, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (IUCDs) और नसबंदी शामिल हैं। अतिरिक्त विकल्पों जैसे अंतरा इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक और छाया गोली को भी पेश किया गया है।
- मिशन परिवार विकास पहल का ध्यान उच्च प्राथमिकता वाले और पूर्वोत्तर राज्यों में परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने पर है।
- नसबंदी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं और प्रसवोत्तर गर्भनिरोधक उपायों जैसे प्रसवोत्तर IUCDs और नसबंदी को बढ़ावा दिया जाता है।
- गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, 16,586 स्वास्थ्य सुविधाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (NQAS) प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
- इन प्रयासों का उद्देश्य परिवार के स्वास्थ्य में सुधार करना और संतुलित जनसंख्या वृद्धि सुनिश्चित करना है।

लोकसभा ने रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 पारित किया

- लोकसभा ने रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 पारित किया है, जिसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड की शक्तियों और स्वतंत्रता को बढ़ाना है।
- यह विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करता है, जिससे केंद्र सरकार को रेलवे बोर्ड की संचाना, सदस्यों की संख्या, उनकी योग्यता और सेवा शर्तों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मिलता है।
- यह विधेयक भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के सभी प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करता है। यद्यपि रेलवे अधिनियम 1989 ने भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 को प्रतिस्थापित किया, रेलवे बोर्ड अब तक कानूनी समर्थन के बिना संचालित होता रहा है।
- यह संशोधन भारतीय रेलवे के प्रशासन को मजबूत करता है, दक्षता और निर्णय-निर्माण में सुधार करता है।
- यह रेलवे प्रणाली के आधुनिकीकरण और बढ़ते परिवहन नेटवर्क की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।

डेजर्ट नाइट अभ्यास

- हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने डेजर्ट नाइट रक्षा अभ्यास आयोजित किया।
- यह त्रिपक्षीय अभ्यास तीनों देशों की वायु सेनाओं के युद्ध कौशल और पारस्परिक संचालन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।
- यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर, कराची से लगभग 350-400 किमी दक्षिण-पश्चिम में आयोजित किया गया।
- डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करना है।
- फ्रांस और UAE के साथ समन्वय स्थापित करके भारत अपने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है और एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो-पैसिफिक सुनिश्चित करना चाहता है।
- यह अभ्यास, भारत की दृष्टि से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

सुरसा

- भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने अदरक की एक नई किस्म, सुरसा, विकसित की है। यह अदरक की पहली ऐसी किस्म है, जिसे विशेष रूप से सब्जी के रूप में उपयोग के लिए तैयार किया गया है। यह किस्म तीखी नहीं होती और इसके स्वाद को अधिक स्वादिष्ट बताया जा रहा है।
- सुरसा की उपज क्षमता प्रति हेक्टेयर 24.33 टन तक हो सकती है। इसके तने मोटे होते हैं और इनका गूदा सफेद पीले रंग का होता है। सुरसा में फाइबर की मात्रा कम होती है और इसकी ड्राई रिकवरी दर लगभग 21% है। यह सूखी अदरक बनाने के लिए भी आदर्श है और इसे पॉलीबैग में भी उगाया जा सकता है।
- केरल राज्य वैरिएटल रिलाइज कमेटी ने इस किस्म की खेती को राज्य में मंजूरी दे दी है। सुरसा के विकास के साथ, भारत में अदरक की खेती और इससे जुड़े उद्योगों को नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद है।

एलन मस्क की कुल संपत्ति \$ 400 बिलियन के पार

- एलन मस्क की कुल संपत्ति \$400 बिलियन को पार कर गई है। इस उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इस वृद्धि का मुख्य कारण टेस्ला के शेयरों की कीमत में उछाल है, जो \$420 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- मस्क की नियुक्ति इस साल सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) के सह-नेता के रूप में हुई थी, जिसके बाद कंपनी के शेयर की कीमत में 70% की वृद्धि दर्ज की गई। मस्क वर्तमान में एक्स के मालिक और स्पेसएक्स के संस्थापक हैं। टेस्ला के 'बी, रोबोट' कार्यक्रम के दौरान मस्क ने स्ब-चालित टैक्सी और ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस का प्रदर्शन भी किया।
- एलन मस्क ने अब तक सात व्यवसाय सह-स्थापित किए हैं, जिनमें टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्सप्राई शामिल हैं। 2022 में मस्क ने ट्रिवटर को +44 बिलियन में खरीदा और उसका नाम बदलकर एक्स कर दिया।

फ्रांस के नए प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायर्स

- फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने फ्रैंकोइस बायर्स को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पिछली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद की गई।

- फ्रांस बायरु 2024 में नामित होने वाले चौथे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर ने केवल तीन महीने तक सेवा की, जो फ्रांस के इतिहास में सबसे कम समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए। जनवरी 2024 में, गेब्रियल अट्टल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे।
- फ्रांस में प्रधानमंत्री फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार के प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद संभालते हैं। बायरु की नियुक्ति के साथ, सरकार की स्थिरता और नीतिगत दिशा में बदलाव की उम्मीद की जा रही है।

22वां दिव्य कला मेला

- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 12 से 22 दिसंबर 2024 तक इंडिया गेट पर 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग उद्यमी और कारीगरों ने भाग लिया।
- दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों को अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई कार्य, पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी, जीवन शैली उत्पाद और गृह सजावट के उत्पाद प्रदर्शित किए जाते हैं।
- 2022 में अपनी स्थापना के बाद से दिव्य कला मेला पूरे भारत के 21 शहरों में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। यह आयोजन दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

कॉम्प्रिहेन्सिव और प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP)

- हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने कॉम्प्रिहेन्सिव और प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) में शामिल होने का ऐलान किया है। यह समझौता व्यापार में रुकावटों को कम करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है।
- CPTPP एक व्यापार समझौता है जो 8 मार्च 2018 को सैटियागो, चिली में साइन हुआ था। यह 30 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुआ था, जब इसे साइन करने वाले देशों में से 50% देशों ने इसे रैटिफाई किया था या छह देशों ने इसे स्वीकृति दी थी।
- दिसंबर 2024 तक, CPTPP में 12 सदस्य देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम।



कॉलैटरल-फ्री एग्रीकल्चरल लोन

- कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों के लिए कॉलैटरल-फ्री लोन की सीमा रूपये 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और इसका उद्देश्य किसानों पर बढ़ती इनपुट लागत और महांगाई के असर को कम करना है। इस प्रकार के लोन में किसानों को कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है।

मुख्य बातें:

- बैंक को 2 लाख तक के कृषि लोन के लिए कॉलैटरल और मार्जिन की आवश्यकता को माफ करने का निर्देश दिया गया है, इसमें सहायक गतिविधियों के लिए भी लोन शामिल हैं।
- नए दिशा-निर्देश छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कृषि क्षेत्र के 86% से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इस कदम से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, जो उधारी लागत को घटाने और कृषि कार्यों में निवेश को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके साथ ही संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत 3 लाख तक के लोन पर 4% ब्याज दर मिलेगी, जिससे वित्तीय समावेशन और टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा।

रूस 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा शुरू करेगा

- रूस ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा की शुरुआत करने का ऐलान किया है। जून 2024 में, रूस और भारत ने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारतीय पर्यटक बिना वीजा के रूस की यात्रा कर सकेंगे। यह वीजा-मुक्त यात्रा 2025 के फरवरी से शुरू होने की संभावना है।
- इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारतीय और रूसी नागरिकों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना है, खासकर समूह पर्यटन के आदान-प्रदान के

- माध्यम से। भारतीय नागरिकों को पहले ही 62 देशों में वीजा-मुक्त यात्रा की अनुमति प्राप्त है।
- इसके अलावा, भारतीय पर्यटक अगस्त 2023 से रूस के लिए ई-वीजा आवेदन कर सकते हैं, जो चार दिनों में संसाधित हो जाता है।
- रूस के लिए भारतीय पर्यटकों का मुख्य आकर्षण व्यवसाय और काम होता है। 2023 में, 60,000 से अधिक भारतीय नागरिक मास्को का दौरा करने के लिए रूस गए थे। रूस ने चीन और ईरान जैसे देशों के नागरिकों के लिए पहले से ही वीजा-मुक्त पर्यटक विनियम कार्यक्रम शुरू किया है।
- इस कदम से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी।



नया सर्वेक्षण पोत 'आईएनएस निर्देशक' भारतीय नौसेना में शामिल किया गया

- भारतीय नौसेना ने अपना नया सर्वेक्षण पोत 'आईएनएस निर्देशक' 18 दिसंबर को विशाखापत्तनम में शामिल किया।
- यह पोत भारतीय नौसेना के लिए गहरे समुद्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करेगा और युद्धपोतों तथा पनडुब्बियों के संचालन में मदद करेगा।
- सर्वेक्षण पोत 'निर्देश' को 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री से बनाया गया है और यह अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण उपकरणों से लैस है।
- पोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने किया है, और इसका वजन 3800 टन है।
- यह पोत 110 मीटर लंबा है और इसमें दो डीजल इंजन हैं। इस पोत का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना, नेविगेशन में सहायता प्रदान करना और समुद्री संचालन का समर्थन करना है।
- यह पोत भारतीय नौसेना की गहरे समुद्र में उपलब्धियों को और बढ़ाएगा और समुद्र से संबंधित खतरों से निपटने में मदद करेगा।

पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कैवेलशविली जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने

- पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कैवेलशविली 14 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने। उन्होंने चुनाव में आसान जीत हासिल की, क्योंकि वह चुनाव में एकमात्र उम्मीदवार थे। उनकी जीत जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी के प्रभाव से सुनिश्चित हुई, जो संसद के 300 सीटों वाले निर्वाचक मंडल को नियंत्रित करती है।
- जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी ने अक्टूबर 2024 में हुए चुनाव में संसद पर अपना नियंत्रण बरकरार रखा, हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह चुनाव मास्को की मदद से धांधली की गई थी।
- कैवेलशविली की जीत से जॉर्जिया में रूस समर्थक रुख का संकेत मिलता है। 2018 से 2024 तक जॉर्जिया की राष्ट्रपति पश्चिम समर्थक सलोमी जौराबिचविली थीं, जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ। कैवेलशविली की चुनावी सफलता ने जॉर्जिया में राजनीतिक और कूटनीतिक परिवर्तन का संकेत दिया है और उनकी सरकार जॉर्जिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आंतरिक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है।

भारत ने मस्कट, ओमान में महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैम्पियनशिप जीती

- भारत ने मस्कट, ओमान में महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैम्पियनशिप का खिताब जीतने में सफलता हासिल की।
- भारतीय टीम ने खिताबी मुकाबले में चीन को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर अपनी चैम्पियनशिप का सफलतापूर्वक बचाव किया।
- इस शानदार जीत के बाद हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी को 2 लाख रुपये और सहायक स्टाफ को 1 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की।
- भारत की दीपिका सेहरावत ने 12 गोल के साथ टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर का खिताब जीता।
- 2023 में भारत ने अपने पहले महिला हॉकी जूनियर एशिया कप खिताब को भी जीता था, जब उन्होंने कोरिया गणराज्य को हराया था। इस बार की जीत भारतीय महिला हॉकी के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है।

प्रीति लोबाना: भारत के लिए गूगल की नई उपाध्यक्ष और कंट्री मैनेजर

- प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का नया उपाध्यक्ष और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है।
- वह संजय गुप्ता का स्थान लेंगी, जो अब एशिया प्रशांत प्रभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
- लोबाना गूगल के एआई-संचालित दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी, जिससे तकनीकी नवाचार और उपयोगकर्ता

लाभ को बढ़ावा मिलेगा।

- रोम दत्ता चौबे, जो अंतरिम कंट्री मैनेजर थीं, लोबाना के साथ काम करेंगी और डिजिटल नेटिव इंडस्ट्रीज की प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी भूमिका निभाती रहेंगी।
- लोबाना भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद की पूर्व छात्रा हैं और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखती हैं। उनकी नियुक्ति से गूगल इंडिया के संचालन को और मजबूती मिलेगी।

इंदौर: 1 जनवरी से भिखारियों को भीख देना होगा अपराध

- इंदौर जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देना अपराध माना जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य शहर को भिखारी मुक्त बनाना है। यह नियम बाल और वृद्ध भिखारियों दोनों पर लागू होगा।
- प्रशासन का मानना है कि दान को हतोत्साहित करने से भीख मांगने का चक्र टूटेगा। दान देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने दान देने के नुकसान के बारे में जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। अब तक, 35 से अधिक बाल भिखारियों को बचाकर सरकारी आश्रय में भेजा गया है।
- शहर प्रशासन भिखारियों को अन्य वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। यह पहल इंदौर को एक स्वच्छ, संगठित और आत्मनिर्भर शहर बनाने के उद्देश्य का हिस्सा है।

ग्वालियर में भारत का पहला भूविज्ञान संग्रहालय

- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर में भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय भूविज्ञान की जानकारी को रोचक और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है।
- संग्रहालय में डायनासोर के विकास, मानव जाति के इतिहास और पृथकी के भूवैज्ञानिक विकास को प्रदर्शित किया गया है। इसे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और ग्वालियर नगर निगम के सहयोग से तैयार किया गया है।
- संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं में भूविज्ञान से संबंधित चित्र, कलाकृतियाँ और मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं।
- यह संग्रहालय शैक्षणिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी है।

किरण मजूमदार को जमशेदजी टाटा पुरस्कार सम्मान

- किरण मजूमदार-शॉ, बायोकॉर्न ग्रुप की अध्यक्ष और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में अग्रणी व्यक्तित्व, को 2024 में 'जमशेदजी टाटा पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी (ISQ) ने उनके नेतृत्व में भारत में जैव विज्ञान आंदोलन को मजबूत करने के लिए दिया।
- इस उपलब्धि को बेंगलुरु में आयोजित ISQ के वार्षिक सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया।
- पुरस्कार TQM इंटरनेशनल के अध्यक्ष जनक कुमार मेहता द्वारा दिया गया। किरण मजूमदार-शॉ को उनके समर्पण और वैज्ञानिक नवाचारों के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य देखभाल और बायोफार्मा क्षेत्र में योगदान के लिए सराहा गया।
- जमशेदजी टाटा पुरस्कार 2004 में स्थापित किया गया था और इसे उन व्यापारिक नेताओं को दिया जाता है, जिन्होंने समाज पर गहरा प्रभाव डाला हो। यह पुरस्कार नेतृत्व, नवाचार, और गुणवत्ता में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करता है।
- किरण मजूमदार-शॉ का यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों की पहचान है, बल्कि यह भारत के बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रेरणा भी है। यह युवा वैज्ञानिकों और नवाचारकर्ताओं को प्रेरित करेगा।

रूस ने कैंसर वैक्सीन विकसित की

- रूस ने mRNA तकनीक पर आधारित एक कैंसर वैक्सीन विकसित की है, जो 2025 की शुरुआत में उपलब्ध होगी। यह वैक्सीन कैंसर रोगियों को मुफ्त में दी जाएगी और इसका उद्देश्य कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना है।
- mRNA वैक्सीन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्यूमर की पहचान और उसे खत्म करने के लिए प्रशिक्षित करती है। यह रोगी के ट्यूमर के घटकों का उपयोग करती है ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर कोशिकाओं पर हमला कर सके।
- इस वैक्सीन के प्री-क्लीनिकल परीक्षण ने इसके प्रभावी होने के संकेत दिए हैं। परीक्षणों में पाया गया कि यह ट्यूमर के विकास को रोकने और मेटास्टेसिस को नियंत्रित करने में सक्षम है।
- हालांकि, यह वैक्सीन कैंसर की रोकथाम में काम नहीं करेगी। इसकी कीमत करीब 3 लाख रुबल प्रति डोज है। यह पहल कैंसर उपचार

में mRNA तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देती है, जो आधुनिक चिकित्सा में एक क्रांतिकारी कदम है।

‘वन इनसाइक्लोपीडिया’ तुलसी गौड़ा का निधन

- पर्यावरण संरक्षण की प्रतीक तुलसी गौड़ा का निधन हो गया। उन्हें ‘वन इनसाइक्लोपीडिया’ और ‘वृक्ष देवी’ के रूप में जाना जाता था।
- तुलसी गौड़ा ने अपने जीवन में 1 लाख से अधिक पेड़ लगाए और उनके संरक्षण में मदद की। उन्होंने वनीकरण, अवैध शिकार रोकने और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों को समर्पित किया।
- उन्हें 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उनका असाधारण ज्ञान वनों और पारिस्थितिकी पर आधारित था।
- उनके योगदान ने न केवल पर्यावरण को संरक्षित किया, बल्कि सामुदायिक और बाघ संरक्षण क्षेत्रों को भी मजबूत किया। उनका निधन पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति है।

प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का ‘ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर’ सर्वोच्च सम्मान

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर’ से सम्मानित किया गया, जो उनके प्रभावशाली नेतृत्व और वैश्विक मान्यता का प्रतीक है। यह उनका 20वाँ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, जो किसी देश द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है।
- ‘ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर’ या ‘ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट’ कुवैत का एक प्रतिष्ठित नाइट्रहुड सम्मान है, जिसे 1974 में स्थापित किया गया था। यह सम्मान मुबारक अल-सबा, जिन्हें मुबारक अल-कबीर भी कहा जाता है, की स्मृति में दिया जाता है।
- मुबारक अल-कबीर 1896 से 1915 तक कुवैत के शासक थे और उनके शासनकाल में कुवैत ने ओटोमन साम्राज्य से अधिक स्वायत्ता प्राप्त की थी।
- यह पुरस्कार राष्ट्रीयक्षमों, विदेशी शासकों और शाही परिवार के सदस्यों को मित्रता के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे नेताओं को भी दिया जा चुका है। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत-कुवैत के प्रगाढ़ संबंधों के लिए उनकी भूमिका के लिए दिया गया।

अरुण कपूर को भूटान का शाही सम्मान

- प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद् अरुण कपूर को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नाम्याल ने 17 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय दिवस समारोह में ‘बुरा मार्प’ (लाल दुपट्टा) और ‘पतंग’ (तलवार) से सम्मानित किया। यह सम्मान गैर-भूटानी नागरिकों को कम ही दिया जाता है। श्री कपूर को ‘दाशो’ की उपाधि भी प्रदान की गई, जो उच्च अधिकारियों के लिए आरक्षित होती है।
- श्री कपूर ने भारत, भूटान और ओमान में कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की है। उन्होंने भूटान में रॉयल एकेडमी स्कूल की स्थापना और भूटान बैकलॉरिएट प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2019 में उन्हें ‘द्रुक थुकसे’ से भी सम्मानित किया गया था।
- भूटान में शिक्षा और कौशल विकास के लिए उनके योगदान के अलावा, श्री कपूर ने भारत में एनजीओ ‘रीतिंजलि’ और ‘पल्लवन स्कूल नेटवर्क’ की स्थापना की है। उनका सम्मान वैश्विक शिक्षा और भारत-भूटान संबंधों में उनकी अहम भूमिका को रेखांकित करता है।

मसाली: भारत का पहला सौर सीमा गांव

- गुजरात के बनासकांडा जिले का मसाली गांव भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित सीमा गांव बन गया है। यह गांव पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- पीएम सूर्योदय योजना के तहत, गांव के 119 घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं, जो 225 किलोवाट से अधिक बिजली उत्पन्न करते हैं।
- यह पहल सीमा विकास परियोजना का हिस्सा है, जिसके तहत 11 सीमावर्ती गांवों को सौर ऊर्जा पर निर्भर बनाने की योजना है।
- मसाली गांव ऊर्जा स्वतंत्रता का उदाहरण बनकर उभरा है। इस पहल ने ग्रामीण विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है।
- यह कदम न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को भी मजबूत करता है। इस परियोजना का उद्देश्य अन्य गांवों को भी ऊर्जा संक्रमण की दिशा में प्रेरित करना है।

दिल्ली सरकार की संजीवनी योजना

- दिल्ली सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए ‘संजीवनी योजना’ शुरू

की है।

- योजना के तहत, बुजुर्ग मरीजों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दी जाएंगी। यदि सरकारी सुविधाओं में देरी होती है, तो मरीजों को बिना किसी खर्च के निजी अस्पतालों में रेफर किया जाएगा।
- यह योजना बुजुर्गों को उनकी आय की सीमा के बिना, सभी चिकित्सा खर्चों को कवर करती है। इसके साथ ही, सरकार ने बृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार करते हुए 80,000 अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल किया है।
- संजीवनी योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह कदम न केवल उनकी भलाई सुनिश्चित करता है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक आदर्श भी स्थापित करता है।

गंगा नदी डॉल्फिन की पहली टैगिंग

- असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है, जो इस प्रजाति के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह पहल भारतीय बन्यजीव संस्थान (WII), असम वन विभाग और आरण्यक संगठन ने राष्ट्रीय CAMPA प्राधिकरण की सहायता से की।
- गंगा नदी डॉल्फिन (Platanista Gangetica) भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। यह लगभग अंधा होता है और इकोलोकेशन के माध्यम से शिकार करता है। यह मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी प्रणालियों में पाया जाता है।
- इस टैगिंग प्रक्रिया का उद्देश्य डॉल्फिन के प्रवास, सीमा और आवास के उपयोग को समझना है। यह जानकारी उनके संरक्षण और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को सफल बनाने में मदद करेगी।
- गंगा नदी डॉल्फिन भारत की नदियों के स्वास्थ्य का प्रतीक है। लेकिन, जल प्रदूषण और अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या लगातार घट रही है। यह टैगिंग पहल डॉल्फिन के संरक्षण और नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने में एक बड़ी सफलता है।

भारतीय अंडर-19 टीम ने पहला टी-20 एशिया कप जीता

- भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित पहला अंडर-19 एसीसी महिला टी-20 एशिया कप जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 117 रन बनाए।
- गोंगड़ी त्रिशा ने 47 गेंदों पर 52 रन बनाए, जो टीम का सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। गेंदबाजी में आयुषी शुक्ला ने 3 विकेट झटके, जबकि सोनम यादव और परुनिका सिसोदिया ने 2-2 विकेट लिए। टूर्नामेंट 15 दिसंबर से शुरू हुआ था, जिसमें महाद्वीप की शीर्ष 6 टीमें भाग ले रही थीं।
- निकी प्रसाद की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपराजेय प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है।

न्यायमूर्ति मदन लोकुर बने यूएन न्याय परिषद के अध्यक्ष

- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 12 नवंबर 2028 तक इस पद पर रहेंगे।
- परिषद में डर्लवे की सुश्री कारमेन आर्टिंगास, ऑस्ट्रेलिया की सुश्री रोजली बल्लिकन, ऑस्ट्रिया के श्री स्टीफन ब्रेजिना और अमेरिका के श्री जे पॉजेनेल शामिल हैं। न्यायमूर्ति लोकुर ने 30 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति ली थी।
- 2019 में उन्होंने फिजी के सुप्रीम कोर्ट में गैर-निवासी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होकर एक अनोखी उपलब्धि हासिल की। उनके अनुभव और विशेषज्ञता से परिषद को लाभ होगा। यह नियुक्ति भारत की वैश्विक न्याय प्रणाली में प्रभाव को दर्शाती है।

वी. रामसुब्रमण्यन एनएचआरसी के अध्यक्ष बने

- सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी. रामसुब्रमण्यन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई। उन्होंने 23 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार संभाला और 29 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए।
- यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्र के कार्यकाल समाप्त होने के बाद हुई। नई नियुक्तियां मानवाधिकारों की सुरक्षा और उनके प्रवर्तन को मजबूत करेंगी।

नो-डिटेंशन पॉलिसी खत्म

- दिल्ली सहित 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने कक्षा 5 और 8 के लिए 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' को समाप्त कर दिया है। नई नीति

- के अनुसार, यदि कोई छात्र पदोन्नति मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसे पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा।
- यदि वह इसमें भी असफल रहता है, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। हालांकि, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। यह नीति नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

श्याम बेनेगल का निधन

- प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 'मंथन', 'भूमिका', 'जुनून' और 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस: द फॉरेंटन हीरो' जैसी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्में बनाई हैं।
- अपने छह दशक के करियर में, उन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म श्री और पद्म भूषण सहित कई सम्मान प्राप्त किए। वह भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के शिक्षक और अध्यक्ष भी रहे। उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

मध्य प्रदेश को वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता

- मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए 'वैश्विक गंतव्यों' में से एक के रूप में चुना गया है। यह सम्मान राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और प्राकृतिक सुंदरता को उजागर करता है। खजुराहो, पन्ना और बांधवगढ़ जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों ने इस पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मान्यता मध्य प्रदेश को एक विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करती है।

भारत 'नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स' में 49वें स्थान पर पहुंचा

- भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (एनआरआई) 2024 में 11 पायदान की छलांग लगाकर 49वां स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स देशों की डिजिटल प्रगति और तकनीकी नवाचारों का आकलन करता है। अमेरिका, सिंगापुर और फिनलैंड क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- भारत का स्कोर 53.63 है, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्रॉडबैंड सेवाओं में सुधार को दर्शाता है। वाशिंगटन डीसी स्थित पोर्टलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत ने नागरिक जुड़ाव और प्रौद्योगिकी के उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- यह उपलब्धि भारत के डिजिटल क्रांति के नेतृत्व की ओर बढ़ते कदम को रेखांकित करती है।

भारत पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा

- भारत 2025 की दूसरी छमाही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह आयोजन राइफल, पिस्टल और शॉटगun के लिए दुनिया की शीर्ष जूनियर निशानेबाजी प्रतियोगिता है।
- इस आयोजन के लिए राष्ट्रीय राइफल सध (एनआरएआई) को मेजबानी का अधिकार दिया गया है।
- यह भारत में आयोजित होने वाली नौवीं शीर्ष स्तरीय निशानेबाजी चैंपियनशिप होगी। इससे पहले भारत ने छह आईएसएसएफ प्रतियोगिताओं और महाद्वीपीय चैंपियनशिप की मेजबानी की है।
- 2023 में भोपाल में आयोजित सीनियर विश्व कप भी भारत के सफल आयोजनों में से एक था। यह आयोजन भारतीय निशानेबाजी खेलों के प्रति वैश्विक विश्वास को मजबूत करता है।

केन-बेतवा नदी जोड़े परियोजना की आधारशिला रखी

- हाल ही में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन-बेतवा नदी जोड़े परियोजना की आधारशिला रखी। यह राष्ट्रीय नदी जोड़े नीति के तहत पहली पहल है।
- परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के 10 और उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में लगभग 65 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। इस पर अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपये है।
- यह परियोजना लगभग 2,000 गांवों के 7.18 लाख किसान परिवारों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी और 103 मेगावाट जल विद्युत तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगी।
- केन नदी पर पन्ना टाइगर रिजर्व में 77 मीटर ऊंचा और 2.13 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनाया जाएगा।

- बांध से 2,853 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी संग्रहित कर 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के जरिए बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा।
- यह परियोजना केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सहयोग का अनूठा उदाहरण है। इसके माध्यम से दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल समस्याओं का समाधान होगा।

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) में ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

- भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 20 दिसंबर 2024 को 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ऋण भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के तहत हरित और टिकाऊ अवसंरचना परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए प्रदान किया गया है। यह धनराशि ईंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को दी जाएगी।
- भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- यह परियोजना IIFCL की संस्थागत क्षमता को मजबूत करेगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में हरित और टिकाऊ प्रथाओं को शामिल किया जा सके।
- परियोजना के तहत एक संधारणीयता इकाई, पर्यावरणीय संधारणीयता ढांचा और स्कोरिंग प्रणाली विकसित की जाएगी, जो परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्थिरता का मूल्यांकन करेगी।
- यह ऋण पर्यावरणीय दृष्टिकोण से टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने और भारत में हरित अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का निधन

- पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 की रात्रि निधन हो गया। वे 92 साल के थे। मनमोहन सिंह, 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। वे देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे।
- डॉ. मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर, 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गांव गाह, पश्चिम पंजाब में हुआ। 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में अर्थशास्त्र में ट्राइपोस प्राप्त किया। 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.फिल की उपाधि से सम्मानित किया।
- डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में की और बाद में वहाँ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में वे दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर बने।
- इसके बाद उन्होंने 1971 में विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार का पद संभाला। वे 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे।
- डॉ. मनमोहन सिंह 1991-1996 तक भारत के वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े कदम उठाए। उन्होंने रुपये का अवमूल्यन किया, करों को कम किया और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। इन सुधारों से भारत की कमजोर अर्थव्यवस्था मजबूत बन गई।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद डॉ. मनमोहन सिंह को 2004 में प्रधानमंत्री चुना गया। उनकी सरकार ने समावेशी विकास, गरीबी घटाने और आर्थिक विस्तार पर ध्यान दिया। उनके कार्यकाल में भारत की औसत जीडीपी वृद्धि दर 7.7% रही।
- डॉ. सिंह को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें 1987 में पद्म विभूषण और 1993 में यूरो मनी अवार्ड प्रमुख हैं।

”
History will be Kinder to me
than the Media



DR. MANMOHAN SINGH
Former Prime Minister of India
26 SEPTEMBER 1932 - 26 DECEMBER 2024

बाल्ड ईंगल: अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी

- 250 वर्षों के बाद, बाल्ड ईंगल को अमेरिका का आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह गौरवशाली पक्षी वर्षों से अमेरिकी शक्ति, साहस, स्वतंत्रता और अमरता का प्रतीक रहा है। बाल्ड ईंगल को 1940 के राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया, जिससे इसका शिकार या व्यापार करना अवैध हो गया।
- यह पक्षी एक समय विलुप्ति के कगार पर था, लेकिन संरक्षण प्रयासों और कानूनों की बदौलत 2009 के बाद से इसकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- बाल्ड ईंगल उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है और इसे आधिकारिक दस्तावेजों, संधियों और आयोगों में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण बाल्ड ईंगल ने हमेशा अमेरिकी जनता के दिलों में खास जगह बनाई है। इसकी विशाल पंखों की उड़ान और निर्भीक व्यक्तित्व इसे शक्ति और स्वतंत्रता का आदर्श बनाते हैं। आज, बाल्ड ईंगल सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि अमेरिकी इतिहास और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है।

एसएलआईएनईएक्स 24: भारत-श्रीलंका नौसेना अभ्यास

- भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास एसएलआईएनईएक्स 24 17 से 20 दिसंबर 2024 के बीच विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। यह अभ्यास दो चरणों में संपन्न हुआ: 17-18 दिसंबर को बंदरगाह चरण और 19-20 दिसंबर को समुद्री चरण।
- इस अभ्यास में भारत की ओर से आईएनएस सुमित्रा और श्रीलंका की ओर से एसएलएनएस स्यूरा ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह 17 दिसंबर को आयोजित हुआ और समुद्री अभ्यास 19 दिसंबर को शुरू हुआ।
- एसएलआईएनईएक्स श्रृंखला की शुरुआत 2005 में हुई थी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास पूर्वी नौसेना कमान के तहत आयोजित किया गया, जिसमें नौसैनिक युद्ध कौशल, संचार और तालमेल को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
- यह अभ्यास दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करता है और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में योगदान देता है। एसएलआईएनईएक्स 24 ने भारत और श्रीलंका के बीच रणनीतिक संबंधों को और अधिक गहरा किया है।

पंजाब में 100 प्रतिशत पाइप जलापूर्ति

- पंजाब ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला भारत का पांचवा राज्य बन गया है। यह उपलब्धि केंद्र सरकार की 'हर घर जल' योजना के तहत हासिल की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में साफ पानी की पहुंच सुनिश्चित करना है।
- पंजाब में पानी की गुणवत्ता और कमी की समस्या को दूर करने के लिए 2174 करोड़ रुपये की लागत से 15 बड़ी जल परियोजनाएं चल रही हैं। इनसे 1706 गांवों के लगभग 25 लाख लोगों और 4 लाख परिवारों को फायदा होगा।
- इसके साथ ही, राज्य के सभी गांव खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुके हैं। पंजाब में 10435 से अधिक गांव अब ओडीएफ प्लस (वांछनीय) बन चुके हैं, जबकि 1289 गांवों ने ओडीएफ प्लस (आदर्श) का दर्जा हासिल कर लिया है।
- यह उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और जीवन स्तर सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया सबसे लंबा स्पेसवॉक का नया रिकॉर्ड

- चीन के दो अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा स्पेसवॉक पूरा किया।
- शेनझोउ-19 के दल के सदस्य कै जूझे और सॉना लिंगडोंग ने स्टेशन के बाहर 9 घंटे तक काम किया, जो 2001 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जेम्स वॉस और सुसान हेल्म्स के 8 घंटे 56 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ता है।
- ये दोनों अक्टूबर 2024 में तियांगोंग स्टेशन पहुंचे थे और अप्रैल या मई 2025 में पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। इससे पहले, 2024 में ही शेनझोउ-18 के दल ने 8 घंटे 23 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था।
- यह उपलब्धि चीन की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को दिखाती है और लंबे समय तक चलने वाले अंतरिक्ष अभियानों में इसकी नेतृत्व क्षमता को साबित करती है। इस रिकॉर्ड के साथ, चीन वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए बहुमूल्य डेटा उपलब्ध करा रहा है और मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1.	संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का दिसंबर 2024 में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह राष्ट्रपति पद के बाद अपने मानवीय प्रयासों और कार्टर सेंटर की स्थापना के लिए जाने जाते थे।
2.	बोस्नियाई लोक संगीत की एक पारंपरिक शैली सेवडालिंका को दिसंबर 2024 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया, जिससे इसके सांस्कृतिक महत्व को मान्यता मिली।
3.	बटालियन स्तर के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण 31 दिसंबर, 2024 से 13 जनवरी, 2025 तक नेपाल के सलज़ंडी में आयोजित किया गया, जिसमें भारत और नेपाल के बीच जंगल युद्ध की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया।
4.	भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर कोनेरु हम्पी ने दिसंबर 2024 में महिला रैपिड विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती, जिसमें रैपिड शतरंज में उनके असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया गया।
5.	2023-24 में, भारत में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में ग्रामीण-शहरी अंतर 70% था, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अर्थिक विविधताओं में असमानता को उजागर करता है।
6.	आइसाके बलू एके को टोंगा का नया प्रधानमंत्री चुना गया।
7.	अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया, जो भारत में कर और राजस्व प्रशासन के महत्वपूर्ण पहलुओं की देखरेख करेंगे।
8.	भारतीय साहित्यकार और सिनेमा के दिग्गज एम.टी. वासुदेवन नायर का 25 दिसंबर, 2024 को निधन हो गया। उनकी रचनाओं ने मलयालम साहित्य और भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
9.	भारत सरकार ने कक्षा 5 और 8 के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया, जिसका अर्थ है कि इन कक्षाओं के छात्रों को अब अगली कक्षा में पदोन्नत होने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
10.	प्रधानमंत्री मोदी को भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया।
11.	IISER पुणे ने एक नया हाइब्रिड एरोजेल विकसित किया है जिसका उपयोग सोने के निष्कर्षण में किया जाता है, जो अयस्कों से कीमती धातु निकालने के लिए एक अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल तरीका प्रदान करता है।
12.	असम ने भारत की पहली डॉल्फिन टैगिंग पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय नदी डॉल्फिन आवादी की निगरानी करना और राज्य में उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है।
13.	गुजरात का एक सीमावर्ती गाँव मसाली भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव बन गया, जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तरीके से गाँव की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है।
14.	प्रमुख शास्त्रीय संगीतकार स्वपन चौधरी को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्राप्त हुआ।
15.	भारत और चीन के बीच पवित्र तीर्थयात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने वाली है, जो हिमालय में प्रतिष्ठित स्थल की आध्यात्मिक यात्राओं की सुविधा प्रदान करेगी।
16.	डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच राजनयिक संबंध मजबूत हुए।
17.	केरल में अष्टमुडी झील में शॉर्ट नेक क्लैम (पफिया मालाबारिका) को फिर से शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य झील की जैव विविधता और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना है।
18.	कर्नाटक विधानसभा ने हाल ही में भूजल (संशोधन) विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन में सुधार करना और राज्य में पानी की कमी को दूर करना है।
19.	राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (एनसीएल) द्वारा एक स्वास्थ्य पहल चरक शुरू की गई, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वैचित समुदायों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है।
20.	नौसेना अभ्यास SLINEX-24 विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। यह समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त नौसेना प्रशिक्षण अभ्यास है।

- 21.** केंद्रीय खेल मंत्री ने साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करने और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारतीयों के लिए शारीरिक गतिविधि को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है।
- 22.** यूनाइटेड किंगडम प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए एक व्यापार समझौते, ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य बन गया।
- 23.** अयोध्या राम मंदिर परियोजना को प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिससे भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसके महत्व को मान्यता मिली।
- 24.** प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और हारमोनियम बादक संजय मराठे का हाल ही में निधन हो गया। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मानित किया गया, विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत में।
- 25.** अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य माल परिवहन के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प को बढ़ावा देते हुए सड़क और रेलवे पर भीड़भाड़ को कम करना था।
- 26.** स्विट्जरलैंड ने अंतरराष्ट्रीय कर नीति से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए समझौते के प्रावधानों में बदलाव करते हुए भारत के साथ अपनी कर संधि में मोस्ट-फैवर्ड-नेशन (एमएफएन) खंड को निर्लिपित कर दिया।
- 27.** डी गुकेश 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए, यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो उनकी असाधारण प्रतिभा और भारतीय शतरंज की बढ़ती प्रमुखता को उजागर करती है।
- 28.** 8 दिसंबर, 2024 को सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में संगमरमरी बत्तख देखी गई। पक्षी प्रेमियों और संरक्षणवादियों के लिए यह दुर्लभ पक्षी देखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रजाति तेजी से लुप्तप्राय होती जा रही है।
- 29.** विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत देहरादून में हुई, जिसमें चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को वैश्वक स्तर पर पारंपरिक भारतीय चिकित्सा और कल्याण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाया गया।
- 30.** 3 दिसंबर, 2024 को, दूसरी भारत-यूके 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में हुई, जिसमें दोनों देशों ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत कई विषयों पर चर्चा की।
- 31.** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तटीय नौवहन विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है, जो संसद की मंजूरी मिलने के बाद तटीय जल पर परिचालन के लिए भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए सामान्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।
- 32.** लद्दाख के स्थानीय लोगों के लिए प्रस्तावित 95% नौकरी आरक्षण की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र की स्वदेशी आबादी को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- 33.** राज्यसभा ने तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक पारित किया, जो पेट्रोलियम संचालन के विनियमन और विकास पर केंद्रित है, जिससे क्षेत्र की वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- 34.** FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) ने घोषणा की कि पैकेजेड पेयजल को उच्च जोखिम वाला भोजन माना जाता है क्योंकि अगर इसे ठीक से विनियमित नहीं किया जाता है तो यह संभावित स्वास्थ्य खतरों का कारण बन सकता है।
- 35.** भारत और मलेशिया के बीच हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2 दिसंबर, 2024 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाना और दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं की सामरिक क्षमताओं में सुधार करना है।
- 36.** मध्य प्रदेश में 2 दिसंबर, 2024 को रातापानी बन्यजीब अभ्यारण्य को बाध अभ्यारण्य घोषित किया गया, जो भारत की घटी बाध आबादी के संरक्षण में योगदान देगा।
- 37.** भारतीय सेना के लिए हाल ही में एक ऑनलाइन शिक्षण मंच एकलव्य लॉन्च किया गया, जो कर्मियों को कौशल और ज्ञान में सुधार के लिए शैक्षिक संसाधनों और प्रशिक्षण सामग्री तक पहुँच प्रदान करता है।
- 38.** कोच्चि में SAREX-2024 का आयोजन किया गया। यह एक बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभ्यास है जिसका उद्देश्य समुद्री बचाव कार्यों में समन्वय और परिचालन तत्परता को बढ़ाना है।
- 39.** उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय बीज कांग्रेस के दौरान बीज पार्कों के लिए पहल की घोषणा की, जिसमें कृषि को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

- यूएनईपी 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' पुरस्कार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 - यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है।
 - इस पुरस्कार में जीवन भर की उपलब्धि और नीति नेतृत्व जैसी श्रेणियां शामिल हैं।
 - यह विशेष रूप से जैव विविधता संरक्षण पर काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है।ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
 - केवल 1
 - केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - 1, 2 और 3
- 'गाडगिल रिपोर्ट' मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
 - कोकण तट के किनारे मैग्नोव का संरक्षण
 - पश्चिमी घाटों का संरक्षण
 - हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली
 - सुंदरबन का संरक्षण
- गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 - ये पुरस्कार हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन (HFPA) द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
 - ये विशेष रूप से फिल्म उद्योग में उपलब्धियों को मान्यता देते हैं।
 - गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की स्थापना 1944 में हुई थी।ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
 - केवल 1 और 2
 - केवल 1 और 3
 - केवल 2 और 3
 - 1, 2 और 3
- हाइपरलूप तकनीक में वैक्यूम-सील पर्यावरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
 - निर्माण की कुल लागत को कम करना
 - वायु प्रतिरोध को खत्म करना और उच्च गति की यात्रा को सक्षम करना
 - पॉड्स को बाहरी पर्यावरणीय क्षति को रोकना
 - पॉड की आवाजाही के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करना
- निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत शृंखला सीरिया और लेबनान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है?
 - जाग्रोस पर्वत
 - टॉरस पर्वत
 - एंटी-लेबनान पर्वत
 - एटलस पर्वत
- TIME के 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 - डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के लिए TIME का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है।
 - 2023 में, TIME का पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को दिया गया था।
 - यह अवार्ड वर्ष 1930 में शुरू शुरू किया गया था उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
 - केवल 1
 - केवल 2
 - सभी तीन
 - कोई नहीं
- डोमराजू गुकेश की विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 - भारत के 18 वर्षीय गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती।
 - उहोंने सिंगापुर में आयोजित 18वीं FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में चीन के डिंग लिरेन को हराया।
 - आनंद और हरिकृष्णा के बाद गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे भारतीय हैं।उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
 - केवल 1
 - केवल 2
 - सभी तीन
 - कोई नहीं
- कौन सा देश 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा?
 - कतर
 - सऊदी अरब

- C. स्पेन
D. मोरक्को

9. विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो 12 दिसंबर को देहरादून में शुरू हुआ।
 2. आयोजन का विषय 'डिजिटल स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण' है, जो पारंपरिक आयुर्वेद को एआई, संवर्धित वास्तविकता और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ एकीकृत करने पर केंद्रित है।
 3. इस कार्यक्रम में प्रमुख संस्थानों के आयुर्वेदिक उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

10. खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. लद्दाख 23 से 27 जनवरी, 2025 तक खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा।
 2. खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के 2025 संस्करण के बाद अप्रैल 2025 में बिहार में युवा और पैरा खेल होंगे।
 3. लद्दाख पहली बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

11. डेजर्ट नाइट अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा आयोजित एक त्रिपक्षीय रक्षा अभ्यास है।
 2. अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले नौसैनिक बलों के बीच तालमेल और अंतर-क्षमता को बढ़ाना है।
 3. अभ्यास तीनों देशों द्वारा 2022 में शुरू किया गया था।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. उपरोक्त सभी
D. कोई नहीं

12. भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित सुरसा अदरक किस्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सुरसा भारत में अदरक की पहली किस्म है जिसे विशेष रूप से सब्जी के रूप में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है।
2. सुरसा की उपज क्षमता 24.33 टन प्रति हेक्टेयर तक है।
3. केरल राज्य वैरिएटल रिलीज कमेटी ने केरल में सुरसा की खेती को मजबूरी दे दी है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. उपरोक्त सभी
D. कोई नहीं

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. फ्रांस्वा बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
2. फ्रांस्वा बायरू 2024 में नियुक्त होने वाले पांचवें प्रधानमंत्री हैं।
3. बायरू के पूर्ववर्ती मिशेल बार्नियर ने केवल तीन महीने तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जिससे वे फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधान मंत्री बन गए।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. उपरोक्त सभी

14. 22वें दिव्य कला मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 22वां दिव्य कला मेला 12 से 22 दिसंबर, 2024 तक इंडिया गेट पर आयोजित किया गया।
2. इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 उद्यमी और विकलांग कारीगर शामिल हुए।
3. दिव्य कला मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. उपरोक्त सभी

15. भारतमाला परियोजना से कितने जिलों को जोड़े जाने की उम्मीद है?

- A. 200 जिले
B. 400 जिले
C. 550 जिले

- D. 700 जिले
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. उपरोक्त सभी
- 16. मालाबार अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
- मालाबार अभ्यास भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ा एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।
 - अभ्यास मुख्य रूप से नौसैनिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर केंद्रित है।
 - मालाबार अभ्यास पहली बार 2000 में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था।
- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
 - केवल 1 और 3
 - उपरोक्त सभी
 - कोई नहीं
- 17. ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
- CPTPP पर 8 मार्च 2018 को सैटियागो, चिली में हस्ताक्षर किए गए और यह 30 दिसंबर 2018 को प्रभावी हुआ।
 - समझौते का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और अपने सदस्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना है।
 - दिसंबर 2024 तक, CPTPP में 11 सदस्य देश शामिल हैं।
- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - उपरोक्त सभी
 - कोई नहीं
- 18. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) 1998 में किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए पेश किया गया था।
 - केसीसी योजना को 2018-19 के बजट में मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था ताकि उनकी कार्यशील पूँजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके।
 - केसीसी के तहत संपार्श्वक-मुक्त ऋण की अधिकतम सीमा 2024 में 2 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई थी।
- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. उपरोक्त सभी
- 19. केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएँ जुड़ी हुई हैं?**
- पन्ना टाइगर रिजर्व में 77 मीटर ऊँचा दौधन बाँध बनाया जाएगा।
 - इस परियोजना में बेतवा नदी से केन नदी में पानी स्थानांतरित करना शामिल है।
 - पानी स्थानांतरित करने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जाएगी।
- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 1 और 3
 - केवल 2 और 3
 - उपरोक्त सभी
- 20. चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे (VCMC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
- VCMC एक नया समुद्री मार्ग है जो चेन्नई (भारत) को व्लादिवोस्तोक (रूस) से जोड़ता है, जो विशेष रूप से ऊर्जा, खनिज और रक्षा में व्यापार को सुविधाजनक बनाता है।
 - VCMC भारत और रूस के बीच शिपिंग समय को 40+ दिनों से घटाकर केवल 16 दिन कर देता है, जिससे यह लागत-कुशल मार्ग बन जाता है।
 - VCMC को 2020 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान औपचारिक रूप दिया गया था।
- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - उपरोक्त सभी
 - उपरोक्त में से कोई नहीं
- 21. मिस्ट्रल पवन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
- मिस्ट्रल एक गर्म, नम हवा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर भूमध्यसागरीय क्षेत्र में बहती है।
 - मिस्ट्रल पवन दक्षिणी फ्रांस की रोन घाटी में आम है और विशेष रूप से सर्दियों में तापमान को काफी कम कर देती है।
- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - उपरोक्त में से कोई नहीं

22. 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक भोपाल में आयोजित किया जा गया।
 2. मेले का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया।
 3. इस वर्ष के मेले का विषय 'जलवायु परिवर्तन के लिए सतत वन प्रबंधन' है।
- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- A. केवल 1 और 2
 - B. केवल 2
 - C. उपरोक्त सभी
 - D. कोई नहीं
23. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. रूस और भारत ने जून 2024 में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 2025 से भारतीय पर्यटकों को रूस में बीजा-मुक्त यात्रा की अनुमति देगा।
 2. भारतीय नागरिकों को पहले से ही 62 देशों में बीजा-मुक्त यात्रा की अनुमति है।
 3. इस समझौते का प्राथमिक लक्ष्य भारत और रूस के बीच व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देना है।
- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- A. केवल 1 और 2
 - B. केवल 1, 2 और 3
 - C. उपरोक्त सभी
 - D. कोई नहीं
24. 'आईएनएस निर्देशक' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आईएनएस निर्देशक को 18 दिसंबर को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
 2. जहाज 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री से बना है और उन्नत हाइड्रोग्राफिक और समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण उपकरणों से सुसज्जित है।
 3. आईएनएस निर्देशक का निर्माण विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिप्यार्ड लिमिटेड (एचएसएल) द्वारा किया गया है।
 4. पोत का प्राथमिक उद्देश्य हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना, नेविगेशन में सहायता करना और समुद्री संचालन का समर्थन करना है।
- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- A. केवल 1, 2 और 3
 - B. केवल 1, 2 और 4
 - C. केवल 1, 3 और 4
 - D. उपरोक्त सभी
25. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 17 दिसंबर, 2024 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिए लोकसभा में दो विधेयक पेश किए।
 2. पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने दो चरणों में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए समकालिक चुनाव कराने की सिफारिश की।
 3. प्रस्तावित चुनावों के पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के साथ-साथ स्थानीय निकाय चुनाव (पंचायत और नगर पालिका) आयोजित किए जाएंगे।
 4. चुनावों के दूसरे चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित किए जाएंगे।
- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- A. केवल 1 और 2
 - B. केवल 1, 2 और 3
 - C. केवल 1, 3 और 4
 - D. उपरोक्त सभी
26. रॉटन के फ्री-टेल्ड बैट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. रॉटन के फ्री-टेल्ड बैट को हाल ही में दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में देखा गया है, जो इस प्रजाति के लिए एक नया स्थान है।
 2. चमगादड़ आमतौर पर पश्चिमी घाट में पाया जाता है।
 3. चमगादड़ की प्रजाति कीट आबादी को विनियमित करने और परागण में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- A. केवल 1 और 2
 - B. केवल 2 और 3
 - C. केवल 1 और 3
 - D. उपरोक्त सभी
27. चक्रवात चिड़ो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. चक्रवात चिड़ो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात से विकसित हुआ।
 2. चक्रवात चिड़ो ने मायोट, मेडागास्कर और मोजाम्बिक में व्यापक क्षति पहुंचाई।
 3. वैज्ञानिकों ने चिड़ो जैसे चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा है।
- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- A. केवल 1 और 2

- B. केवल 1 और 3
 - C. केवल 2 और 3
 - D. उपरोक्त सभी
- 28. NxtGen डेटासेंटर के लिए आकाश की डायमंड कूलिंग तकनीक के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?**
1. यह तकनीक AI सर्वर की ओवरकलॉकिंग क्षमताओं को 25% तक बढ़ाने में मदद करती है।
 2. यह GPU प्रशंसकों की आवश्यकता को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप 90% तक कम ऊर्जा की खपत होती है।
 3. यह पारंपरिक शीतलन विधियों की तुलना में GPU के तापमान को 10°-20°C तक बढ़ा देता है।
- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- A. केवल 1 और 2
 - B. केवल 1 और 3
 - C. केवल 2 और 3
 - D. उपरोक्त सभी
- 29. 'किसान कवच' बॉडीसूट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?**
- A. किसानों को चरम मौसम की स्थिति से बचाना
 - B. कीटनाशकों से होने वाली विषाक्तता और स्वास्थ्य समस्याओं को रोकना
 - C. फसलों की उत्पादकता बढ़ाना
 - D. ठंडे तापमान से सुरक्षा प्रदान करना
- 30. भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया?**
- A. दिल्ली
 - B. ग्वालियर
 - C. मुंबई
 - D. बैंगलुरु
- 31. NEET-UG पेपर लीक से सम्बंधित हाल ही में गठित पैनल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
1. पैनल का नेतृत्व इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने किया था।
 2. प्रमुख सिफारिशों में से एक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के दायरे का विस्तार करके प्रवेश परीक्षाओं से परे भर्ती परीक्षाओं को शामिल करना था।
 3. पैनल ने परीक्षा के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रबंधन के समान राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
 4. पैनल ने पहुंच में सुधार के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल परीक्षण केंद्रों के उपयोग की सिफारिश की।

- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- A. केवल 1 और 2
 - B. केवल 2 और 3
 - C. केवल 1, 3 और 4
 - D. उपरोक्त सभी
- 32. अफ्रीकी चीता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
1. अफ्रीकी चीता को निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार और मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण IUCN द्वारा लुपत्राय के रूप में वर्णीकृत किया गया है।
 2. अफ्रीकी चीता एशियाई चीता से बड़ा होता है।
 3. अफ्रीकी चीता मुख्य रूप से शाकाहारी जानवरों जैसे कि गजेल और मृग का शिकार करते हैं।
 4. अफ्रीकी चीता अपनी गति के लिए जाने जाते हैं और पीछा करने के दौरान 100-110 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते हैं।
- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- A. केवल 1 और 2
 - B. केवल 2 और 3
 - C. केवल 1, 2 और 3
 - D. केवल 2 और 4
- 33. कॉमन म्यूर की मौत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
1. ब्लॉब, एक समुद्री हीटवेव, 2014 और 2016 के बीच हुई और कॉमन म्यूर की बड़े पैमाने पर मौत का कारण बनी।
 2. कॉमन म्यूर की मौत के कारण लगभग 4 मिलियन पक्षी या अलास्का की म्यूर आबादी का लगभग आधा हिस्सा खत्म हो गया।
 3. बड़े पैमाने पर मौत का मुख्य कारण समुद्री जल का प्रदूषण था।
 4. कॉमन म्यूर एक समुद्री पक्षी है जिसे उसके काले और सफेद पंखों के कारण उड़ने वाले पेंगुइन के रूप में वर्णित किया गया है।
- निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
- A. केवल 1, 2 और 3
 - B. केवल 1, 2 और 4
 - C. केवल 2, 3 और 4
 - D. उपरोक्त सभी
- 34. गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ की गई थी?**
- A. उत्तर प्रदेश
 - B. पश्चिम बंगाल
 - C. असम
 - D. बिहार

35. अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

कथन 1: अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है।

कथन 2: भारत का सर्विधान अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जीवन के सभी पहलुओं में अवसर की समानता को बढ़ावा देता है।

- A. केवल कथन 1 सही है।
- B. केवल कथन 2 सही है।
- C. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
- D. न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है।

36. GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट का उपयोग मुख्य रूप से टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है, जिसका एक द्वितीयक प्रभाव वजन कम करना है।
2. GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट प्राकृतिक हार्मोन GLP-1 की क्रिया की नकल करते हैं, जो भूख और रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है।
3. WHO द्वारा GLP-1 RAs का समर्थन वैश्विक मोटापे की महामारी को संबोधित करने में अकेले आहार और व्यायाम की विफलता पर जोर देता है।

विकल्प:

- A. केवल कथन 1 सही है।
- B. केवल कथन 1 और 3 सही हैं।
- C. सभी कथन सही हैं।
- D. केवल कथन 3 सही है।

37. भारत के चिकित्सा शिक्षा दिशा-निर्देशों में विकलांगता और समलैंगिक स्वास्थ्य को शामिल न करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

1. 2024 योग्यता-आधारित चिकित्सा शिक्षा (सीबीएमई) दिशा-निर्देश विकलांगता और समलैंगिक स्वास्थ्य पर अनिवार्य सामग्री को शामिल नहीं करते हैं, जबकि 2019 के दिशा-निर्देशों में इन्हें शामिल किया गया है।
2. नया चिकित्सा पाठ्यक्रम समलैंगिकता और समलैंगिकता को यौन अपराध और ट्रांसवेर्सिज्म को विकृति के रूप में वर्गीकृत करता है।
3. एनएमसी द्वारा विकलांगता योग्यताओं को शामिल न करना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन करता है।

विकल्प:

- A. केवल कथन 1 सही है।

- B. केवल कथन 1 और 2 सही हैं।

- C. केवल कथन 2 और 3 सही हैं।

- D. सभी कथन सही हैं।

38. युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में 1.55,000 वर्ग मीटर में फैला होगा।
2. उत्तरी ब्लॉक का पुनर्निर्माण जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।
3. फ्रांस युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के विकास के लिए संग्रहालय प्रबंधन में विशेषज्ञता प्रदान करेगा।

विकल्प:

- A. केवल कथन 1 सही है।

- B. केवल कथन 1 और 3 सही हैं।

- C. केवल कथन 2 और 3 सही हैं।

- D. सभी कथन सही हैं।

39. ग्रामीण भारत में डायन-शिकार के प्रचलन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?

1. अंधविश्वास और अज्ञानता।
2. स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की कमी।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि।

विकल्प:

- A. केवल कथन 1 सही है।

- B. कथन 1 और 2 सही हैं।

- C. केवल कथन 3 सही है।

- D. सभी कथन सही हैं।

40. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 'बेंचमार्क विकलांगता' शब्द का क्या अर्थ है?

1. ऐसी विकलांगता जिसके लिए कम से कम सहायता की आवश्यकता होती है।
2. ऐसी विकलांगता जिसे मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जिसमें कम से कम 40% विकलांगता है।
3. ऐसी विकलांगता जिसके लिए प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है।

विकल्प:

- A. केवल कथन 1 सही है।

- B. केवल कथन 2 सही है।

- C. केवल कथन 3 सही है।

- D. सभी कथन सही हैं।

41. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत की हालिया यात्रा के बारे

में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी।
2. इस यात्रा के परिणामस्वरूप संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग सहित एक व्यापक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
3. कुवैत भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो इसकी ऊर्जा आवश्यकताओं का 5% पूरा करता है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. उपरोक्त सभी

42. भारतीय समुद्र विज्ञानियों द्वारा कैचर किए गए एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हिंद महासागर की सतह से 4,500 मीटर नीचे एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की पहली छवि कैचर की गई थी।
2. हाइड्रोथर्मल वेंट पानी के नीचे के झरने हैं जहाँ ठंडा समुद्री पानी समुद्र तल के नीचे गर्म मैग्मा से मिलता है, जिससे खनिजों और गैसों से भरपूर सुपरहीटेड पानी निकलता है।
3. हाइड्रोथर्मल वेंट केवल गहरे समुद्र के जीवों की जैविक खोज में भूमिका निभाते हैं और उनका आर्थिक महत्व नहीं है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. उपरोक्त सभी

43. यूएई के साथ भारत के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यूएई भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसका व्यापार सालाना 60 बिलियन डॉलर से अधिक है।
2. यूएई और भारत ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2023 में एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए।
3. भारत यूएई के लिए अप्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. उपरोक्त सभी

44. भूटान से अरुण कपूर को मिले हालिया शाही सम्मान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, अरुण कपूर को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल द्वारा 'बुरा मार्प' (लाल दुपट्टा) और 'पतंग' (तलवार) से सम्मानित किया गया।
2. अरुण कपूर को भूटान में शिक्षा में उनके योगदान के लिए 2019 में 'ड्रुक थक्से' से सम्मानित किया गया।
3. अरुण कपूर ने शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए भूटान में गैर सरकारी संगठनों 'रितिनजलि' और 'पल्लवन स्कूल नेटवर्क' की स्थापना की।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. उपरोक्त सभी

45. गुजरात के मसाली गाँव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मसाली गाँव भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला सीमावर्ती गाँव है, जो पाकिस्तान की सीमा से 40 किमी दूर स्थित है।
2. गाँव के कुल 119 घर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हैं और 225 किलोवाट से अधिक बिजली पैदा करते हैं।
3. सीमा विकास परियोजना के तहत भारत की सीमाओं से लगे 100 गाँवों को सौर ऊर्जा पर निर्भर गाँव के रूप में विकसित किया जाएगा।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. उपरोक्त सभी

46. दूरसंचार (संदेशों के वैध अवरोधन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नियम केंद्रीय गृह सचिव और राज्य सरकार (गृह विभाग) के सचिव को अवरोधन आदेश जारी करने का अधिकार देते हैं।
2. संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी असाधारण परिस्थितियों में अवरोधन आदेश जारी कर सकते हैं।
3. नए नियमों के अनुसार, न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सात दिनों के भीतर अवरोधित संदेशों की पुष्टि की जानी आवश्यक है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2

- B. केवल 1 और 3
C. केवल 1
D. उपरोक्त सभी
47. दूरसंचार नियम, 2024 के तहत, इंटरसेप्ट किए गए संदेशों के रिकॉर्ड के लिए अधिकतम अवधारण अवधि क्या है?
A. तीन महीने
B. छह महीने
C. एक वर्ष
D. दो वर्ष
48. भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है।
2. रिपोर्ट के अनुसार, 2021 और 2023 के बीच भारत में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जबकि वृक्ष आवरण में 1,289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई।
3. भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1
- D. उपरोक्त सभी
49. ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य ने वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दिखाई?
A. राजस्थान
B. उत्तर प्रदेश
C. छत्तीसगढ़
D. ओडिशा
50. ISFR 2023 से भारत में वन आवरण डेटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों में लक्ष्मीप में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है।
2. भारतीय राज्यों में मिजोरम में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है।
3. 2023 में भारत में मैग्रोव कवर का कुल क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. उपरोक्त सभी

उत्तर

1	B
2	B
3	B
4	B
5	C
6	B
7	B
8	B
9	C
10	B

11	B
12	C
13	B
14	A
15	C
16	A
17	A
18	A
19	B
20	A

21	B
22	A
23	A
24	B
25	A
26	D
27	D
28	A
29	B
30	B

31	C
32	B
33	B
34	C
35	C
36	C
37	B
38	B
39	B
40	B

41	A
42	A
43	C
44	A
45	A
46	B
47	B
48	A
49	C
50	D

आलगान

UPSC PRELIMS MENTORSHIP PROGRAMME 2025

Under the Guidance of

Vinay Sir

(Founder & CEO) Dhyeya IAS

Features:

- Interactive classes
- PYQ Based trend analysis
- Daily & weekly practice Questions
- Sectional & Full Length Tests
- Special classes for Current Affairs
- Evaluation Through Prelims Performance Index
- One to One Interaction



जानें अपने UP को...

UP SPECIAL

MAINS PAPER- VI

17th FEB 2025

MORNING BATCH

9:00 AM



EVENING BATCH

6:00 PM

Offline



Online



REGISTRATION OPEN

LUCKNOW

ALIGANJ ☎ 7619903300 | GOMTINAGAR ☎ 7570009003